खण्ड-371, अंक-8
बुधवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1907
(7 अगस्त, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3—43
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	43
गन्दे पानी के जमाव से वाराणसी में तीर्थ यात्रियों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के प्रश्न पर भू0 पू0 उपाध्यक्ष श्री कमलेश तिवारी द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जनपदों में प्राथमिक शिक्षकों के बकाये धन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
बुंदर क्षेत्र, बस्ती में लेदर काम्प्लेक्स न लगाने से अधिग्रहीत भूमि बेकार पड़ी होने से किसानों में रोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
सहकारी बैंक बन्डा, शाहजहांपुर में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
थाना क्षेत्र रौनाही, फैजाबाद में पुलिस तथा उनके अधिकारियों द्वारा जनता का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	51
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	53
दिनांक 22 जुलाई, 1985 को नियम 301 के अन्तर्गत राप्ती नदी की कटान से उत्तरौला, गोण्डा के ग्रामों को क्षति के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर समय से अन्तरिम उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53

विषय	पृष्ठ-संख्या
सचिवालय काण्ड में निलम्बित कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये आश्वासनों का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	54
औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	55
विधान भवन मुख्य द्वार के सामने मरे सांड़ के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	55
भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश के मृत लड़के का पोस्ट मार्टम कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	56
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	56—84
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित)	84
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 34-पशुधन विभाग अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्ध-शाला विकास) तथा अनुदान संख्या 38-मत्स्य विभाग (स्वीकृत)	85—109
अनुदान संख्या 14-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या 16-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 24-नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत)	109—137
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति	137
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड संशोधन अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	138
मद संख्या 17 को स्थगित करके किसी दूसरे दिन लिये जाने हेतु सदन की सहमति	167
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	168
दिनांक 24 जुलाई, 1985 को सीतापुर जिले में तम्बौर से बिसवां आ रही बस के दुर्घटना ग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	168
चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को आरक्षण नीति के अनुसार पदोन्नत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	170
नत्थी	175

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अतर सिंह यादव, श्री	एटा	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अमरनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	रजनीकान्त, श्री	वाराणसी
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
काजी मोहि उद्दीन, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	राम जनम, श्री	आजमगढ़
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	रामनरेश, श्री	मैनपुरी
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
नंगाराम, श्री	खीरी	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री	कानपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
फजले मसूद, श्री	देवरिया	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी	समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
फूल सिंह सोदाई, श्री	मुजफ्फरनगर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	हर नारायन सिंह, श्री	रायबरेली
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद		

नोट—श्री अरुण कुमार सिंह—सहकारिता मंत्री ।

सत्यमेव जयते

"प्रश्नोत्तर"

बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 1985 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की तदर्थ नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी निर्णय

**1—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के रिक्त पदों पर विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जी हां ।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की कमी विगत कई वर्षों से निरन्तर बनी रहने के कारण सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर सीधी-भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है ताकि सिंचाई कार्य एवं राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं परिचालन, निर्माण कार्य तथा विश्व बैंक द्वारा अर्धपोषित पब्लिक नलकूप परियोजना के कार्य सुचारु रूप से चल सकें ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सीधी भर्ती द्वारा जो तदर्थ नियुक्ति की जा रही है वह निर्माण कार्यों के लिये तथा विश्व बैंक की परियोजना के कार्यों के लिये की जा रही है । मैं, मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन कार्यों के लिये जो नियुक्तियां की जा रही हैं, उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है और दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी को स्मरण होगा कि इस सम्बन्ध में एक शासनादेश सं0 19/5/1981-कार्मिक दिनांक 22 मार्च, 1984 है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया था कि भविष्य में राज्यधीन सेवाओं अथवा पदों पर प्रथमतः तदर्थ नियुक्तियां न की जायें । यदि किसी विशिष्ट मामले में कुछ तदर्थ नियुक्तियां जनहित में किया जाना नितान्त आवश्यक एवं अपरिहार्य हो तो ऐसी नियुक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से न करके निचले संवर्ग से की जावे तथा उन्हें किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक तक न चलाया जाय । तो जब स्पष्ट आदेश हैं तब फिर मैं जानना चाहूंगा कि इस शासनादेश का उल्लंघन क्यों करके सीधी भर्ती का निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, अभी मा0 कौशिक जी ने बताया और जो उत्तर दिया गया है, उसमें भी है कि आवश्यकता हो जाने पर, ऐसा करना पड़ा है । यह हमारा प्रयास है कि सीधे लोक सेवा आयोग से भर्ती की जाय । इसके लिए कई बार लिखा भी गया है लेकिन वहां से अभी तक कोई व्यक्ति चयनित होकर नहीं आया है और काम काफी सफर कर रहा है, विश्व बैंक के लिये तथा मेन्टीनेन्स के लिये और नये निर्माण कार्यों के लिये हमारे पास असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स की कमी है, लोक सेवा आयोग द्वारा 1980 में भर्ती हुई भी और उसके बाद 5 साल तक कोई

भर्ती नहीं हुई है । इसलिये कैबिनेट से यह निर्णय लिया गया कि फार दि टाइम बीइंग, एडहाक भर्ती कर ली जाये फिर उनको लोक सेवा आयोग जाना पड़ेगा और जो सीधी भर्ती का नियम है उसका पालन होगा । यह कुछ समय के लिये हो रहा है । नियम नहीं तोड़ा जा रहा है । काम चलाऊ व्यवस्था की जा रही है ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने पदों के लिये नियुक्तियां की जा रही हैं । मा0 मंत्री जी शासनादेश का उल्लंघन करके यह नियुक्तियां कर रहे हैं । इस प्रकार की समस्या पहले भी थी इसीलिये 1977 में यह समझा गया कि जो तदर्थ नियुक्तियां हैं उनको नियमित कर दिया जाये और आगे के लिये निश्चित कर दिया जाये कि तदर्थ नियुक्तियां नहीं होंगी । इसके सन्दर्भ में कि 1981 में और 1982 में स्पष्ट शासनादेशों के होते हुए भी तदर्थ नियुक्तियां हुईं और पिछले अनेक वर्षों से उत्तर प्रदेश शासन के सामने यह समस्या रही है कि ऐसी तदर्थ नियुक्तियों के लोगों को आप निकाल नहीं सकते, यह समस्या आपके सामने आयेगी । मैं जानना चाहता हूं कि जब स्पष्ट आदेश हैं, उन सारी दिक्कतों को सोचकर शासन की, विभिन्न शासनादेश निकालकर यही सेवा रही है तो फिर कौन सी ऐसी आवश्यकता थी जब कि मंत्री जी के पास ऐसे अवर अभियन्ताओं की कमी नहीं है ? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन सारे शासनादेशों का उल्लंघन करके जो लोग आपके यहां 850—1720 के स्केल में काम कर रहे थे, उनको प्रोन्नत करके उनकी तदर्थ नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने लोगों की तदर्थ नियुक्ति कर रहे हैं । वह तो हमने कम बताया । कुल 261 रिक्तियां ऐसी हैं जो भरनी हैं । जैसा आपने कहा कि जूनियर इंजीनियर से क्यों नहीं करा लिया जाता है । यह हमने व्यवस्था की है हम तदर्थ नियुक्ति कर रहे हैं लोक सेवा आयोग से जब चयन होगा, तब इनको भी वहां जाना पड़ेगा । जब वे वहां से चयनित होंगे तभी उनकी नियुक्ति होगी । अन्यथा निकाल दिये जायेंगे । यह नियम तो पहले से ही है । जहां तक प्रमोशन से इन पदों को भरने की बात कही गई है, 176 पदों पर हमने ऐसी नियुक्तियों की हैं । यह सही बात है कि जब हम इन्हें पदोन्नति देंगे तो नीचे स्तर में कठिनाई होगी और नियमों का उल्लंघन होगा । इसलिये नहीं कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियंता नलकूप ने सहायक अभियन्ता के पदों को भरने के लिए 200 विभागीय प्रोन्नति द्वारा तदर्थ नियुक्तियों के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो किस परिपेक्ष्य में दिये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस कठिनाई को देखते हुए कि लोक सेवा आयोग के ऊपर बहुत भार है और समय से नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं क्या आपके जो तकनीकी विभाग हैं जैसे सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग, इन विभागों में नियुक्ति के लिये कोई अलग से नियुक्ति के लिये कोई बोर्ड बनायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एसा कोई विचार नहीं है ।

सहारनपुर, सेवायोजन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल

**2—श्री काजी मोहिउद्दीन (अनुपस्थित)—

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि सहारनपुर में सेवायोजन कार्यालय में 11 जून, 1985 से कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है जिससे लगभग 50 हजार बेरोजगार युवक अत्यन्त परेशान हैं ? यदि हां, तो हड़ताल के कारण क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन)—

जी हां, जिला शाखा सहारनपुर कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11-6-85 से कलमबन्द हड़ताल हुई है ।

जिला सेवायोजन अधिकारी, सहारनपुर एवं वहां के कर्मचारियों के बीच मतभेद तथा जिला सेवायोजन अधिकारी के पिथौरागढ़ किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने के कारण हड़ताल हुई ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण के लिये भारत तथा नेपाल राज्य के सहयोग से जल कुण्डी योजना का निर्माण

*1—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत नेपाल सहयोग से जल कुण्डी नामक योजना का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है और दिनांक 8-7-85 तक उसका कार्यान्वयन न हो सकने का कारण क्या है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

वर्ष 1961 में यह योजना बनाई गयी थी परन्तु नेपाल राज्य की सहमति प्राप्त न होने के कारण कोई आगामी कार्यवाही नहीं हो सकी ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके भारत सरकार के सहयोग से नेपाल सरकार से वार्ता करेंगे और जलकुण्डी नामक योजना पर काम शुरू करायेंगे ? यदि राप्ती नदी की बाढ़ रोकने के लिये नेपाल सरकार इस योजना के लिये सहमत नहीं होती है तो क्या आप वहां के लिये कोई दूसरी योजना बनायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह अन्तर्राष्ट्रीय मसला है । इस संबंध में बात भी हुई थी । यह योजना 61 में बनी थी और उसके बाद ही नेपाल सरकार ने इसको नहीं माना । इसलिये इस योजना पर कोई काम नहीं हो सका । लेकिन यह प्रयास हो रहा है कि राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिए क्या कार्य किया जाय । नेपाल सरकार से बात हो रही है । अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है । भारत सरकार से भी बराबर बात हो रही है और आशा है कोई रास्ता निकल सकेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह बड़ी पुरानी योजना रही है जब स्वर्गीय चन्द्र भानुगुप्त मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने काफी विचार और सर्वेक्षण के बाद इसे शुरू किया था । दोनों देशों की सहमति से इसका प्रारूप भी बना था लेकिन आगे चलकर दोनों देशों में राजनीतिक तनाव हो गया । इसलिए नेपाल सरकार ने मनाही कर दी । अब चूंकि नेपाल से संबंध मधुर हो गये हैं और कई योजनायें दोनों देशों की सहमति से कार्यरूप में परिणत हो रही

हैं तो क्या मंत्री जी इस बदलते हुए सन्दर्भ में पुनः नेपाल सरकार से बात करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखेंगे जिससे यह योजना कारगर हो सके और पूर्वांचल को तबाही से बचाया जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह जो जलकुण्डी योजना के बारे में बात है इसमें नेपाल का बहुत सा एरिया डूब रहा था जिस पर नेपाल सरकार तैयार नहीं हुई । यह हुआ कि कोई और योजना जैसे भालू बांध बनाया जाय उस पर बात चल रही है लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं निकला है ।

मथुरा में यमुना नदी में साड़ी उद्यमियों के साड़ी धोने पर लगाया गया प्रतिबन्ध

*श्री सरदार सिंह—

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा शहर के साड़ी उद्यमियों को शासन ने यमुना नदी में साड़ी धोने से रोक दिया है जिससे मथुरा शहर का यह मुख्य उद्योग संकट में पड़ गया है ? यदि हां, तो शासन हजारों परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए तथा इस उद्योग को जीवित रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफी-उर्रहमान अन्सारी)—

जी नहीं । इस समय ऐसी कोई रोक नहीं है अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, क्या यह बात सही है कि शासन ने यमुना नदी में साड़ियों की धुलाई बन्द कर रखी थी और जब यह सवाल हुआ तो वह प्रतिबन्ध तोड़ दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, इस सवाल के बाद प्रतिबन्ध तोड़ने का प्रश्न नहीं है । सवाल यह है कि मथुरा में यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए निरन्तर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं कि इसके लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ मथुरा में साड़ी उद्योग को भी क्षति न पहुंचे इसकी भी समस्या सामने है । मई और जून में जब पानी बहुत कम रह जाता है तो साड़ी की धुलाई से पानी में प्रदूषण होता है, इसलिए इन दो महीनों के लिए रोक लगाई थी ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मथुरा जिले का यह महत्वपूर्ण उद्योग है और इसमें करीब 50 हजार आदमी लगे हुए हैं । यह समस्या बार-बार आती है । माननीय मंत्री जी की बात सही है कि इससे प्रदूषण होता है । तो इस समस्या को रोकने के लिए जैसे पाली (राजस्थान) में ट्रीटमेन्ट प्लांट लगा दिये गये हैं । तो क्या यहां पर भी ट्रीटमेन्ट प्लांट लगा दिये जायेंगे जिससे धुलाई भी हो जाय और प्रदूषण की समस्या भी न रहे ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, प्रदूषण न हो और साड़ियों की धुलाई भी होती रहे । इन दोनों के निदान के लिए दो कमेटियां काम कर रही हैं एक तो आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई है और दूसरी उद्योग विभाग की तरफ से रुड़की के डाक्टर आर0 डी0 माथुर को यह काम सौंपा गया है कि वे स्टडी करके बतायें कि इस समस्या का क्या निदान हो सकता है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि मथुरा के ऊपर ओखला डैम बनने से पीने का पानी मथुरा को उपलब्ध नहीं होता है और जो धुलाई का उद्योग है उसका पानी यमुना में आता है और वह पीला पानी होता है जो पीने योग्य नहीं होता । तो आपके पास कोई और योजना है जिससे साड़ियों की धुलाई का काम भी चलता रहे और जल प्रदूषण भी न हो ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया दो कमेटियां इस उद्देश्य के लिए बनाई गयी है ।

इसके अलावा जल निगम 25 लाख रुपये लगाकर वहां जो नाला है उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि यह प्रतिबन्ध केवल दो महीनों के लिये है तो मैं जानना चाहता हूं कि ये दो महीने कौन-कौन हैं और उसमें क्या कार्यवाही की जायेगी जिससे यमुना नदी के प्रदूषण को दूर कर दिया जायेगा और प्रदूषण बोर्ड ने यमुना में सी0 ओ0 डी0 और पी0 ओ0 डी0 का क्या मानक रखा है और इस समय सी0 ओ0 डी0 और पी0 ओ0 डी0 कितना है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

यह तो इक्जैक्ट रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा लेकिन फिलहाल दो महीने केवल वे हैं मई और जून, जब यमुना में पानी कम हो जाता है, इसलिये धुलाई का रंग जब नदी में पहुंचता है तो पानी दूषित हो जाता है, अतः उन महीनों में प्रतिबन्ध लगाया गया है और शेष महीनों में धुलाई पर रोक नहीं लगायी गयी है ।

श्री सरदार सिंह—

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रुड़की विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री माथुर ने जो एनालिसिस किया है उसकी रिपोर्ट क्या है । साडियों की धुलाई से कितने प्रतिशत प्रदूषण था और गन्दगी के कारण कितने प्रतिशत प्रदूषण होता है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, अभी रिपोर्ट तो आयी नहीं है, अक्तूबर से काम शुरू करेंगे, जुलाई में 28 हजार रुपये की इसकी फीस दी गयी है ।

डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, मुख्य प्रश्न है कि हजारों परिवार इस साड़ी धुलाई उद्योग में लगे हुये हैं तो उनके लिये क्या करेंगे । इसके साथ ही इस उद्योग को जीवित रखने के लिये क्या करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, तीन जगहों पर उद्योग लगे हुये हैं—एक इण्डस्ट्रियल स्टेट-ए, बी और कुछ शहरों में अलग-अलग लगे हुये हैं । चेष्टा अब की जा रही है कि साइट बी पर ज्यादा से ज्यादा यह चले जायं और वहां पर सामूहिक रूप से व्यवस्था की जायेगी कि प्रदूषण न होने पाये और सभी सुविधायें एक जगह उपलब्ध करा दी जायं ।

[दिनांक 7 अगस्त, 1985 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मथुरा की गोकुल बैराज योजना

*1—श्री सरदार सिंह तथा श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में गोकुल बैराज परियोजना बनकर तैयार हो चुकी है ? यदि हां, तो शासन इस पर कब से कार्य शुरू करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के जवाब को सुनकर आश्चर्य हुआ । उन्होंने 1982 बजट भाषण में घोषणा किया और आप जब-जब मथुरा गये और आगरे में अभी जो मीटिंग किया उसमें घोषणा किया कि बैराज बनायेंगे लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आपके प्रोजेक्ट अधिकारी श्री इन्द्र प्रकाश जी हैं उन्होंने प्रायोजना की तैयारी पूरी कर ली है और आज आप उत्तर में मना कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि मथुरा में लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं, उनके स्नान करने के लिये और पीने

के पानी की समस्या पैदा हो जाती है, इसलिए बहुत शिकायतें आती रहती हैं, जिससे कुछ दिन पहले इसका सर्वे कराया गया था समस्या को देखते हुए कि क्या किया जा सकता है और 27.8 करोड़ रुपये का एक टेन्टेटिव स्कीम बनायी गयी लेकिन उसमें कई विभागों से बात करके योजना बनाना है। यह भी सोचा जा रहा है कि सड़क भी बनायी जाय जो बैराज रोड का काम भी करे। इसके साथ ही साथ वहां पीने के पानी की भी व्यवस्था हो सके जिसके लिये वहां एक लेक बन जाय जिसमें 12 महीनों पानी बना रहे और प्रदूषण न होने पाये। इन सब बातों पर विभिन्न विभागों से बात हो रही है और जब कुछ तय हो जायेगा तो इस पर सोचा जा सकता है।

श्री सरदार सिंह—

यह देखते हुए कि मथुरा में खारे पानी व पीने के पानी की समस्या है, क्या मंत्री जी वरीयता और प्राथमिकता के आधार पर आगामी बजट में ही उसकी घोषणा करेंगे कि जो पैसा आ रहा है उसी से इस समस्या के निदान का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक पूरी योजना ब बन जाये, तब तक अभी कोई बात कह देना उचित नहीं होगा।

प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, नर्सरी स्कूलों के कर्मचारियों का न्यूनतम दर से कम वेतन

*2—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, नर्सरी स्कूलों आदि के नियोजन में नियोजित वयस्क कर्मचारियों के लिए देय मजदूरी की न्यूनतम दरें, जो कि श्रम विभाग (3) द्वारा 1-12-84 को घोषित की गई है, वह लखनऊ शहर के स्कूलों में लागू हैं ? श्रम मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि माह दिसम्बर, 1984 तथा जनवरी एवं फरवरी, 1985 में किन-किन स्कूलों का निरीक्षण श्रम विभाग के निरीक्षकों द्वारा किया गया ? कितने स्कूलों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है ? सरकार द्वारा दरें लागू कराने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

जी हां।

दिसम्बर, 1984 में नहीं केवल जनवरी एवं फरवरी, 1985 में श्रम विभाग के निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित स्कूलों का निरीक्षण किया गया :—

1—सुर प्रसाद गुरू प्रसाद बैंक दिवालय, हुसैन-गंज, लखनऊ।	8-1-85
2—लामार्टीनियर्स गर्ल्स कालेज	10-1-85
3—अक्षैन विद्या मंदिर, सदर, लखनऊ।	11-1-85
4—बाल विद्या मन्दिर, स्टेशन रोड, लखनऊ।	15-1-85
5—शिशु शिक्षा मन्दिर, राजेन्द्रनगर, लखनऊ।	31-1-85
6—पायनियर मान्टेसरी स्कूल राजेन्द्रनगर, लखनऊ।	31-1-85
7—सेंवन्थ एडवेन्टिस्ट स्कूल विधान सभा मार्ग, लखनऊ।	8-2-85
8—हैप्पी वर्ड इंगलिश मीडियम स्कूल सराय मालीखां, लखनऊ।	20-2-85
9—सर्वोदय शिक्षा केन्द्र, लालकुआं, लखनऊ।	21-2-85

5 स्कूलों में न्यूनतम दर से कम वेतन दिया जा रहा है। इनमें न्यूनतम

मजदूरी के भुगतान हेतु डायरेक्शन बाद दायर कर दिया गया है तथा भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करायी गयी है । निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू कराने हेतु स्कूलों में नियमित रूप से निरीक्षण कराया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इस प्रश्न में मैंने यह जानने की चेष्टा की है जिससे सभी सदस्य भी परिचित हैं कि गली-गली में नर्सरी टाइप स्कूलों की बाढ़ आ गई है, जिनमें अध्यापिकाओं का शोषण होता है । लखनऊ में 6-7 माह हो गये अधिसूचना को जारी हुए, तो क्या प्रभावी कार्य किया गया है, यहां 50 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो उसका जवाब दिया गया कि कानूनी कार्यवाही की जा रही है । तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी विद्यालय में पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, उसको दिलाने के लिए सरकार क्या प्रभावी कार्य कर रही है ?

मोहम्मद शफीउर्रहमान अंसारी—

माननीय सदस्य की भावनाओं से शासन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और सक्षम अधिकारी के समक्ष हमने मामला दायर किया है और पायनियर मान्टेसरी, स्कूल राजेन्द्रनगर को जो धनराशि देनी थी वह 4,380 रु0 था, लेकिन जैसे ही हमने वाद दायर किया, उन्होंने सारा पेमेन्ट कर दिया । वैसे ही और भी हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

यहां पर 9 स्कूलों के बारे में जानकारी दी गई है, 6-7 महीने अधिसूचना जारी हुए हो गये, लेकिन निरीक्षण केवल 9 विद्यालयों का क्यों हुआ ? सभी स्कूलों का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया ?

श्री सैयद सईदुल हसन (श्रम मंत्री)—

अप्रैल, मई व जून में तो छुट्टियां रहीं । यह उनको हिदायत दी गई है, इसके लिए एक ड्राईव चलाया गया है, उसके बाद आगे प्रयास हो रहा है । आगे आप चाहेंगे तो बाकी जो निरीक्षण हुए हैं, उनकी भी रिपोर्ट दे देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर आप चाहेंगे, यानी यह हमारा कर्तव्य है, जब हम चाहेंगे तो जांच होगी नहीं तो नहीं होगी । शासन इतना निरंकुश है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों का निरीक्षण इन्स्पेक्टर ने किया तो केवल 5 में कम वेतन मिल रहा है । जो बाकी स्कूल हैं उनमें कितना वेतन मिल रहा है यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि जब आप कहेंगे तो हम जांच करायेंगे । मैंने कहा बराबर जांच हो रही है, यह कांटीनुअस प्रासेस है । जिनका निरीक्षण किया है उनके बारे में जानकारी आपके सामने है । किसी पर्टीकुलर स्कूल के लिये आप पूछेंगे तो हम जांच करके आपको बता देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह बड़ा अहम सवाल है । 15 रुपये महीने पर स्कूलों में लोग काम कर रहे हैं । जहां पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, उन स्कूलों के नाम बतायेंगे कि वहां कितना मिल रहा है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

मान्यवर, पूरे स्कूलों की फेहरिस्त हमारे पास नहीं है । आप किसी स्कूल के बारे में कहेंगे तो जांच करा देंगे ।

बरेली के विकास खण्ड मीरगंज व शेरगढ़ के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

*3—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज व शेरगढ़ में वर्ष 1981 से आज तक छिद्रित किये गये समस्त नलकूपों को छिद्रित करने के पश्चात् 127 दिन के अन्दर चालू कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से छिद्रित नलकूप को कितने दिन की देरी से और किस कारण देर से पूर्ण रूप से चालू किया गया ? देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी नहीं, जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज व शेरगढ़ में वर्ष 1981 से अब तक क्रमशः 7 व 3 नलकूपों का छिद्रण किया गया था । इनका उर्जीकरण जनवरी, फरवरी एवं मार्च 1984 तथा जनवरी, 1985 में हुआ । नलकूपवार विवरण संलग्न है ।

विलम्ब के कारणों की जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175 पर)

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह लाते हुए कि राजकीय नलकूप का छिद्रण करके उसको चालू करने के लिये शासन द्वारा 127 दिन की अवधि निश्चित है । माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है अगर आप देखेंगे तो 970 से 1000 दिन लगे हैं ट्यूबवेलों को चालू करने के लिये । अन्त में मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विलम्ब के कारणों की जांच के लिये आदेश दे दिये गये हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन का अपार धन इन योजनाओं में लगता है और 3-4 साल तक काम पूरा न होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाता है । तो क्या कारण है कि जिस वर्ष ट्यूबवेल लगना था और उस मद में धन था तो उन ट्यूबवेलों को चालू न करके दूसरे ट्यूबवेलों को छिद्रित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि विकास के लिये हर क्षेत्र से मांग आती है कि यहां पर नलकूप लगाये जायं । बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जन प्रतिनिधियों और जनता की तरफ से बराबर डिमांड आती है और नलकूप लगाये जाते हैं । लेकिन जितने नलकूप लगाये जाते हैं उनको पूरा करने के लिये धन नहीं होता । जो अधूरे नलकूप हैं उनके कार्यों को पूरा करने के लिये 100 करोड़ रुपये चाहिये । तो धन के अभाव में पूरा नहीं कर पाते हैं । जानबूझकर इसमें विलम्ब नहीं किया गया है । मैंने कहा है कि विलम्ब की हम जांच करा लेंगे ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, जब तक बीमार ट्यूबवेल पड़े हैं तब तक नये ट्यूबवेल बनाने से क्या फायदा । तो पहले बीमार ट्यूबवेलों को ठीक कर लिया जाय क्या ऐसा सुनिश्चित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि जो हमारे अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाय । लेकिन विकास के जो काम हैं उनको रोका नहीं जा सकता । नये ट्यूबवेलों को लगाना पड़ेगा और हमारा प्रयास है कि अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं यह नहीं चाहता कि विकास की गति को धीमा किया जाय । मैंने यह ध्यान दिलाया है कि छिद्रित करने से उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता । अगर उनको उर्जीकृत कर दिया जाय तो उनका उपयोग हो सकता है । अगर नालियां पक्की नहीं हैं तो कच्ची नालियों से काम चल सकता है । तो कम से कम इनको उर्जीकृत करें जिससे इनका फायदा पहुंचने लग जाय । क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में जो स्पष्ट निर्देश हैं शासन के उनको लागू कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने यही प्रयास किया है कि अब जो नलकूप लगाये जायं, वह अधूरे न लगाये जायं । हमारा यह प्रयास है कि जो हमारे पास पुराने एरियर्स काम पड़े हुए हैं, वह भी पूरे हो जायं और सिंचाई का कार्य चलता रहे ।

सिंचाई विभाग की सिंचाई परियोजनाओं का केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अनुमोदन

*4—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय योजना आयोग से नहीं है ? ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का विवरण निम्न है, जिन पर केन्द्रीय योजना आयोग का अनुमोदन उनके परीक्षणाधीन होने के कारण अभी अप्राप्त है :—

1—सुहेली सिंचाई योजना 2-बेवर फीडर परियोजना 3-माधौ टांडा सिंचाई योजना, 4--राजघाट नहर परियोजना (उ0 प्र0), 5—कनहर सिंचाई परियोजना, 6—बाण सागर बांध के अन्तर्गत जल-वितरण प्रणाली, 7—जमुनिया पम्प नहर, 8—खटीमा सिंचाई परियोजना, 9—चित्तौड़ बांध परियोजना, 10—पूर्वी यमुना नहर का आधुनिकीकरण, 11— आगरा नहर का आधुनिकीकरण, 12—घाघर नहर का आधुनिकीकरण, 13—माट बांध का आधुनिकीकरण, 14—ऊपरी शारदा नहर का आधुनिकीकरण, 15—ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण, 16—बेवर शाखा का आधुनिकीकरण, 17—अनूपशहर शाखा का आधुनिकीकरण, 18—भोगनीपुर शाखा का आधुनिकीकरण, 19—फर्रुखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण, 20—चम्बल डाल लिफ्ट परियोजना, 21—ज्ञानपुर पम्प नहर, 22—मेजा बांध को ऊंचा करना ।

जनहित में निर्माण कार्य आवश्यक समझा गया ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो परियोजनाएं मंत्री जी ने बताई हैं, इसमें लगभग 10 परियोजनाएं आधुनिकीकरण की परियोजनाएं हैं, क्या इसके अतिरिक्त जो परियोजनाएं पहले कभी स्वीकृत थीं और अब पुनरीक्षित की गयी हैं, उनका विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें जो माननीय सदस्य ने पूछा था, उसका पूरा जिक्र उत्तर में कर दिया गया है, इससे इनको पूरी जानकारी हो जायगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, पुनरीक्षित परियोजनाएं जो हैं, उनकी जानकारी नहीं देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, राजघाट नहर परियोजना का जिक्र अभी माननीय मंत्री जी ने किया, यह कहां की परियोजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें लिखा है राजघाट नहर परियोजना, आप जानते हैं कि भारत हैवी एलेक्ट्रिकल लिमिटेड बन गया और झांसी शहर को पानी पीने की समस्या है । राजघाट नहर परियोजना बुन्देलखण्ड में है, इसलिए यह नई बात पैदा हो गयी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

राजघाट नहर परियोजना कहां पर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह राजघाट नहर परियोजना बुन्देलखण्ड में है ।

गोरखपुर में शराब के ठेके के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में गोरखपुर में शराब के ठेके में अनियमितता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने शासन का ध्यान आकृष्ट कर जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं यह कैसे कहूं कि शरीफ और भले मंत्री जी सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं । मान्यवर, मैंने भूतपूर्व आबकारी मंत्री जी के कक्ष में एक पत्र दिया था, उस पत्र में न केवल 1984-85 का ही जिक्र था, बल्कि 1983-84 का भी जिक्र किया गया था और मंत्री जी ने 1983-84 की जांच भी कराई, वह उनकी पत्रावली में भी होगा । मेरी सूचना को सही मानकर कि गोरखपुर में नीलामी हुई ही नहीं बल्कि जिलाधिकारी के चेम्बर में बैठकर, आबकारी विभाग के लोग और माफिया गिरोह के प्रतिनिधि अपना सौदा तय कर लिये । मान्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में आबकारी का पैसा बढ़ा है, लेकिन गोरखपुर शहर में 18 लाख कम हुआ है । इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए 1983-84 और 1984-85 की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करेंगे और ठेके को निरस्त करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पत्र दिया था वह पत्रावली में हमको नहीं मिला न आयुक्त के दफ्तर में है । मैं आभारी हूंगा, यदि माननीय सदस्य वह पत्र दे दें, मैं उसकी जांच करा दूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो पत्र 1984-85 में दिया है, उसमें 1983-84 का भी सन्दर्भ है । मैंने प्रश्न भी किया था और वह स्वीकार हुआ था लेकिन सदन में आ नहीं पाया । मेरी जानकारी को सही मानकर जिस पत्रावली में जांच हुई है, उसमें देखें घपला हुआ है या नहीं हुआ है । सारे प्रदेश में आय बढ़ी फिर केवल गोरखपुर में 18 लाख कम क्यों हो

गई । क्या माननीय मंत्री 1983-84, 1984-85 की जांच कराकर तथ्यों से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, 1983-84 में ज्यादा थी उसके बाद 1984-85 में कम होने का कारण यह है कि नीलामी का काम शुरू हुआ, लेकिन बोली कम लगी तो उसको बन्द कर दिया गया और तीन दफा तारीख रखी गई लेकिन बोली बढ़ी नहीं । चौथी बार जो आखिरी बोली थी उस पर खत्म हो गयी ।

श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, आबकारी विभाग ने एक मानक तय किया था कि पूर्व की नीलामी से 10 प्रतिशत अधिक बोली होगी तो नीलामी दी जायेगी, 10 प्रतिशत से कम होगी तो जांच होगी । मौजूदा आयुक्त ने अपने जनपद के अपने रिश्तेदार को पूर्व में जो नीलामी हुई थी उससे कम धनराशि पर नीलामी को छोड़ दिया । पूर्व आयुक्त द्वारा मानक तय था, दुबारा नीलामी कराने का । मौजूदा आयुक्त ने अपने रिश्तेदार को कम धनराशि पर दे दिया, इसकी जांच कराकर नीलामी को निरस्त करके दुबारा नीलामी करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इस वर्ष की नीलामी में काफी वृद्धि हुई है ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

ओझा जी, आप बैठें । माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया लिखकर दे दें, वह जांच कराने को तैयार है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक प्रश्न । मंत्री जी ने मेरे आरोपों को स्वीकार कर लिया । उनका कहना है कि 4 बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और बोली आगे नहीं बढ़ी । इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति हैं, जो बोली नहीं होने देते हैं । क्या मंत्री जी इस प्रक्रिया को बदल कर कोई नई प्रक्रिया शुरू करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मैंने पहले कहा था कि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी चीज हो, तो लिखकर दे दें । मैं उसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, यहां क्या माननीय मंत्री जी के तीन बन्दर हैं, नारायन दत्त तिवारी के, गांधी जी के बन्दरों की तरह जो न बुरा बोलते हैं, न सुनते हैं और न देखते हैं । यहां पर दीक्षित जी बैठे हैं, अंसारी जी हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं ?

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, तीन बन्दर नहीं, हनुमान और अंगद हैं ।

हथकरघा तथा पावर करघा के सूत के मूल्य में वृद्धि

*6—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर 1984 से अब तक की समयावधि में हथकरघा तथा पावर करघा में प्रयोग किये जाने वाले सूत की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

दिसम्बर, 1984 से अब तक की समयावधि में सूत के मूल्य में 32 और 40 काउन्ट्स के अतिरिक्त, सामान्यत: कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

सूत के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण कपास के मूल्य में वृद्धि होना है।

*7—श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी—

[9वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी में रारी नाला की सफाई

*8—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में 10 वर्षों से रारी नाला की सफाई न होने के कारण तहसील नवाबगंज व हैदरगढ़ के 100 गांव जल भराव व सीपेज से प्रभावित रहते हैं और इन गांवों की कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी रहती है ? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब रारी नाले की सफाई के संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । रारी नाले की क्षमता कम होने के कारण इसके किनारे के लगभग 75 ग्राम वर्षा काल में जल भराव से प्रभावित होते हैं । जिससे लगभग 3740 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल प्रभावित होता है ।

इसकी क्षमता वृद्धि हेतु सुधार कार्य किया जा रहा है ।

बिहार प्रदेश के बक्सर कोयलर बांध के निर्माण से बलिया बैरिया बांध में पानी के प्रेशर में वृद्धि

*9—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बिहार प्रदेश के बक्सर कोयलर बांध बन जाने से बलिया बैरिया बांध पर पानी का प्रेशर बढ़ गया है ? यदि हां, तो इन दोनों बांधों के बीच के गांवों को डूबने से बचाने हेतु सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी हां । बिहार प्रदेश में बांध बन जाने के पश्चात् बलिया बैरिया बांध पर पानी की प्रेशर बढ़ जायेगा ।

इन दोनों बांधों के बीच के गांवों को डूबने से बचाने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह नदी का प्राकृतिक भ्रमण क्षेत्र है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि बक्सर कोयलर बांध बन जाने से बलिया बैरिया बांध पर पानी का प्रेशर बढ़ गया है । आपने पुनः कहा है कि इन गांवों को बचाने के लिये कोई योजना नहीं है क्योंकि यह नदी का प्राकृतिक भ्रमण क्षेत्र है । श्रीमन्, इन गांवों में पानी का प्रेशर न बने, इसके लिए बक्सर कोयलर बांध का निर्माण हुआ, अब आप कह रहे हैं कि यह नदी का प्राकृतिक भ्रमण क्षेत्र है और जो बांध बना है, उसके कारण प्रेशर है । तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस बांध के बनने से बलिया बैरिया बांध पर जो पानी का प्रेशर बढ़ा है, तो उन गांवों को बचाने के लिये कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि बिहार में जो बक्सर कोयलर बांध बना है, उससे बलिया बैरिया बांध पर पानी का प्रेशर बढ़ा है । बलिया में जो यह बांध बना है उससे बलिया का एरिया बच जाता है । यही कारण है कि बिहार में वह बांध बनाया गया । अब जो बीच के और गांवों को बचाने का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, तो अभी तक कोई योजना बना नहीं पाये हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, यह गंगा नदी

के दक्षिणी किनारे पर बक्सर कोयलर बांध बना है। उत्तर प्रदेश में बलिया बैरिया बांध बना है। इससे कोटवा नारायनपुर का एक साइड सड़क तक डूब जाता है। उसके दबाव से आधे बलिया को नुकसान होता है। पहले कोटवा नारायनपुर बांध का निर्माण विचाराधीन था, शुरू में काम चला भी लेकिन कुछ दबाव के कारण बन्द कर दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी उस काम को फिर से शुरू करेंगे? दूसरी बात यह कि जब त्रिवेदी आयोग बना था तो उसने कहा था कि यह क्षेत्र गंगा नदी का भ्रमण क्षेत्र है और उसी को आधार मान-कर उसने उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का सीमांकन किया था। श्रीमन्, इससे कोटवा नारायनपुर, जो श्री जय प्रकाश नारायण का गांव है, उस क्षेत्र के डेढ़ सौ गांव और डेढ़ लाख की आबादी के इस कृत्रिम बांध के कारण डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो श्रीमन्, जो ये 100 गांव डूब जाने वाले हैं, क्या माननीय मंत्री जी उन्हें डूबने से बचाने के लिए उनकी पटाई करके उन गांवों को ऊंचा कराने के आदेश देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि जो बिहार ने बांध बना रखा है बक्सर से कोयलर तक बांध बना है और उत्तर प्रदेश में बलिया बैरिया बांध बना है। यह सही है कि जब इसमें ज्यादा पानी बढ़ जाता है तो इन गांवों में डर पैदा होता है, लेकिन अभी तक पटाने की योजना शासन नहीं बना पाया है। यह सही है कि दिक्कत है। इस पर हम विचार करेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, जो मेरे क्षेत्र से संबंधित मामला था, उसका जवाब नहीं आया। मान्यवर, बलिया से कोटवा नारायणपुर तक जो बांध बनना है, लोकल दबाव के कारण इस बन्धे का सर्वे और निर्माण का काम बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, आसन्न खतरे को देखते हुए बलिया से कोटवा-नारायणपुर तक जो बांध बनना है, उसके बनाने का आदेश देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कहते हैं, यह बात सही है, सर्वे किया जा रहा था, लेकिन वहां के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बलियाबैरिया बांध पर पानी का प्रेशर बढ़ा है। क्या मेरी जानकारी को सही मान कर कि इस साल वह बांध निश्चित ही टूट जायेगा, उसको बचाने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह प्रयास किया गया है कि वह बांध न टूटे। यह आशा की जाती है कि बांध नहीं टूटेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह रिपोर्ट भी आयी थी कि प्रेशर बढ़ जाने से इतना पानी बहेगा। तो क्या उपाय कर रहे हैं कि इन प्रभावित होने वाले गांवों को बचा लिया जाय?

मन्त्री जी को स्मरण होगा कि बलिया बैरिया बांध जब शासन ने मंजूर किया था 20 साल पहले, तो गांव की पटाई की योजना को मूल योजना में सम्मिलित किया गया था।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो बिहार में बांध बना हुआ है और यू0 पी0 में बांध बना हुआ है,

दो बंधे के बीच में पानी का लेविल बढ़ जाने से गांव में दिक्कत आ जाती है। पटाई की योजना पहले कुछ जगह शुरू हुई थी, उस पर बहुत सी शिकायतें आयी, इसलिये योजना चल नहीं पायी। अब इस प्रकार की योजना चलायी नहीं जा रही है। जो गांव इस प्रकार के हैं, जो दो बंधों के पानी के बढ़े लेविल से प्रभावित हैं, उन्हें ऊंचे पर बसा दिया जाय, यही हल हो सकता है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, इसे नियम 49 में चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में बैठे हुए हैं मैं जानना चाहता हूं कि डूबे हुए गांवों को बचाने के लिये इस साल कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह कहा गया कि जो एरिया डूबता है, उस जगह के लोगों को वहां से अलग कर बांध के दूसरे साइड में ऊंचे पर बसा दिया जाय, तो समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, सौ-सवा सौ गांवों का मामला है और लाखों लोगों के जीवन का सवाल है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह सही नहीं है। आप इस पर चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर मेरे पास भेज दीजिए। मैं उस पर विचार कर लूंगा।

बुलन्दशहर के ग्राम बरौली बासुदेवपुर तथा ग्राम महाव के नाले की सफाई की परियोजना

*10—श्री किरनपाल सिंह—(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड स्याना के अन्तर्गत स्थित ग्राम बरौली बासुदेवपुर तथा ग्राम महाव के मध्य में स्थित नाले की सफाई कराये जाने हेतु सन् 1981-82, 82-83 में जिला योजना समिति की बैठक में स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो आज तक उक्त स्थान पर पुल का निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है

प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की कथित स्थापना

*11—श्री कल्यान सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री मित्रसेन—

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1982 में केन्द्रीय योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया था और क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 1979. अक्तूबर, 1982 और फरवरी, 1983 में उक्त फैक्ट्री लगाने के लिये स्थानों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिये थे ? क्या स्थान चयन हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था ? क्या यह भी सही है कि अब

उक्त कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

केंद्रीय योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने के किसी निर्णय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई जानकारी नहीं है। कोच फैक्ट्री केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जानी है। भारत के अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी उक्त फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाने हेतु भारत सरकार को सुझाव प्रस्तुत किये थे। समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह परियोजना इस प्रदेश में नहीं लग रही है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस समय आदरणीय सदन में उपस्थित हैं। उनका ध्यान भी मैं इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है, उसके अन्तिम वाक्य को आप देखें। उसमें लिखा गया है कि "समाचार-पत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह परियोजना इस प्रदेश में नहीं लगाई जा रही है।" बड़ी शर्म लगती है। मैं इस सरकार को क्या नाम दूं। समाचार-पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर यह सरकार यहां पर उत्तर देने आई है। इनको यही नहीं मालूम कि लगभग 200 करोड़ रुपए की एक रेलवे की कोच फैक्ट्री इज्जतनगर (बरेली) में लगाये जाने की घोषणा रेलवे मिनिस्टर, भारत सरकार ने की थी, जो टेलीवीजन और रेडियो पर भी आया था लेकिन लापरवाही से वह फैक्ट्री इस प्रदेश में न लग कर दूसरे प्रदेश में चली गयी। आज यही वजह है कि सरकार की लापरवाही के कारण यह प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। मान्यवर, मेरा मन तो नहीं हो रहा है कि इस सरकार से कोई प्रश्न करूं। फिर भी, दो प्रश्न करता हूं। पहला, यह कि मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट रूप से तीन तिथियों का उल्लेख किया है "सितम्बर, 1979, अक्तूबर, 1982 और फरवरी, 1983 इसके उत्तर में कहा गया है कि भारत के अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी उक्त फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाने हेतु भारत सरकार को सुझाव प्रस्तुत किये थे।" मेरा प्रश्न यह है कि रेलवे कोच फैक्ट्री, बरेली के इज्जतनगर में लगे इसके लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो वह अन्तिम पत्र क्या है और उस पर केन्द्र सरकार का जो उत्तर आया है, वह क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोच फैक्ट्री लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में 11 नवम्बर, 1980 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा था और यह सुझाव दिया था कि यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई जाय। इसके बाद तत्कालीन उद्योग मंत्री जी ने भारत सरकार को 1984 में एक पत्र लिखा था। इस बीच की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार और केन्द्रीय मंत्रियों से सम्पर्क करता रहा, मिलता रहा और चेष्टा करता रहा। आप तो जानते ही हैं कि यह योजना भारत सरकार की थी और इस पर निर्णय करने का अधिकार भी भारत सरकार को ही था। भारत सरकार सम्पूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में किसी भी योजना को कहीं भी स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन को यह सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को जो अन्य बड़े उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी है, वे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश की योजना से कम नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री और इस समय केन्द्र के वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इलाहाबाद में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी ? तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने गोरखपुर में कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी । अभी पिछले वर्ष 1984 में श्री नरायन दत्त तिवारी, नेता सदन ने गाजीपुर में यह घोषणा की थी कि एक कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई जायेगी । क्या ये तथ्य सब भ्रामक है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, तत्कालीन उद्योग मंत्री जी ने बड़ा प्रयास किया था कि उत्तर प्रदेश में कोच फैक्ट्री लगे और योजना केन्द्र सरकार को लागू करनी थी, अधिकार उन्हीं का था, यह तो हमें भी मालूम है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री, वर्तमान सरकार के उद्योग मंत्री जी ने कोई प्रयास किया कोई पत्र लिखा, यदि लिखा है तो वह पत्र क्या है और केन्द्र से उस पत्र के उत्तर में क्या आया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

इस संबंध में उत्तर प्रदेश में कोच फैक्ट्री लगाये जाने के संबंध में एक चयन दल, स्थान के चयन के संबंध में तत्कालीन उद्योग मंत्री के अनुरोध पर इस प्रदेश में आया था और उसने जो स्थल ठीक समझा वहां गये भी थे । जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने कह दिया था कि दो करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार प्रारम्भिक व्यवस्था के लिए देगी और यदि कोई दूसरी सरकार इससे अधिक दे तो उत्तर प्रदेश से भी इस संबंध में परामर्श कर लिया जाय ताकि हम उस धनराशि को बढ़ाने पर भी विचार करें । इस संबंध में कोई सूचना केन्द्र सरकार से नहीं मिली है । समाचार पत्रों की जहां तक बात है वह इसलिए कि अभी तक लिखित रूप में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

एक सुझाव लिख कर भेज दिया था तो क्या उद्योग मंत्री, भारत सरकार और रेल मंत्री भारत सरकार से व्यक्तिगत सम्पर्क किया था या किसी अधिकारी ने कोई सम्पर्क किया था और कहां पर फैक्ट्री लगायी जाय, किसी जगह का सुझाव दिया था ? और अगर प्रयास नहीं किया तो क्या फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि यह अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

अन्तिम रूप से गोरखपुर में फैक्ट्री लगाने के लिए निवेदन किया गया था और उसका कारण था कि गोरखपुर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, मण्डलीय हेडक्वार्टर है, पूर्वान्चल में है और प्रारम्भ में निश्चय भी

यही हुआ था कि पूर्वी अंचल में ज्यादा फैक्ट्री लगाने का प्रयत्न किया जाय ।

श्री कल्यान सिंह—

केवल स्पष्टीकरण है कि कोच फैक्ट्री यहां पर नहीं लग पा रही है और प्रयास भी शायद नहीं कर रहे हैं । प्रयास किया गया होता तो कोच फैक्ट्री हमारे यहां से बाहर नहीं जाती । कोच फैक्ट्री को न लें और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग धन्धे लगाने की अनुमति मिल गई है । तो मंत्री जी यही बता दें कि वह कौन-कौन से उद्योग धन्धे स्वीकृत हुए हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राइवेट सेक्टर में चार खाद के कारखाने उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं—सुलतानपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और बदायूं, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में जो कारखाने लग रहे हैं ।

(बरेली में, की आवाज आने पर)

हां आंवला, बरेली में ।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह तो सब पुरानी बातें कह रहे हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

कोच फैक्ट्री लगाने के लिए गोरखपुर निश्चित किया गया था लेकिन 20 अप्रैल, 1985 को शाम के 9 बजे की न्यूज में रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि बरेली के लिए दी जाती है दो सौ करोड़ रुपये की, तो मैं आपको सत्य मानूं या उनको सत्य मानूं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो कोच फैक्ट्री लगने वाली थी, ऐसे क्या आधार थे, क्या कमी थी या क्या कारण थे, जो केन्द्र सरकार को इसे हटाना पड़ा ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य, बुलन्दशहर ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो इस विषय में आकांक्षा व्यक्त की है, सराहनीय है कि प्रदेश में और बड़े उद्योग लग जायं । मुझे आशा है कि भविष्य में भी यह सहयोग बना रहेगा । जहां तक रेलवे कोच फैक्ट्री का सम्बन्ध है, जैसा मेरे योग्य सहयोगी ने बताया कि इस संबंध में प्रयास किये गये, चयन दल भी आया और उसने सम्भवतः सर्वे रिपोर्ट भी दी । मुझे भी इस संबंध में दो-चार बार बातें करने का मौका मिला, लेकिन सबको ज्ञात है कि राष्ट्रीय सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि यह कोच फ़ैक्ट्री पंजाब के सीमा प्रदेश में लगायी जाय, इसलिये इस संबंध में जहां तक इस कोच फैक्ट्री के संबंध में निर्णय केन्द्र सरकार ने ले लिया है और राष्ट्रीय हित में पार्लियामेण्ट ने उसका स्वागत भी किया है । इस संबंध में विवाद न उठाकर भविष्य में प्रयास करें तो अच्छा होगा ।

(तारांकित प्रश्न सं0-13 पुकारे जाने पर ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आ गया है, अब आप बैठें ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव के खड़े होकर एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

कुछ भी लिखा नहीं जायेगा । आप लोग कृपा करके बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन् मुझे एक प्रश्न करने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आ गया है । अब प्रश्न नम्बर 13 ।

*12—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[6 ठें बुधवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद जनपद के ग्राम गनेशीपुर, बनपुकरा एवं झलैया का पूरा आदि के बाढ़ बचाव सम्बन्धी पत्र

***13—श्री अवधेश प्रसाद—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राम आदर्श राय शर्मा एम0 एल0 सी0 का दिनांक 11-4-85 का पत्र ग्राम सभा गनेशीपुर, विकास क्षेत्र सैदाबाद, जिला इलाहाबाद के बनपुकरा एवं झलैया का पूरा आदि माजरों (ग्रामों) को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी हां ।

प्रकरण पर अनुसंधान प्रस्तावित है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय शर्मा जी का जो पत्र उन्हें मिला वह क्या था ? और उस पत्र के आधार पर शासन स्तर से अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, तीन बंधियां बनाने की बात है जिससे कि तीन टोलियों को फायदा होने वाला है । इसमें काफी पैसा व्यय होगा । जैसा कि आप जानते हैं मान्यवर, कि पैसे का व्यय अन्तर्ग्रस्त होने के कारण से मामला शासन के विचाराधीन होता है । चूंकि अभी पैसे का अभाव है, इस कारण से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मैंने मान्यवर, मंत्री जी से पत्र के संबंध में प्रश्न पूछा था कि शर्मा जी का पत्र क्या था ? मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री जी से आप इसका उत्तर हमें दिला दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इस पत्र की कापी इस समय हमारे पास नहीं है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर यह एक विधायक का पत्र था और वह इनके पास नहीं है, गायब है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

अरे, गायब नहीं है, इस समय यहां नहीं है ।

श्री राम सरन—

आपके यहां बहुत चोरियां हो रही हैं, आप इसकी जांच करवा लें । मान्यवर, प्रश्न को स्थगित कर दीजये ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, पत्र इनके पास हैं क्योंकि मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर आया हैं उसमें लिखा हैं कि "जी हां" ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इन्होंने पूछा था कि उनका पत्र मिला था तो उस पत्र के संबंध में जो था उसको बतला दिया गया हैं कि अभी कोई इस तरह की योजना नहीं हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, माननीय शर्मा जी, एम0 एल0 सी0 ने अपने पत्र में सारी बातों का उल्लेख किया हैं इसीलिये मैंने पूछा था कि वह पत्र क्या हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पत्र को वह यहां पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

यदि आपके पास वह पत्र हो तो आप उसे पढ़ लीजये ।

श्री राम सरन—

जिस पत्र के द्वारा प्रश्न किया गया था वह इनके पास नहीं हैं जबकि शासन को मालूम था कि उसी के आधार पर उत्तर देना हैं । मान्यवर, मेरा निवेदन हैं कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दीजये ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न का उत्तर तो दे दिया गया हैं । पत्र में कौन सा शब्द लिखा हुआ हैं, यह माननीय सदस्य को मैं कार्यालय में बतला सकता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मेरे प्रश्न में साफ-साफ लिखा हुआ हैं कि क्या माननीय शर्मा जी का पत्र उनको मिला ? उत्तर में मंत्री जी कहते हैं कि "जी हां" । ऐसी स्थिति में या तो आप प्रश्न को स्थगित कर दें या फिर स्पष्ट उत्तर दिला दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दे दिया गया हैं । बाढ़ से जो गांव डूब जाते हैं उसके बारे में पत्र में लिखा था । अब पत्र में शब्द कौन सा था, क्या लिखा था, वह माननीय सदस्य को कार्यालय से मंगा कर बतला दूंगा ।

सिंचाई मजदूर संघ का ज्ञापन एवं मांगें

*14—श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सिंचाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सिंचाई मजदूर संघ की ओर से दिनांक 15-3-85 को विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार को एक ज्ञापन दिया गया हैं ? यदि हां, तो सिंचाई कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार इन मांगों की पूर्ति के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही हैं ? मंत्री जी उस ज्ञापन को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

सिंचाई मजदूर संघ का एक ज्ञापन दिनांक 15-3-85 प्राप्त हुआ है जो सिंचाई विभाग के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में है।

ज्ञापन में उल्लिखित मांगों तथा उनके सम्बन्ध में की गई अथवा की जा रही कार्यवाही का विवरण †संलग्न है।

कथित ज्ञापन की प्रति संलग्न† है।

श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मान्यवर, सिंचाई कर्मचारियों की ओर से 11 सूत्री मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था और सिंचाई मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें किसी भी एक मांग को सिद्धान्ततः स्वीकार करने की बात नहीं है, और बड़ा अस्पष्ट सा जवाब है। मेरे पहले ही प्रश्न के संदर्भ में देखें प्रश्न मेरा यह था कि जो 3 वर्ष से वर्कचार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं और 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो उनको रेगुलराइज करेंगे ? माननीय सिंचाई मंत्री ने उसका जवाब दिया है कि जो स्थान रिक्त होते हैं या होंगे, उनमें वरीयता दी जाती है। मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मांग नम्बर 1, जो वर्कचार्ज में 3 वर्ष से या इससे अधिक से काम कर रहे हैं, सिंचाई विभाग में, उनको आप कब तक रेगुलर कर देंगे, उस सम्बन्ध में आप क्या करेंगे, कोई आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसका उत्तर मैं इस हाउस में पहले भी दे चुका हूं कि जो हमारे पास रेगुलर स्थान होते हैं उसके लिए हम वर्कचार्ज कर्मचारियों में जो 3 साल पूरा कर लेते हैं, उनमें से करते हैं। अगर हमारे पास स्थान नहीं हैं तो नहीं कर सकते हैं, चाहे 3 वर्ष पूरे ही हो जायं। अगर हमारे यहां स्थान हैं तो कर सकते हैं। अगर स्थान नहीं है, रिक्तियां नहीं हैं तो कैसे उनको रेगुलर किया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि लोग कैजुअल के रूप में कार्य कर रहे हैं। रिक्त तो है ही, रिक्त नहीं है तो क्यों काम करते हैं ? तो अगर रिक्त है तो उनके सम्बन्ध में शासनादेश को लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय ओझा जी को मालूम है कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट चलते हैं तो जहां जैसी आवश्यकता होती है, कामचलाऊ रख लिया जाता है तो जब वह प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो उनको वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है और नहीं होता है तो उनको निकाल दिया जाता है और अगर रेगुलर स्थान हमारे पास है तब तो रेगुलर कर देते हैं और काम ही नहीं है तो रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बालेश्वर—

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गंडक परियोजना में वर्कचार्ज में बीसों साल से कर्मचारी कार्यरत हैं

†छापी नहीं गयी।

तो 20 साल से अब तक नियुक्ति उनकी रेगुलर क्या नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने अभी कहा है कि गंडक परियोजना खत्म हो गयी और जो लोग वहां थे, जब परियोजना खत्म हो जाती है तो मैंने कहा कि जहां नया काम शुरू होता है वहां भेज देते हैं अगर वहां पर काम खत्म हो गया है तो वहां पर रखने की आवश्यकता नहीं है । तो जहां आवश्यकता है, उनको मैं रेगुलर कर देता हूं और जहां नहीं है, नहीं करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे । राजाज्ञा है कि 3 साल से अधिक के वर्कचार्ज के कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाय । यदि 3 साल से अधिक की जिनकी सेवा है और स्थान नहीं है तो वहां नये पद सृजन करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास काम है तो कर देते हैं । 3 साल तक जो काम कर चुके हैं, यदि जगह है तो उनको कर देते हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं है, रिक्तियां नहीं हैं तो नहीं कर सकते हैं ।

श्री फजलुल बारी—

परियोजना में, जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी थी, तो उनसे यह वादा किया गया था कि उनके घर का आदमी जो काम करने लायक होगा, वह नौकरी में रख लिया जायेगा, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों को परमानेंट करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो एक दूसरा सवाल उठा दिया ।

श्री फजलुल बारी—

वर्क चार्ज के लिये है, जो मैंने पूछा है ।

सीतापुर जिले में नलकूपों की स्थापना

*15—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा कितने नलकूप वर्ष 1984 तक लगाये गये हैं ? इनमें से कितनों का विद्युतीकरण हुआ है, कितने खराब हैं तथा कितने कार्य कर रहे हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जनपद सीतापुर में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984 तक 443 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ।

इनमें से 442 राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण हो चुका है, 442 नलकूपों में से 2 राजकीय नलकूप खराब हैं, शेष 440 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, जो उत्तर मिला है, वह सत्य से परे है, क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर और इसकी जांच करा कर जिस व्यक्ति ने इस तरह की गलत सूचना दी है, उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने रिपोर्ट दिया है सुरेन्द्र सिंह चौहान, इन्चार्ज हैं उनके सामने की

बात है, नलकूप का विद्युतीकरण नहीं हुआ है और उनकी संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा है और आप कहते हैं कि 442 नलकूप लगाये हैं जिनमें 2 नलकूप खराब हैं और 440 नलकूप कार्यरत हैं, तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य बता दें कि कौन कौन से नलकूप हैं, मैं जांच करा लूंगा जो सूचना मेरे पास है, उसको मैंने बता दिया है। माननीय सदस्य बता देंगे तो मैं उसकी जानकारी करा लूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जानकारी यहां पर दी गयी है वह अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड से आयी है, तो इसकी जांच के लिये मुख्यालय के किसी अधिकारी को भेजेंगे जिससे सही रूप से जांच हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं इसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता से करा लूंगा।

मध्य उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रूप रेखा

*16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि मध्य उ0 प्र0 में औद्योगिक विकास की रूपरेखा पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इस क्षेत्र की उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

मध्य उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की रूप रेखा पर पृथक् से कोई विचार नहीं किया जा रहा है। शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है जिनमें मध्य उत्तर प्रदेश के 10 जिले भी सम्मिलित हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में कानपुर (नगर) व लखनऊ औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं ही। अतः मध्य उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सदन में और बाहर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पर्वतीय खन्ड और बुन्देलखंड की चर्चा होती है, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश की कभी चर्चा नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मध्य उत्तर प्रदेश में 10 जिलों का जिक्र किया जाता है, जिनमें हरदोई, सीतापुर और उन्नाव भी आते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यहां कौन सी औद्योगिक इकाइयां इस वित्तीय वर्ष में कायम करने जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

इसकी अलग से जानकारी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैंने जो उत्तर दिया है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जानकारी करने की आवश्यकता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब तो दे दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह बड़े महत्व का सवाल है, 10 जिलों के हित से संबंधित है ।

श्रीअध्यक्ष—

आप लिखाकर दे दें वह जांच कर लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने जिन 10 जिलों के बारे में बताया उनमें वे तीन जिले नहीं हैं जिनके बारे में मैंने पूछा था । मैंने यह जानकारी चाही थी कि इन तीन जिलों के बारे में आप कौन सी औद्योगिक इकाई कायम करने जा रहे हैं ? आप यह भी कह रहे हैं कि मध्य उत्तर प्रदेश की उपेक्षा नहीं की जा रही है ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा मैं बताना चाहता हूं कि हरदोई में 1985-86 में जो लघु एवं लघुतर इकाइयां हम कायम करने जा रहे हैं ऐसी 225 इकाइयां कायम करने का हमारा लक्ष्य है । और सन् 85 के अन्त तक 14 इकाइयां कायम भी हो जायेंगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह तो वही बता रहे हैं जो 25 हजार रुपये वाली योजना पहले से चली आ रही है ।

मोदीनगर की मेसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी (बी), मेसर्स मोदी सिन्टेक्स लिमिटेड (सी मिल), मेसर्स मोदी टेक्सटाइल लिमिटेड की बन्दी

*17—कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री कनक सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोदीनगर में 1 अगस्त, 1983 से सूती मिल "बी" और मार्च, 1984 से "सी" मिल बन्द कर दी गयी हैं और लगभग आठ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और अभी तीसरी मिल भी बन्द होने जा रही है जिससे और लोग बेकार हो जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे मिलें फिर से चालू हो सकें ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

मेसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं0 लि0, मोदीनगर की 'बी' मिल जिसमें लगभग 2150 श्रमिक नियोजित थे, दिनांक 5 अगस्त, 1983 से, मेसर्स मोदी सिन्टेक्स लि0 (सी मिल) जिसमें लगभग 1300 श्रमिक नियोजित थे दिनांक 3-10-84 से तथा मेसर्स मोदी टेक्सटाइल लि0 जिसमें लगभग 950 श्रमिक नियोजित थे, 22 मार्च, 85 से अवैध रूप से सेवायोजकों द्वारा बन्द घोषित कर दी गई हैं । उपर्युक्त प्रतिष्ठानों के बन्दी हेतु विभिन्न तिथियों में शासन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सेवायोजकों से प्राप्त हुए थे जिन्हें शासन द्वारा विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया था । सेवायोजकों ने शासन के उक्त अस्वीकार संबंधी आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ किसी वैधानिक कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है । उपरोक्त तीनों मिलों की बन्दी का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

आगरा के ग्राम दताँजी तथा दताँजी खुर्द के टापा नाले पर पुल निर्माण की मांग

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*18—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी हैं कि जनपद आगरा के खंड वि0 क्षे0 फिरोजाबाद के ग्राम दतौंजी को क्या टापा नाले ने दो भागों में विभक्त कर दिया और टापा नाले में पानी के चढ़ाव व कटान से दतौंजी गांव के मकान गिरने लगे हैं ? यदि हां, तो गांव की आबादी के मध्य पुलिया और नाले के किनारे पक्के न कराने का क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही हैं कि जनपद आगरा के खंड विकास क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम दतौंजी को प्राकृतिक नाले ने दो भागों में विभक्त कर दिया हैं । दांयी तरफ दतौंजी कलां एवं बांयी तरफ दतौंजी खुर्द ग्राम हैं । दोनों ग्राम ऊंचाई पर बसे हुए हैं । मकान गिरने की कोई समस्या नहीं हैं । प्राकृतिक नाले पर विभाग द्वारा पुल के निर्माण एवं किनारों को पक्का कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

मोदीनगर गाजियाबाद की मोदी ग्रुप की सूती मिलों की बंदी संबंधी मुकदमा

*19—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में हो रही मिल मजदूरों की हड़ताल व मिल मालिकों द्वारा जबरिया निकाले गये मजदूरों के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो मिल तीन वर्षों से बंद पड़े हैं, उन्हें सरकार अधिग्रहण करके चलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में वर्तमान में कोई हड़ताल नहीं हैं । मोदी ग्रुप की सूती वस्त्र की पांच इकाइयों के निकाले गये श्रमिकों के विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित कर दिये गये हैं । इसी ग्रुप की तीन इकाइयां जो सेवायोजकों द्वारा विभिन्न तिथियों में अवैधानिक रूप से बन्द कर दी गई थीं, की बन्दी हेतु राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी जिसके विरुद्ध सेवायोजकों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया हैं । प्रदेश शासन द्वारा अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं हैं । उपरोक्त तीनों मिलों की बन्दी का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

गोरखपुर में करमैनी पनघटिया बांध तथा बेलसर-रिगौली बांध का निर्माण एवं भूमि का अधिग्रहण

*20—श्री हर्ष बर्धन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी पर करमैनी पनघटिया एवं बेलसर रिगौली बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ था ? क्या उक्त बांध हेतु अधिग्रहित हुयी भूमि का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

करमैनी पनघटिया बांध

करमैनी पनघटिया बांध पर निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 में आरम्भ हुआ था । उक्त बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को अभी नहीं दिया गया हैं । भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव बनाकर विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी, गोरखपुर को 1977 में भेजा गया था, परन्तु उनके आपत्तियों के कारण पत्र-व्यवहार में

बेलसर रिगौली बांध

बेलसर रिगौली एक पुराना जमींदारी बांध है जो सिंचाई विभाग को वर्ष 1978 में हस्तान्तरित हुआ था। जमींदारी बांध हेतु भूमि का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्ष 1981-82 में आरम्भ हुआ जिसका मुआवजा अभी तक किसानों को वितरित नहीं किया जा सका क्योंकि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर में तुर्रा नाला पर ग्राम जंगल गौंरी व मलौंनी बन्धे के मध्य पुल का निर्माण

1—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में तुर्रा नाले पर ग्राम जंगल गौंरी नं0-1 व मलौंनी बन्धे के बीच में निर्माणाधीन पुल गण्डक विभाग द्वारा कब तक पूर्ण होगा ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। केवल रेलिंग का कार्य शेष है। पुल के रैम्प का कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों द्वारा समरेखन के सम्बन्ध में आपत्ति तथा विवाद उठाने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है।

आम सहमति के समरेखन पर चकबंदी विभाग से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है। भूमि प्राप्त होने पर रैम्प का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

गोरखपुर में ग्राम कुर्इ में सेमरौना नाला के निकट राप्ती नदी पर बैराज निर्माण की मांग

2—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के ग्राम कुर्इ बाजार के पास राप्ती नदी में (सेमरौना नाला) पर रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रकरण पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंताओं की विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सेमरौना नाला के पास राप्ती नदी को लिल गुर्रा नदी पर बीयर अथवा बैराज निर्मित किये जाने के उद्देश्य से माडल स्टडी हेतु सिंचाई अनुसंधान, रूड़की से अनुरोध किया गया है। अनुसंधान संस्थान, रूड़की की संस्तुतियों के आधार पर आगे कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

फैजाबाद के लालपुर निवासी श्री राम बचन की भूमि का कठेलवा नाला हेतु अधिग्रहण

3—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम बचन पुत्र श्री अभयराज, ग्राम लालापुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की कृषि भूमि को कठेलवा नाला के अंतर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों और कब तक उसे उक्त भूमि का मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव के शारदा नहर का तौंरा गृह के अतिथि गृह में चोरी

4—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अंतर्गत शारदा नहर उन्नाव की पुरवा ब्रांच पर तौंरा गांव के सामने स्थित कैनाल कोठी (अतिथि गृह) की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गयी है और उसके दरवाजे खिड़कियां सोफा सेट पलंग तथा पत्थर आदि हजारों रुपयों का सामान चोरी चला गया ? यदि हां, तो क्या चोरी में गये सामान की रिपोर्ट किस थाने में तथा किस तिथि को दर्ज करायी गयी तथा कितने अभियुक्त अभी तक पकड़े गये और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सिंचाई मंत्री जी उक्त अतिथि-गृह की मरम्मत कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

यह घटना 8 या 10 वर्ष पुरानी है । अतः इसकी जांच करायी जा रही है ।

उक्त निरीक्षण भवन से लगभग 8 मील अपस्ट्रीम में सोनिक निरीक्षक भवन तथा लगभग 7 मील डाउन स्ट्रीम में पुरवा निरीक्षण भवन स्थित है, जो पक्के राज मार्ग के अति निकट है । अतः तौंरा निरीक्षण भवन की उपयोगिता नहीं रह गयी है तथा इसकी मरम्मत कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रमेश चन्द्र गोयल, अधीक्षण अभियन्ता, टिहरी बांध मण्डल प्रथम का कथित स्थानान्तरण

5—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि श्री रमेश चन्द्र गोयल, अधीक्षण अभियंता, टिहरी बांध मण्डल प्रथम, टिहरी का वर्ष 84 में कोई स्थानान्तरण आदेश किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री रमेश चन्द्र गोयल, अधीक्षण अभियन्ता, टिहरी बांध मंडल-प्रथम, टिहरी का वर्ष 1984 में स्थानान्तरण नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिवा पेपर मिल, धनौरा, रामपुर के कर्मचारियों की हड़ताल

6—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष शिवा पेपर मिल धनौरा, रामपुर में वर्कर्स द्वारा कोई हड़ताल की गयी थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? क्या वे पूरी हुईं ? यदि नहीं, तो कब तक यहां के मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिये जाने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां, श्रमिकों की मुख्य मांगें वेतन-वृद्धि, स्थायीकरण और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता के बारे में थीं । मांगों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में दिनांक 30-5-84 को एक समझौता हुआ था जिसका पालन कर दिया गया है । श्रम

निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया कि 92 श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है। अतः इन श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत निदेशवाद दायर कर दिये गये हैं।

आगरा में सिंचाई विभाग की परखम माइनर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

7—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परखम माइनर सम्बन्धी श्री लछमन प्रसाद शर्मा जि0 मंत्री भारतीय किसान संघ आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16-1-85 के क्रम में सहायक अभियन्ता तृतीय उप खण्ड लो0 ख0 आ0 नहर मथुरा का संस्तुति पत्र संख्या ए आर 111/डब्लू-2 दिनांक 26-2-85 अधिशासी अभियन्ता लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

परखम माइनर को 1.6 कि0 मी0 से 2.4 कि0 मी0 तक पक्का कराने का कार्य धन उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव होगा।

उन्नाव में सिंचाई विभाग के कुरसठ राजबहा के ठेकेदारों को देय धनराशि का भुगतान

8—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा फरवरी, 1984 में कुरसठ राजबहा त0 सफीपुर का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्य पूरा हो गया ? क्या यह भी सत्य है कि मार्च, 1985 में 14 लाख रुपया ठेकेदारों को भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या ठेकेदारों से इनकम टैक्स का भुगतान करा लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। फरवरी, 1984 में कोई कार्य नहीं कराया गया।

मार्च, 1985 में कुरसठ राजबहे पर केवल 8,20,718 रुपये का भुगतान किया गया। ठेकेदारों से नियमानुसार इनकम टैक्स का भुगतान करा लिया गया है।

आगरा, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सीमेन्ट की जाली, जंगला व पाइप निर्माण हेतु इकाइयों का पंजीकरण

9—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के जिला उद्योग केन्द्र नूनिहाई से वर्ष 1984-85 में तथा वर्ष 1985-86 में सीमेन्ट से जाली जंगला तथा पाइप बनाने के कितने प्रोविजनल तथा परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन किये गये हैं ? क्या सरकार आगरा जनपद में इस योजना को आगामी वर्ष 1986-87 तक कायम रखेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जिला उद्योग केन्द्र आगरा द्वारा वर्ष 1984-85 व वर्ष 1985-86 में सीमेन्ट आधारित उत्पादनों हेतु 12 इकाइयों के प्रोविजनल पंजीकरण किये गये। स्थायी पंजीकरण कोई नहीं हुआ।

वर्ष 1986-87 में सीमेन्ट आधारित उद्योगों के पंजीकरण पर रोक लगाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश के उद्योग विहीन जिले एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले

10—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जनपद शून्य उद्योग की सूची में हैं तथा कौन-कौन से जनपद उद्योग के आधार पर पिछड़े हुए जनपद घोषित किये गये हैं ? क्या माननीय मंत्री जी संपूर्ण सूची मय इन जिलों में दी जा रही सुविधाओं के सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी संस्थाओं को दिया गया रिबेट

11—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा खादी की बिक्री पर दी गयी उ0 प्र0 राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 5 प्रतिशत छूट के अनुसार वर्ष 1982-83 तथा वर्ष 1983-84 में पृथक पृथक वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि खादी संस्थाओं को देना है और यह धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं को कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों के विभिन्न प्रकारों पर दी गयी 5 प्रतिशत छूट के अनुसार उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में क्रमशः रु0 157.32 लाख एवं रु0 170.93 लाख रुपये के रिबेट क्लेम प्राप्त हुए । इनमें से वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 के मात्र रु0 1.00 लाख एवं रु0 0.75 लाख के रिबेट क्लेमों का भुगतान अवशेष है । जिसका भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं के क्लेम की आपत्तियों का निवारण होने पर कर दिया जायेगा ।

फैजाबाद में शारदा सहायक खण्ड की डूनों की सफाई पर व्यय

12—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में फैजाबाद जनपद में कितनी डूनों की सफाई शारदा सहायक खण्ड 43 द्वारा हुई, उन डूनों की लम्बाई क्या थी और उन डूनों की सफाई में कितना-कितना पैसा व्यय हुआ तथा सफाई का कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर हुआ अथवा ठेकेदारी पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984-85 में 72 डूनों की सफाई शारदा सहायक खण्ड-43 द्वारा हुई ।

इन डूनों की 464 कि0 मी0 लम्बाई में से 397 कि0 मी0 में कार्य हुआ था । रु0 चार लाख बयालिस हजार मात्र व्यय हुआ ।

तीन लाख सैंतालिस हजार का कार्य ठेकेदार द्वारा तथा पन्चानबे हजार का कार्य मस्टर रोल द्वारा हुआ ।

बाराबंकी में शारदा सहायक खण्ड द्वारा की गयी सिंचाई

13—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड, बाराबंकी की

चिनहट रजबहा तथा उससे पोषित नौबस्ता माइनर, खरगपुर माइनर, गनेशपुर माइनर, बस्तौली माइनर और रजौली रजबहा तथा उससे पोषित नियांपुर माइनर, सँहारा माइनर में रबी की सिंचाई के लिए जनवरी के बाद किन-किन तारीखों में पानी दिया गया ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

रबी की सिंचाई के लिए जनवरी 85 के बाद प्रश्नगत नहरों में निम्नानुसार पानी दिया गया—

	फरवरी, 85	मार्च, 85
1—चिनहट रा0	20 से 28	19 से 31
2—नौबस्ता मा0	—	—
3—खरगपुर मा0	—	—
4—गनेशपुर मा0	—	—
5—बस्तौली मा0	—	—
6—रजौली रा0	20 से 28	19 से 31
7—मियांपुर मा0	20 से 28	19 से 31
8—सँहारा मा0	6 से 9	13 से 16

आगरा की एतमादपुर तहसील को उद्योग क्षेत्र होने की घोषणा

14—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की एतमादपुर तहसील को उद्योग क्षेत्र घोषित किया गया था और अब एतमादपुर के उद्योग क्षेत्र को निरस्त कर शिकोहाबाद को उद्योग क्षेत्र घोषित करने का मामला सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं, आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील को उद्योग क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है । अतः उक्त क्षेत्र को निरस्त करके शिकोहाबाद को उद्योग क्षेत्र घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता । उल्लेखनीय है कि किसी जनपद या तहसील को उद्योग क्षेत्र घोषित करने की शासन की कोई योजना नहीं है ।

15—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

उन्नाव में भरौंदा से बसथना बांध (परिचार बांध) की उपयोगिता

16—श्री मनोहर लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा भरौंदा से बसथना तक बनने वाले बांध की क्या उपयोगिता है तथा उससे किसानों व ग्रामीणों को क्या लाभ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्थानीय जनता की मांग पर ग्राम भरौंदा से बसथना तक बनने वाला बांध परियार बांध के नाम से राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1980 में स्वीकृत हुआ था ।

इस बांध के निर्माण से बाढ़ के समय गंगा नदी के पानी से जो क्षेत्र/ग्राम जल-मग्न हो जाता है उसे रोका जा सकेगा । इस प्रकार उन्नाव तहसील से 26 ग्रामों, सफीपुर तहसील से 12 ग्रामों तथा हसनगंज तहसील के 5 ग्रामों के 9829 एकड़ कृषि योग्य भूमि लाभान्वित होगी जिसमें 75 प्रतिशत भूमि सिंचाई साधन युक्त है । इसके अतिरिक्त ग्रामों के 100 मकानों एवं जन उपयोगी सम्पत्ति की भी बाढ़ से सुरक्षा होगी ।

बलिया जनपद में श्री भोग नरायन, कौल ब्रिकेट्स, कदमतर, भृगु आश्रम को कोयले का आवंटन

17—श्री मैनेजर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में किन-किन उद्योग इकाइयों को 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1984-85 में कितना-कितना कोयला दिया गया और इन इकाइयों से कितना-कितना प्रति वर्ष उत्पादन हुआ ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

बलिया जनपद में वर्ष 1980 से 1985 के मध्य केवल एक इकाई सर्वश्री भोग नरायन कौल ब्रिकेट्स, कदमतर, भृगु आश्रम, बलिया के पक्ष में उद्योग निदेशालय द्वारा कोयला आवंटित किया गया है। प्रश्न में पूछी गयी अन्य सूचना निम्न तालिका में प्रस्तुत है—

वर्ष (कलेंडर)	आवंटित कोयला की मात्रा (वैगनों में)	उत्पादन (मी0 टन में) (वित्तीय वर्ष)
1980	0	0
1981	10	0
1982	15	69.0 (1982-83)
1983	15	215.5 (1983-84)
1984	21	150.0 (1984-85)
1985	0	0
योग ..	61	434.50

18-19—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

[दिनांक 24-7-85 को अता0 प्र0 सं0 76 द्वारा उत्तरित] ।

20—श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री सरदार सिंह—

[6ठवें बुधवार के लिए स्थगित] ।

फैजाबाद में मड़ना माइनर का निर्माण एवं फसल की कथित क्षति

21—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, जनपद फैजाबाद में मड़ना माइनर किस वर्ष पास की गई और क्या उक्त माइनर की खुदाई का कार्य समाप्त हो चुका है और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मड़ना माईनर बनाने का प्रस्ताव वर्ष 1981-82 में अनुमोदित किया गया था। खुदाई का कार्य प्रगति में है अतः अभी सिंचाई सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता।

22—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मड़ना माइनर में जिन किसानों की जमीन आयी है उनकी फसल का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त नहर की खुदाई में किसी भी किसान की फसल को क्षति नहीं पहुंचाई गई अतः फसल का मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

23—श्री राज किशोर सिंह—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त] ।

डाला सीमेन्ट कारपोरेशन के धुंआं से प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था

24—श्री कल्लू राम रत्नाकर—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला सीमेन्ट कारपोरेशन, मिर्जापुर के चिमनी से जो धुआं निकल रहा हैं उसके साथ इस प्रकार की राख निकल रही हैं जो अगल-बगल निवास करने वाले व्यक्तियों के मकान और कृषि करने योग्य जमीन को दूषित कर दे रही हैं ? जिससे वहां के निवासियों का रहना दुष्वार हो गया हैं ? यदि हां, तो उस दूषित धुएं और फैलती हुई राख को रोकने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

डाला सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण रोकने की व्यवस्था की गयी थी । इसमें कुछ खराबी आ जाने के कारण चिमनियों से अब धुंआ निकल रहा हैं जिससे अगल-बगल निवास करने वाले व्यक्तियों के मकान तथा कृषि योग्य भूमि प्रदूषित होने की संभावना हो सकती हैं । संयंत्रों को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही हैं । संयंत्रों के चलने पर राख निकलना बन्द हो जायेगा ।

बरेली में नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम के अवर अभियन्ता, श्री आनन्द कुमार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तथा शासन को प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 5-4-84 जो नलकूप निर्माण खंड प्रथम, बरेली में कार्यरत श्री आनन्द कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा शासन को लाखों रुपये की हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । इस शिकायती पत्र पर जांच करने के आदेश सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को दिये जा चुके हैं ।

नलकूप खण्ड, बरेली के अवर अभियन्ता, श्री रमेश चन्द्र खत्री के विरुद्ध शिकायती-पत्र

26—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता नलकूप पश्चिम, मेरठ, को श्री राजुल नाथ चौबे, अध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस कमेटी (आई), बरेली का पत्र दिनांक 10-1-83 जो नलकूप खंड, बरेली के अवर अभियन्ता, श्री रमेश चन्द्र खत्री द्वारा शासन के धन का दुरुपयोग करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । इस शिकायती पत्र पर जांच करने के आदेश संबंधित अधिशासी अभियन्ता को दिये जा चुके हैं ।

बरेली के नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम के अवर अभियन्ता, श्री अशोक कुमार गोयल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

27—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तथा शासन को श्री राजुल नाथ

चौबे, अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस कमेटी (आई), बरेली का पत्र दिनांक 8-1-83 जो नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम, बरेली के श्री अशोक कुमार गोयल, अवर अभियन्ता द्वारा शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । इस शिकायती पत्र पर जांच करने के आदेश सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को दिये जा चुके हैं ।

स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के महाप्रबन्धक, श्री बी0 एन0 द्विवेदी के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र और कार्यरत मजदूर मजदूर, निवासी ग्राम कुमापुर के यहां डकैती

28—क्षी मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वदेशी काटन मिल लिमिटेड, मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में नियुक्त महाप्रबन्धक श्री बी0 एन0 द्विवेदी के विरुद्ध गत एक वर्ष में कितने शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए और उन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) में नियुक्त महा प्रबन्धक श्री बी0 एन0 द्विवेदी के विरुद्ध गत एक वर्ष में शासन को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

29—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि स्वदेशी काटन मिल लिमिटेड, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में कार्यरत मजदूर ग्राम कुमापुर (मऊनाथ भंजन) में 31 मार्च एवं 1 अप्रैल, 1985 की रात पड़ी डकैती में कोई मजदूर मारा गया और क्या उक्त डकैती में महाप्रबंधक एवं उनके सहयोगी श्री आँधू तिवारी, उप श्रमाधिकारी का हाथ होने की शिकायत हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अकबरपुर की कताई मिल, फैजाबाद का निरीक्षण एवं कार्यरत अवैध कर्मचारी

30—श्री विनोद कुमार तथा श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल में श्रम निरीक्षक द्वारा माह मई वर्ष 1984 व माह जून वर्ष 1985 में निरीक्षण करने पर कुछ ऐसे श्रमिकों को कार्य करते पाया है जिनके पास न तो गेट पास था और न ही अन्य किसी प्रकार से उक्त मिल में सेवा में होने का प्रमाण था ? यदि हां, तो ऐसे कितने और मामले उक्त श्रमिक जांच में प्रकाश में आये थे और विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

सम्बन्धित मिल का निरीक्षण श्रम निरीक्षक द्वारा मई, 1984 में नहीं, बल्कि जून, 1984 एवं जून, 1985 में किया

गया था । जून, 1984 में 3 श्रमिक ऐसे पाये गये जिनके नाम उपस्थित पंजिका में दर्ज नहीं थे परन्तु उनसे कार्य लिया जा रहा था । इसके लिए मुख्य दण्डाधिकारी, फैजाबाद के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मिल के मुख्य अधिशासी पर रु0 350 का अर्थदण्ड लगाया गया ।

जून, 1985 में किये गये निरीक्षण के समय ऐसे श्रमिकों की संख्या 12 थी, जिनके नाम मस्टर रोल में दर्ज नहीं थे । सेवायोजकों द्वारा इस उल्लंघन का जून, 1985 में ही मस्टर रोल पर नाम अंकित कर, निराकरण कर लिया गया है तथा श्रम निरीक्षक द्वारा अभिलेखों को देखकर इसकी पुष्टि कर ली गयी है । इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

बलिया के कोइली मोहनताल की जल निकासी योजना

31—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में स्थित कोइली मोहनताल के पानी के निकास के लिए पूर्व में सरकार ने कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जिले में स्थित कोईली मोहनताल के पानी के निकास के लिए वर्ष 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा पम्पिंग की एक योजना बनाई गई थी, परन्तु यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दी गयी थी ।

बलिया में दोहरीघाट सहायक नहर पर चाँकी-चाँकिया के निकट पुल निर्माण की योजना

32—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया के दोहरी घाट सहायक नहर पर चाँकी चाँकिया मोड़ के सामने ओवर ब्रिज निर्माण हेतु कितनी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और कितनी बाकी है और उक्त ओवर ब्रिज कितने दिनों में बनकर पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षण पूर्ण हो चुका है । धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । निर्माण कार्य में लगभग दो वर्ष का समय लगने की संभावना है ।

सिंचाई विभाग, गोरखपुर में अधिशासी अभियन्ता कार्यकारी के पद पर सहायक अभियन्ता की नियुक्ति

33—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में कितने सहायक अभियन्ता (इन्चार्ज) अधिशासी अभियन्ता कार्यकारी पद पर नियुक्त हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद में एक प्रभारी सहायक अभियन्ता सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता के कार्यकारी पद पर कार्यरत है ।

बाराबंकी के विकास खण्ड देवा के अंतर्गत लगे नलकूपों से की गई सिंचाई

34—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के विकास खण्ड देवा में इस समय कुल कितने सरकारी नलकूप लगे हुए हैं और उनमें से कितने चालू हालत में हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 84-85 में इन नलकूपों से कितने एकड़ भूमि सींची गई तथा कितना सिंचाई शुल्क सरकार को प्राप्त हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाराबंकी जनपद के विकास खण्ड देवा में इस समय कुल दो सरकारी नलकूप लगे हुए हैं और इनमें से दोनों नलकूप चालू हालत में हैं ।

वर्ष 1984-85 में इन नलकूपों से 208 एकड़ भूमि सींची गयी तथा रु0 8,568.40 सिंचाई शुल्क सरकार को प्राप्त हुआ ।

शारदा नहर, पंचम उप खण्ड के कार्यालय का लखनऊ में स्थानान्तरण

35—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा कैनाल, बाराबंकी डिवीजन की एक सब-डिवीजन का कार्यालय स्थानान्तरित करके लखनऊ कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? इस सब-डिवीजन में कितने गांव व नहरें बाराबंकी व लखनऊ जनपद की आती हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । पंचम उपखण्ड का मुख्यालय बाराबंकी से लखनऊ मई, 1985 से किया गया है । यह स्थानान्तरण जनहित में तथा कार्यों के समुचित नियंत्रण के लिये किया गया है । इस उप खण्ड में शारदा सहायक फीडर से निकलने वाली राजबहों एवं अल्पिकाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण तथा परिचालन का कार्य है, जो कि सीतापुर, लखनऊ एवं बाराबंकी जनपदों में पड़ते हैं । इन कार्यों पर पहुंचने तथा समुचित नियंत्रण के लिए लखनऊ मुख्यालय अधिक सुविधाजनक है । इस उपखण्ड में, बाराबंकी जनपद में 183 ग्राम तथा 33 नहरें हैं, जिनकी लम्बाई 152.60 किलोमीटर है । लखनऊ जनपद में 67 गांव एवं 9 नहरें हैं, जिनकी लम्बाई 43 किलोमीटर है तथा सीतापुर जनपद में 97 गांव एवं 16 नहरें हैं, जिनकी लम्बाई 44.950 किलोमीटर है ।

36—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[6ठवें बुधवार के लिए स्थगित] ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत सिंचाई विभाग के मण्डलों एवं खण्डों के कर्मचारी

37—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मंडलों एवं खंडों के लिए तृतीय श्रेणी के स्वीकृत पदों में से कितने पदों का प्रयोग प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय लखनऊ में किया जा रहा है ? यदि सम्बन्धित मण्डलों एवं खंडों में उक्त पदों की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें सरेन्डर न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के अंतर्गत विभिन्न मण्डलों एवं खंडों के लिए तृतीय श्रेणी के स्वीकृत पदों में से 47 पदों का उपयोग कार्यहित में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लखनऊ में अस्थायी व्यवस्था के रूप में किया जा रहा है। उक्त पदों की आवश्यकता मण्डलों/खण्डों में है अतः उन्हें सरेन्डर करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख, अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा लिया गया हाउस बिल्डिंग एडवान्स

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं0 वि0 में वर्तमान समय में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार से हाउस बिल्डिंग एडवान्स प्राप्त करके लखनऊ में निजी आवास निर्मित करा लिये हैं एवं निजी आवासों को किराये पर उठाकर राजकीय आवासों में रह रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों से राजकीय आवास रिक्त करवाने की कृपा करेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई के शिविर सहायक के विरुद्ध गुप्तचर विभाग की जांच

39—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के वर्तमान शिविर सहायक के विरुद्ध गुप्तचर जांच के आधार पर शासन द्वारा उक्त शिविर सहायक को उसके वर्तमान पद-स्थापन स्थल से हटाये जाने के निर्देश विभाग को दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का अनुपालन न करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

40—श्री राम आसरे वर्मा—

[60वें बुधवार के लिए स्थगित]।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का कथित स्थानान्तरण

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिं0 वि0 के ज्ञापांक 7014/ई-4, दिनांक 14-6-85 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है और क्यों ? कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अधिकारियों द्वारा पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है तथा प्रतिदिन की उपस्थिति भी पदस्थापना-स्थल पर दर्शायी जा रही है, किन्तु वे कार्य उसी स्थान पर कर रहे हैं जहां पर स्थानान्तरण से पूर्व कार्यरत थे ? इस प्रकार अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग का ज्ञापांक 7014/ई-4, दिनांक 14-6-85 प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में सिंचाई विभाग के अधिष्ठान अनुभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में सिंचाई सचिव शाखा के अधिष्ठान अनुभागों (सिंचाई अनुभाग-1, 2, 7 तथा 10) में कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें एक ही अनुभाग में कार्य करते हुए 5 से 10 वर्ष का समय हो गया है ? क्या सचिवालय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसे आठ कर्मचारियों में सात कर्मचारी ऐसे हैं जो उल्लिखित अनुभागों में से एक ही अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं। एक कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं जिन्हें 30-4-86 को सेवा निवृत्त होना है। सचिवालय प्रशासन विभाग की ऐसी कोई नीति नहीं है कि एक अनुभाग में तैनात 5 वर्ष से अधिक अवधि के बाद किसी कर्मचारी को स्थानान्तरित कर दिया जाय। अवश्य सचिवालय प्रशासन की यह नीति है कि प्रवर वर्ग सहायक को शाखा से 10 वर्ष कार्यरत रहने के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग कार्यालय की कर्मचारी, श्रीमती अनीता दास के विनियमितीकरण की मांग

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं0 वि0 के अधिष्ठान 4-क अनुभाग द्वारा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शासन को श्रीमती अनीता दास का कोई ऐसा प्रकरण इस आशय का अग्रसारित किया गया है कि उसे कनिष्ठ लिपिक अथवा आशुलिपिक के पद पर विनियमितीकरण कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या कनिष्ठ लिपिक अथवा आशुलिपिक के पद हेतु नियुक्ति के समय श्रीमती अनीता की शैक्षिक योग्यता शासन द्वारा निर्धारित स्तर की थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

44—श्री राम आसरे वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]।

सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति का गठन और टाइप स्पीड का रजिस्ट्रेशन

45—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में टंकण परीक्षा के लिए सेवायोजन कार्यालय चारबाग, लखनऊ में चयन समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो चयन समिति का गठन किस तिथि को किया गया था उसके सदस्य कौन-कौन हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनवरी, 1984 से जून, 1985 तक की अवधि में उक्त टंकण परीक्षा किन-किन तिथियों में सम्पन्न हुई ? क्या इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अपनी निजी मशीन का उपयोग करने की छूट दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में टंकण

परीक्षा के लिए किसी चयन समिति का गठन नहीं किया गया।

वास्तव में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन करने के लिए शासन के कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 16-3-85 के द्वारा जिला चयन समिति का गठन किया गया जो लखनऊ में 7-6-85 से कार्य कर रही है। चयन समिति के सदस्य निम्नलिखित पदाधिकारी हैं :—

(1) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ . . अध्यक्ष

(2) निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ . . सदस्य

(3) संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण . . सदस्य

(4) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लखनऊ . . सदस्य सचिव

(5) जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, लखनऊ . . सदस्य

दिनांक 1-1-84 से 30-4-85 तक टंकण परीक्षायें निजी संस्थानों में प्रत्येक सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को सम्पन्न कराई जाती थीं। टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपनी मशीन लाने की अनुमति दी जाती थी।

46—श्री कल्याण सिंह—

उक्त सन्दर्भ में क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालय, चारबाग, लखनऊ में टाइप स्पीड रजिस्ट्रेशन करने के लिए विभिन्न कामर्शियल कालेजों के माध्यम से भी टाइप टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है ? यदि हां, तो अब इस प्रणाली को समाप्त करने के क्या कारण हैं ? क्या इस प्रणाली को पुनः चालू करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में टाईप स्पीड रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अप्रैल, 1985 तक निजी संस्थानों में ही टंकण परीक्षायें कराई जाती रही हैं।

निजी संस्थानों में टंकण परीक्षा कराने में अनेकों व्यावहारिक कठिनाईयां तथा अनियमितताएं दृष्टिगोचर हुईं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के परिसर में ही शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना हो जाने के कारण वहीं पर टंकण मशीनें, अनुदेशक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो गईं। ऐसी स्थिति में उक्त परीक्षाएं क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के अन्दर ही नवसृजित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र में सम्पन्न कराई जाने लगी हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कनहर सिंचाई परियोजना मिर्जापुर के अधिकारियों के विरुद्ध कर्मचारियों का शिकायती-पत्र और चालकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी पत्र

47—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना के अधिकारियों के विरुद्ध वहां के कर्मचारियों के शिकायती

पत्र के साथ संसद सदस्य श्री राम प्यारे पनिका का दिनांक 22-7-83 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस पत्र में दिए गए आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

48—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना के चालकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 का श्री नरेश चन्द जैन, मुख्य अभियन्ता/स0 एवं स0 प्र0/ लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा सहायक परियोजना, फैजाबाद द्वारा राम की पैड़ी के बाढ़ कार्य का कराया जाना

49—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत फैजाबाद में हर की पैड़ी का सम्पूर्ण कार्य बाढ़ खण्ड, फैजाबाद से कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत फैजाबाद में राम की पैड़ी (न कि हर की पैड़ी) का कार्य बाढ़ खण्ड, फैजाबाद द्वारा कराया जा रहा है ।

श्री जगदीश नन्दन रावत, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

50—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश नन्दन रावत, अधिशासी अभियन्ता, आजमगढ़ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों से सम्बन्धित शिकायती-पत्र वर्ष 1984 में प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर इनका स्थानान्तरण अन्यत्र किए जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां तो स्थानान्तरण अब तक न करने का क्या कारण है तथा स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री जगदीश नन्दन रावत, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड-32, आजमगढ़ के विरुद्ध कतिपय शिकायती-पत्र वर्ष 1984 में प्राप्त हुये थे लेकिन उनके आधार पर श्री रावत का स्थानान्तरण करने का निर्णय नहीं लिया गया था ।

सम्प्रति स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के श्री वाजिद हसन, अवर अभियन्ता, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

51—श्री रामबदन एडवोकेट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वाजिद हसन, अवर अभियन्ता, आजमगढ़ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों सहित शिकायती-पत्र वर्ष 1982-83 में प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर उच्च-

स्तरीय जांच एवं स्थानान्तरण के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इनका स्थानान्तरण दिनांक 21-6-83 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसे दिनांक 19-10-84 के आदेश द्वारा विचारोपरान्त जनहित में निरस्त कर दिया गया ।

सिंचाई विभाग, लोअर आगरा कैनाल के अधिकारियों द्वारा मजदूरों की भुगतान न की गयी मजदूरी

52—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने माह मई, 85 के अन्तिम सप्ताह में माननीय कारागार व प्रभारी मंत्री, जनपद मथुरा को मजदूरों की मजदूरी लोवर आगरा कैनाल के अधिकारियों द्वारा भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । मजदूरों द्वारा कराये गये कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल खो जाने व उपलब्ध माप-पुस्तिकाओं में कार्य एवं मजदूरों के विवरण के अभाव में मजदूरों को अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका ।

सिंचाई विभाग, लोअर डिवीजन, आगरा कैनाल के मजदूरों के कार्य की माप पुस्तिका एवं मजदूरी का भुगतान

53—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोवर डिवीजन, आगरा कैनाल, जनपद मथुरा में वर्ष 1982 में डी0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत मस्टर रोल पर मजदूरों ने कार्य किया था ? क्या यह सही है कि मजदूरों के मस्टर रोल गायब हो गए थे परन्तु माप पुस्तिका में मजदूरों का कार्य दर्ज है फिर भी उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मजदूरों को भुगतान शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उपलब्ध माप पुस्तिकाओं में मजदूरों द्वारा कराए गये कार्य का विवरण दर्ज नहीं है । कुछ माप पुस्तिकाएं पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, आगरा के पास हैं । उक्त माप पुस्तिकाएं वापस प्राप्त होने पर यदि उनमें मजदूरों द्वारा कराए गये कार्य एवं मजदूरों के विवरण का उल्लेख होगा तो मजदूरों को भुगतान करने पर विचार करना सम्भव होगा । अभिलेखों के अभाव में भुगतान हेतु कोई निश्चित तिथि देना सम्भव नहीं है ।

बुनकरों की समस्या हेतु, हथकरघा भवन, कानपुर को लिखा गया पत्र

54—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि प्रबन्ध निदेशक हथकरघा विकास निगम

हैन्डलूम भवन, कानपुर को प्रश्नकर्ता ने दिनांक 18 जून, 84 को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बुनकरों की समस्याएं एवं उनके निराकरण हेतु 5 बिन्दु वर्णित करते हुए अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा उठाये गये पांचों बिन्दुओं पर बुनकरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अब तक निगम द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गयी हैं और यदि नहीं की गयी हैं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर को संबोधित पत्र दिनांक 18-6-83 प्राप्त हुआ था।

पत्र में 5 बिन्दुओं की बजाय 6 बिन्दुओं का उल्लेख है। जिन पर बिन्दुवार कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :—

1—धोतियों की खरीद में पिक एवं वजन का तालमेल सुनिश्चित किया जाता है।

2—जनता वस्त्र उत्पादन के लिए भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है। हथकरघा निगम का पूर्ण प्रयास समय से भुगतान करने का होता है।

3—सुझाव के अनुसार उत्पादन केन्द्र साधा से बुनकरों को सूत की आपूर्ति यथासम्भव की जा रही है।

4—सुझाव के अनुसार बुनकरों से क्रय किये गये वस्त्रों के विरुद्ध जारी किए गये पर्चों के आधार पर सम्बन्धित बुनकर को ही भुगतान किया जाता है।

5—फर्जी कार्ड बनवाकर धोतियों का सप्लाई किये जाने सम्बन्धी शिकायतों की जांच की गयी। जांचोपरान्त शिकायतों को निराधार पाया गया। उत्पादन केन्द्र लोहरसन (पश्चिमी) के नाम से कोई उत्पादन केन्द्र नहीं है बल्कि उस केन्द्र का नाम करनजोत है। दो लोगों को फर्जी पास बुक से धोती सप्लाई करने सम्बन्धी शिकायतों को जांचोपरान्त निराधार पाया गया।

6—फर्जी कार्डों के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच स्थानीय कर्मचारियों से न करवा कर उप परियोजना अधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से कराई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वतः रोजगार योजना सम्बन्धी जिला उद्योग अधिकारी को लिखा गया पत्र

55—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 85 को जिला उद्योग अधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ, जिसमें स्वतः रोजगार योजना से सम्बन्धित शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं का समयबद्ध वेतनमान

56—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं

को समयबद्ध (टाइम स्केल) वेतनमान देने का प्राविधान हैं ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान दिया गया तथा 1 मई 1985 को कुल कितने लोगों को देना शेष हैं ? क्या यह सही हैं कि अवर अभियन्ताओं के समयबद्ध वेतन को फिक्स करने में तीन-तीन वर्षों का समय लग जाता हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही हैं ।

ग्राम रसूलपुर, सुल्तानपुर के विकलांगों एवं वृद्धावस्था के पात्रों को दी गयी सहायता

57—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में बेसहारा बूढ़ों तथा औरतों तथा विकलांगों की कितनी संख्या हैं तथा उनको आज तक पेंशन एवं सहायता देने के लिए कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

कथित ग्राम में वृद्धावस्था पेंशन की पात्र 9 बेसहारा वृद्ध महिलायें पायी गयीं तथा वृद्धावस्था पेंशन का पात्र कोई पुरुष नहीं पाया गया एवं विकलांगों की संख्या 5 पायी गयी ।

9 पात्र महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा 5 विकलांगों को नियमानुसार सहायता देने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(12 बजकर 20 मिनट)

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । व्यवस्था का प्रश्न यह हैं कि प्रश्नों के सन्दर्भ में मन्त्री लोग जो उत्तर भेजते हैं उनमें बड़ी विसंगतियां हैं । मैंने अपने तारांकित प्रश्न संख्या 10 में यह पूछा था कि क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी **हैं कि जनपद आगरा के खण्ड विकास क्षेत्र** फिरोजाबाद के ग्राम दत्तौजी को क्या टापा नाले ने दो भागों में विभक्त कर दिया और टापा नाले में पानी के चढ़ाव व कटान से दत्तौजी गांव के मकान गिरने लगे हैं ? यदि हां, तो गांव की आबादी के मध्य पुलिया और नाले के किनारे पक्के न कराने का क्या कारण हैं ? इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया हैं कि वह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं—यह सही हैं कि जनपद आगरा के खण्ड विकास क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम दत्तौजी को प्राकृतिक नाले ने दो भागों में विभक्त कर दिया हैं । मैंने पूछा था कि टापा नाले में वहां के लगभग 200 गांवों का पानी आता हैं जिससे दत्तौजी गांव दो भागों में बंट गया हैं और मकान गिर गये हैं । जिलाधिकारी आगरा ने सिंचाई विभाग को रिपोर्ट भेजी हैं कि गांव के आबादी के मध्य एक पुलिया बनायी जाय क्योंकि वहां पर कोई रास्ता नहीं रह गया हैं और लेबर कालोनी को यह नाला काट रहा हैं । इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने टापे नाले के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया हैं और न ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई जानकारी दी है। अतः क्या माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में पुनः जांच करके सही उत्तर देने की कृपा करेंगे। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजा था उसको देखते हुए इसमें सही उत्तर देने की कृपा करेंगे। मान्यवर, आप हमारे प्रश्नोत्तर के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करें और आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और दोबारा इसका उत्तर मन्त्री जी से दिलाने का निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी जांच करा लेंगे।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, उन्होंने लिखकर भी दिया है। मैंने कहा है कि यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं जांच करा लूंगा। यदि इस पर सप्लीमेन्टरी करने का मौका देंगे तो मैं जवाब देता। अब माननीय सदस्य ने लिखकर दिया है मैं जानकारी कराकर आपको बता दूंगा।

*श्री किरन पाल सिंह—

श्रीमन्, मेरा तारांकित प्रश्न संख्या 10, मैंने पूछा था कि क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर, विकास खण्ड स्याना के अंतर्गत स्थित ग्राम बरौली बासुदेवपुर तथा ग्राम महाव के मध्य नाले की सफाई कराये जाने हेतु 1981-82, 82-83 में जिला योजना समिति की बैठक में स्वीकृति दी गयी थी। मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के दो हिस्से कर दिये। दूसरा हिस्सा आपने अपने आप बना दिया।

यदि हां, तो आज तक उक्त स्थान पर पुल का निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है। तो इसका पहला हिस्सा सफाई से सम्बन्धित है और दूसरा हिस्सा अपने आप बना दिया कि उस जगह पर पुल न बनवाने का क्या कारण है। तो मान्यवर, मेरा प्रश्न कुछ और था और उन्होंने उसे कुछ और बना दिया। इसका दूसरा हिस्सा था कि ग्राम मूड़ी बकापुर और गंधारी में पुल बनाने की बात थी उसका उन्होंने जवाब दे दिया जी नहीं जी नहीं। आप व्यवस्था दें कि हमने क्या सवाल किया और इन्होंने उसे क्या मान लिया। तो इन तमाम बातों को देखकर फिर जांच करायेंगे क्योंकि मेरे सामने यह प्रस्ताव पास हुआ और स्वीकृत हुआ था। मैं जिसके लिए चारों तरफ घूमा क्योंकि पहले इंजीनियर डिवीजन इनका अलीगढ़ में था अब बुलन्दशहर में डिवीजन हो गया है। तो इस पर आप व्यवस्था दें मैंने मूल रूप में जो सवाल किया था उस रूप में नहीं है। पहला हिस्सा तो सफाई के सम्बन्ध में था दूसरा जो झील पड़ती है उस पर पुल बनाने का था। इसका सही सही उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप जो चाहते हैं लिखकर भेज दें माननीय सिंचाई मन्त्री जी उसकी जांच करा लेंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस सदन की कार्यवाही में प्रश्न काल ही एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा समय हैं जिसमें कार्यपालिका पर अंकुश लग सकता हैं । नियमावली में स्पष्ट प्राविधान हैं चाहे वह अल्पसूचित प्रश्न हो या और प्रश्न हों जिस दिन के लिए वे स्वीकार किये गये हैं उनका उत्तर 48 घन्टे पहले हमारे पास आ जाना चाहिये । मेरे पास काफी जानकारी हैं कि जब अल्पसूचित प्रश्न जिस दिन के लिए निर्धारित हो गये हैं उनका उत्तर सरकार की तरफ से एक दिन पहले भी नहीं आते हैं बल्कि रात में 10 और 11 बजे तक मिलते हैं इससे जो प्रश्नों का उद्देश्य हैं वह पूरा नहीं होता हैं । ऐसा लगता हैं कि इनका कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया हैं । जब मन होता हैं अधिकारी लिखकर जवाब देते हैं । मैं किसी प्रश्न विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं । मेरा आग्रह हैं कि प्रश्नकाल की गरिमा बनाये रखी जाय । अल्पसूचित प्रश्नों का जवाब सही-सही समय पर आ जाना चाहिए । मैं चाहूंगा कि जो मंत्रि परिषद् के सदस्य विराजमान हैं उनकी यह जिम्मेदारी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आशा करता हूं कि आपकी भावनाओं का मंत्रि परिषद् के सदस्य आदर करेंगे और समय से आपको जबाब मिल जाय जिससे आप भी सन्तुष्ट हो जायं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर) माननीय ओझा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया हैं । आपको भी सुनूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, हमें संरक्षण प्रदान किया जाय । ऐसा लगता हैं कि हम लोग असंरक्षित हो रहे हैं । इस शासन का हाथ हमारे अधिकारों पर तेजी से पड़ रहा हैं और उनकी ओर से कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब आ रहा हैं । माननीय कल्याण सिंह जी का एक प्रश्न था तारांकित प्रश्न संख्या 11 क्या सरकार को जानकारी हैं कि वर्ष 82 में केन्द्रीय योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया था जिसका उत्तर आया हैं केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने के किसी निर्णय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं मैं समझता हूं कि केन्द्रीय योजना आयोग ने प्रदेश के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया हो उसकी जानकारी प्रदेश सरकार को न हो इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए और कोई हो नहीं सकती हैं । इस सरकार को यहां पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं हैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी जो तत्कालीन उद्योग मन्त्री थे उनका चुनाव का मुद्दा ही यह था कि गोरखपुर में कोच फैक्ट्री लगेगी वहां के लोगों से वायदा किया था । नैतिकता होती तो गोरखपुर से वह लुधियाना नहीं जाती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान ठीक नहीं है कि प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी न हो कि केन्द्रीय योजना आयोग प्रदेश की योजना के सम्बन्ध में क्या निर्णय ले रही है। सरकार को जानकारी इसकी थी कि क्या निर्णय लिया है, तत्कालीन उद्योग मन्त्री को जानकारी थी, इसलिये इसका सर्वेक्षण कराया गया और एक टीम गोरखपुर गयी। (व्यवधान) वहां कच्चे माल की उपलब्धता है। लोगों को गुमराह किया गया क्योंकि कांच फैक्टरी को गोरखपुर में लगवाने की बात थी। लेकिन अपनी कमजोरी और अकर्मण्यता के कारण दिल्ली सरकार के सामने इन्होंने घुटने टेक दिये हैं और कह रहे हैं कि सरकार को जानकारी नहीं है। मान्यवर, इलाहाबाद, बरेली में घोषणा की गयी और अंत में गोरखपुर का निर्णय फैक्टरी लगाने का लिया गया। मैं भी प्रसन्न था और मंत्री जी को धन्यवाद दिया था कि कांच फैक्टरी अपने इलाके में उद्योग मंत्री जी लाये हैं और इसीलिए इनका चमकता चेहरा यहां बैठा है, उस जनता के बल पर आये हैं, इसलिए यदि इनमें नैतिकता है तो इस्तीफा दें या कांच फैक्टरी लगवायें। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें और इंगित करें और प्रताड़ना दें कि जो नीतिगत्त मामले हैं जिसका निर्णय सरकार को जानना चाहिए था और जानते हैं, फाइल में है, उसको बताने में मंत्री जी (श्री वीर बहादुर सिंह) भाग रहे हैं, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री ओझा जी, प्रश्न का पूरा उत्तर आया कि नहीं, सही आया कि नहीं, इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए कि कांच फैक्टरी अगर चली गयी तो हम आप सब मिलकर सोचें उसकी जगह और कोई उद्योग मिल जाये।

श्री कनक सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का मेरा प्रश्न है कि आज तारांकित प्रश्न संख्या 17 मेरा लगा था जो मोदीनगर में मजदूरों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और उनका दिया जाय। अभी प्रश्न नम्बर 11 में सरकार ने क्या कार्यवाही किया है। यह अंश निकाल दिया गया है। प्रश्न देखें इसमें केवल यह है—"क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि मोदीनगर में 1 अगस्त, 1983 से सूती मिल 'बी' और मार्च, 1984 से 'सी' मिल बंद कर दी गयी है और लगभग आठ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और अभी तीसरी मिल भी बन्द होने जा रही है जिससे और लोग बेकार हो जायेंगे। यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे मिल फिर से चालू हो सके।"

मान्यवर, यह मुद्दा मुख्य है कि मजदूरों को झूठे मुकदमों में फंसाया और उनका कत्ल कराया जा रहा है। मैनेजर 302 में बंद हुए हैं, यह खास मुद्दा था जो सवाल से निकाल दिया गया है। तो सरकार जान बूझकर सदन को गुमराह कर रही है, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं कह चुका हूं कि प्रश्नों के जवाब के संदर्भ में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, आज 23वें नम्बर पर मेरा प्रश्न था, उसमें कहना चाहता हूं कि जो कल शाम को मुझे एजेन्डा मिला उसमें मेरा प्रश्न था लेकिन आज जो 7 अगस्त को एजेन्डा मिला है उसमें केवल यह लिखा हुआ है कि "राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।"

मान्यवर, यह प्रश्न किया था कि क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय प्रतिष्ठान मेसर्स भदोही लेन्स लि0 भदोही, जिला वाराणसी द्वारा लगातार 5 वर्ष से कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि के मद में काटी गयी सम्पूर्ण रकम एवं अपने अंशदान की रकम को निधि में जमा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 7 की तारीख में यह प्रश्न छपा था और आज मिलने वाली कार्यसूची में यह लिख दिया गया है कि राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त । जबकि यह मिल राज्य सरकार से सम्बद्ध है, यह बिलकुल राज्य सरकार की है । लेकिन इस तरह का उत्तर आना सरकार की गैर जिम्मेदारी का द्योतक है ।

श्री अध्यक्ष—

इसको दिखवा लूंगा, फिर आपको बता दूंगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह समझता हूं कि जो माननीय सदस्य किसी भी विषय में प्रश्न पूछते हैं, उसका समुचित और सही उत्तर दिया जाये । अभी प्रश्न नम्बर 11 में जो उत्तर प्रदेश में कोच फैक्टरी लगाने के सम्बन्ध में है, जिसके बारे में अभी ओझा जी ने कहा है उस पर अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कोच फैक्टरी के स्थान के निर्णय के सम्बन्ध में एक चयन दल यहां पर आया था और उसके बाद यकायक केन्द्र सरकार ने निर्णय ले लिया और वह पंजाब में चली गयी । लेकिन हमारे उद्योग मंत्री ने जो जवाब दिया, वह यह था—उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी कोई जानकारी ही नहीं है । तो इस तरह का उत्तर देना सदन को गुमराह करने वाली बात है । यहां चयन दल आया और निरीक्षण हो गया किन्तु स्थान न मिल पाने के कारण केन्द्र ने ऐसा निर्णय ले लिया, लेकिन इस तरह की गलतबयानी सदन में नहीं होनी चाहिए । इस प्रश्न के दूसरे भाग में यह पूछा गया था कि—"क्या यह भी सही है कि अब उक्त कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? " इसका जवाब माननीय उद्योग मंत्री ने दिया है—"इस बारे में कोई समुचित जानकारी और सूचना नहीं है, सूचना एकत्र करने की कोशिश की गई है और समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह परियोजना इस प्रदेश में नहीं लग रही है ।" इसका मतलब यह है कि इन्होंने केन्द्र सरकार से और अपने विभाग में जानकारी करने का कोई भी प्रयास नहीं किया है, केवल समाचार पत्रों से जानकारी हासिल करके कह दिया है । समाचार पत्रों में जब अन्य समाचार छपते हैं, तो उसका वह नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन इस मामले में उसके आधार पर जवाब दे दिया है । तो प्रश्नों के सम्बन्ध में समुचित उत्तर, सही जानकारी प्राप्त

करके माननीय मंत्री को देना चाहिए और इस प्रकार से सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के उत्तर के बारे में अभी कह चुका हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है । जहां तक सूचना का प्रश्न है मुख्यमंत्री जी ने बता दिया यह पंजाब में लगने जा रहा है ।

गन्दे पानी के अभाव से वाराणसी में तीर्थ-यात्रियों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 33 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से सात सूचनाएं स्वीकार हुई हैं—माननीय शतरुद्र प्रकाश, माननीय राकेशधर त्रिपाठी, माननीय कल्लू राम रत्नाकर, श्रीमती सरोज वर्मा, क0 अलमेलु अम्माल, श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री मित्रसेन जी की ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, वाराणसी में प्रतिदिन हजारों तीर्थ यात्री पंचकोस धार्मिक यात्रा करने में असुविधाओं एवं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । सात दिनों में समाप्त होने वाली 33 कोस की इस यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति पैदल चलकर सांस्कृतिक वैभव से युक्त प्राचीन नगरी काशी की परिक्रमा करते हैं । किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस यात्रा के दौरान जितने भी धार्मिक पोखर व तालाब हैं सब में दूषित व गन्दा पानी जमा हुआ है । यहां तक कि उत्तरी भारत का प्राचीनतम और अखण्डित कर्दमेश्वर महादेव का कण्डवा स्थित मंदिर अव्यवस्था का केन्द्र बन गया है । इसका तालाब गन्दगी से भर गया है । पंचकोसी की यात्रा में पेयजल का स्पष्ट अभाव हो गया है, रात में पदयात्रियों के ठहराव के लिए जो धर्मशालाएं हैं वह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, मार्ग में कहीं भी प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्राथमिक उपचार हेतु कोई अपेक्षित प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

इस अव्यवस्था से काशी के नागरिकों, धार्मिक यात्रा करने वाले हजारों नर-नारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है । कृपया शासन को तत्काल उचित व्यवस्था करने का आदेश दें ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के प्रश्न पर भू0 पू0 उपाध्यक्ष श्री कमलेश तिवारी द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व एवं तात्कालिक घटना को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में उठाना चाहता हूं और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं—

श्री कमलेश तिवारी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय छात्रसंघ इलाहाबाद 1 अगस्त, 1985 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जिसमें हजारों छात्रों के प्रवेश का मामला है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उनके भविष्य का सवाल है जिससे कि वह अन्य जगह प्रवेश नहीं पा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी हठधर्मिता को नहीं छोड़ रहा है। अगर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर हल न निकाला गया तो छात्रों में भारी असंतोष फैलने की आशंका है और यह उग्र रूप धारण कर सकता है जिससे कि शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है।

मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कल्लूराम रत्नाकर—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर स्थित कचहरी घाट पर 2 अगस्त, 1985 को प्रातःकाल 10 बजे दिन बढ़ी हुई गंगा नदी में जा रही नाव आंधी आ जाने के कारण उलट गयी, जिसमें 35 व्यक्ति सवार थे। उसमें 20 व्यक्तियों की डूबकर असामयिक मृत्यु हो गयी। इन डूबे हुए व्यक्तियों में ए0 एस0 जुबली इण्टर कालेज के छात्र भी थे। जिला प्रशासन मूक देखता रहा सूचना मिलने पर जिलाधिकारी महोदय तो नहीं पहुंच सके लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर काफी देर के बाद पहुंचे और इन डूबते हुए लोगों को बचाने की युद्धस्तर पर कार्यवाही नहीं कर सके। जनता को दिखाने के लिए उद्धार कार्य में लगा हुआ मोटर बोट पेट्रोल न होने के कारण डूबते हुए लोगों को उचित समय पर सहयोग नहीं पहुंचा सका, जबकि बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए सभी कार्यों की औपचारिकताएं मई माह में पूर्ण तैयार कर लेनी चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन ने उक्त दुर्घटना की सूचना पाने पर असावधानी बरती। यदि सावधानी बरती गयी होती तो डूबे हुए व्यक्ति बच सकते थे।

अस्तु उपरोक्त विषय सदन के संज्ञान में लाकर सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि उक्त दुर्घटना की जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दंडित तथा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवार वालों को आर्थिक सहयोग करने का कष्ट करेंगे।

मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जनपदों में प्राथमिक शिक्षकों के बकाये धन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज वर्मा—

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद, मेरठ और बुलन्दशहर की कुछ तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बना है। मेरठ और बुलन्दशहर की जो तहसीलें जनपद गाजियाबाद में मिलाई गयी हैं और उनके अन्तर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं, उनके समस्त शिक्षकों का प्राविडेन्ट फण्ड आज तक नहीं दिया गया है। इन गरीब अध्यापकों का पिछला लगभग 30 वर्षों का प्राविडेन्ट फण्ड बकाया है और शिक्षकगण परेशान होकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं परन्तु समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। शासन की यह घोषणा थी कि अप्रैल, 1980 तक शिक्षकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की पास बुक पर प्राविडेन्ट फण्ड की धन-राशि अंकित कराकर उन्हें दे दी जायेगी, एकदम निरर्थक सिद्ध हुई है। शिक्षकों को 1979 में दिया गया वेतन-मान 1982 में लागू हुआ परन्तु आज तक उन शिक्षकों का 1979 से 1982 तक का अवशेष धन नहीं दिया गया। यही नहीं, 1979 से सरकार द्वारा प्रदत्त अंतरिम सहायता भी प्राप्त नहीं हुई। इस महंगाई के युग में शिक्षकगण उपरोक्त धन न मिलने के कारण अत्यन्त परेशानी में हैं और इनमें से न जाने कितने कर्जदार बन गये हैं।

अस्तु माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से इस सार्वजनिक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करती हूं कि सरकार शिक्षकों की इस समस्या के निवारण हेतु तत्काल ध्यान दे।

सदर क्षेत्र, बस्ती में लैदर काम्पलेक्स न लगाने से अधिग्रहीत भूमि बेकार पड़ी होने से किसानों में रोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

कुमारी अलमेलू अम्माल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के सामने लाना चाहती हूं।

बस्ती सदर क्षेत्र में सरकार ने लैदर काम्पलेक्स लगाने हेतु 1981-82 में भूमि अधिग्रहण कर ली थी। उक्त भूमि अब तक बेकार पड़ी है। क्योंकि सम्बन्धित अधिकारियों ने न तो लैदर काम्प-लेक्स बनाने हेतु टेण्डर आमंत्रित किये हैं और न स्वयं ही बनवा रहे हैं जिससे उक्त क्षेत्र के किसान एवं मजदूरों में भीषण रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः माननीय उद्योग मंत्री जी से प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत माननीय उद्योग मंत्री जी से इस अकारण इफ्रमीनता एवं जन धन हानि के बारे में स्पष्टीकरण की मांग करती हूं।

सहकारी बैंक बन्डा, शाहजहांपुर में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत सहकारी बैंक की शाखा बन्डा में किसानों का भीषण शोषण हो रहा है। परन्तु कोई भी अधिकारी जनता की इस तकलीफ की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी पिछले सप्ताह एक सरदार सुरजीत सिंह ने 50,000 रुपया का चेक पी0 सी0 एफ0 से लिया, जिस पर पन्द्रह लाख रुपया और निकाल कर मैनेजर श्री बालेश्वर सिंह ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस बैंक में बगैर अच्छी परसेन्टेज तय किये चेकों का भुगतान नहीं होता है। 6 वर्ष से अधिक समय के इस बैंक में कार्यकाल वाले मैनेजर ने अपनी अच्छी बचत बना रखी है। निजी ग्रुप बना रखी हैं। हर माल इनके घर में उच्च स्तर का ही मिलेगा। बैंक शराबियों व गुण्डों का अड्डा हो गया है। भले काश्तकार को यहां कोई पूछ नहीं है। न जाने कितने घोटाले गरीब व सीधी जनता के साथ किये जाते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त मैनेजर के स्थानान्तरण वाद समस्त घोटालों के जांच की मांग करता हूं ।

थाना क्षेत्र रौंनाही, फैजाबाद में पुलिस तथा उनके अधिकारियों द्वारा जनता का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद फैजाबाद के पुलिस कर्मियों में ही नहीं अपितु अधिकारियों ने भी जनता की उत्पीड़न की कार्यवाही शुरू कर दी हैं । दिनांक 20 मार्च, 1985 को ग्राम व थाना रौंनाही के निवासी बेकारू के घर रात्रि 11 बजे दो पुलिस कर्मियों के बलात्कार पर ग्रामीणों ने शरीफ सिपाही को पकड़ा, उन्हें अवैध हथियारों सहित थाने के हवाले किया, इसकी खबर पाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सक्सेना दिनांक 21 मार्च, 1985 को गांव पहुंच कर बेकारू को गांव के कुछ असामाजिक तत्वों तथा स्थानीय पुलिस से आतंकित कराकर उसकी झूठी दरख्वास्त पर दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए तथा बदले की भावना से ग्रामीणों को बुरी तरह मारा-पीटा और अपने ही सामने हाथ पैर तोड़कर चालान कराया । इसी परिपेक्ष्य में 6 अप्रैल, 1985 को पुलिसकर्मियों की मौन के अपराधी तत्वों से सांठगांठ कर गांव को भी फुंकवा दिया और रामदास का ट्रैक्टर तथा सुग्रीव की कार जला दी गयी लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी । गुलाब गुप्ता की दुकान लुटवा दी गयी । जब वे दोषी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिये गये तो पुलिस का गुस्सा आसमान छू गया और उन्होंने अपनी कोधाग्नि में दिनांक 16 जून, 1985 को दिन-दहाड़े दर्जनों अपराधी तत्वों के साथ आकर गांव के जमुना और भल्लू को तथा एक अपरिचित व्यक्ति को सैकड़ों नर नारी की उपस्थिति में गोली से भून दिया, पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस के साथ, दर्जनों असामाजिक तत्व के साथ अवैध हथियारों से लैस थे, इससे क्षेत्र की जनता में भारी आतंक और भय बना हुआ हैं । गंभीर खतरे की आशंका से बहू-बेटियां, बच्चे अभी भी गांव में नहीं आ पा रहे हैं । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अपराधी एवं असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं । इससे कानून व्यवस्था गिरती जा रही हैं । इस गंभीर प्रकरण से अब भी तनाव बना हुआ हैं और किसी गंभीर घटना की आशंका बनी हुई हैं ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाओं को ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, नियम 301 के सिलसिले में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं । मान्यवर, यह सही हैं कि सूचनाओं की संख्या इतनी बढ़ जाती हैं कि जिनमें यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता हैं कि कौन ज्यादा महत्व की हैं और कौन कम महत्व की । मान्यवर, कुछ शर्तें भी पहले से निर्धारित हैं, जिनके तहत ही सूचनाओं के बारे में निर्णय आप लेते हैं । 200 शब्दों से ज्यादा कोई सूचना न हो । लोक महत्व की हो, अविलम्ब-

नीचे भी हो। मैंने जो सूचना दी थी आप मान्यवर, उसको देख लें। केवल 4 वाक्यों की सूचना थी। आप उसको देख लें। उसकी अविलम्बनीयता भी देख लें। और यह भी देख लें कि लोक महत्व का वह प्रश्न हैं कि नहीं। मैं यह नहीं कहता कि आप उसको स्वीकार ही करें। मान्यवर, जनपद हरदोई में विद्युत आपूर्ति की घोर अव्यवस्था से जनसाधारण को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा हैं। बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां विकास खण्डों में कभी-कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे से ज्यादा विद्युत की आपूर्ति की ही नहीं जाती। परिणाम स्वरूप बरसात के इस मौसम में रात को अंधेरे में ही गुजारा करना पड़ता हैं। छोटेमोटे व्यवसाय जो विद्युत पर ही आधारित हैं, ठप पड़े रहते हैं। शासन द्वारा घोषित 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति जनपद हरदोई के लिए स्वप्न बना हुआ हैं। मान्यवर, 4 वाक्यों की यह सूचना थी। इसके पहले भी मैंने दो वाक्यों की सूचना दी थी। आपने उसको भी स्वीकार नहीं किया। वह गंगा नदी के पानी की अधिकता से कटान हो रहा हैं उस पर थी। मान्यवर, यह लोक महत्व की सूचना हैं और अविलम्बनीय भी हैं। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि आपका निर्णय इस पर अनुकूल प्राप्त होता। हमारी सूचनाओं के हक में भी यह होता। मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि आखिर हम कौन से रूप में इसको लायें जिससे हमारी सूचनायें स्वीकार की जा सकें।

श्री अध्यक्ष—

यह जो 300 के अन्तर्गत कहते हैं वह पूरी बात व्यवस्था के प्रश्न पर गये। यह उचित नहीं हैं। मेरे पास इतनी सूचनाएं होती हैं, जहां तक कोशिश यही होती हैं कि जितनी आवश्यक एवं लोक महत्व की हों वह ले ली जायें। मैं इस सिलसिले में सबकी बैठक दो-एक रोज में बुलाने वाला हूं और उनसे विचार-विमर्श करूंगा और जो रास्ता निकल सकेगा, अपनाया जायेगा।

श्री फजलुल बारी—

करण 14(1) के अनुसार मैंने 22 जुलाई को सूचना दी थी। वह इतनी अहम थी।

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरा प्रश्न हैं। औचित्य के प्रश्न में वह आयेगा।

श्री मित्रसेन—

बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप राम आसरे वर्मा जी की परम्परा पर न चलें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने कोई परम्परा नहीं डाली। सिर्फ एक बात कही हैं। अगर कार्यवाही के लिए आप भेज दें तब तो अच्छी बात होगी हमारे लिये।

श्री मित्रसेन—

मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सी सूचनाएं लोक महत्व की होती हैं और जैसी कि परम्परा रही हैं उस पर वक्तव्य आते थे इसलिये मैं चाहूंगा कि उसमें से एक जो महत्वपूर्ण हो, उस पर आप वक्तव्य दिला दिया करें। आपसे निवेदन करूंगा कि लोक महत्व के प्रश्न पर 301 में किसी एक सूचना पर वक्तव्य

दिला दिया करें जो पूर्व परम्परा रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह चुका हूं कि मैं नेताओं की बैठक बुला रहा हूं, उसमें उनसे विचार होगा फिर जैसा होगा वैसा किया जायेगा।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली श्री गौरी शंकर भइया की, दूसरी कुंवर रेवती रमण सिंह की, तीसरी हरिश्चन्द्र हरीश जी की, चौथी श्री विजय सिंह राणा की, पांचवीं श्री देव कुमार यादव की, छठीं श्री राम आसरे वर्मा, सातवीं श्री राम सरन और आठवीं सूचना माननीय फजलुल बारी जी की हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, नाम आप गलत पढ़ गये। राम आसरे वर्मा हैं, राम कुमार वर्मा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद हैं कि मैंने कोई सूचना इसमें स्वीकार नहीं की। इसमें नियमावली या संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ हैं और जहां तक श्री विजय सिंह राणा और उनके साथियों का मामला हैं, मुझे खुशी हैं कि वह ठीक ढंग से खत्म हो गया। मैं माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, इस पक्ष और विपक्ष को भी।

दिनांक 22 जुलाई, 1985 को नियम 301 के अन्तर्गत राप्ती नदी की कटान से उतरौला, गोण्डा के ग्रामों को क्षति के संबंध में दी गयी सूचना पर समय से अंतरिम उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री फजलुल बारी—

मैंने जो प्रश्न दिया हैं, उस पर सुन लें, बहुत अहम मसला हैं।

श्री अध्यक्ष—

सुनाइये।

*श्री फजलुल बारी—

नदी की कटान में गांव आ गया हैं और अध्यक्ष पीठ से यह फैसला हो चुका हैं तथा प्रक्रिया सम्बन्धीकरण के करण संख्या 14 (1) के अनुसार कि 7 दिन के अन्दर अंतरिम उत्तर 301 की सूचनाओं का दिया जाय और एक महीने में पूरा उत्तर। आज 16 दिन हो चुके हैं। कोई जवाब नहीं आया। गांव बिल्कुल कटने वाला हैं। मौत की मुहाने पर गांव के निवासी खड़े हैं। पूरा कट जायेगा तो नियम 56 में आयेगा, पूरा कट जायेगा तो हंगामा होगा, क्या होगा यह नहीं मालूम। मान्यवर, मर जाने पर एक-एक हजार रुपया देने के लिए हो जाता हैं, लेकिन गांव को बचाने के लिए पैसा नहीं हैं। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि उतरौला तहसील के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो गांव कट रहे हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। गांव के लोग खतरे में हैं। मैं वहां गया था, इंजीनियर का कहना है कि पैसा नहीं है, काम कैसे कराया जाय। कहते हैं खत्तरा है, तो गांव छोड़ दो, कुछ दिन बाद कहेंगे, पूरा इलाका छोड़ दो और फिर कहेंगे प्रदेश छोड़ दो। इससे काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, आप सरकार से कहें कि उस गांव को कटान से बचाने के लिए फौरन रुपया भेजें ताकि वहां के लोगों की जिन्दगी बचाई जा सके।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस मामले में मुनासिब आदेश देने का कष्ट करें।

सचिवालय काण्ड में निलम्बित कर्मचारियों के बहाली के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये आश्वासनों का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। औचित्य के प्रश्न पर आपने जो निर्णय दिया वह शिरोधार्य है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं आपका ध्यान ऐसे मुद्दे की तरफ ले जाना चाहूंगा, इसमें अगर मुझे आपका संरक्षण नहीं मिला तो दूसरी जगह न्याय मिलने वाला नहीं है। इसी सदन की नाक के नीचे सचिवालय काण्ड हुआ था। उस सचिवालय काण्ड के सिलसिले में कई कर्मचारी और गार्ड निलम्बित किये गये थे। उनके निलम्बन को खत्म करने के लिए, उनको बहाल करने के लिए सदन में शासन द्वारा घोषणा की गयी। आपकी ओर से भी कई बार निर्देशित किया गया और आपके ही संरक्षण में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय हुआ था कि 15 दिन के अन्दर इस मामले को निस्तारित कर दिया जायेगा। बैठक हुये काफी दिन हो गये, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है, आखिर सरकार करना क्या चाहती है। जो कर्मचारी यहां पर काम करते थे, उनको निलम्बित किया गया उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद भी उनको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश किया जा रहा है।

मान्यवर, आपने जो निर्णय दिया उसकी भी अवहेलना हो रही है। इतने अहम मसले को अगर औचित्य की परिधि में नहीं लाया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं अनुमति चाहूंगा, कुछ बातें रखने की। मान्यवर, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वहां पर केवल उन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, जिन कर्मचारियों ने उस काण्ड के सिलसिले में उत्पन्न अशांति को समाप्त करने का प्रयास किया। मुख्य मंत्री ने जिन कर्मचारी नेताओं को शिष्ट मंडल के लिए बुलाया और जिनसे मुख्य सचिव संतुष्ट हुये। कर्मचारी नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मुख्य सचिव ने बयान दिया कि शांति कायम हो जायेगी। उस शिष्ट मण्डल के कर्मचारियों को निलम्बित कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया गया । और उस आर0 आई0 की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसकी रिपोर्ट 17 दिन के बाद दाखिल हुई । फिर मान्यवर, उस रिपोर्ट में 32 आदमियों का नाम था लेकिन उसमें से केवल 4 को निलम्बित किया गया और बाकी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उनके विरुद्ध कोई आरोप भी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप एक गलत परम्परा डाल रहे हैं । मैंने आपसे कहा कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर आपकी अनुमति के बिना नहीं बोलूंगा । शासन इस बात का जवाब दे कि कब तक इन कर्मचारियों को सड़क पर घुमाता रहेगा और इन्हें निलम्बित रखेंगे । कई लोगों की तो सेवायें हो समाप्त कर दी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं ।

औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, औचित्य के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं । मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत कुछ ऐसी सूचनायें दी जाती हैं जो हम लोगों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । मान्यवर, आज मैंने जो दिया वह किंग जार्ज मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल के सम्बन्ध में हैं । उन्होंने 2-8-85 को इस्तीफा दे दिया हैं, लेकिन काम कर रहे हैं । ये चन्द्रकला हत्याकांड के सबूत को नष्ट कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इस पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं ।

विधान भवन मुख्य द्वार के सामने मरे सांड़ के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर ,मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न हैं कि विधान भवन के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर कल से एक सांड़ मरा हुआ पड़ा हैं । इससे विधायकों के आने-जाने में बाधा हो रही हैं और वे विधायी कार्य करने में असफल हो रहे हैं । सरकार अक्षम हो गयी हैं । नगर महापालिका से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसको देख लें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, इसको देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

आज पशुधन का बजट हैं, अतः सांड़ फरियाद करते-करते मर गया हैं।

श्री हुकुम सिंह—

वह सामने बैठा हैं।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री रामनरेश के मृत लड़के का पोस्ट मार्टम कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आज जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी, श्री राम नरेश यादव हैं, उनके पुत्र का निधन हो गया। रात को उसकी मृत्यु हो गयी। उसके लिए नेता विरोधी दल ने एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 से कहा कि उसकी चीर-फाड़ न की जाय।

मान्यवर, आमने-सामने बात हुई, माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि वे लिखकर दे देंगे या रामनरेश जी लिखकर दे देंगे, इसका पोस्टमार्टम न करायें। उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय नेता सदन, मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन किया, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शायद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस बारे में कहा। लेकिन, इस सबके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया।

मान्यवर, अभी पिछले दिनों माननीय गृह राज्य मंत्री जी एक वक्तव्य पर बोल रहे थे, उस समय यह प्रश्न उठाया गया था कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, जबकि मृत्यु सस्पेक्टेड थी। यह कहा गया था कि उसकी बहन ने लिखकर दे दिया था। मान्यवर, आप देखें माननीय राम नरेश जी ने कहा, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय नेता सदन से कहा, उसके बाद भी उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, जहां तक इस दुखद घटना का प्रश्न हैं, हम सभी को दुखी होना स्वाभाविक हैं। जो प्रश्न माननीय राणा जी ने उठाया, पोस्टमार्टम के बारे में, जो परिस्थिति रही हैं, मैं इस समय उनका उल्लेख करने में असमर्थ हूं, मुझे खुद जानकारी नहीं हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं सारी स्थिति को दिखवा लूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 20 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना सर्वश्री गया प्रसाद वर्मा, चौधरी महाराज सिंह, कमलेश कुमार पाठक, माता प्रसाद पाण्डेय, जौहरी लाल त्रिवेदी तथा शतरुद्र प्रकाश आदि की कानपुर में 21/22 जुलाई को 6 हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह की शंकर लाल आदिवासी की पुलिस हिरासत में हत्या के सम्बन्ध में हैं। श्री सत्यपाल सिंह की दुधवा नेशनल पार्क में शेरों का आतंक के सम्बन्ध में हैं। श्री राजेन्द्र गुप्त की लैंच टेक्नीशियन की हड़ताल के सम्बन्ध में हैं। सर्वश्री आँसान सिंह, सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा धनराज यादव की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ इटावा में दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में हैं। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की विज्ञान कक्षाओं में अध्यापकों की नियुक्ति न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने के बारे में है । श्री श्रीप्रकाश की वाराणसी मण्डल विकास निगम में 15 लाख की हेराफेरी के सम्बन्ध में है । श्री राम सजीवन की बहराइच के कारागार अधीक्षक द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में है । श्री दिनेश चन्द्र यादव की प्रदेश में कुत्ता काटने तथा सांप काटने की दवाओं का अभाव के सम्बन्ध में है । श्री राम गोविन्द चौधरी की सड़क निर्माण में करोड़ों रुपयों के घोटाले के सम्बन्ध में है । श्री अशोक बाजपेयी की भी यही सूचना है । डा0 दिनेश जौहरी की टेहरी गढ़वाल में हैजे के प्रकोप के बारे में है । सर्वश्री जमुना प्रसाद बांस, रवीन्द्र नाथ तिवारी, मैनेजर सिंह की वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मंत्री के आदेशों की अवहेलना के बारे में है । श्री सूर्य प्रताप शाही को मथुरा-फर्रुखाबाद मार्ग पर बस में लूट के बारे में है । श्री गौरी शंकर भइया की हरिजन वित्त एवं विकास निगम में करोड़ों के घपले के बारे में है । श्री यदुनाथ सिंह की 2-8-85 को मिर्जापुर में रेल दुर्घटना में 35 व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में है । श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा की बहि में 2-7-85 को 3 व्यक्तियों के अपहरण के बारे में है । श्री शारदानन्द बेसन की नकली दवाओं से खतरे के बारे में है । श्री अकबर हुसैन बाबर की नायिक अधिकारियों द्वारा 26-8-85 को घटना के बारे में है । सर्वश्री राम आसरे वर्मा, अच्युतानन्द तिवारी, हृदय नारायण दीक्षित, मित्रसेन, राज किशोर सिंह की कानपुर के सिकन्दरा थाना की जनता द्वारा आंदोलन के सम्बन्ध में है ।

श्री कमलेश कुमार पाठक—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, 21/22 जुलाई की रात्रि में ग्राम सिंगपुर जनपद कानपुर में . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

आपको मालूम है कि दिनांक 31-7-85 को इस पर वक्तव्य आ चुका है ।

श्री कमलेश कुमार पाठक—

मान्यवर, यह मामला भिन्न है । 6 हरिजनों की निर्मम हत्या कर दी गई । 1985 में उत्तर प्रदेश में सामूहिक हत्याओं में यह सबसे पहला नरसंहार है । माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी इस नरसंहार के बाद वहां पर गये थे और ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार किया जायेगा । मान्यवर, इसके बाद कतिपय हत्यारों को गिरफ्तार भी किया गया । पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में अच्छी भूमिका का निर्वहन किया लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि जो असली अपराधी थे इस घटना के, उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है । मेरा खुला आरोप है कि वे असली अपराधी कानपुर जनपद के ही एक वरिष्ठ इन्दिरा कांग्रेस (इ) नेता के यहां संरक्षण में रह रहे हैं । इन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए थाना सिकन्दरा के एस0 ओ0 श्री ध्रुव लाल यादव ने यह संकल्प लिया और कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उन्होंने कहा कि यदि आप चाहें तो मैं उन अपराधियों को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के यहां से गिर-

[illegible] कर दिखा सकता हूँ। मान्यवर, [illegible]

[illegible]

श्री अध्यक्ष—

आपने जो नाम लिया है, वह सदन की कार्यवाही में नहीं आयेगा।

श्री कमलेश कुमार पाठक—

[xxx]।

श्री अध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री कमलेश कुमार पाठक—

[xxx]।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायेगा। माननीय सदस्य कृपया आप बैठें।

श्री कमलेश कुमार पाठक—

[xxx]।

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जायं। कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

[illegible]

श्री अध्यक्ष—

[illegible] नहीं कर सकते।

[श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री बालेश्वर, डा0 बंगाली सिंह, श्री महाराज सिंह यादव, श्री भोपाल सिंह, श्री बाबू राम यादव तथा मूलचन्द सदन के फ्लोर पर आ गये तथा श्री शतरुद्र प्रकाश एवं श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।]

*श्री मुलायम सिंह यादव—

जो माननीय सदस्य फ्लोर पर चले गये, मैं यह नहीं पसन्द करता और कोई भी पसन्द नहीं करेगा लेकिन मजबूरी है कि 80 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में हरिजनों की सामूहिक हत्यायें की जा रही हैं और सदन के अन्दर और बाहर तमाम कोशिशों के बावजूद उन पर रोक नहीं लगी है और सबसे अफसोस की बात यह है कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता लेकिन जब माननीय सदस्यों की भावना

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यह हैं कि उच्च पदों पर बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, पूरा प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान जानता हैं कि देहुली, रामपुर की हत्यायें किस तरह से की गयीं और फिर कैसी नाटकीयता से गिरफ्तारी की गयी, इसकी जांच नहीं की गयी, रोक भी नहीं लगायी गयी । इसी तरह से बांदा में भी कुछ हरिजनों की हत्यायें कर दी गयीं, बंधुआ मजदूर थे, आज वहां के हरिजन कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिले तो वह भी नहीं मिल रहा हैं । पुलिस को निर्देश भी हैं कि मामले को जल्द से जल्द प्रकाश में लाया जाय और एकन्दो पुलिस अधिकारियों ने मिलकर जब मामले को उजागर किया, नेता सदन जानते हैं और सब मामला उजागर हो रहा हैं, और बड़े-बड़े लोग इस हत्याकांड के पीछे हैं, पुलिस के पक्ष में तो मैं कभी बोलता नहीं, बोलते हुए देखा नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को जेल भिजवाने की कोशिश भी की, लेकिन आज जब ईमानदार अफसरों ने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की तो जहां मुख्य मंत्री कहते हैं कि पुलिस का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, तो एक ईमानदार पुलिस आफिसर का मनोबल कौन तोड़ रहा हैं ? जिस दरोगा ने सारे मामले को उजागर करने की कोशिश की, तो मुअत्तली के निर्देश दिये जा रहे हैं, कौन दे रहा हैं, मुख्य मंत्री जानते हैं इसलिए गंभीर मामला हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि हरिजनों के साथ जो लगातार जुल्म हो रहा हैं, दहशत हो गयी हैं पूरे हरिजनों में, सही बात कहने के लिए मजबूर हैं, इसलिए इस पर दो घन्टे की चर्चा आप करा दें ताकि सुझाव भी आ सके । यह मेरा निवेदन हैं ।

श्री राम सजीवन—

[xxx] ।

श्री अध्यक्ष—

आप जो कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(1 बजकर 20 मिनट)

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

मान्यवर, सम्मानित नेता, विरोधी दल ने जो अभी भावनायें व्यक्त कीं, उसके सम्बन्ध में मैं केवल प्रारदर्शन में इतना ही निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि दूसरे सदन में जो कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही का पूरा विवरण उसका हम अध्ययन कर रहे हैं । दूसरे सदन में जो कार्यवाही हुई, मैं इस सदन की सेवा में उस समय था । दूसरे सदन में जो कार्यवाही हुई उसका जब तक शब्द-ब-शब्द अध्ययन न कर लिया जाय तब तक कोई टिप्पणी करना मेरे लिये, दोनों सदनों की गरिमा को देखते हुए, इस सदन में उस सदन की गरिमा को बनाये रखने की दृष्टि से, उचित न होगा । लेकिन जहां तक प्रारदर्शन में जानकारी हैं कि दूसरे सदन में लगभग सभी दलों ने और दलों के सदस्यों ने, मैं नेताओं से नहीं कहूंगा, अधिकांश लोगों ने जो भाग लिया उसमें इस बात का उल्लेख किया, जिसका जिक्र माननीय नेता, विरोधी दल ने किया हैं

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और एक व्यवस्था की बात कही गयी। मुझे यह बताया गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गयी थी, लेकिन उस सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कि जब तक पूरी भाषा का अवलोकन न कर लूं, मेरे लिये यह शोभनीय नहीं होगा कि क्या व्यवस्था दी गयी और क्या कहा गया। इतना अवश्य है कि वहां पर यह कहा गया कि 7 दिन के अन्दर की गयी कार्यवाही के बारे में उस सदन को सूचित किया जायगा। जांच चालू है, जांच की रिपोर्ट आ गयी होगी, लेकिन अभी हमारे पास तक नहीं पहुंची है। उस रिपोर्ट को और दूसरे सदन में क्या कार्यवाही हुई है, उसके सन्दर्भ में हमें अपनी बात कहनी होगी।

माननीय नेता, विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं यही आग्रह करूंगा कि इस सदन की मर्यादा को देखते हुए, दूसरे सदन के किसी विवाद में नहीं पड़ना है क्योंकि हमारे ही दल वहां भी हैं और दलों के नेता भी हैं। इसमें देखना चाहिये कि हमारे दल एकरूपता के साथ अपनी भावनाओं से अवगत करें और विचारों में या सूचनाओं में मतभेद हो तो आपस में अपने दल के अन्दर उसका समाधान कर लें। माननीय नेता, विरोधी दल सहमत होंगे कि जो विधान मण्डलीय दल हैं, वे विधान सभा या विधान परिषद् के नहीं हैं बल्कि विधान मण्डलीय हैं। विचारों का सामन्जस्य और भावनाओं का सामन्जस्य करना है। इस बात का माननीय नेता, विरोधी दल ध्यान रखते हैं और अन्य माननीय सदस्य भी ध्यान रखते आये हैं। मुझे विश्वास है कि कभी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे और यदि कहते हैं तो भाषावली को संशोधित कर लेते हैं जिससे दूसरे सदन की बातों पर टीका न हो या दूसरे सदन में जो बातें हुई हैं, उन पर अवांछित टिप्पणी न हो, इसमें सावधानी रखते हैं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम दूसरे सदन की और इस सदन की मर्यादाओं का समन्वय करते हुए, जो माननीय सदस्यों की भावनायें हैं, चाहे इस सदन में हों या उस सदन में हों, हम यथोचित कदम उठायेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, कार्यस्थगन में मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मैंने माननीय गुप्ता जी को बुला लिया है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने बड़े सम्मान के साथ नेता सदन की बात को सुना और उनका संसदीय परम्पराओं की रक्षा करने के सम्बन्ध में उद्बोधक भाषण को सुना। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक विषय का सम्बन्ध है उस पर माननीय नेता सदन एक शब्द भी नहीं बोले हैं और उस विषय पर एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। माननीय पाठक जी जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में विधान परिषद् की कार्यवाही का उल्लेख किया उसके सम्बन्ध में आपने कहा कि इसे कार्यवाही का अंग नहीं बनने दिया जायेगा। जब वह बात कार्यवाही का अंग नहीं बनेगी तो फिर उस बात का आगे प्रश्न ही कहां उठता था ? माननीय पाठक जी ने बड़ा गम्भीर आरोप लगाया था और उस आरोप का विधान परिषद् की कार्यवाही से कोई मतलब नहीं है। कार्यस्थगन की सूचना के तहत वह आरोप लगा रहे थे। उन्होंने व्यक्ति का नाम लिया, उसे मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन यह सही है कि वह व्यक्ति उनके यहां छिपा हुआ है। पुलिस अगर कार्यकुशलता के साथ काम करना चाहती है तो बदले की भावना से पुलिस कर्मी के खिलाफ काम किया जा रहा है, जो कि इस सरकार के झूठ, अत्याचार, अनाचार और प्रशासन के दोहरे मापदण्ड को उजागर करता है।

मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी जब बोल रहे थे तो लगता था कि जैसे कोई सरमन दे रहे हैं, हम लोगों को नियमों और सदन की गरिमा और परम्पराओं की रक्षा करने की बात बतला रहे थे। जैसे कि हम लोग तो कोई नियम जानते ही नहीं हैं। सारे नियमों और परम्पराओं के निर्वाह करने वाले लोग उधर ही बैठे हैं और उन लोगों ने ही जैसे सारी परम्पराओं और नियमों का ठेका ले रखा है। माननीय पाठक जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये थे, वे सही थे। मान्यवर, कभी-कभी फर्ज भी बगावत बन जाता है। मैं कभी बीच में जाने के पक्ष में नहीं हूं और न कभी मैं बीच में गया हूं लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि कभी जब फर्ज बगावत बन जाता है, कभी-कभी भावनाएं और जजबात ऐसे हो जाते हैं तो मजबूर होकर आदमी को ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है। माननीय नेता सदन ने विषय को घुमाने की चेष्टा की है और मूल विषय का उत्तर नहीं दिया है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने और माननीय कमलेश पाठक ने सूचना दी थी, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कृपा करके आप उसको देख लें और उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मुझे सुन लें। यहां विधान परिषद् की कार्यवाही में वहां के माननीय सभापति ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, उससे यह बात बिलकुल सम्बन्धित नहीं है। जब हमारे माननीय सदस्य कमलेश कुमार पाठक घटना के सम्बन्ध में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस घटना से वहां के निवासियों में दहशत और आतंक उत्पन्न हो गया है, उसे खत्म करने के लिये कार्यवाही होनी चाहिये और वह कार्यवाही हो नहीं रही है, अपराधी को पकड़ा नहीं जा रहा है। जो कर्मचारी इस काम को करने के लिये वहां हैं, वे इसको कर नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, यहां किसी का नाम नहीं लिया गया। माननीय नेता सदन ने विषय से थोड़ा अन्तर करने का प्रयास किया है। आप विषय की ग्राह्यता के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ थोड़ा इसको देखने का कष्ट करें। मुझे जानकारी मिली है कि इस पूरे के पूरे मामले की खुफिया जांच कराने के लिये दे दिया गया है। जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे, उनको काम पूरा नहीं करने दिया जा रहा है। मान्यवर, खुफिया जांच पक्ष में भी हो सकती है और विपक्ष में भी हो सकती है। खुफिया जांच में देकर इस केस में देरी कराने का प्रयास किया जा रहा है तो जन-असन्तोष होना स्वाभाविक ही है। मुझे भी निश्चित तौर पर यह जानकारी है कि सिंहपुर की जो घटना हुई है और जिस पुलिस के सब-इन्सपेक्टर को या आई0 ओ0 को उसकी तफ्तीश दी गयी थी, उसको उस पद पर न रहने के लिए काफी डराया धमकाया गया और यह दबाव डाला जा रहा है कि वह अपना काम न कर पाये।

मान्यवर, यह भी साफ तौर पर माननीय नेता सदन की तरफ से आया है कि पुलिस के अन्दर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप न हो इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर, कमलेश पाठक जी को सारी जानकारी है वहां की। अगर किसी पुलिस अधिकारी को जो कि सही तौर पर काम कर रहा है, अगर राजनीतिक संरक्षण देकर उसके काम में बाधा डाली जायेगी तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था का प्रश्न हो जायेगा। सभापति विधान परिषद् का नाम लिया गया, उचित है या अनुचित है, मैं इसके बारे में अपनी प्रक्रिया आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं लेकिन इसके बारे में एक बात है कि प्रदेश के इंका के वरिष्ठ नेताओं तथा उच्च नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। कार्यस्थगन में वह लिखा हुआ है कि इस जघन्य घटना में वरिष्ठ नेताओं तथा उच्च नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मान्यवर, इस तरह से संरक्षण दिया जायेगा तो पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पायेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। हरिजनों की हत्याओं के बारे में अगर इस तरह से साफ-साफ राजनीतिक संरक्षण दिया जायेगा और इसको नेता सदन, सदन के विषय को विषयान्तर करने का प्रयास करेंगे, तो माननीय सदस्यों का असंतोष बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसके साथ-साथ आप इसको भी देख लेंगे, मुझे नहीं मालूम है कि निलम्बित करने के आदेश दे दिये गये हैं, अभी उत्तर प्रदेश शासन ने या पुलिस के मुखिया ने निलम्बित करने के आदेश दिये हैं या नहीं। जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी या आई0 ओ0 हैं, वह निलम्बित कर दिये गये हैं या नहीं इसका स्पष्टीकरण तो कम से कम सदन में आ ही जाना चाहिए। तो मैं माननीय सभापति विधान परिषद् के बारे में कोई प्रक्रिया यहां व्यक्त करते आखिर कोई कार्यवाही माननीय गृह मन्त्री जो कि मुख्य मन्त्री भी हैं, उन्होंने वहां के बारे में कोई कार्यवाही की है या नहीं की, या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं और इसको विधान परिषद् के सभापति से न चला जाय। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कौन-कौन लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे वहां पर काम करने वाली पुलिस का मनोबल गिर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी एक कमेटी बैठायें उसमें नेता सदन हों, विरोधी दल के नेता भी हों और माननीय सदस्य लोग भी हों जो इस बात की जांच करें कि हमारे कार्यस्थगन

प्रस्ताव में कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग वहां के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं इस बारे में एक कमेटी बना दी जाय जो अपनी रिपोर्ट दे। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जो प्रश्न काम रोको का माननीय कमलेश पाठक जी ने उपस्थित किया है उसकी ग्राह्यता के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, यहां पर जब कमलेश पाठक ने एक नाम ले लिया [xxx] का तो उसको आपने कार्यवाही में न लिखने का आदेश दिया। प्रश्न यह है कि [xxx] ने एक व्यक्ति की हैसियत से अपराधी को घर में रखा या, सभापति की हैसियत से।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर नाम ले रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि इस प्रदेश में ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून व्यवस्था से नीचे हैं। मान्यवर, यह प्राविधान है कि हम राजनीतिक बड़े से बड़े लोग अगर अपराध से लिप्त होते हैं तो कानून से दण्डित किया गया है। अभी इस सदन के 2-3 विधायक रासुका में बन्द हैं और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है।

यह अपराधी प्रवृत्ति के थे, जिनसे सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है। जो इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देता है, गरीब तपके के लोगों की सुरक्षा के लिये नहीं बल्कि, उनसे कत्ल करा रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। यही एक मुद्दा है, इस पर अगर विचार नहीं किया गया, तो गरीबों के अन्दर भय उत्पन्न हो जायेगा, असुरक्षा की भावना पैदा हो जायेगी। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वह ऊंचे लोगों को मिलाकर संरक्षण प्राप्त कर लेंगे। तो यह मामला दूसरा है, इसलिये चर्चा कराने की आवश्यकता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप बतायें कि क्या कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था के ऊपर है, अगर नहीं है तो कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिये। अगर आप नहीं कराते हैं तो मैं कहूंगा कि इस सदन ने एक बार यह प्रस्ताव किया था कि अपर हाउस को समाप्त किया जाये, ठीक ही था, क्योंकि उस सदन की उपयोगिता क्या रह जाती है, [xxx]।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायेगा।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण घटना की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, सिंहपुर में जो घटना घटी है, उससे समूचे उत्तर प्रदेश का सिर नीचे झुक जाता है। माननीय मुख्य मन्त्री नेता सदन ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उसको मैंने गम्भीरता से सुना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का स्पष्टीकरण और कार्यस्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित बातों का तालमेल नहीं बैठता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि सिंहपुर में जो घटना घटी, अपराधी जो

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे उनको पकड़ने के लिये पुलिस गयी। मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में कहा था कि पुलिस के मनोबल को नीचा नहीं करना चाहिये तो जो लोग घटना से सम्बन्धित हैं और दोषी हैं, उनको पकड़ने के लिये क्या आप कार्यवाही करेंगे। जो वहां के अपराधी हैं वह शासन के ही लोग हैं और अपराधियों को सुरक्षा प्रदान किये हैं और उनके सम्बन्ध में नेता सदन ने सदन को गुमराह रखा है। इसलिये कार्यस्थगन प्रस्ताव के प्रस्ताव पर आप चर्चा करा दें और माननीय नेता सदन यह बतावें कि जो अपराधी व्यक्ति हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। इस घटना से मान्यवर, लोगों में सामूहिक भय उत्पन्न हो गया है तो क्या आप सी0 आई0 डी0 से इसकी गम्भीरता को देखते हुये जांच करायेंगे और जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे मामले पर नेता सदन ने परदा डालने का काम किया है जो संसदीय प्रणाली के मर्मज्ञ हैं और ज्ञाता हैं, उन्होंने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। इसीलिये हमारा धीरज टूटता है और हमको उधर जाना पड़ता है। जब न्याय नहीं मिलता है तो हमारा धीरज टूटता है तो मैं निवेदन करूंगा इस गम्भीर सवाल पर और जो सामूहिक हत्यायें हो रही हैं, उनको आप देखें और जो लोग अपराधियों को छिपाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो पुलिस का मनोबल गिरेगा और शान्ति और व्यवस्था खराब होगी। इसलिये आप इस मसले पर चर्चा करा दें, यह जन जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। इस सरकार की हालत को देखते हुए आज की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)।

श्री मित्र सेन—

आप पहले मुझे सुन लें।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, सरकार तो जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री लाल प्रताप सिंह को बुलाया है। कृपया बैठें।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी पुलिस कर्मचारी या सब-इंसपेक्टर को यह अधिकार है कि वह किसी क्रिमिनल को, यदि वह काग्निजबुल केस हो तो उसको कहीं से भी किसी भी स्थान से और कैसी भी स्थिति में पकड़ सकती है, घर में घुसकर, ताला तोड़कर पकड़ सकती है। (व्यवधान)। आप पूरी बात सुन लें। जो कानून की व्यवस्था है, वह मैं कह रहा हूं। किसी भी क्रिमिनल को, जिसने कत्ल किया है, हत्या की है, डक्वेटी में है, या जिसके खिलाफ वारेन्ट हो, उसे पुलिस पकड़ सकती है। उसके लिये कोई रोक नहीं है। चाहे वह बड़े से बड़ा इन्सान हो या छोटे से छोटा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी हो। उसके लिये कोई रोक नहीं हैं। वह घर में घुसकर पकड़ सकती हैं। अगर कभी पुलिस को कोई ऐसी दिक्कत महसूस होती हैं तो वह अपने उच्च अधिकारियों से ऐसी सिचुयेशन्स में परमीशन भी लेती हैं, पूछ भी लेती हैं लेकिन बहुत ही एक्सट्रा आर्डिनरी सिचुयेशन्स में। पुलिस को कौन रोकता हैं पकड़ने से ? उसको कौन कहता हैं कि वह अपनी ड्यूटी न करे। और अगर ऐसा कोई चार्ज लगता हैं तो पुलिस निडर होकर काम नहीं कर सकती हैं। पुलिस ने बड़े से बड़े केस पकड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैं ऐसा कहूं कि पुलिस आपकी वजह से नहीं पकड़ती हैं तो गलत बात नहीं हैं। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती हैं तो वह अपनी ड्यूटी नहीं कर रही हैं। हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने के लिये तैयार हैं और उसको करना चाहिये। पुलिस को अपनी ड्यूटी के सन्दर्भ में पूरी ताकत और निर्भीकता से काम करना चाहिए। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह मामला कार्यस्थगन का विषय नहीं हैं।

श्री किरन पाल सिंह—

अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत ही गम्भीर हैं और सरकार से स्पष्टीकरण आने के बाद यह विषय और भी गम्भीर हो गया। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य हैं और वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे समाज के जो सबसे पिसे हुये लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हैं। सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने कहा और उनके कहने से ऐसा लगा कि वास्तव में जिन्होंने ऐसे अपराध किये उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जब किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी ने दोषी व्यक्तियों को ढूंढ़ा और यह कहा कि वे प्रभावशाली व्यक्ति के यहां ठहरे हुये हैं, उसको पकड़ने और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिये सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को इनाम या पारितोषिक देने के बजाय उसे निलंबित या सस्पेन्ड कर दिया गया। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उस सब-इंसपेक्टर या इंसपेक्टर को यह आप सजा दे रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं ? क्या कारण हैं। जिसने अपराधियों को ढूंढ़ा और उनको पकड़ने की कोशिश की, उसको इनाम देने के बजाय, उसको सस्पेन्ड कर दिया। जैसा कि माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कोई व्यक्ति कानून से बाहर नहीं हैं। ला इज सुप्रीम। जिसने ला को तोड़ने का काम किया हैं और जिसने दोषी व्यक्ति को पनाह दी हैं, वह सबसे बड़ा दोषी हैं।

हम सदस्य हैं मान्यवर, यदि मैं सदस्य होने के नाते कोई अपराध करता हूं और कानून मुझे दोषी ठहराता हैं और पकड़ा जाता हूं और उस पर मैं यहां पर विशेषाधिकार का सवाल लाता हूं तो यह कहां तक उचित हैं। सवाल यह हैं कि व्यक्ति अलग हैं और कानून अलग हैं उसके सामने सब समान हैं चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। यहां पर नाम चन्देल का लिया गया सभापति का नहीं आप इससे चौंके

नहीं । वास्तविकता को समझिये किसी व्यक्ति के यहां कोई अपराधी छिपा हैं जिसका नाम लिया गया हैं, सभापति की हैसियत से नहीं लिया गया हैं । इस लिए इस पर स्पष्टीकरण देने पर रोकिये नहीं । इस पर चर्चा अवश्य करा दीजिये जिससे सारी बातें सामने आ जायेंगी ।

श्री मित्रसेन—

हम लोगों ने भी इस विषय पर दिया हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सुन तो रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपका ध्यान आकर्षित करते हैं । हम लोगों ने भी प्रस्ताव दिया हैं ।

श्री अध्यक्ष—

काफी समय आपको दिया हैं आप यह समझिये मैं सुन रहा हूं आपको सोचना समझना चाहिये ।

*श्री त्रिलोकचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने अपना वक्तव्य दिया । मैं कभी ऐसी समस्याओं को भूलता नहीं हूं कि जो भावनाओं से भरी समस्यायें होती हैं । मुझे याद हैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं जिस दिन यह घटना हुई थी उसके बाद इसी विषय पर हम लोग काम रोको प्रस्ताव लाये थे और आपने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था और मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया । हम लोग यह सोचकर कि मुख्य मन्त्री जी हरिजनों के, कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने में पूर्णरूप से सक्षम हैं और उन पर हमारा पूर्णरूप से यकीन हैं उससे सन्तुष्ट हो गये । लेकिन घटना ने धीरे-धीरे दूसरा रूप धारण कर लिया और आज इस तरह हो गया हैं कि हरिजनों की भावनाओं को और उनके दिलों को द्रवित करने की एक घटना हो गयी जो नहीं होनी चाहिये थी । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो शब्द कहे हैं उनका मैं आदर करता हूं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही और न हमारा इरादा है कि हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगायें । लेकिन जो महसूस होता हैं, जब दिल्ली कांड हुआ था मैं तब मेम्बर पार्लियामेन्ट था और मुख्य मन्त्री जी भी वहां थे तो उस वक्त कोई सन्तोषा नामक व्यक्ति था वह भी इसी तरह छिपाया गया था (व्यवधान) बाद में पकड़ा गया ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी जानते हैं सब बातों को, तो उसी तरीके से आज जिस तरीके से इस घटना ने मोड़ लिया हैं इससे हमें दुख होता हैं हमने जीने का अधिकार पाया हैं । हमारी पिटाई हो और हम कुछ कहें भी नहीं कहां तक उचित हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी पर हमारा यकीन हैं लेकिन अगर किसी घटना पर ऐसा वक्तव्य हो और लगे कि वह संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो इससे उनका ही नुकसान होगा और जो यकीन हमारा उन पर हैं वह टूट जायेगा क्योंकि हम उन पर पूरा यकीन करते हैं । लेकिन जिस ढंग से इस घटना ने मोड़ ले लिया हैं उसे कहने की आवश्यकता नहीं हैं । पुलिस का किस तरह से घटना चक्र चला और किस तरह से दूसरे सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में मामला आया उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पूरी चर्चा करा दी जाय जिससे हमारे मनों को ठेस न लगे। हमारा 12 करोड़ का इतना बड़ा प्रदेश है जो दुनियां का सातवां मुल्क है। हमारा जो माननीय मुख्य मन्त्री पर यकीन है वह उसी तरह से कायम रहे जैसे सन् 52 से चला आ रहा है कि यह हरिजनों के, गरीबों के हिमायती हैं। इसलिए इस पर चर्चा कराकर उस यकीन को पूरा करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस पर कोई विवाद नहीं है कि विधान परिषद् में यदि कोई विषय उठा और वहां के सभापति द्वारा कोई निर्णय दिया गया तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे अनुरोध किया है कि इस सदन या उस सदन के निर्णय पर टीका नहीं करेंगे। आप इस घटना के बारे में जो कहना चाहें, वह करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, थानाध्यक्ष की बात यहां उठी और उसके निलम्बन की बात उठी। उनके निलम्बन का आधार यह बताया गया कि एक राजनीतिक नेता के यहां अपराधी शरण पा रहे हैं, देहुली कांड के अपराधी शरण पाये। इसी को आधार बनाकर एक थानाध्यक्ष के निलम्बन की बात सामने आयी। उस निलम्बन की खबर सुनने से सिकन्दरा क्षेत्र की जनता में आन्दोलन की भावना जागृत हुई और वहां सिकन्दरा क्षेत्र में रास्ता रोको अभियान चलाया। लखनऊ में देखा जा रहा है कि उस क्षेत्र के समस्त प्रधान एक जुलूस बनाकर मंत्रियों के यहां जा जाकर प्रदर्शन करते हैं और नेताओं के यहां जाकर घरों पर अपनी बात कहते हैं। जिस थानाध्यक्ष की यहां बात उठी, यह भी जानकारी में आया है कि, उसको अच्छा काम करने के कारण एवार्ड भी मिल चुका है, तो ऐसे थानाध्यक्ष के साथ जनता की भावना जुड़ी है और गलत आधार लेकर निलम्बन की बात आती है तो जनमानस में क्षोभ व्याप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि हरिजनों की हत्या और अपराधियों को छिपाने की बात जुड़ी है। इसलिये इस अहम मसले पर आप चर्चा कराने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के विचार सुने। मैं अपनी राय और रूलिंग रिजर्व करता हूं और बाद में इस पर निर्णय दूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अभी सदन में सिंहपुर कांड की चर्चा हुई जिसमें 6 हरिजन सदस्यों की हत्या हो गयी और अभी तक उसमें कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पूरे प्रदेश में हरिजनों का उत्पीड़न और हत्यायें होना आम बात हो गयी है। इस सिलसिले में देखें कि जहां आज उनका उत्पीड़न ऊंचे वर्ग के लोग भूसम्पदा वाले लोग कर रहे हैं वहीं यह सरकार भी हरिजनों को संरक्षण नहीं दे पा रही है इलाहाबाद में कोरांव

थाना, तहसील मेजा, में आदिवासी रहते हैं बहुसंख्यक में, उनकी गरीबी इतनी है कि उनका सभी उत्पीड़न करते हैं। मान्यवर, बुधवार को दो सिपाही गये और 5 आदिवासियों को पकड़ कर पीटने लगे पुलिस का इंफारमर भी था, शंकर लाल को इतना पीटा कि उसकी रास्ते में थाने ले जाते समय मृत्यु हो गयी, पुलिस कस्टडी में। बार-बार इस सदन में अन्य प्रान्तों में और लोकसभा में यह मामला उठा है कि पुलिस कस्टडी में यदि किसी की मृत्यु हो जाये तो यह गम्भीर मामला है।

मान्यवर, गरीब आदिवासी शंकर लाल को इतना पीटा गया पुलिस द्वारा कि गांव से थाने के रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और उसके चार भाइयों की भी हालत बहुत गम्भीर है। उसकी लाश को स्वरूप-रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके चारों भाई सर तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में भर्ती हैं। तो हरिजनों का उत्पीड़न न केवल समाज के सवर्ण और कुख्यात किस्म के लोग, भूसम्पत्ति वाले लोग कर रहे हैं, बल्कि सरकार के लोग और सरकार के रक्षक भी कर रहे हैं। वह रक्षक उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। आज रक्षक भक्षक बन गये हैं। इस तरह से शासन को चलाने में बहुत कठिनाई होगी और गरीब तबके के लोगों को शासन का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में आप सरकार की ओर से वक्तव्य दिलवा दें, ताकि सारा मामला साफ हो जाए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही आप करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं सरकार का ध्यान इस सिलसिले में आकर्षित करता हूं, कृपा करके इसको देख लें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों के लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन शासन की उपेक्षा के कारण उनका असन्तोष बढ़ा और आज उनका असन्तोष बढ़ते-बढ़ते हड़ताल के रूप में परिणत हो गया है। वह कर्मचारी दो घन्टे प्रतिदिन काम नहीं करते हैं, जिससे इस सदन के माननीय सदस्य भी प्रभावित हुए हैं और रोगी लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जो सैम्पुल प्रातः लिए जाते हैं, वह नहीं लिये जाते हैं, जांच का कार्य स्थगित हो गया है। सारे अस्पताल पूरी तरह प्रभावित हो गये हैं। इसलिए मैं इस सदन के संज्ञान में इसे ला रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि उनकी मांगे क्या हैं, उनमें क्या विलम्ब है। मेरी जानकारी में आया है कि पहले उनकी मांगों पर स्वास्थ्य मन्त्री से बात हुई है और उनके बारे में उन्होंने आश्वासन भी दिया था। देखा यह जाता है कि जब तक हड़ताल, धरना और घेराव न हो जाए, सरकार कर्मचारी वर्ग की ही नहीं किसी की भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसके प्रतीक रूप में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने इसे कार्यस्थगन के रूप में उठाया है। इस पर आप अपनी व्यवस्था देकर चर्चा अवश्य करावें।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय कार्यस्थगन के रूप में नहीं आता है। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपा करके इस मामले को शीघ्र ही तय कराने की कोशिश करें।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

शीघ्र इसको दिखवा लूंगा।

*श्री आँसान सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां थाना विधूना में 30-7-85 को डा0 पुत्तू लाल की झूठी शिकायत पर थानाध्यक्ष श्री जी0 पी0 सिंह लाला राम के पुत्र को पकड़ कर थाने पर ले गये। इसकी जानकारी जब लाला राम गुप्त को मिली, जिनकी उम्र 80 वर्ष है और जो नामी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं काफी वयोवृद्ध हैं और हमारे विधूना में वह नगरपिता के रूप में सम्मानित हैं, तो वह अपने दूसरे स्वतन्त्रता संग्राम साथी सुखवासी लाल के साथ थाने पर गये और अपने पुत्र की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में और उसका कारण जानने की कोशिश की तो उनको बहुत बेरहमी से बुरी तरह से मारा पीटा गया। उनको घसीट घसीट कर मारा गया और उनका कुर्ता फाड़ डाला गया। थाना प्रभारी उन्हें धक्का दे देकर मारते पीटते हुए थाने के बाहर ले गये और उन्हें वहां से भगा दिया। जिन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों से संघर्ष करके अपने खून को बहाया था, आज आजाद हिन्दुस्तान में भी उनका इस तरह से खून बहाया जा रहा है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, भद्दी-भद्दी गालियां दी जा रही हैं, यह बड़े शर्म की बात है। आज भी यह पुलिस के लोग बेचारे निरपराध और निरीह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को घसीटते हैं और मारते पीटते हैं और हमारा प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, जो शब्द उन्होंने पुलिस का मनोबल उठाने के लिये कहे थे वह शब्द आज पुलिस के सर पर चढ़कर बोल रहे हैं इसलिये उनकी हिम्मत पड़ रही है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

मैं चाहता हूं कि सदन की आज की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाय। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां गये और शिकायत की तथा अपने फटे हुये कपड़े दिखाये लेकिन अभी तक उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। बल्कि उसी थानेदार से इसकी जांच करायी जा रही है। वह थानेदार 24 घन्टे शराब के नशे में धुत रहता है। 10-10 रुपये रिश्वत लेता है। पुलिस को बराबर संरक्षण मिला हुआ है शासन का, प्रशासन का और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय और इस प्रकरण पर जांच करायी जाय और आप अपनी व्यवस्था दें। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा नहीं करायेंगे लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो हमारे पिता हैं, बाबा हैं और जिनका सारा नगर सम्मान करता है उनके प्रति इस दुर्व्यवहार से आज सारा कस्बा बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट है, वहां के निवासियों में दुख और क्षोभ व्याप्त है और हड़ताल होने तथा बाजार बन्द होने की नौबत है। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आदेश मुख्य मन्त्री को देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

स्वत्तन्त्रता संग्राम सेनानी हमारे खम्भे हैं, जो आपने विषय उठाया है, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं समझता हूं कि इस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर श्री श्रीप्रकाश को पुकारा गया)।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं नेशनल दुधवा पार्क के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप थे नहीं, आपको पुकारा गया था। अब मैं नहीं सुन सकता।

श्री सत्यपाल सिंह—

इनके बाद मौका दे दीजियेगा।

*श्री श्रीप्रकाश—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को वाराणसी मण्डल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक की हेराफेरी के बारे में बताना चाहता हूं। वाराणसी मण्डल विकास निगम के माध्यम से गरीब जनता को सुविधायें उपलब्ध कराने की बात थी। वहां पर डीजल पम्पिंग सेट निगम के माध्यम से लगाने की बात थी। जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी आदि जिलों में जो डीजल पम्पिंग सेट 15-20 हजार रुपये में लग जाते उनका प्रबन्ध निदेशक ने 60 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का पेमेन्ट किया है और इस तरह से निगम का 10 लाख रुपया अपनी जेब में शुद्ध रूप से रख लिया है। जनता के हित के लिये जो पैसा खर्च किया जाना चाहिये था, उस मंशा की पूर्ति नहीं हुई है। जिस मंशा से निगम स्थापित किया गया था उस मंशा से प्रबन्ध निदेशक कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। सिलाई मशीन, रिक्शा इस तरह की तमाम चीजों के खरीदने में व्यापक रूप से कमीशन लेकर उनको खरीदा गया है। जो मंशा निगम की थी कि इन चीजों की खरीद में गरीब लोगों को बिचौलियों से बचाया जाय और जो पैसा गलत ढंग से कमाने का काम करते हैं उनसे गरीब लोगों को बचाया जाय और निगम के माध्यम से उनको यह चीजें उपलब्ध करायी जायं वह मंशा प्रबंध निदेशक के गलत तौर तरीके के कारण पूरी नहीं हो रही है। निकम्मे और घटिया सामानों को खरीदकर डंप कर रहे हैं और गरीब जनता को इन चीजों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिये लोकहित के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि आप सरकार का ध्यान आकर्षित करके चर्चा करावें ।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय जो आपने उठाया, यह कार्यस्थगन के अन्तर्गत नहीं आता, लिहाजा मैं इसे अस्वीकार करता हूं । शेष सूचनाएं जो हैं वे भी अस्वीकार की गयीं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैंने नियम 56 में दिया था . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, हमने, श्री जमुना प्रसाद बोस और माननीय मैनेजर सिंह ने एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था कि मन्त्रियों के आदेशों को सचिव नहीं मान रहे हैं जिससे प्रदेश में संवैधानिक ब्रेक डाउन पैदा हो गया है । हमारे वन राज्य मन्त्री ने आवाद अहमद नाम के एक फारेस्ट गार्ड को जो हमीरपुर में है, उसे सस्पेन्ड कर दिया गया था, उसकी पत्रावली मांगा, लेकिन पत्रावली भेजने के बजाय इसी बीच में उसे डिसमिस कर दिया गया । 7-6-85 को माननीय मन्त्री ने आवाद अहमद को बहाल किया । 29-6-85 को उन्होंने प्रमुख वन संरक्षक को पत्र लिखा है कि इस मामले में मेरे आदेश का पालन नहीं हो रहा है । 4 जुलाई 85 को प्रमुख वन संरक्षक ने विशेष सचिव, वन अनुभाग को लिखा कि मन्त्री जी का आर्डर गलत है । 5 जुलाई, 1985 को वन राज्य मन्त्री ने प्रमुख बन संरक्षक को लिखा कि इस मामले में विशेष सचिव से निर्देश मांगना मेरे आदेशों का खुला उल्लंघन और अवहेलना है और इसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो 22-7-85 को बिलकुल निरीह स्थिति में माननीय वन राज्य मन्त्री ने माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा है कि पत्रावली मंगा कर मेरे आदेशों का पालन कराने की कृपा करें, क्योंकि विभाग के सचिव लोग मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं । इस तरह से जो सचिव लोग मन्त्री जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसे रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं, इससे प्रदेश मे संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है ।

मान्यवर, हमने, श्री जमुना प्रसाद बोस और माननीय मैनेजर सिंह ने यह मामला नियम 56 के तहत उठाना चाहा है । इससे अधिक महत्वपूर्ण मामला कोई दूसरा हो नहीं सकता । इसलिए हमारा अनुरोध है कि सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें । आज मन्त्री लोग स्वयं निरीह हो गये हैं । ये दूसरों के हितों का संरक्षण कहां से करेंगे ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

कोई बात नहीं लिखी जायेगी । शेष सूचनाएं मैंने अस्वीकार कर दी हैं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर आप नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(डाक्टर दिनेश जौंहरी सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री मैंनेजर सिंह—

मान्यवर, एक राज्य मन्त्री के आदेशों का पालन हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट नहीं कर रहा हैं । इससे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया हैं । एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी की सेवा समाप्ति कर दी गयी हैं । एक उच्च अधिकारी निलम्बन करता हैं और राज्य मन्त्री के स्तर से वह आदेश निरस्त होता हैं और कहा जाता हैं कि उसके खिलाफ शिकायत सही नहीं हैं । इसी बीच उसको बर्खास्त कर दिया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय राज्य वन मन्त्री जी ने फाइल मंगाया और उस पर बहाल करने का आदेश किया ।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री आदेश देते हैं कि अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाय और कर्मचारी को बहाल किया जाय । माननीय मन्त्री के स्पष्ट आदेश का अधिकारी पालन नहीं करते हैं । इससे भयंकर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा हैं । नियम 56 का कौन सा प्रश्न आयेगा । नियम 56 में चर्चा करवाते हैं और कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्न की गम्भीरता को देखें । माननीय मुख्य मन्त्री जी से स्पष्ट कर लीजिये कि इस तरह की बात क्यों हो रही हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी के संज्ञान में यह बात हैं । माननीय मन्त्री ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया हैं और हस्तक्षेप की मांग की हैं मान्यवर, यह माननीय वन मन्त्री की ही बात नहीं हैं । बहुत से ऐसे मन्त्री हैं जो निरीह बने हुए हैं उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी से सफाई दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैंनेजर सिंह जी आप बहुत ही बुजुर्ग हैं । मैं आपका आदर करता हूं । आप बैठ जायं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या नियमों से आप ऊपर हैं या नियम आप पर भी लागू होते हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग भी बैठ जायं । रवीन्द्र तिवारी जी मैं खड़ा हूं । आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आप नियमों से ऊपर नहीं बोलेंगे । आप भी नियमों से बंधे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं, आप बोल रहे हैं । यह भी नियम हैं । आप भी खड़े हैं । आप यहां आयें, बैठें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं शालीनता से कोई बात कह रहा हूं लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम पुकारा गया। आप थे नहीं।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं भी काफी समय से सदस्य हूं और मैं भी नियम जानता हूं। यदि कोई सदस्य एक बार उपस्थित नहीं होता है तो दुबारा . . .

(व्यवधान)

श्री रामआँतार दीक्षित—

3 बार नाम पुकारा गया, आप थे नहीं। आप खाना खाने गये थे।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें कृपा कर।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं आपकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में चाहता हूं कि नियम 51 के अन्तर्गत लोक महत्व के सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

नियम 51 में सूचना दी थी।

(व्यवधान)

उसको आपने अस्वीकार कर दिया। मैं आपका ध्यान नियम 58 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने कुंवर रेवती रमण सिंह को बुलाया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

जो प्रश्न माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी और माननीय मैनेजर सिंह ने उठाया है। उसके सम्बध में निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री से कह दें कि वह वक्तव्य दे दें, बात की सफाई हो जाय, बात खत्म हो जाय। मंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जनता पार्टी ने इस बात का आग्रह किया और हमारे वरिष्ठतम सदस्य माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि राज्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। एक घटना विशेष का उल्लेख किया, किसी गार्ड विशेष का मामला है और किसी विशेष आदेश की बात कही। चूंकि इस समय, इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, जब तक की यह न देख लिया जाय कि किस सन्दर्भ में वह आदेश था।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया—

आप कोई जवाब देने लगेंगे और हम सुन लें।

श्री हुकुम सिंह—

सदन में बोलने का अधिकार हमारा भी है। संरक्षण का अधिकार इनका है तो मेरा भी है। आपकी किसी बात से मैं सहमत नहीं हूं तब भी मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको सुनूं। आप मेरी बात से सहमत न हो फिर भी मेरा अनुरोध है कि उसको सुन लें। मैं आश्वस्त करता हूं कि मंत्रिमंडल का राज्य मंत्री हो या कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, ऐसा नहीं है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उसके आदेश का पालन नहीं होता है न कोई संवैधानिक संकट इस सरकार के सामने है। उस आदेश के बारे में पूर्ण जानकारी आप करादें, मैं अनुग्रहीत होऊंगा, मैं स्वतः अपने स्तर से कार्यवाही करूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी विद्वान हैं। कहा यह गया कि एक राज्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने जनरलाइज करके बता दिया कि सभी मंत्रियों के आदेशों का पालन हो रहा है। जिसका उल्लेख तिवारी जी ने और मैनेजर सिंह ने किया, उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाय, वक्तव्य आ जाय, सबके बारे में नहीं पूछ रहा हूं। उसके बारे में जानना चाहता हूं। सभी के बारे में नहीं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आज मामला उठाया, तुरन्त जानकारी चाहते हैं। मैंने अनुरोध किया उसकी जानकारी करादें, उसको मैं देख लूंगा और कोई बात होगी तो सम्मानित सदस्य को सूचित कर दूंगा, तिवारी जी और मैनेजर सिंह को।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ स्पष्टीकरण देंगे।

(2 बजकर 20 मिनट)

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त)—

मैं स्वयं जरा पसोपेश में हूं। सम्मानित नेता जनता पार्टी और सम्मानित सदस्य बीनरा, को शासन का अनुभव है और सदन का पुराना अनुभव है। तो मैं उनसे किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं करना चाहूंगा, मुझे स्वयं शोभा नहीं देता है। लेकिन मेरा यह निवेदन भी है कि अपनी बात न कहूं तो यह भी शोभनीय नहीं है।

श्रीमन्, ऐसा नहीं होता कि शासन की प्रक्रिया में आदेशों का पालन नहीं होता। कभी-कभी ऐसा होता है कि तथ्यों को पूरा न जानने के कारण जो सचिवालय है, उसका यह कर्तव्य होता है कि उन आदेशों के संदर्भ में नियमों के साथ दोबारा मूल्यांकन के लिये पत्रावली को भेज दें। यह बताते हुये कि शासन का यह नियम है। और यह तथ्य आपके सामने नहीं आया। इसके बाद भी पुनः कोई आदेश दिया जाता है तो वह शिरोधार्य होता है। जैसे कोई इन्क्वायरी के आदेश होते हैं, और उसमें तथ्य की पूरी जानकारी नहीं होती है, तो सचिवालय का कर्तव्य होता है कि तथ्यों को सामने रखे। उसके बाद राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री उन तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश होते हैं स्पष्टीकरण सहित कि इस कारण से आदेश दिया तो उन आदेशों का पालन होता है। मैं नहीं जानता कि जिस मामले का उल्लेख सम्मानित सदस्य फैजाबाद ने किया है, वह क्या है। वह मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है। मैं आग्रह करूंगा कि इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, वह कभी भी शासन में आ सकते हैं। इसलिये हम सबको सावधानी रखनी चाहिये कि व्यक्तिगत मामले कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यहां न लावें। यहां मुलायम सिंह जी बैठे हैं जो मुलायम भी हैं और कठोर भी। यहां कार्य स्थगन के मामले से जो प्रश्न उठा, आप बता दें कि क्या वह व्यक्तिगत मामला नहीं है, क्या वह नीति

गत प्रश्न हैं । ऐसे प्रश्नों को यहां नहीं जोड़ना चाहिये । मैं उनके मामले को देख लूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि तथ्यों को ध्यान में रखकर जो आदेश पारित होते हैं, उनका पालन होता है और भविष्य में भी होता रहेगा, इसकी मैं आशा करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 1985†

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मेरी बात नहीं सुनी गयी इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, यह जो विधेयक आज माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक के बारे में संक्षेप में मैं दो मूल बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । एक तो यह कि इसका संक्षिप्त इतिहास और दूसरा यह कि आज इस विधेयक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई । सन 1950 में जब इस आकस्मिक निधि की स्थापना की गयी, तब मूलतः यह महसूस किया गया कि शासन में एक ऐसी निधि की आवश्यकता है जो उस आकस्मिकता व्यय का प्राविधान कर सके जो किसी आकस्मिक घटना जैसे सूखा, बाढ़ आदि का सामना करने के लिये, जिसका वार्षिक बजट में प्राविधान नहीं है, का सामना कर सके और उसके लिये धन सुनिश्चित करा सके । जब इसकी स्थापना की गयी तब इस निधि में 4 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था । धीरे-धीरे आबादी बढ़ती गयी । पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का औद्योगीकरण हुआ । विकास हुआ । और जो आकस्मिक समस्याएं थीं वह भी उसी के हिसाब से उतने ही ज्यादा लोग स्वाभाविक रूप से उससे प्रभावित हुए ।

(इस समय 2 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए ।)

इस कारण से 1982-83 में जो 150 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि है, उसमें इस विधेयक के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की और स्थायी धन की बढ़ोत्तरी की जा रही है । यानि 200 करोड़ रु0 का प्राविधान किया जा रहा है । माननीय सदस्य और सदन निश्चित रूप से यह जानना चाहेगा कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गयी । माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि चुनावी कारणों से सातवीं पंच वर्षीय योजना में विलम्ब हुआ और मार्च में लेखानुदान लाया गया, अनुपूरक मांगें लायी गयी थीं । उसके बाद पंच वर्षीय योजना की जो स्कीम्स वार्षिक योजना में चल रही थी, उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता महसूस हुई जो उस एकाउन्ट्स से नहीं लिया जा सकता था । इसी प्रकार से अभी सम्पूर्ण प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा । उस

†दिनांक 9 अगस्त, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

सूखे के सर्वे के लिये भारत सरकार से एक टीम आयी थी और उसमें 51 करोड़ 78 लाख रुपये के प्राविधान के लिये अनुमोदित किया गया था और पूर्व वर्ष के लिये 60 करोड़ की इस आकस्मिक निधि पर पहले से ही भार आ चुका था । जिसके लिये अनुपूरक बिल लाया जा सकेगा । जो इसके ऊपर संभावित दबाव था, उससे यह समझा गया, यह संज्ञान में आया कि एक जो निधि है 150 करोड़ रुपये की प्रदेश का जो वर्तमान में फैलाव हो चुका है और जिस प्रकार से यह भयंकर सूखा इसके बाद आज सुबह ही माननीय सदस्यों ने रेडियो से सुना होगा कि उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है इन सबका सामना करने के लिये एक स्थायी पूंजी की आवश्यकता को महसूस किया गया । यही कारण है कि यह विधेयक आपके सामने लाया गया है । सम्मानित सदस्य इस पर विचार कर, निश्चित रूप से इसकी अनुमति प्रदान करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, मैंने अभी माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना । बहुत ही भोला-भाला भाषण था । हमें ऐसा लगा कि यह सब सही है, इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन, मान्यवर, अगर इसकी पृष्ठभूमि में देखा जाय तो इधर-उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों में मतभेद नहीं होगा कि इसको प्रवर समिति में न भेजा जाय । अभी माननीय मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया कि 1950 में जब यह पहली बार विधेयक बना, उस समय संचित निधि से 4 करोड़ रुपये निकाल कर एक कोष बनाया गया था और यह बनाने की भी आवश्यकता क्यों पड़ी ? हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 (2) में व्यवस्था इसके सम्बन्ध में की गयी है । इस व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्मात्री परिषद् में जो बहस हुई है, उसके देखने से इस अनुच्छेद की मंशा का पता लगेगा ।

मान्यवर, ऐसे खर्चे होते हैं जिसको अनफोरसीन एक्सपेंडीचर कहा जाता है । माननीय मंत्री जी ने सूखे की बात कही, बाढ़ की बात कही । लेकिन, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी अनफोरसीन एक्सपेंडीचर की—उसकी परिभाषा आज बिल्कुल बदल गयी है । अनुच्छेद 283(2) में यह बात कही गयी है कि हर राज्य का विधान मंडल इसके लिए एक कानून बनाये । इसके तहत 4 करोड़ रुपये की धनराशि निकाली गई जो आज बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो गई है । 1970 में 10 करोड़ बढ़ाया गया, 1972 में फिर 10 करोड़ बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 10 करोड़ बढ़ाया गया । 1976 में दो बार बढ़ाया गया । 1950 में जो अधिनियम बना था, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । 200 करोड़ रुपये जो आप आकस्मिक निधि में देने जा रहे हैं, बजट

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

के ऊपर जो विधान मंडल का कन्ट्रोल है सेंक्सन करने का, वह खत्म हो जायेगा। आप तीन-तीन बार सप्लीमेन्टरी बजट लाते हैं और उसे यहां पर पास किया जाता है, तो उसी प्रकार आप इसे भी वैसे ही लायें और इस विधान मंडल से उसे पास करायें। आप 90 दिन का उपवेशन बुलायें और यदि आपको आवश्यकता है तो आप उसे बढ़ायें। आप जो अन-फोरसीन एक्स-पेन्डीचर कर रहे हैं वह अधिकारियों की जीप खरीदने में, दफ्तरों के रिनोवेशन करने में और लिफ्ट लगाने में। इससे फिर आकस्मिक निधि का औचित्य क्या रह जाता है। आकस्मिक निधि तो उसके लिए है जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते हैं। यदि कोई अचानक खर्च आ जाता है, तो उसके लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए यूनीसेफ ने कुछ जिलों में 2-2 और 3-3 ब्लाकों का चयन किया था और उन गांवों में पेयजल के लिए हैण्ड पम्प की व्यवस्था हो गई। एक दिन यूनीसेफ की ओर से पूरा पैसा दिया जाता था लेकिन बाद में यह व्यवस्था आ गयी कि यूनीसेफ की ओर से इसको लगाने के लिए खर्चा नहीं दिया जायेगा, मात्र मैंटीरियल दिया जायेगा। यह था अन फोरसीन एक्सपेंडीचर। मई जून में सूखा पड़ा हुआ था और पेयजल का संकट बना हुआ था। यूनीसेफ ने जिन ब्लाकों का चयन किया था, उनमें हैंड पाइप लगाने के लिये आप खर्चा देते। यदि आप इसके लिये पैसा मांगते तो कोई एतराज नहीं था हमें। लेकिन आपने आदेश दे दिया कि अगले आदेशों तक नलकूपों का लगाना बन्द कर दिया जाय। क्यों बंद कर दिया जाय। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि पूरे प्रदेश में इंडिया मार्का के हैण्ड पम्प लगने बन्द हो गये हैं। शायद माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी उस समय जानकारी नहीं थी। मैंने सुझाव दिया कि आप उनसे मशीन मांग लें टेकनीकल लोग आप जल निगम से मांग लें और श्रमदान गांव वाले कर देंगे। लेकिन उसे भी आप नहीं समझ पायें। खर्चा आप कर रहे हैं जीप खरीदने पर। एनेक्सी की एयर-कण्डीसनिंग करने पर। इसमें भी आपने आकस्मिक निधि से पैसा खर्च करवाया था और बाद में उस धनराशि को यहां से पास करवाया था।

माननवर, मेरे दो आरोप हैं। पहला, यह कि हम जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देने जा रहे हैं, उससे विधान मंडल के अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा, सरकार की कल्पना शक्ति क्षीणता की ओर जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। 283 (2) जिसका मैंने उल्लेख किया और जिसके रूल्स भी बने हैं। अन-फरसीन एक्सपेन्डीचर को कहां और किस चीज पर खर्च किया जाय, इस बात को तय किया जाय। अगर यह बात तय नहीं होगी तो विधान मण्डल की अवमानना होगी। बाढ़ में, सूखे में, गाड़ियों में खर्च करेंगे, तो इसके लिए परिभाषा की जरूरत है और नीतियों को बदलने, समझने की जरूरत है। विधान मण्डल जिसको पूरा बजट बनाने का अधिकार है और वित्तीय नियंत्रण का अधिकार है, नेता सदन संयोग से तिवारी जी हैं, संसदीय परम्पराओं का आदर व सम्मान की भावना को जानते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं के अनुरूप ही मैंने यह प्रस्ताव किया है कि प्रवर समिति में यह जाय और मानक निर्धारित किये जायं। वे खर्चे, जिनका कोई तात्पर्य न हो, टाले जा सकते थे, बढ़ा सकते थे, बजट

बनाते समय भूल जाते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए इसे प्रवर समिति को भेज दें । राजनीतिक सवाल नहीं है यह, नीति का सवाल है, अन-फोरसीन की परिभाषा करने के लिए मैं प्रवर समिति में भेजने के लिए कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि आधे घण्टे की चर्चा का समय है इसलिए समय को देखते हुए दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्रवर समिति में भेजने के लिए जो गुप्ता जी ने प्रस्ताव रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं । आकस्मिकता निधि का निर्माण 1950 में हुआ तो 4 करोड़ इसमें रखा गया और तब से निरन्तर इसकी धनराशि बढ़ती गई । आकस्मिक घटनाओं में जिस तरह से खर्च करना चाहिए उस तरह से सही उपयोग शासन नहीं करता । अपने दल के हित में, चुनाव के समय, नई-नई घोषणायें करते हैं और उस खर्चे को इससे पूरा करते हैं । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह ऐसे खर्चों में संचित निधि से रुपया आ गया और जब संचित निधि से रुपया आ गया तो जो हमारे पहले के प्लान, योजनायें थीं, उनके खर्चों में रुकावट आ गयी । इसलिये जैसा कि गुप्त जी ने कहा, व्यापक छान-बीन कर ली जाय, इसलिए इसे प्रवर समिति में भेजा जाय कि इससे सरकारी प्लान रुकते हैं या नहीं, क्या शासक दल इसका सही रूप में खर्चा करता है या नहीं । इसलिए मैं इसे प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करता हूं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मैं, गुप्त जी ने जो कटौती का प्रस्ताव

(हंसी)

प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । 1950 में 5 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते यह धनराशि दो अरब पर पहुंच गयी है और खर्चा जो है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि किसी भी मद में उठा कर खर्च

(हंसी)

करते हैं और दूसरा विधेयक ला कर ले लेते हैं इसलिए मिला-जुला भेस बना कर रखे हैं, किसी में कम पड़ा और आपने खर्च कर लिया । तिवारी जी को देख लें, यह मिली-जुली संस्कृति के द्योतक हैं । जर्सी में नेहरू कट हैं, कुर्ता जय प्रकाश कट है और टोपी जो है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जब कांग्रेस में आये तो अपनी पहचान अलग रखने के लिये शुद्ध खद्दर की टोपी न पहन कर थोड़ी हल्के रंग की टोपी पहनना शुरू कर दिया, इस तरह से मुख्य मंत्री जी पहनावे में मिली-जुली संस्कृति के द्योतक हैं . . . .

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

आप भी लगा सकते हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं होगा ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे तिवारी जी राजनीति में मिली-जुली संस्कृति के द्योतक हैं पहनावे में, वैसे ही आकस्मिकता निधि तमाम खर्चों में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कमी हो रही है, उसको पूरा करने के लिये मिला-जुला फण्ड हो गया। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि भारत सरकार की एक टीम आयी और उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया था। उसने रिपोर्ट दी कि जैसे बलिया में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश हुई, इसलिये उसने रिपोर्ट दी कि उसे सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाय, लेकिन आज यह पहाड़ को सूखाग्रस्त मान रहे हैं, जहां से पानी आता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आकस्मिकता बड़ा 'वेग' शब्द बनकर रह गया है। अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है या कोई और खर्च हो तो उसमें डाल दीजिये जैसे—जीप खरीदने का काम, टेलीविजन खरीदने का काम, यह आकस्मिकता निधि में नहीं आता है। अतः जरूरी है कि इसको प्रवर समिति में भेजें और आकस्मिकता की परिभाषा बन जाय कि अमुक मदों में ही खर्च करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने प्रवर समिति का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूखा और बाढ़ जैसी दैवी आपदा में सहायता दी जाती है इसलिये कोष को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गयी, यह बात सही है कि दैवी आपदा से निपटने के लिये धन की आवश्यकता होती है लेकिन लगातार जो बढ़ोत्तरी हो रही है, यह क्यों हो रही है ? इस पर भी सोचना चाहिए। बाढ़ में और सूखे में धन तो आकस्मिकता निधि से देते हैं लेकिन उस धन का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिये। हमें अनुभव है कि जो धन जाता है वह जनता को 10-15 प्रतिशत ही मिलता है और बाकी भ्रष्टाचार में खर्च हो जाता है और जो आपकी भावना है सहायता देने की, वह पूरी नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा हाउस में हो चुकी है कि जो गरीब जनता की कमाई का महत्वपूर्ण धन है, उसका दुरुपयोग हो जाता है। यही काम सूखे में होता है। सूखे में राहत देने का काम नहीं है लेकिन जब सूखा पड़ता है तो उसमें कुछ योजनायें चलाकर सड़क बनाने का, बन्धे बनाने का काम चलाया जाता है आकस्मिकता निधि के पैसे से लेकिन उन कामों में भी भ्रष्टाचार का वर्णन हो चुका है और उसका भी बहुत बड़ा भाग भ्रष्टाचार में चला जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो बढ़ोत्तरी हो रही है इसका अधिक पैसा निजी जेब में चला जाता है। आपको अब इसको परिभाषित करना चाहिए कि कौन-कौन मदों में खर्च करेंगे, इसके लिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985, जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहूंगा। श्रीमन्, अभी मैं माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था कि सन् 1950 में जब पहली बार यह विधेयक लाया गया था तो मात्र 4 करोड़ रु0 की धनराशि इसमें रखी गयी थी। यह सत्य है लेकिन जितने विद्वान सदस्य हैं वह जानते होंगे कि यहां रोज-रोज चर्चा की जाती है महंगाई की तो इसका भी असर हर चीज पर पड़ता है। आज के समय में और उस समय में काफी

अन्तर हैं। इस समय की मांग के हिसाब से तो आज कम से कम 100 करोड़ रु0 की आवश्यकता पड़ती हैं। जहां कि मात्र 4 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था। इन दिनों के हिसाब से आज किन्हीं मामलों में कहीं ज्यादा आवश्यकता इस समय बढ़ गयी हैं और हम उसे इसमें खर्च करते हैं।

मान्यवर, यह देखना होगा कि 1950 में इस सरकार पर कितनी जिम्मेदारियां थीं और आज 1985 में लोक कल्याणकारी नीति के अन्तर्गत कितनी जिम्मेदारियां सहायता कर ली गयी हैं, इस पर विचार करना चाहिये। पहले आप देखते होंगे कि विधवाओं को पेंशन दिये जाने की कोई नीति नहीं थी, जबकि आज इसे लागू कर दिया गया हैं। बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जो कि बजट प्रस्तुत होने और पास होने के बाद में शासन के सामने आती हैं। बहुत बार ऐसा होता हैं कि शासन के सामने कोई न कोई मेमोरेन्डम आ जाता हैं जिसकी मानवता वश से धनराशि खर्च करनी पड़ती हैं। इस तरह भूमिहीन मजदूरों के लिये या कृषि मजदूरों के लिये एक योजना लागू की गयी थी कि काम करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाय तो उनके लिए एक या दो हजार रुपये देने के लिये प्राविधान किया गया हैं। इन सब बातों के लिये धन का प्राविधान कहां से होगा ? इसलिए आकस्मिकता निधि को बढ़ाना आवश्यक हैं।

दूसरी बात यह हैं कि आप देखें कि केन्द्र सरकार का भी आकस्मिकता निधि के संबंध में बजट हैं और उसमें पैसे की सीमा 20 करोड़ रुपये हैं। उसका कारण यह हैं कि उनके पास अपने संसाधन हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिये। इसमें आधे घंटे की चर्चा का समय निश्चित हैं अब मैं केवल एक वक्ता को और बुलाऊंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

उनको मालूम हैं कि उनकी सरकार को कितने संसाधन प्राप्त हैं लेकिन राज्य सरकार के पास कितने संसाधन हैं, यह नहीं मालूम हैं क्योंकि हमें केन्द्र से कितनी सहायता मिलेगी इसका पूर्वानुमान बहुत कठिन हैं। अगर हमारे पास आकस्मिकता निधि का पैसा नहीं होगा तो आवश्यकता पड़ने पर पहले माननीय सदन को बुलाना पड़ेगा, पैसा पास कराना पड़ेगा तब कहीं आप इसका लाभ उठाने के लिये सक्षम हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आकस्मिकता निधि को बढ़ाने के लिये जो माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव आया हैं और उसको प्रवर समिति में सपुर्द करने के लिये जो गुप्ता जी की तरफ से प्रस्ताव आया हैं, दोनों को मैंने बड़े गौर से सुना। माननीय गुप्ता जी के प्रस्ताव में श्रीमन् उसका स्वरूप एकदम नहीं हैं। श्रीमन् सरकार का आकस्मिकता में खर्चा किस प्रकार से होता हैं उसका उदाहरण गुप्ता जी ने दिया कि यह सरकार आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग कैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती हैं। जो पूरक अनुदान दिया जाता हैं उसमें उनकी तरफ से आप उठा कर देख लीजिये तो आपको पता चल जायेगा कि यह सरकार आकस्मिकता निधि को कैसे खर्च कर रही हैं, इसका एकदम दुरुपयोग हो रहा हैं। ऐसे खर्चों को जिसे सदन के सामने न लाना पड़े उसके बदले में वे इसमें से खर्च कर लेते हैं और उस खर्चे को मीट करने के लिये यह आकस्मिकता निधि बनायी जा रही हैं। जहां गरीबों की रहनुमाई हो सकती हैं यदि उसको ही मंत्री जी इसे खर्च करें तो इसमें किसी को एतराज नहीं हैं। इस पर किसी को विरोध इस सदन में नहीं होगा लेकिन आकस्मिकता निधि में अपने दल के स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए धन खर्च किया जाता हैं तो आकस्मिकता निधि का महत्व, उसकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती हैं। आप अपने क्षेत्र में जायेंगे। कहीं जहां आपके पुल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, आपके एस0 एन0 डी0 में कुछ प्रस्तावित रहता हैं और आप आदेश कर देते हैं और आकस्मिकता निधि को दे देते हैं। श्रीमन् आकस्मिकता निधि तो उस जगह पर खर्च करिये जहां मान लीजिए आपका काम हो रहा हैं और आपका धन कम पड़ गया तो वहां आकस्मिकता निधि से पूरा कर लिया जाय। नये काम को आकस्मिकता निधि से न किया जाय। गुप्ता जी ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा हैं मैं उसका समर्थन करता हूं।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी तथा उनके सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये। साथ ही साथ उन्होंने जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा हैं, मुझे दुख हैं कि मैं उससे अपने को असहमत पाता हूं। लेकिन एक बात हैं मैं सम्मानीय नेता भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बिल के सिद्धान्त को स्वीकार किया।

श्री किरन पाल सिंह—

जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी यही कहेंगे।

श्री नारायन दत्त—

प्रवर समिति नियमावली का आप अध्ययन करें। प्रवर समिति के लिए जब कभी प्रस्ताव होता हैं, उसका अर्थ यह हैं कि विधेयक का संविधान से सम्बन्ध हैं केवल ब्यौरे में मतभेद हैं जबकि 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ हो जाना चाहिए था 50 करोड़ के बजाय 40 करोड़, 30 करोड़ हो जाना चाहिए। क्योंकि विधेयक में कुछ नहीं हैं केवल इतना हैं कि 150 के स्थान पर 200 करोड़ हो जाय। केवल इतना तय करने के लिए कि 150 का 200 या सवा दो सौ या फिर 100 या 50 हो। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि जो वित्तीय प्रश्न विधेयक होता हैं सामान्यतः वह प्रवर समिति में नहीं जाता हैं। जैसे विनियोग विधेयक हैं इसके लिए आमतौर पर प्रस्ताव नहीं होता हैं कि प्रवर समिति में जाय। इस प्रकार इस विधेयक को भी, चूंकि यह एक तरीके से सुनिश्चित नीति के ऊपर ही आधारित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । यह प्रवर समिति को नहीं जाता है तो इसका विरोध होना चाहिये या इसको अस्वीकार किया जाना चाहिये । इसीलिये ऐसा कह कर इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है । ऊपर से वह इसका विरोध करते हैं लेकिन हृदय से शायद वह चाहते हैं और जानते हैं कि वह अनुचित नहीं है ।

(शोर)

श्रीमन्, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि जैसे माननीय सदस्य बस्ती ने कहा कि हम दलीय काम करने के लिए या चुनाव के लिए करते हैं । श्रीमन् न तो दल का कोई प्रश्न है, न चुनाव होने जा रहे हैं । काम हो, काम करने का प्रश्न है, औचित्य का प्रश्न है । यहां पर बाढ़ या सूखे तमाम प्रकार के प्रश्न हो गये । श्रीमन् हमने केवल 5 माह के लिए लेखानुदान लिया । लेखानुदान का मतलब यह है कि लेखानुदान में हम नये मदों पर नहीं खर्च कर सकते हैं । जो चलता हुआ व्यय है बाकी 12 महीने से 5 महीने को घटा लेते हैं और 7 महीने शेष रहते हैं । श्रीमन् मैं इस तथ्य को प्रकाश में ला रहा हूं, मुझे गलत न समझें, चूंकि बात कही गयी है इसलिये मैं कह रहा हूं । 5 महीने के लिये वोट आन एकाउन्ट लाया गया नये मद पर हम खर्च नहीं कर सकते हैं । जब मैंने लेखानुदान लिया उस समय सातवीं योजना मंजूर नहीं थी । 7वीं योजना के प्रारम्भिक कार्यों को करने के लिये और नयी मदों पर खर्च करना था, सूखे के लिये खर्च करना था और वह समय पर खर्च हो सके । वोट आन एकाउन्ट, लेखानुदान से उसका उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिये आकस्मिकता निधि का उपयोग करना पड़ा । 24 अगस्त तक अगर इस सदन की कृपा रही तो विनियोग विधेयक पास हो जायेगा । बाढ़ आदि के जो खर्चे हैं वह केवल आकस्मिकता निधि से ही खर्च किये जा सकते हैं । इसलिये यह विधेयक लाया गया है । मैं सम्मानित सदस्य बस्ती से जानकारी प्राप्त करूंगा कि सदन की जो बड़ी समर्थ समिति है, लोक लेखा समिति, जिसके सम्मुख सारी मदें आती हैं और उसको इस बात की जांच करने का अधिकार है । मैंने अभी महालेखाकार की रिपोर्ट सदन में रखी है, जिसमें आडिट की रिपोर्ट मौजूद है और लोक लेखा समिति उसकी जांच करेगी, जो लेखा जोखा है, उसमें जो गलती है, उसका जवाब हमें पी0 ए0 सी0 में देना होगा । शासन की क्या गलती है, इसको देखने का अधिकार उनको है । हमारी गलती देखने का अवसर उनको नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है । इसी तरह से मान्यवर, प्राक्कलन समिति है, जो विभागों को भी देखती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख सकती है कि कहां पर गलत ढंग से रुपया खर्च किया गया है, तो मान्यवर, हमें अवसर बहुत मिलेगा । 4 करोड़ का प्रश्न है । 1952 में 77 करोड़ 47 लाख रुपये का हमारा बजट था तो उस समय भी राज्य आकस्मिकता निधि 4 करोड़ की थी और अब 5,383 करोड़ का बजट है, उसकी तुलना में इतने रुपये का प्राविधान किया गया है । नये खर्चे आते हैं, उनको पूरा करने के लिए कोई अधिकार दें, जो हम आकस्मिक व्ययों को कर सकें, ऐसे अपरिहार्य कार्यों के लिए, ऐसी योजना में जहां पर काम करना है जो प्रदेश के हित में है । मैं अनुगृहीत हूंगा कि प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लें तो ज्यादा शोभनीय होगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोक लेखा समिति की चर्चा की है, 2 वर्ष पहले लगातार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आज के संसदीय कार्य मंत्री थे, तो मैं चाहूंगा कि जो लोक लेखा समिति में अनियमितायें सामने आती हैं, उनके ऊपर शासन ने कितनी कार्यवाही की ।

श्री नारायन दत्त—

वह तो लोक लेखा समिति को जवाब दूंगा ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि दो प्रश्न हमारे सामने हैं । जिस समय हम लोगों को उधर बैठने का अवसर मिला था, जनता पार्टी की सरकार का भागीदार था, उस समय मैं इस माननीय सदन का सदस्य था, उस समय प्रदेश में हमने एक नया पैसा भी इस निधि में नहीं बढ़ाया है ।

श्री नारायन दत्त—

प्रयोग किया या नहीं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरे पास आंकड़े हैं । सन् 1976 में आपने दो बार बढ़ाया है और सन् 1977 से 1980 तक जब हमारी सरकार थी, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया जब कि वह वर्ष अप्रत्याशित सूखे का वर्ष था और उन्हीं वर्षों में उत्तर प्रदेश की विकास की दर सबसे अधिक रही है । हमने नहीं बढ़ाया था ।

श्री राम आंतार दीक्षित—

अब कुछ ही नहीं, तो बढ़ाना क्या था ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, एक मौका और आया था । उस समय मैं इस आदरणीय सदन का सदस्य नहीं था । चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हमारे दल की सरकार यहां पर थी । उस समय भी एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया था । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कुछ नये-नये मुद्दे उठाये । आकस्मिकता निधि वाली बात मैंने उठायी थी जल निगम के सम्बन्ध में । आपने आज तक उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की । इसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण प्रदेश में जो हैंड पंप लग रहे थे, वे बन्द हो गये । एक मुद्दा और उठाया । आपने कहा कि 5 महीने का लेखानुदान ले लिया । मुझे खुशी होती और मैं समर्थन करता यदि आपने लेखानुदान द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लान की नई योजनाओं को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की होती । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । इससे पूरे 6 माह तक हमारे प्रदेश का सारा पैसा रुका रहा और कोई काम नहीं हो सका । मैंने इस सम्बन्ध में दूसरे नियम के तहत यहां पर प्रश्न भी उठाया था । सीतापुर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लान में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी । अगर यह किया गया होता तो उत्तर प्रदेश के विकास में गतिरोध न पैदा होता । मान्यवर, सैद्धान्तिक रूप से मैं इसके विरोध में नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो व्यवस्था हो वह सही हो । जहां तक बाढ़ और सूखे का सवाल है वह तो शासन की नीतियों का परिणाम है । वह तो बजट में एक्सपेंडिचर होगा । अब वह आकस्मिकता निधि की बात नहीं रह गई है । इसलिये मान्यवर, मैं अपनी बात पर पुनः बल देता हूं कि इस विधेयक को सदन की एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रवर समिति में भेज दिया जहां इस पर पूरी तरह से छानबीन हो सके ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

श्री अधिष्ठाता—

गुप्ता जी, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

जी नहीं, वोटिंग करा दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

"(10) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से पचास करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता

निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) तथा अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग

(3 बजकर 5 मिनट)

(श्रीमती बेनी बाई)—

पशुधन एवं दुग्धशाला विकास मंत्री

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,47,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,39,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,94,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । मान्यवर, यह सरकार हरित क्रांति के साथ-साथ श्वेत क्रांति लाने के लिये भी कृत संकल्प है । श्वेत क्रांति के लिए आवश्यक है कि किसानों को नयी नस्ल के पशु पालने के लिये सम्पूर्ण संशोधन दिये जायं । मान्यवर, इसके लिए दूध की कमी को दूर करने के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम को बढ़ाया मिल रहा है । इस वर्ष इस कार्य के लिए प्रदेश में एक और अति-हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र गोरखपुर में खोला जा रहा है । इसके साथ-साथ चार वीर्य उत्पादन केन्द्र कार्यरत हैं । प्रदेश में 6 सीमेन बैंक उपलब्ध हैं इसके अलावा 3 और सीमेन बैंक खोलने जा रहे हैं ।

मान्यवर, प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा भी प्रदान की जाती है जिसके इस समय प्रदेश में 318 केन्द्र हैं । इस

वर्ष 30 और केन्द्र खोलने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ भारतीय एग्रो0 इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन पूना के सहयोग से इस समय 6 जनपदों में 42 केन्द्र गायों में संकर प्रजनन के लिए कार्यरत हैं। इसके साथ-साथ हम इसमें 4 और जिले शामिल करने जा रहे हैं वे हैं देवरिया, बस्ती गोंडा और जालौन। इसके पहले 6 जिले बांदा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद और गोरखपुर में यह केन्द्र हैं।

प्रदेश में पशुओं को उच्च चिकित्सा देने के लिए और इनके रोगों की रोकथाम के लिए 1363 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं और 2572 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। लेकिन 1985-86 में 122 पशु चिकित्सालय और 92 पशु सेवा केन्द्र और खोलने जा रहे हैं। अभी तक मान्यवर, 1400 से लेकर 3600 रुपये प्रत्येक पशु चिकित्सालय को दवा के लिए देते थे लेकिन 1985-86 में यह धनराशि बढ़ाकर 5 हजार रुपये से 8700 रुपये करने के लिए विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, पशुओं के आपरेशन और एक्सरे आदि करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और 1985-86 में एक एक्सरे प्लांट बादशाहबाग में लगाने जा रहे हैं। मान्यवर, संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए वैक्सीन का अधिक उत्पादन करने जा रहे हैं।

मान्यवर, अच्छी ऊन के लिये अच्छे किस्म के भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र इस प्रदेश में 270 कार्यरत हैं लेकिन इस वर्ष 38 और भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र खोलने जा रहे हैं। मान्यवर, 300 विदेशी भेड़ें अमेरिका से मंगाई गयीं थी जो भेड़ पालकों के लिये संकर प्रजनन के लिये उपयोगी हैं। मान्यवर, ऊन के वर्गीकरण और क्रय विक्रय के लिये 3 केन्द्र मिर्जापुर, झांसी और मुनि-की-रेती में स्थापित किये गये हैं। यहां भेड़ पालकों की सहकारी समितियां बनायी गयी हैं। मान्यवर, उत्तम किस्म की अंगोरा ऊन प्राप्त करने के लिये अल्मोड़ा में खरगोश फार्म कार्यरत हैं और इस वर्ष इसके विस्तार हेतु गढ़वाल और कुमायूं मंडल में तीन फार्म और खोलने जा रहे हैं।

मान्यवर, बकरियों की नस्ल सुधारने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बताना चाहूंगी कि अभी तक 855 पशु चिकित्सालयों में यह सुविधा थी लेकिन अब इस वर्ष 59 और चिकित्सालयों पर प्रजनन सुविधा हेतु अच्छी नस्ल के बकरे उपलब्ध कराये जायेंगे।

मान्यवर, प्रदेश में मुर्गी फार्मों का विस्तार किया जा रहा है इस समय 43 मुर्गी फार्म कार्यरत हैं और इस वर्ष इनकी ही संख्या में से 14 का और विस्तार किया जायेगा। इस तरह से हमारे यहां 43 फार्मों पर 35 हजार नई नस्ल की मुर्गियां पाली गयीं और एक साल में 12 लाख चूजे मुर्गी पालकों को दिये गये।

मान्यवर, पशुओं के लिये अच्छा चारा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पशुधन फार्मों पर और अधिक चारा उगाने का प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, भारत सरकार की सहायता से चलाये जा रहे विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम से इस वर्ष 15 जिलों में 74 सौ लघु सीमांत कृषकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंत-

गत सवा लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाना है जिसके लिये साढ़े सत्तासी लाख रुपये की धनराशि प्राविधानित है। इस तरह से यह कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनसे हमारे प्रदेश के कृषकों को फायदा मिले और नई नस्ल के पशु पाले जा सकें।

मान्यवर, यह दुग्ध विकास विभाग सन् 1976 से कार्य कर रहा है। इसके पहले यह कार्य सरकार द्वारा चलाया जाता था इस समय हमारे पास सहकारी क्षेत्र में 13 तथा सरकारी क्षेत्र में 1 डेरी है। सरकारी क्षेत्र में जो एक डेरी है वह आगरा में है। इसके साथ-साथ 12 अवशीतक केन्द्र भी हैं। कुल मिलाकर हमारी डेरियों तथा अवशीतक केन्द्रों की कुल क्षमता 5 लाख 24 हजार लीटर प्रतिदिन है। इसके बाद हमने यह देखा कि इसमें सहकारिता के आधार पर किसान को ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता है, तो हमने नवम्बर, 82 से एक नई योजना चालू की है, जिसका नाम है आपरेशन फ्लड।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, चूंकि आज दो बजट हैं और विलम्ब काफी हो चुका है, 5 बजे तक दोनों बजट आज पारित करने हैं, इसलिए पांच मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्रीमती बेनी बाई—

इस आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत प्रथम चरण में पहले हमने 7 जिले लिए, दूसरे चरण में 12 जिले लिए और तीसरे चरण में 9 जिले लिए हैं। इस तरह से कुल 28 जिलों में आपरेशन फ्लड-दो चालू कर दिया गया है। मान्यवर, आप कहें तो मैं इन जिलों का नाम भी पढ़ दूं जो हमारे पास हैं। प्रथम चरण में मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी व फतेहपुर में, दूसरे चरण में इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, मुजफ्फरनगर, आगरा, कानपुर, सहारनपुर, इटावा, रायबरेली, मथुरा, सुल्तानपुर व मिर्जापुर तथा तीसरे चरण में इसे फर्रुखाबाद, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, सीतापुर एवं उन्नाव जिलों में इस स्कीम को वर्ष 85 के अन्त तक शुरू कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

हम प्रत्येक गांव में किसानों की समितियां बनाते हैं, जहां पर 60 परसेन्ट से अधिक दूध है और उस गांव में समिति बन जाने से किसान को सीधा लाभ पहुंचता है। इस समिति के बाद मिल्क यूनियन बनती है और वह घर से जानकर दूध ले आती है और किसान को उचित मूल्य उसका देती है। बिचौलिया इसमें से समाप्त हो जाता है। बिचौलियों से किसान को बचाने के लिए यह आपरेशन फ्लड-दो को लागू किया गया है। आई0 डी0 सी0 में 111 करोड़ का बजट इसके लिए बना हुआ है, तीन मदों के लिए वह पैसा देते हैं। दुग्धशाला एवं अवशीतक केन्द्रों के लिए, तकनीकी निवेश के लिए और दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए यह पैसा देते हैं। इसके साथ-साथ हमारी सरकार भी इसमें साझीदार रहती है, उसमें भी 15 करोड़ रुपया लगायेगी। यह सरकार हमें 3 कामों के लिए पैसा देती है। एक तो जमीन जो डेरी के लिए होती है, वह सरकार खरीद

कर देती हैं, जो देनदारी होती हैं उस पर सरकार खर्च करती हैं और अभी तक लगभग 5 करोड़ रुपये राज्य सरकार को मिल चुका हैं और पावरलाइन भी यह राज्य सरकार डलवाती हैं। आई0 डी0 सी0 से अब तक उपरोक्त तीन कामों के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपया नकद मिला हैं तथा 1 करोड़ 56 लाख रुपये मूल्य के उपकरण एवं साज-सज्जा का सामान प्राप्त हुआ हैं।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों को सुविधा देने के लिये समितियां बनायी गयी हैं। इनके जरिये उनको सुविधायें फ्री देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, दवायें आदि उनको फ्री दी जाती हैं। मान्यवर, इस तरह से मैं मत्स्य विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं। 48 जिलों के लिये मत्स्य पालक विकास एजेन्सियां कायम की गयी हैं। इसमें समिति का चेयरमैन डी0 एम0 होता हैं जिसकी अध्यक्षता में एक समिति होती हैं। इस समिति में ज्वाइन्ट डायरेक्टर होते हैं, चीफ इक्जीक्यूटिव आफीसर (सहायक निदेशक, मत्स्य) इसके सचिव होते हैं। इसके अलावा और भी मेम्बर होते हैं। यह समिति मछुवा समुदाय को और अन्य लोगों को सुविधा देती हैं। इसके साथ-साथ हम उनको ऋण दिलवाते हैं, मछलियों के लिये बीज, खाद्य के लिये ऋण दिलवाते हैं। उनको 25 परसेन्ट त्रिभागीय अनुदान दिया जाता हैं। एक हेक्टेयर पर उनको 12 हजार रुपये दिये जाते हैं जिसमें से 10 हजार रुपये तालाब का निर्माण करने के लिये और 2 हजार रुपये बीज खाद तथा मछलियों के भोजन के लिये इस तरह से 12 हजार रुपये दिये जाते हैं और 3 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता हैं। तो इस तरह से मछुवा समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाया जाता हैं। इसके अलावा मछुवा समुदाय के लोगों को तालाबों के पट्टे देने में वरीयता दी जाती हैं। वह मत्स्य पालन वैज्ञानिक तरीके से कर सकें इसके लिये उनको ट्रेनिंग दी जाती हैं। अभी हमारे प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर तालाब उपलब्ध हैं। इनमें से 1984-85 में 21 हजार हेक्टेयर तालाबों के पट्टे मत्स्य पालकों को दिये गये हैं और इस वर्ष 1985-86 में 6,600 हेक्टेयर के पट्टे हम उनको देने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीया मन्त्री जी अब समाप्त करें। बाकी चीजों पर उत्तर में बोल दीजियेगा।

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मछुवा समुदाय के लोगों के कल्याण के लिये अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। उनके लिये सामुदायिक केन्द्र खोलने जा रहे हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये और उनको आर्थिक सहायता देने के लिये दुर्घटना बीमा लागू करने जा रहे हैं। अगर किसी मछुवे की मृत्यु मछली के शिकार के समय दुर्घटना में हो जाती हैं तो उसके परिवार को 15 हजार रुपये देंगे और अगर वह अपंग होता हैं तो उसके लिये साढ़े सात हजार रुपये देंगे। दुर्घटना बीमा की किश्तें देने के लिये, 50 प्रतिशत राज्य सरकार देगी और 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार धन देगी। तो इस तरह से मत्स्य पालकों की बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिये मत्स्य निगम की स्थापना की हैं। हमारा मत्स्य

निगम जो बीज की आवश्यकतायें हैं उसको पूरा करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसमें हमारी 5 हैचरीज वर्ल्ड बैंक के टैक्निकल सहयोग से बनायी गयी हैं और 3 हैचरीज और बनाये जाने की योजना हैं। इस तरह से 10 करोड़ रुपये का बीज हम अपने मत्स्य पालकों को दे सकेंगे। इसके साथ ही साथ गंगा नदी के प्रदूषण से मछलियों के ऊपर दुष्प्रभाव को रोकने के लिये एक अध्ययन समिति बनाने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीया मन्त्री जी अब समाप्त करें।

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के सामने इन अनुदानों को उनके तर्क संगत सुझावों के लिये प्रस्तुत करती हूं।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम सरन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अगर हमारी पशुधन मन्त्री जी श्रीमती बेनी बाई बुरा न मानें, तो मैं इनकी सहायता करना चाहता हूं।

माननीया बेनी बाई जी, अगर मैं आपकी सहायता करूं, तो बुरा तो नहीं लगेगा ?

श्रीमती बेनी बाई—

बुरा क्यों लगेगा ?

श्री राम सरन—

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसे देख लूंगा।

(घोर व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये।)

मैंने कह दिया, मैं कार्यवाही देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, अभी माननीया हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट पर माननीया मन्त्री जी बोल रही थीं, तो उन्होंने कहा कि "मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी"। मान्यवर, अगर वह कार्यवाही से नहीं निकाला गया, जो माननीया हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी ने कहा था, तो इसे भी कार्यवाही से नहीं निकालना चाहिए।

(व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

आप उर्दू भाषा के विरोधी हैं। यह उर्दू की कहावत है। अगर पति-पत्नी में मेल है, तो आपको कौन सी आपत्ति है ?

नोट—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देशीय-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—पशु पालन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीया पशुधन विभाग मन्त्री जी ने अभी अपना पुराना, घिसा-पिटा भाषण जो हमेशा सदन में आता है, वह उन्होंने पढ़ दिया और अपनी फर्ज अदायगी पूरी कर दी। मान्यवर, उन्होंने ट्वेन्टी प्वाइन्ट प्रोग्राम के सम्बन्ध में कह दिया कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार कार्य होगा। मान्यवर, इनके जो सूद साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने एडवर्टीजमेण्ट दिया, जिसको मैंने देखा, उसमें कहीं भी बीस सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था, मेरे पास बीस सूत्री कार्यक्रम की पूरी लिस्ट है, उसमें एक भी प्वाइन्ट पर पशुधन विकास का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं डेरी डेवलमेन्ट की बात नहीं कही गयी है, कहीं पर इनके बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में नहीं कहा गया है। अगर ये अनबोलता जानवर, बेजुबान जानवर माननीय राजीव गांधी के पास अपना जुलूस बना कर चले जाते, और उनसे अपनी फरियाद करते कि मैं आपका खेत जोतता हूं, मैं आपको दूध देती हूं, जो आपने बीस सूत्री कार्यक्रम देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है, उसमें मुझे भी शामिल कर लीजिए, तो उन जानवरों की आवाज वहां तक पहुंच गयी होती और उसका जिक्र बीस सूत्री कार्यक्रम में हो जाता। कहीं इसका जिक्र नहीं लेकिन ढिंढोरा दुनिया भर का।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यूसुफ साहब आप इतनी जोर से बोलेंगे तो आपको भी पानी की जरूरत पड़ेगी।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

इन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश है। 82 फीसदी आबादी गांवों में रहती है लेकिन एक भी शब्द इन्होंने पशुधन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए नहीं कहा। शिक्षा के लिए कहा, प्राविधिक शिक्षा के लिए कहा, हरिजन एवं समाज कल्याण के बारे में कहा लेकिन पशुधन विकास और मत्स्य विभाग के बारे में उन्होंने कहीं कोई बात नहीं कही। यह इस विभाग के साथ उसी प्रकार अत्याचार हो रहा है जिस प्रकार गरीब और कुचले लोगों को देखा जाता है उसी तरह से इस विभाग की स्थिति है। मान्यवर, कहा गया कि 4 हजार से 8 हजार कर दिया लेकिन क्या पड़ेगा श्रीमन् जब 2 हजार देते थे तब सी क्लास के लिए डेढ़ हजार और ए क्लास के लिए 2 हजार देते थे तब श्रीमन् 6 रु0 रोज की दवा एक अस्पताल पर आती है। इसी में कन्टीजेन्सी भी है। यह वो बजट है। अन्य जगहों पर 7-8 हजार दिया जाता है। कहीं-कहीं पर 14-15 हजार दिया जाता है। राजस्थान में लगभग 15 हजार दिया जाता है और तमिलनाडु में तो लगभग 25-30 हजार दिया जाता है। आप कहते हैं कि हम श्वेत क्रान्ति लायेंगे, तरक्की करेंगे। मैं जब ब्लाक प्रमुख था तो मैंने अपने यहां चन्दा करके ब्लाक में पंखा लगवाया।

मान्यवर, पहले जब भानुप्रताप सिंह जी थे तो उन्होंने कन्टेनर मंगवाया लिक्विड के लिए और जिसको लेने गोरखपुर जाना पड़ता था। गांव का गरीब आदमी अगर देशी किस्म की 3 गाय रख ले और वह उसको इस योजना के तहत कन्सीव करने की कोशिश करे तो उसको 5-7 हजार रु0 मिल जाय लेकिन इसके लिए कोई पैसा नहीं है। आपने जो पैसा दिया है मेरे पास उसका आंकड़ा है। आपने 33 करोड़ से 35 करोड़ कर दिया लेकिन महंगाई उसी हिसाब से बढ़ी है अगर इसको जोड़ लिया जाय तो यह घाटे का रहेगा। मेरा अनुरोध है, सुझाव है कि इस स्कीम को बढ़ावें। मान्यवर, पशु चिकित्सालयों की हालत बहुत खराब है। पूरे पशु चिकित्सालय में एक ही डाक्टर होता है, वही दवा देगा, वही मुहर लगायेगा, वही सब काम करेगा। मान्यवर, आप इस विभाग का दो हिस्सा करिये। आप अगर दो हिस्सों में इसको कर देंगे तो काफी सुविधा हो जायेगी। अन्य विभागों में कहीं-कहीं पर 10-10 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं। आपने एक ब्लाक में एक पशुधन केन्द्र खोल दिया। मान लीजिये किसी की गाय है और रात को चरवाहा लाया और वह हीट में आ गई और बेस्ट हीट 12 घन्टे की होती है और वह लेकर चला गांव से तो माननीय, आपके सेन्टर 10 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिये।

मैं आगे आपसे कहना चाहता हूं कि आपके विभाग का जो ढांचा है, वह पुराने जमाने से चला आ रहा है। उसमें परिवर्तन करिये और जिला स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर रखिये। खाली बजट को पेश कर देना है, और विभाग को देखना नहीं है, तो चाहे जो कीजिये। मुझे कुछ नहीं कहना है। आपके यहां डाक्टर, डी0 एल0 ओ0 की एक तनख्वाह है, कोई तरक्की का रास्ता नहीं है। इससे काम चलने वाला नहीं है। उनके विभाग में उनकी तरक्की का रास्ता खुलना चाहिए आगे मैं कहना चाहता हूं कि जो चारा खली देते हैं, इसमें भी विस्तार होना चाहिये। एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि प्रमाणित बीज लेना हो तो किसान नेशनल सीड कारपोरेशन से ले लेता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे 4 अच्छी

किस्म की बछिया चाहिये, तो उसका कोई इन्तजाम नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य को 4 अच्छी बछिया की जरूरत हो, तो माननीय मन्त्री जी नहीं दिलवा सकती हैं। क्योंकि उसका कोई प्रजनन क्षेत्र नहीं है। आप कहते हैं कि बाहर से बीज लेकर कन्टेनर में रखेंगे। मेरा सुझाव है, यह योजना अच्छी है, इसमें अधिकारियों को लगाइये और इस योजना में तेजी लाइये। इससे गरीबी घटेगी। लोग खुशहाल होंगे।

मान्यवर, अब मैं दुग्ध डेरी विकास के बारे में कहना चाहता हूं। डेरी डेवलपमेन्ट का आलम यह है कि जनता पार्टी के राज्य में मुलायम सिंह के नेतृत्व में 79 में फ्लड टू योजना चालू हुई। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है वह अनुबन्ध हो गई। 82 तक कुछ नहीं किया। इसीलिये नहीं किया कि इनके मन में यह भावना पैदा हो गई कि लोक दल की सरकार ने जो कुछ काम किया है, सही काम हुआ हो, उसको मिटाने का काम यह कर रहे हैं। 111 करोड़ फ्लड टू में जाना था 3 साल बाद गया। जानबूझकर नुकसान किया गया। डेरी डेवलपमेन्ट अमेठी की जागीरदारी है। जो जिले इसमें चुने गये हैं, वह राजनीतिक कारणों से चुने गये हैं। जहां दूध होता है, जो दूध का क्षेत्र है, उनको नहीं चुना गया। इसमें प्रतापगढ़, सुलतानपुर और जो रियासतों के इर्द-गिर्द के जिले थे उनको चुना गया। जो वास्तव में दूध के इलाके थे उनको शामिल नहीं किया गया। मान्यवर, जनता पार्टी के शासन में एक फैसला किया गया कि मेरठ से एक चिलिंग सेन्टर बस्ती को ट्रान्सफर कर दिया जाय लेकिन वह आज तक नहीं किया गया।

मान्यवर, मैं मछली पालन की तरफ थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मछली पालन के बारे में इनका एक निगम है, जो सिवा इसके कि वह खाने पीने का एक अड्डा बना हुआ है और वहां सिवा लूटपाट के और कुछ नहीं है। फिर आप कहेंगे कि बड़ी तरक्की की है। वहां के सारे रिजर्वायर रातों रात अधिकारियों ने, आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने ले लिया और मछली बेच दी। एक बस निकाल दी नाम दे दिया "मछीनी" रात में मछली आती है और दिन में सप्लाई की जाती है। कहते हैं कि रात में इसलिये होती है क्योंकि आक्सीजन ज्यादा होती है। हमारे दिवाकर विक्रम सिंह जी ने मछली ली। पचास हजार का पैसा दिया। उनका बच्चा लेकर गया। उन्होंने ले जाकर मछलियां गिनी तो केवल 11 हजार निकलीं। इनके पास कोई प्रमाणित बीज नहीं है। ये दाम भी ज्यादा लेते हैं। डिपार्टमेन्ट 30 रुपये में देता था और ये 50 में देते हैं। नदी किनारे की जमीन मछलियों के लिये बहुत कारगर है। मैं कहता हूं कि आप अपने नियमों में परिवर्तन कीजिये।

मैं कहना चाहता हूं कि किसान की जो अगली कड़ी और पिछली कड़ी है, इसको ठीक कीजिये। पिछली कड़ी यह है जो आप बीज, बकरी, बछड़ा आदि देते हैं और अगली कड़ी वह है जिसमें उसकी बिक्री का अच्छा इंतजाम कीजिये। तो इस कड़ी को ठीक होना चाहिये। श्रीमन् आंकड़े कहते हैं प्रदेश में कुल 7 लाख

मीट्रिक टन दूध हुआ जो 150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आता है। यह आपकी हालत है। आप कहते हैं कि तरक्की की है। इसी हिसाब से अंडों का हिसाब है। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति तीन अंडे पड़ते हैं और तीन किलो मछली प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पड़ती है। दाल मिलती नहीं है। प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन उसके लिये मछली भी नहीं मिल सकती। कुछ लोग मछली नहीं खाते, वे दूसरी चीज लेते हैं। आपका टानिक दूसरा है। तो यह जो बुरी हालत है, इसकी वजह क्या है? पशुपालन विभाग को प्रायरिटी नहीं दी। डेरी डेवलपमेन्ट को वरीयता नहीं दी। श्रीमन् एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। इस विभाग के डायरेक्टर रिटायर होने जा रहे हैं। तो भ्रष्ट लोग उनके चक्कर लगाना शुरू कर दिये हैं। जिनके खिलाफ विजिलेन्स से इन्क्वायरी हो रही है। जो निगम के चेयरमैन रहे हैं और घाटा दिखाया है। वह डायरेक्टर बनने के लिये पुनः आपका चक्कर लगा रहे हैं। आपको अच्छे लोगों को डायरेक्टर बनाना है ताकि विभाग तरक्की कर सके।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीया पशुधन मंत्री जी ने जो जनोपयोगी बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं सहृदय से समर्थन करता हूं और माननीय कमाल युसूफ साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय, समय कम है इसलिए मैं अपनी ज्यादा बात मत्स्य विकास के सम्बन्ध में ही कहूंगा।

माननीय, जहां तक मत्स्य विभाग का सवाल है, बीज को उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देना इस दृष्टिकोण से चाहे 1980 की सरकार रही हो या आज की सरकार हो इस विभाग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं सबसे नजदीक के जनपद गोण्डा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह बस्ती से काफी नजदीक है। बीज उत्पादन की दृष्टि से दो करोड़ जीरा उत्पादित किया गया कृत्रिम तरीके से, फिर पोषण करके बीज के रूप में वितरित किया गया। माननीय कमाल साहब कह रहे थे मत्स्य की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मत्स्य की तरफ तो ध्यान दिया गया है। बस्ती से वे गोण्डा की तरफ आये तो इसके लिये प्रक्षेत्र तिवारीपुरवा फैजाबाद रोड पर नजर आयेगा। माननीया मन्त्री जी ने स्वतः इसे देखा है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मत्स्य विभाग द्वारा जनपद गोण्डा में मत्स्य बिहार सागर ताल की स्थापना प्रचार एवं प्रसार योजना के अन्तर्गत की गयी है इसके अन्तर्गत जनता के मनोरंजन के वास्ते 16 एक्यूरियम का एक मछलीघर बनाया गया जिसमें कि विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछली रखी गयी हैं साथ ही जनता के मत्स्य पालन कार्यक्रम की जानकारी वास्ते उपयोगी पैनल्स रखे गये हैं।

माननीय, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि मत्स्य योजना में 10 साल के पट्टे का प्रोविजन भी है उन लोगों के लिये विशेष रूप से जो मत्स्य परिवार से सम्बन्धित हैं। मछुआरे का कार्य

करते हैं, उनके लिये इस बात का विशेष प्राविधान किया गया हैं कि उनके लिये पट्टे किये जायं।

मान्यवर, मत्स्य विभाग का अपना महत्व हैं, जगह-जगह प्रक्षेत्र बनाये गये हैं, जिसमें बीजों का उत्पादन किया जा रहा हैं। मान्यवर, इसके अलावा मछली हमारे यहां सरकार की सिम्बल भी हैं। साथ ही जीविका की दृष्टि से, खाद्य सामग्री की दृष्टि से, मत्स्य विभाग ने इसके उत्पादन की दिशा में जो प्रयास किये हैं, वह सराहनीय हैं। माननीय कमाल साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए एक बात कही थी कि मछली 3 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से ही उपलब्ध हैं, उन्होंने आंकड़े दिये, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कितने ही व्यौक्त इसका उपयोग करते हैं ? सभी लोग इसको आहार के रूप में नहीं लेते हैं।

मान्यवर, इस मत्स्य विभाग द्वारा लखनऊ में एक मोबाइल वैन द्वारा मछली की बिक्री की जा रही हैं और इस तरह से इस विभाग का प्रचार भी हो रहा हैं। साथ ही लोगों को अच्छी मछली इस माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं। मेरा सुझाव होगा कि इस तरह की व्यवस्था प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर कर दी जाय। इससे इस विभाग का प्रचार भी होगा और मत्स्य पालन भी बढ़ेगा और अच्छी सही रूप में मछली लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। मान्यवर, मत्स्य पालन में निजी लोगों को इस विभाग द्वारा बहुत प्रोत्साहन मिल रहा हैं। मान्यवर, गोण्डा जिले के बारे में कहना चाहूंगा कि इस बारे में वहां जो लक्ष्य था, उससे भी वह आगे हैं। बीज उत्पादन सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में लक्ष्य से आगे हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज जनपद गोंण्डा मत्स्य बीज की आवश्यकता के मामले में आत्मनिर्भर हो गया हैं तथा बस्ती, बहराइच, फैजाबाद आदि जिलों में निजी मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य बीज की आपूर्ति की जा रही हैं।

एक शिकायत हो सकती हैं माननीय कमाल युसूफ साहब को, माननीय संजय सिंह जी से जो पूर्व मन्त्री थे और मौजूदा मन्त्री से कि बस्ती जनपद में पशुधन विकास विभाग के माध्यम से अच्छी बुल (साड़) न दे सके। इसकी शिकायत लाबी में माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी भी कर रहे थे।

मान्यवर, माननीय श्री दिवाकर विक्रम सिंह और श्री कमाल युसूफ जी को शिकायत हैं और उस शिकायत को वह लाबी में भी कर रहे थे, इसकी सत्यता कहां तक हैं, इसे मैं नहीं जानता। लेकिन मैं माननीया मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि श्री मोहम्मद कमाल युसूफ साहब ने अपनी जो भावना व्यक्त की हैं, अच्छे किस्म के बुल उनके बस्ती जनपद में भेज दिये जायं ताकि प्रजनन अच्छा हो सके। यदि वह बुल मल्टी परपज हो तो और भी अच्छा हैं।

दूसरा, माननीय श्री राम शरण दास जी ने, कटौती के प्रस्ताव को रखने से पहले, अपनी बहिन के लिए जो उद्गार व्यक्त किए थे, मैं माननीया मन्त्री जी की तरफ से उनका आभारी हूं कि रक्षा बन्धन के त्यौहार पर उनसे इसी भावना की उम्मीद की जाती थी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि गोण्डा जिले में हमारे क्षेत्र में जहां मत्स्य विहार सागर ताल की स्थापना की गई है और लोगों को मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया है, उसका विस्तारीकरण किया जाय और उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाय। मुझे उम्मीद है कि हमारी माननीया मन्त्री जी इसे अवश्य करेंगी।

माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, ने बछियां उपलब्ध कराने के लिए कहा था। यहीं लखनऊ के पास गंजारिया फार्म है। वहां पर एक से एक अच्छी किस्म की बछियां हैं। यदि उनको जरूरत है तो वह खरीद कर ले जा सकते हैं। इसी के साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। श्री कमाल साहब कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर कुछ कमाल का काम करें। जो वे बाहर कहते थे, उसे यहां पर पूरा किया जायेगा।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपने इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो यह पुस्तक प्रकाशित करवाई है, इसे देखने के बाद और माननीय श्री उपाध्याय जी को सुनने के बाद मैं कुछ सुझाव कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, पशुधन कृषि सम्पदा और उद्योग सम्पदा का प्रमुख केन्द्र है। भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है। कृषि जन्य पदार्थों से जो उद्योग लगे हुए हैं, वे पशु के बिना शून्य हैं। पशुओं को स्वास्थ्य रखना और पशुओं को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान्यवर, आज की यांत्रिक प्रक्रिया में कृषि के मामले में पशु निकाल दिये जायं तो हम उस स्तर पर चले जायेंगे जहां हम उनको कृषि यंत्रों को भी मुहैय्या नहीं करवा पायेंगे। परन्तु आज पशुओं की हालत यह है कि यदि पशु बीमार हो जायं, तो अस्पतालों में उनके लिए दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं। शायद मन्त्री जी को इसकी जानकारी नहीं होगी।

मान्यवर, हमारे जनपद आगरा में, और फिरोजाबाद में और समूचे उत्तर प्रदेश में जहां अस्पतालों में डाक्टरों के पास पशुओं के लिए दवाइयां नहीं हैं और जब डाक्टर उन दवाईयों को लिखता है तो बाजार में उन दवाईयों की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसकी तरफ विभाग का ध्यान आज तक नहीं गया है और न ही जिनके ऊपर शासन का किसी प्रकार का कन्ट्रोल है। तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां आपने पशु केन्द्र खोले हैं, डाक्टरों की व्यवस्था की है, वहां पर अच्छी नस्ल के बीज की, उनके रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में रेफ्रीजरेटर आदि साधन उपलब्ध नहीं हैं ताकि बीज को सुरक्षित रखा जा सके और किसानों को मुहैय्या कराया जा सके। उत्तर प्रदेश में कृषि सम्पदा की बहबूदी के लिये पशुधन का स्वस्थ रहना, बीमारियों की रोकथाम, उनके रख-रखाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जिम्मेदारी इस महकमें की है। किसान का पशु बीमार होकर मर जाता है और दिनों दिन उसकी हालत खराब होती जाती है। पशुओं के बीमा कराने का काम इस महकमें पर निर्भर करता है। उपाध्याय जी ने इस सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहा। उनका बीमा होना उतना ही आवश्यक है जितना अन्य में। पशुओं के बीमा पालिसी लागू करके किसानों में पशुओं की बीमारी से या आकस्मिक स्थिति में मरें तो उनकी धनराशि किसानों की हालत को सुधारने के लिए दी जानी चाहिए।

मत्स्य पालन के बारे में बड़े जोर-शोर से चर्चा की गई। पिछले 3 सालों में रिहन्द डैम में जलाशयों की नीलामी हुई। इसे मछुआरों को देना चाहिए यह व्यवस्था है। लेकिन क्या यह जी0 ओ0, यह आर्डर्स केवल फाइलों में रखने के लिए है? एक डाइरेक्टर के रिश्तेदार को ठेका देने का और लाखों रुपया की चोरी करने का काम हुआ, आपके विभाग ने क्या काम किया, इसकी जांच, छान-बीन होनी चाहिए, जहां ठेका समितियों को न देकर के व्यक्तिगत लोगों को देकर कानून का उल्लंघन किया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्या की? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि आप उस पक्ष में बैठे हैं। सहयोग की आकांक्षा करता हूं। जो मछुआ लोग मछली पकड़ने में मर जाते हैं, उनकी बीमा पालिसी है। एक-दो लोगों पर पालिसी लागू कर देने से बात नहीं बनती। हर जिले में जो निगम बनाये गये हैं, बीज के पांड में डालने की व्यवस्था है, वह काफी दोषपूर्ण है। मैं आपसे . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, ...

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जो हालत है उस हालत में एक बात कह कर पशुधन विभाग के लिए यह कहूंगा, थन में है नहीं दूध और न पेट में सानी, यह है हमारे प्रदेश के पशुधन की कहानी। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा कि वह भी इसका समर्थन करें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, साढ़े चार बजे इसे समाप्त करना है। इस पर मतदान साढ़े चार बजे कराना है। इसलिए आप केवल दो-दो मिनट सुझाव के रूप में अपने विचार रखें।

श्री सीताराम निषाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने सुझाव देने के लिए आदेश दिया है, उसी के अनुसार कम समय होने के कारण केवल सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि चिकित्सालयों में जितना धन उपलब्ध होता था दवाइयों के लिए उससे ज्यादा धन की व्यवस्था कर दी गयी है। उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। एक अनुरोध यह भी है कि दवायें पशुओं की बड़ी महंगी हैं, कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे—देश और प्रदेश में ऐसी दवाइयों का निर्माण हो, जो सस्ती हों और सभी किसान आसानी से प्राप्त कर सकें। दुग्धशाला के सम्बन्ध में निवेदन करना

चाहूंगा कि जितनी डेरियां स्थापित की गयी हैं प्रदेश में और उनकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है, जबकि सरकार भी यही चाहती है कि दूध का उत्पादन बढ़ाया जाय । इसके लिए हमारी सरकार ने जो सक्रिय कदम उठाये हैं उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं ।

मत्स्य विकास के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में फिशरीज बोर्ड बनाने की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश में 72 लाख मछुआ समुदाय की जनसंख्या है, जो केवट, मल्लाह, विन्द, धीवर आदि नाम से प्रदेश के सभी जिलों व क्षेत्रों में पाये जाते हैं । इसलिए ऐसी योजनाएं बनायी जायं जिससे निर्बल वर्ग के मछुआ सम्प्रदाय को लाभ पहुंचे । इसके साथ ही फिशरीज बोर्ड के गठन करने पर बल देता हूं । वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश शासन ने फिशरीज बोर्ड को बनाने का निर्णय लिया था । मुझे दुख है कि अभी तक प्रदेश में फिशरीज़ बोर्ड का गठन करके काम चालू नहीं किया गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि उसे चालू किया जाय । हमारी स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के करोड़ों मछुआ समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फण्ड की घोषणा की थी कि मछुओं के उत्थान के लिए यह योजना लागू की जायेगी । हमें प्रसन्नता है कि हमारे नये प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने इन्दिरा जी के जन्म दिवस पर 19 नवम्बर, 1984 को नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फण्ड की योजना को लागू कर दिया है ।

मैं अनुरोध करूंगा कि मछुआ समुदाय के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए इस प्रदेश में भी केन्द्र सरकार की यह योजना लागू किया जाय, जिससे लाखों मछुआ समुदाय के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान निर्माण आदि की योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके लिए सभी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाएं बनायी जा सकें । ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और पोखरों का क्षेत्र 1.62 लाख हेक्टेयर है जिसमें से पट्टे किये गये कुल तालाबों की संख्या 20,790 है, जिसमें से केवल 20,922.73 हेक्टेयर का ही पट्टा हुआ है, जो कि बहुत ही कम है । इसलिए मेरा सुझाव है कि अभियान चलाकर सभी तालाबों के पट्टे करा दिये जायं ।

मत्स्य विकास अधिकरण में हर जिले में एक मछुआ समुदाय के सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था है लेकिन अभी तक जिलों में मछुआ सदस्य का मनोनयन नहीं हुआ है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हर जिले के मत्स्य विकास अधिकरण में मछुआ सदस्य का मनोनयन शीघ्र करा दें ।

बैंकें मछुओं को ऋण देने में उदासीनता बरत रहे हैं, जिससे योजना में सफलता नहीं मिल रही है । इसलिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि बैंकें तत्परता से रुचि लेकर ऋण दें जिससे कि निर्बल वर्ग के मछुआ समुदाय के लोगों को उससे लाभ मिल सके ।

वन विभाग, सिंचाई विभाग और नजूल विभाग के अंतर्गत भी नदी और तालाब, जलाशय व बन्धे पाये जाते हैं । जिस

तरह से राजस्व विभाग ने तालाब और पोखरों के पट्टे मछुवा समुदाय को देने का निर्णय लिया है, कानून में संशोधन भी कर दिया है और शासनादेश जारी किया है, उसी प्रकार ये विभाग भी मछुआ समुदाय को पट्टे देने के लिए शासनादेश जारी करें। इसी तरह जिस प्रकार राजस्व विभाग ने मछुआ समुदाय को सहकारी समितियों को पट्टे देने में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार का शासनादेश ये विभाग भी जारी करें।

इस प्रदेश में 372 मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जो बहुत कम है। मैं अनुरोध करूंगा कि अभियान चलाकर अधिक से अधिक मछुआ सहकारी समितियों का गठन करके पंजीकरण कराया जाय जिससे मछुआ समुदाय के लोग लाभान्वित हो सकें। इसी तरह, मछलियों की चोरी को रोकने के लिए वन विभाग की तरह फिशरीज गार्ड का गठन किया जाय। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री काजी कलीमुर रहमान—

मान्यवर, कमाल यूसुफ साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देते हुए, चूंकि समय कम है इसीलिए दो-चार सुझाव देता हूं। पशुपालन विभाग की जितनी दयनीय दशा है उससे कोई भी साथी इन्कार नहीं कर सकता। आज देहातों में जिस हिसाब से मवेशियों के दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनकी दवा का, उनके रख-रखाव के लिए यह विभाग काम नहीं कर पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश के उन बेजुबान जानवरों की बात को वे समझने की कोशिश करेंगी और अपने विभाग में और अपने विभाग के अधिकारियों के अन्दर वे सुधार लाने की कोशिश करेंगी तो एक जो अन्याय होता है, अपराध होता है इसमें बेजुबान जानवर अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, इसलिए उनके रख-रखाव के लिए और दवा आदि की सुचारु व्यवस्था होनी चाहिए।

आज पशुपालन विभाग में कम्पाउन्डर, स्टाफ मैन, डाक्टर का कोई भविष्य नहीं है। पूरे प्रदेश में यह देखने को मिलता है कि जो आदमी कम्पाउन्डर हो जाता है वह रिटायरमेन्ट तक उसी पद पर बना रहता है, उसका कोई प्रमोशन नहीं होता है। केवल पहाड़ों में ऐसी व्यवस्था है कि वहां कम्पाउन्डर बाद में वीफ कम्पाउन्डर के पद पर प्रोन्नत हो जाता है। क्या प्रदेश के और स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या प्रदेश के दूसरी जगहों पर कम्पाउन्डर की प्रोन्नति नहीं हो सकती है? इसी तरह से जो स्टाफ मैन हैं उसका क्या भविष्य है? आप उसके प्रमोशन की बात को क्यों नहीं सोचते हैं? आपका डाक्टर जिस देहात में पोस्ट कर दिया जाता है, वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है जबकि अन्य जगहों पर आई0 ओ0 ए0 बना दिये जाते हैं। माननीय मंत्री जी आपको इस चीज को देखना होगा।

मान्यवर, आपने तो लाल बत्ती जला दी। मैं एक मिनट में अपनी बात कह कर खत्म करता हूं। मैं जानना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि पशुधन विकास अधकारियों की प्रोन्नति के क्या नियम हैं, उनका वेतन-मान क्या है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं दो-दो मिनट में सबको बुलवा रहा हूं ।

श्री काजी कलीमुर रहमान—

मत्स्य विभाग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि करोड़ों-करोड़ों रुपये पालिसी प्रोजेक्ट के नाम पर प्रदेश में आया हुआ है लेकिन मत्स्य विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो पा रहा है चाहे इसमें पिछले अधिकारी ही इनवाल्व रहे हों । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मत्स्य विभाग के करोड़ों रुपयों का सही इस्तेमाल किया जाय और सही काम किये जायं । एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि प्रदेश में 20 सेन्टर पिछले साल खोले गये जहां ए0 एस0 एफ0 आई0 वेतन ले रहे हैं । पशु पालन विभाग और मत्स्य विभाग के कर्मचारियों का कोई भविष्य नहीं है, उनके बच्चों का पेट पालने के लिए मंत्री जी को उनके प्रमोशन का ख्याल रखना चाहिए और विभाग के विकास पर ध्यान देना चाहिए ।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय यूसुफ साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह बजट महत्वपूर्ण सेवा का बजट है, उसका पूरा लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निर्बल वर्ग के लोगों को जाता है ।

माननीय यूसुफ साहब ने अभी बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में जो कुछ कहा, मुझे ऐसा लगता है कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम की योजना में जो उसकी प्रेरणा है, उसके जो अंग हैं उसकी जानकारी उनको नहीं है और न उसकी जानकारी करने की उन्होंने कोशिश की है । इसका सारे का सारा काम आई0 आर0 डी0 योजना के तहत और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत किया जाता है । यह सारा काम और कार्यवाही गरीबों को स्वावलम्बी बनाने के लिये और उनको आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जाती है । उनकी आर्थिक स्थिति की उन्नति करने का उद्देश्य है और यह चाहे बकरी पालन हो, भेड़पालन हो, गाय पालन हो, भैंस पालन हो, दुग्ध डेरी चलाने की योजना हो, सारा का सारा यह काम 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आता है और उन योजनाओं को पूरा करते हैं । मान्यवर, अभी चर्चा हो रही थी मत्स्य पालन की । मान्यवर, निसंदेह जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और खाद्यान्न का प्रश्न हमारे सबके सामने खड़ा रहता है । मछली पौष्टिक आहार है, इस काम को पूरा करती है । इसके विकास के कार्यों में माननीय मंत्री जी ने दिलचस्पी ली है, बहुत अच्छा काम हो रहा है । मेरे यहां बुन्देलखण्ड में बहुत बड़े-बड़े जलाशय हैं, नदियां हैं, नाले हैं जिनमें मछली पालन का काम अब अच्छी तरह से चलता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारा जनपद हमीरपुर एक ऐतिहासिक जिला हैं जहां पर झीलें हैं और बड़े-बड़े जलाशय हैं, इनमें मछली पालन का काम होता हैं। इन जलाशयों से सिंचाई भी होती हैं और मछली पालन भी होता हैं मगर हमारे यहां यह एक गम्भीर स्थिति हैं कि मछुओं का शोषण उस जनपद में हो रहा हैं, मछुओं को भी उनकी सहकारी समितियां हैं और उनको जो ठेका मिलता हैं उसके साथ-साथ जो सूखी भूमि हैं उस भूमि का ठेका दूसरे किसानों को भूमि पतियों को दिया जाता हैं, जो मछुवों को सताते और परेशान करते हैं। स्वयं वह अपनी भूमि जोत नहीं पाते हैं और मछुओं को अपनी सेवा में लगाते हैं, उनसे ऊंची लगान लेते हैं, उनका शोषण करते हैं और आये दिन परेशान करते हैं। हमारे यहां विसरापुर एक तालाब हैं उसमें मछली का ठेका लिए हुए हैं। लेकिन वह काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर इस प्रकार के मध्य वर्गीय के शोषण करने का प्रयास चल रहा हैं। हमारी सूखी भूमि पर वहां एक जांच समिति बैठायी गयी थी, उस समिति ने निर्णय दिया हैं कि उस तालाब की भूमि का बट्टा उठाने के लिए एक निष्पक्ष समिति बनायी जाय और इस समिति के द्वारा मछुओं को ठेका दिया जाये।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि विसरापुर तालाब, महोबा इन भूमिहीन मछुओं को भी दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया हैं।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट का ही समय हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, मत्स्य पालन, पशु पालन यह विभाग ऐसा हैं जो गरीब किसानों का उनकी खेती के अलावा एक अन्य आमदनी को दे सकता हैं। आज गरीबों के उत्थान के लिए श्रीमन्, यह विभाग बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परन्तु खेद हैं कि एक तरफ जहां माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि वह इसके विकास के लिए बहुत धन उपलब्ध करा रहे हैं उसके साथ-साथ केवल 2 मिनट के अन्दर जो बजट का प्राविधान किया गया हैं, मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, योजना के अंतर्गत विभागीय परिव्यय, जो माननीय मंत्री जी की तरफ से पुस्तक बंटी हैं, उसके पृष्ठ 4 और 5 देखें, पशु चिकित्सा शिविर और पशु स्वास्थ्य जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए नितान्त आवश्यक शिविर हैं। यह 84-85 में 4 करोड़ 60 लाख 52 हजार का था जो घटकर 85-86 में 2 करोड़ 24 लाख 31 हजार कर दिया गया हैं। इसमें भेड़ एवं ऊन विकास पर आपका 84-85 में 1 करोड़ 13 लाख 28 हजार रुपया था जो कि 85-86 में 81 लाख 14 हजार कर दिया गया हैं। इस तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के इनके कार्यक्रम हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं कुछ आंकड़े बनाना चाहता हूं जिससे यह साबित हो जायेगा कि इस विभाग का विकास नहीं हो रहा है । मान्यवर, वीर्य संग्रह केन्द्र 1983-84 में 34 थे और 1984-85 में तथा 1985-86 में भी इनकी संख्या 34 ही रही । इनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है । पूरे प्रदेश को आपने 34 केन्द्रों में सेचुरेट कर दिया है । इसी प्रकार से तरल नत्रजन केन्द्र जो हैं वह वर्ष 1983-84 में दो बढ़ाये गये और इस प्रकार से उनकी कुल संख्या 4 हो गयी, परन्तु 1984-85 तथा 1985-86 में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, उनकी संख्या 4 अब भी है । मान्यवर, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 1982-83 तक 743 थे और 1983-84 में 3 की वृद्धि की गयी । इस प्रकार से इनकी संख्या 346 हो गयी, परन्तु 1984-85 तथा 1985-86 में इनकी संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गयी है । कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र वर्ष 1982-83 में 1,915 थे और आज तक इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, तो आप कैसे कहते हैं इस विभाग का प्रसार किया जा रहा है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से मैं दुग्ध योजनाओं के बारे में भी कहना चाहता हूं । इनकी आपरेशन फ्लड योजना—2 है, जिसके अन्तर्गत 1984-85 में 389.69 लाख रुपये का व्यय किया गया, परन्तु वर्ष 1985-86 में इसको घटाकर 324.50 लाख रुपया कर दिया गया है । तो आप इसमें वृद्धि नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको घटा रहे हैं । इसी प्रकार से डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-डेरी विकास मद पर वर्ष 1984-85 में 296.95 लाख रुपये का प्राविधान था और वर्ष 1985-86 में 273.29 लाख रुपया कर दिया गया है, तो इसको भी घटा दिया गया है । इस तरह से जितनी भी योजनाएं हैं, उन सबका धन आपने कम कर दिया है । पशुपालन विभाग में संसाधन कहां से बढ़ेंगे । जानवरों का कैसे विकास होगा और उनको कैसे सुविधा मिलेगी । तो यह सरकार केवल जबानी बात करती है । क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं होता है । आपका बजट जो है गांव की ओर उन्मुख नहीं है । इसीलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मत्स्य विकास निगम जो बनाया गया था, उसका उद्देश्य यह था कि जीरा पैदा करके लोगों की आवश्यकता पूरी करें वरन्तु बच्चा पैदा न करके निगम बंगाल से बच्चा सस्ते दाम पर मंगा कर महंगे दाम पर बेचता है । इसलिए वह बनाया गया था । मत्स्य विकास निगम जो हैं वह जीरा पैदा करे और जो लोगों की आवश्यकता है, उसको पूरा करे, लेकिन मत्स्य विकास निगम जो है वह जीरा पैदा करने में असमर्थ है । वह अपने कर्तव्य से हटकर व्यापार में लग गया है । मछली के बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है, मत्स्य विभाग से जो बन्धे ले रखे हैं, उनको विभाग को वापस कर दिया जाय और निगम के पास जो अपना काम है, उसे करने दिया जाय और मछली के

बच्चे पैदा कराने का काम है, उसको रहने दिया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बन्धों में आये दिन मछलियों की चोरी होती है। मछलियों की चोरी को रोकने के लिए जिस तरह से जंगल विभाग में गार्ड नियुक्त किये गये हैं, उसी तरह से इन बन्धों पर भी सशस्त्र गार्ड नियुक्त किये जाने चाहिए, ताकि मछलियों की चोरी को रोका जा सके . . .।

(4 बजकर 20 मिनट)

दूसरी बात, मैं एक मछुवा होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मछली विभाग में एक पोस्ट है फिशरमैन की। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को लिया जायेगा जो जाल बुनना जानता हो, पानी में डुबकी लगाना जानता हो, नाव खेना जानता हो। लेकिन आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं किया जा रहा है बल्कि बड़े-बड़े अफसरान, बड़े-बड़े लोग अपने नौकर-चाकर, संगी-साथी जो मछली का कतई काम नहीं जानते हैं वे इस पोस्ट पर रख दिये जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रोध है कि कम से कम आप एक पोस्ट तो उन गरीबों के लिए सुरक्षित रखें और उनको स्थान दें।

मैं एक बात नदियों के ठेके के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं पश्चिमी जिलों में नदियां नीलाम की जाती हैं। नदियों के पट्टे जनून समितियों को न देकर गैर जनून समिति को दे दिये जाते हैं। कानपुर, फतेहपुर और बांदा की यही स्थिति है। कानपुर में जो गैर मछुवारों की समिति है उसे 41 किलोमीटर तक जमुना के पानी में उसको पट्टा दे दिया गया है जबकि 43 किलोमीटर में 7/8 मछुआरों की समितियां काम कर रही हैं उन्हें यह काम नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप सरकार पर दबाव डालें और पंजीपतियों की समितियों को जो पट्टे दिये गये हैं उनको निरस्त करके इन गरीब मछुआरों को वे पट्टे दिये जायं।

एक बात और कहनी है। मैं तालाबों के पट्टों के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। विभाग में तालाबों के पट्टे मछुआरों को दिये जाने का नियम है। लेकिन जितने इस तरह के पट्टे दिये गये हैं वे सब गैर जातियों को दिये गये हैं। मछुआरों को नहीं दिये गये हैं। विभाग 8 दिन की ट्रेनिंग मछली पकड़ने की देता है और फर्जी सर्टीफिकेट देकर उन नदियों और तालाबों के पट्टे दे देता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्यवाही को तुरन्त बन्द किया जाय और सही माने में जिनका रोजी-रोटी का पुश्तैनी पेशा है, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको तालाबों और नदियों का पट्टा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और समय कम है। अभी मंत्री जी को भी बोलना है। (व्यवधान)। यदि माननीय सदस्य एक-एक मिनट का समय लें तो सबको अवसर मिल सकता है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्वी जिलों में पशु-पालन का कोई पशु प्रजनन फार्म नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में एक आराजी लाइन फार्म था वह भी धीरे-धीरे सिकुड़ता जा रहा है। उसकी भूमि दूसरे कार्यों में दे दी गयी। बलिया में 2 बार पशुपालन विभाग की ओर से पशु प्रजनन फार्म खोलने का प्रयास हुआ था, जमीन भी दिखला दी गयी थी किन्तु वह नहीं खुल सका। एक बार तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण संविद सरकार के समय योजना काट दी गयी दूसरी बार जर्सी क्रिजियन प्रयास हुआ था लेकिन बाद में पशु फार्म खोलने का निर्णय हुआ था किन्तु वह रायबरेली चला गया। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बलिया में ईस्टर्न यू0 पी0 में एक पशु प्रजनन फार्म खोला जाय। सारा पूर्वांचल इससे अछूता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग है यह सारा विभाग स्वास्थ्य और खाद्यान्न के अतिरिक्त जनजीवन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए है। माननीय मंत्री जी ने जो श्वेत क्रांति की बात कही है वह हो सकता है कि कुछ बड़े घरों के कुत्ते बिल्लियों को मुनासिब हो। लेकिन आज गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली आम जनता के लिए यह श्वेत क्रांति एक स्वप्न है। इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक सुझाव है कि दुग्ध उत्पादन को उद्योग के रूप में लेकर उसका विकास किया जाय जिससे जन जीवन में गरीब और मेहनतकश लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके और वे अपना जीवन यापन कर सकें।

श्री राम नाथ मंशी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो पशुधन विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें 25,81,59,000 रुपये का प्राविधान है इसका सम्बन्ध जनजीवन से है इसलिये इसमें और धन की वृद्धि होनी चाहिये। मैं विरोध पक्ष के सदस्यों की बात नहीं समझ पा रहा हूं कि वे इसमें कटौती की बात क्यों करते हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विरोधी दल के एक भाई ने एक कविता भाव विभोर होकर कही जिस पर आपत्ति हुई। अगर उनको कविता करने का शौक था तो उसकी अंतिम पंक्ति में यह कहते "आंचल में जीवन दान लिये।" वास्तव में हमारी मातायें चाहे वह गाँ माता हो या देवी स्वरूपा नारी हो वह आंचल में जीवन दान लिये बैठी हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही वह अशोभनीय सी हो गयी। मैं चाहता हूं कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से . . . .।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो गया, आप बैठें।

श्री राम नाथ मंशी—

माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें।

श्री राम नाथ मंत्री—

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

जयहिन्द ।

श्री जवाहर सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पशुधन के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जब कोई विकास की बात होती है तो उसमें विदेशों की ही स्कीमों की नकल की जाती है । हमारे इस पूरे बजट में जो हमारे यहां की भदावर भैंसे हैं उनके विकास के बारे में कोई बात नहीं कही गई है जो संसार की अन्य भैंसों से सबसे अधिक फैट देने वाली भैंस जो हमारे क्षेत्र जिला इटावा में होती है जिसको नैपाल और अफगानिस्तान के लोग खरीद ले गये जो कि अति उत्तम किस्म की भैंस मानी जाती हैं जिस पर सन् 78 में जनता सरकार ने बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन वह कहां गया पता नहीं ।

मैं आपका ध्यान मिल्क बोर्ड की तरफ ले जाना चाहता हूं । गर्मियों में खोया सारे प्रदेश में बनाना बंद कर दिया जाता है । इलाहाबाद के सारे काश्तकारों को जो दूध का काम करते थे इस योजना ने मार डाला । इसमें सिर्फ 60-70 गांवों की लिस्ट दी गयी थी जहां से दूध खरीदा जाना था जो लोग खोया भी बनाते थे । पुलिस वालों ने उनका खोया बनाना जबरदस्ती बंद कर दिया और आपके विभाग ने उनका दूध भी खरीदा नहीं । इलाहाबाद शहर के निकट के गांव जहां से दूध खरीदा जाता था उनका दूध खरीदा नहीं और खोया बनने नहीं दिया जिससे हजारों हिन्दू मुसलमान काश्तकार प्रभावित हुये हैं । मेरे क्षेत्र में जहां की आधी आबादी दूध वालों की है जो खोया बना कर अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए कठिनाई पैदा हो गयी । इसी तरह से शहद के विकास के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है । काश्तकारों को इसको बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बताया गया है कि शुद्ध शहद कैसे बनता है और मधु मक्खी पालन कैसे होता है ।

कृत्रिम गर्भाधान की जो योजना है उसमें फ्रीज में रखा हुआ वीर्य सप्लाई किया जाता है । जैसा हमारे साथी ने कहा कि वह 20 कि0 मी0 दूर हीटेड जानवर को ले जाना मुश्किल हो जाता है । लिहाजा प्रत्येक गांव में अच्छी नस्ल के सांड़ रखे जायं उससे पशुओं को ज्यादा लाभ होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत पशुधन विकास, मत्स्य एवं डेरी विभाग के इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, बजट से सम्बन्धित तीनों विभागों में सरकार ने काफी विकास का काम किया है । मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार दुधारू पशुओं का वध रोके जिससे इस प्रदेश की जनता को दूध, दुधारू पशु और खेती के लिए बछड़े मिल सकें ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है मेरे जनपद बलिया में डेरी फार्म खोलने का जो

प्रस्ताव पहले से हैं उस पर शीघ्रता से अमल किया जाय ।

मान्यवर, तीसरा सुझाव हैं कि रसड़ा में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान लागू हैं और जनता की मांग हैं कि वहां मुर्गी फार्म, सूकरी फार्म खुलवाने की व्यवस्था की जाय ।

मेरा चौथा सुझाव हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रसड़ा या रतनपुरा ब्लाक में वैक्सीन बनाने का कारखाना खोलने की कृपा करें जिससे वहां के आसपास के पिछड़े जनपदों के पशुओं को टीका लगाये जा सकें और उनका इलाज हो सके । इस सम्बन्ध में 10-15 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी ।

मान्यवर, पांचवा सुझाव हैं कि पशु चिकित्सालयों में कुत्ता काटने, सांप काटने और टिटनेस एवं अन्य दवायें शीघ्र उपलब्ध करायी जायं ।

मान्यवर, छठां सुझाव हैं कि रसड़ा तहसील में गहनी, आईलक ग्राम सभा में रतनपुरा ब्लाक तथा सिंचर ब्लाक में फरहदा उर्फ पुरा तथा रसड़ा ब्लाक में जाम बसनही एवं प्रधानपुर या कोटवारी में पशु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी जाय ।

मान्यवर, मेरा अंतिम सुझाव हैं कि मत्स्य विभाग के विकास पर मेरे तहसील रसड़ा में जोर दिया जाय और वहां के मत्स्य विकास अधिकारी और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, उमर अंसारी का कार्य इस विभाग में अच्छा नहीं हैं अतः मेरी मांग हैं कि इन दोनों को वहां से ट्रान्सफर किया जाय ।

धन्यवाद ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या गांव में बैरन काऊ और बैरन बफैलो की हैं । गांव में किसान के पास जो चारा होना चाहिए वह नहीं होता हैं इसलिए गाय या भैंस एक बार बच्चा देने के बाद बैरन हो जाती हैं । इस पर खोज होना चाहिए । पंत नगर यूनिवर्सिटी ने इस पर खोज किया था लेकिन पता नहीं उसमें क्या हुआ । यहां सदन में प्रश्न इस पर हुआ कि क्या इसका प्रचार प्रसार किया जायेगा तो श्री यशपाल सिंह, जो पहले कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि प्रचार प्रसार किया जायेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह योजना गांवों में चली जाय तो बैरन गाय और भैंसे जो हो जाती हैं उनसे दूध लेने की बात होगी ।

मान्यवर, अब मैं आई0 आर0 डी0 स्कीम के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत गरीब लोगों को पशु गाय, भैंस दिये जाते हैं लेकिन आपका डाक्टर उसे वेरीफाई करता हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था करें कि लखनऊ से या अच्छे-अच्छे फार्मों से इस स्कीम के अंतर्गत गरीब लोगों को पशु दिलायें तो अच्छा होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैं पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में कहना चाहूंगा कि 7 करोड़ से अधिक संख्या में जो पशु हैं उनमें 1/4 पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है जिसका कारण है कि बजट में कम पैसे का प्राविधान करना । एक पशु के पीछे एक पैसा से कम खर्च का बजट आता है । मैं चाहूंगा कि इसको बढ़ाया जाय ।

मान्यवर, दवाओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा दवायें फर्जी फर्मों द्वारा खरीदी जाती हैं और कमीशन के चक्कर में स्टैंडर्ड दवायें नहीं खरीदी जाती हैं जबकि आई0 डी0 पी0 एल0 से दवाएं खरीदी जानी चाहिये ।

मान्यवर, जर्सी गाय के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि इन्हें सस्ते दामों पर किसानों को दिलाना चाहिये और जिलेवाइज सेन्टर बनाये जायं जहां इनका रखरखाव हो और वहां से उस जिले के किसान जो लेना चाहें उनको जर्सी गायें उपलब्ध करायी जाय ।

एक बात और कहूंगा कि आपके विभाग में ऐसे-ऐसे अधिकारी हैं, डाक्टर्स हैं जो कई-कई सालों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, उनका स्थानान्तरण करवाया जायेगा (व्यवधान) ।

श्री मूल चन्द—

आपने जो इस बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आभारी हूं । मंत्री जी ने बजट भाषाण में गरीबों का जिक्र किया है, इनकी सारी योजना गरीबों के नाम पर है । इनकी भैंस और गाय जो देहातों में हैं, जैसे यहां पर मजबूत और मोटे-मोटे हैं, उसी प्रकार से उनके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन वह मीरयल हैं और उनके इलाज के लिए इनके पास कोई दवा नहीं है । जो इनके द्वारा भैंस दी गई वह अधिकांश मर गयीं । इनकी गायों और भैंसों से गरीबों को कोई फायदा नहीं है । मछली के सम्बन्ध में जो इनकी योजना है, उनकी भी कोई देख-रेख नहीं है और वह गरीबों के हित में नहीं हैं । इनकी योजना और मछलियां इनके अपने लोगों के हित में हैं उनके फायदे के लिए हैं । (व्यवधान) मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को सुना । जो बातें हमने रखीं, जो कहा, उसका उस पक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया और उन्हें यहां पर रखा, लेकिन एक मजबूरी थी कि वह कटौती पर बोल नहीं सकते थे । रघुराज प्रसाद उपाध्याय ने कहा आप गंजरिया फार्म चले जाइये, वहां चाहे जितनी बछिया खरीद लीजिये, गोंडा जिले में मिलती हो तो हम बस्ती के लोग उन्हें जरूर ले लेंगे, आप बता दें । बस्ती जिले की डी0 आर0 डी0 कमेटी ने तय किया था कि यहां पर लिक्विड नाइट्रोजन प्लान्ट 72-73 करोड़ रुपये की लागत से लगाया जाय और इसका प्रस्ताव सरकार में और विभाग के पास भेजा था । लेकिन सरकार ने उसको रेजेक्ट कर दिया । मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस पर छानबीन करें और उसकी उपयोगिता को देखते हुये इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वीकार कर लें (व्यवधान) आपके सांड़ छूटे हुये हैं, यदि आप अपने मोटे और आवारा सांड़ पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती है । इसके बिना आपका काम बनने वाला नहीं है (व्यवधान) । जो मोटी-मोटी भैंसे हैं, जिनके बड़े-बड़े थन होते हैं, वैसी भदौरी और मुर्रा किस्म की भैंस आप मंगवायें और उसका प्रचार कर किसानों में उसको सप्लाई करें । इसके बाद मैं मंत्री जी की खिदमत में एक शेर पढ़ना चाहता हूं—

'स्याही से उम्मीदों की तस्वीर बनाते हो, गर खूं से बनाओ तो तस्वीर असल होगी ।' यह कहकर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती बेनी बाई—

माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने सुझाव दिये हैं उन पर हमारा विभाग निश्चय ही विचार करेगा ।

माननीय विपक्षी दल के लोगों ने बात उठायी, यह बात कही गयी कि बीमा योजना पशुओं पर लागू की जाय । तो यह पशुओं पर पहले से लागू है । दूसरी बात माननीय, अभी हमारे भाई कमाल जी कह रहे थे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में यह नहीं आता तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में यह नं0 7 पर आता है । माननीय, अभी भदावरी भैंस के बारे में कहा गया तो इटावा में भदावरी भैंस के लिए फार्म खोलने जा रहे हैं उसमें देशी भैंसे पाली जायेंगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मेरा निश्चित आरोप है कि पशुपालन विभाग को प्राथमिकता नहीं दी गयी है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पशुपालन विभाग को नहीं रखा गया है । अनुसूचित जातियों के लिए जो मकान, पट्टे आदि की सुविधा दी जाती है, इसको पशुपालन से जोड़ दिया है ।

श्रीमती बेनीबाई—

माननीय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव को बड़े हल्के-पन से लिया, इसलिये हृदय से वह इस बजट के समर्थक हैं । सही बात तो यह है कि यह विभाग तो ऐसा है कि 10-10 पैसे लिये जाते हैं फीस की तरह से । तो यह एक रुपया काट लेंगे तो 10 पशुओं की फीस चली जायेगी । इसलिये मैं चाहती हूं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । आपने जो सुझाव दिये हैं हमारा विभाग उन पर गौर करेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ से) आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय, मैं वापस नहीं लेता हूं । यह इस लायक नहीं है कि एक पैसा भी इनको दिया जाय । इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । इनके विभाग का दूध नकली है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय, यह तो औचित्य का प्रश्न बनता है । उन्होंने एक पैसे की बात की

है जबकि कटौती के प्रस्ताव में मांग एक रुपये की रखी है । (हंसी)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें । मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,47,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,39,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और रुपया कर दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,94,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग

*गृह एवं कारागार मन्त्री (श्री रघुबीर सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,25,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,45,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,45,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय, उत्तर प्रदेश का कारागार अधिष्ठान देश में अन्य प्रदेशों के कारागार अधिष्ठान में सबसे बड़ा है । प्रदेश में 5 केन्द्रीय कारागार, एक आदर्श कारागार, दो खुले शिविर, 51 जिला कारागार, एक नारी बन्दी निकेतन, एक सदर लाक-अप, एक बाल सुधार विद्यालय, 3 उप कारागार तथा एक किशोर सदन, बरेली को मिला कर कुल 66 कारागार हैं । इन कारागारों की कुल क्षमता 33, 122 है । इसके अतिरिक्त लखनऊ में कारागार कर्मियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक कारागार प्रशिक्षण विद्यालय तथा कारागारों में बंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय तथा प्रचार हेतु, अमीनाबाद, लखनऊ में एक जेल डिपो भी स्थित है ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय, मन्त्री जी लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह यादव—

माननीय, कारागार आपराधिक . . . .

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या मन्त्री जी लिखा हुआ पढ़कर सदन में भाषण दे सकते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, आप संक्षेप में बता दें।

श्री रघुबीर सिंह यादव—

मान्यवर, कारागार आपराधिक न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो समाज तथा देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कारागार अपराधियों अथवा उसमें निरुद्ध किये जाने वाले राजनैतिक बंदियों के लिए यातना केन्द्र, जंजीरों की जकड़न एवं ताड़ना व उत्पीड़न की भावना के प्रतिरूप थे। जिनका अनुभव हमारे देश की आजादी में देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हैं। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उन जेलों में रहे हैं उन्हें यह पता है कि जेलों में कोड़े लगाये जाते थे, उनके ऊपर तोपें दागी जाती थीं। उन्हें तनहाई में बन्द कर दिया जाता था और कई तरीकों से उनको प्रताड़ित किया जाता था। मान्यवर, हमारा देश आजाद हो गया हैं और आजाद होने के बाद हमारा दृष्टिकोण जेलों के प्रति बदल गया हैं। हमने उसमें सुधारवादी नीति अपनाई हैं और उस सुधारवादी नीति के अन्तर्गत हमने यह कोशिश की हैं कि जो अपराधीगण हमारे कारागारों में जाते हैं उन्हें किस प्रकार उनकी प्रवृत्ति को बदला जा सकता हैं और इसीलिए हमने यह कोशिश की हैं कि वहां पर हमने उद्योग जारी किये। हम वहां पर आधुनिक तरीके की खेती करवाने लगे हैं। हमने यह भी व्यवस्था की हैं कि उनके सुधार के लिए हमने वहां पर विद्युतीकरण की व्यवस्था की हैं। दूसरी बात पेय जल व्यवस्था की भी कोशिश की हैं। हमने सप्तम आयोग के माध्यम से वहां के शौचालयों को भी सुधारा हैं। अब वहां पर फ्लश के शौचालय हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति से बैठें। माननीय मन्त्री जी को अपनी बात कहने दीजिये।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मान्यवर, हमने वहां पर बहुत कुछ सुधार किया हैं। हमने खाने में सुधार किया हैं। आप देखें कि सुबह वहां चाय मिलती हैं, नाश्ता मिलता हैं, दोपहर को खाना मिलता हैं। खाने में चावल और रोटी तथा दाल और सब्जी आदि मिलती हैं। दोनों टाइम यह व्यवस्था की गई हैं। इसके अतिरिक्त हफ्ते में एक बार पूड़ी और हलवा भी मिलता हैं। यही नहीं तीज त्यौहारों पर हम जो पकवान उनको देते हैं वह देशी घी का होता हैं।

(तालियां)

मान्यवर, जो लोग उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं उनको उनके नियमानुसार भोजन दिया जाता हैं, खाना दिया जाता हैं, रोजा तोड़ने के लिए, खोलने के लिए उनको उसका सामान दिया जाता हैं। सुबह के लिए उनका प्रबन्ध किया जाता हैं। मान्यवर, हमने जेलों में सुधार के लिए बहुत कोशिश की हैं और उसके लिए हमने वहां पर कैदियों के इलाज की सुविधा के लिए उनको अस्पताल ले जाने के लिए कारागारों से सवारियों की व्यवस्था की हैं। एम्बुलेन्स गाड़ियों की व्यवस्था

की हैं। वहां पर एक्सरे मशीन लगा दी हैं। दोस्तों मैंने . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

जेलों में सुधार के लिये सप्तम वित्त आयोग ने जो तय किया था उसके अनुसार न्यायाधीशों के न्यायालय तहसील हेड क्वार्टर पर चले गये। वहां पर यह आवश्यकता हुई कि उपकारागारों की व्यवस्था की जाय। हम उपकारागारों का निर्माण निम्नलिखित स्थानों पर कर रहे हैं :—

1—उपकारागार, देवबन्द, जिला सहारनपुर।

2—उपकारागार, महोबा, हमीरपुर।

3—उपकारागार, करवी, जिला बांदा।

4—उपकारागार राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर।

5—उपकारागार काशीपुर, जिला नैनीताल।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 50 लाख मैदानी क्षेत्रों के लिये और 30 लाख पहाड़ी क्षेत्रों के लिये आवंटित किया गया हैं। यह पैसा जिन जेलों पर खर्च किया जायेगा उनके नाम इस प्रकार हैं। जिला कारागार बुलन्दशहर के नये भवन का निर्माण, केन्द्रीय कारागार आगरा का विस्तार जिला कारागार बलिया में अस्पताल का निर्माण, उपकारागार हल्द्वानी का विस्तार, जिला कारागार देहरादून का विस्तार, जिला चमोली में जिला कारागार का निर्माण। मान्यवर, हमने यह प्रयास किया हैं कि हमारे पूरे प्रदेश के कारागारों में सुधार हो। ताकि जो लोग छूट कर आये वह ऐसा काम न करें कि उन्हें पुनः जेल जाना पड़े। वह अच्छे नागरिक बन सकें। केन्द्रीय कारागार फतेहपुर में हम बहुत अच्छा टेन्ट बनाते हैं और उसको मिलिट्री और पुलिस विभाग में देते हैं। हमारे यहां दरिया बहुत अच्छी बनती हैं। हमारे यहां जो सामान बनता हैं उसका मुकाबला बाजार में नहीं हैं। हमने उत्पादन में काफी वृद्धि की हैं, काफी पैसा कमाया हैं। जो कैदियों से काम लेते हैं, उनको पारिश्रमिक के रूप में पैसा देते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी या सदन का कोई सम्मानित सदस्य पीठ की तरफ दोस्तों कह कर सम्बोधित कर सकते हैं। मान्यवर, इस पर व्यवस्था दें।

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, जेल के कैदियों के लिये दोस्तों का इस्तेमाल किया हैं, वह भी दोस्त हैं। सदन के लिये नहीं किया हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी आप अध्यक्ष पीठ द्वारा सदन को सम्बोधित करें, अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें, किसी सदस्य को सम्बोधित न करें। माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि व्यवधान न डालें। शान्ति से सुनें। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, कारागार के सम्बन्ध में, सुनें।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मान्यवर, हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा और देश की आजादी के लिये

हमारे देश के नौनिहालों ने, नौजवानों ने जो यातनाएं सहीं, वह जेलों में सहीं और उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया, उसी के कारण आज हमारा मुल्क आजाद है। आज उनके लिये पेंशन या अन्य कोई सुविधा की व्यवस्था की गयी है वह उसका एवज नहीं है। मान्यवर, वह सुविधा तो एक सम्मान का प्रतीक मात्र है। मान्यवर, हमने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये जो सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं, उनमें शासन की ओर से 200 रुपया मासिक पेंशन प्रदेश स्तर पर मिलता है और 300 रुपया मासिक केन्द्र की ओर से मिलता है, उसको हमारे देश के महान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने इन सेनानियों का सम्मान करने के लिये 500 रुपया कर दिया है। यही नहीं हम उनको कुछ अनुदान भी देते हैं। उनकी पुत्रियों या पौत्रों की शादी के लिये तीन हजार रुपया अनुदान देते हैं। यही नहीं, उनकी स्वयं की चिकित्सा के लिये अनुदान देते हैं। शिक्षा अनुदान देते हैं। हम कान के लिये, आंख के लिये, दांतों के लिये भी अनुदान देते हैं।

मान्यवर, हमने यह भी व्यवस्था की है कि हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जब बीमार हों तो अस्पतालों में उनको फ्री दवा दी जाय। अगर अस्पतालों में दवा उपलब्ध नहीं है तो उनको बाहर से खरीद कर दी जाय। मान्यवर, प्रथम श्रेणी अधिकारियों के बराबर हमने उनको सुविधा दी है कि उनको स्पेशल वार्ड में रखा जाय और उनको स्पेशल खुराक फ्री दी जाय। यही नहीं, मान्यवर, उनके निधन के बाद सरकार ने व्यवस्था की है कि कलेक्टर जा करके उन्हें सम्मानित करे। यही नहीं, उनके परिवार को उसी समय अनुदान के रूप में 500 रुपये दिये जाते हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जेबों में हाथ डालकर भाषण न दें।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह तो कभी-कभी दूसरों की जेबों में भी हाथ डाल देते हैं।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को उपलब्ध कराई गयी सुविधाओं के सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण, उन्हें परिचय पत्र देने एवं परिवार के कल्याणार्थ कार्य करने के उद्देश्य से कल्याण परिषद् की स्थापना की गयी है।

यही नहीं, इस पर मान्यवर, करीब 1,93,000 रु0 व्यय हुआ गत वर्ष तथा इस वर्ष सन् 1985-86 में इस पर 1,78,000 रु0 का प्राविधान है।

मान्यवर, वृद्ध तथा असहाय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, जो अपने जीवन के अन्तिम दौर में हैं तथा जिनका कोई नहीं है, के लिये सेवासदन की स्थापना की गयी है, उनके निवास के लिये। सरकार ने 25 लाख रुपये की लागत से इस सेवा सदन के भवन का निर्माण भी करा दिया है। जहां पर उनके रहने की समुचित व्यवस्था है तथा 60 रु0 लेकर उन्हें खाना भी वहां उपलब्ध कराया जाता है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान की भी स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को कायम रखने के लिये इस संस्थान की स्थापना की गयी

हैं । यह एक स्वायत्तशासी संस्था हैं । इस संस्थान के जो मुख्य कार्य हैं वे हैं— सेवासदनों का निर्माण एवं रख-रखाव । शहीदों एवं प्रमुख सेनानियों की स्मृति में स्मारकों/उद्यानों का निर्माण । शहीदों तथा प्रमुख सेनानियों के जन्म दिवस, बलिदान दिवस एवं पुण्य तिथियों पर समारोहों का आयोजन । इस वर्ष 1985-86 में इस निमित्त 1,29,000 रु0 अधिष्ठान व्यय तथा 13,00,000 रु0 शहीद स्मारकों के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिये रखा गया हैं । मान्यवर, इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को अपने जनपद में परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा भी दी गयी हैं ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी से कहें कि कमर पर हाथ न रखें ।

श्री राम आँतार दीक्षित—

कहां पर हाथ रखें, यह इनसे पूछ लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से अनुरोध हैं कि कृपया मन्त्री जी की बातों को वे शान्त होकर सुनें ।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मान्यवर, इसी तरह हमारे यहां नागरिक सुरक्षा विभाग भी हैं । उसमें नागरिक सुरक्षा संगठन के अन्तर्गत दो पहलू हैं एक तो होमगार्ड और दूसरा नागरिक सुरक्षा ।

नागरिक सुरक्षा का जहां तक सम्बन्ध हैं, कोई देश यदि हमारे देश पर हमला करता हैं तो किस तरीके से जनता के सहयोग से लोगों की नागरिकों की रक्षा कर सकें यह संगठन इसके प्रति उत्तरदायी हैं । यह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा हैं इसका संगठन बहुत अच्छा हैं । यह 14 जिलों में कार्य कर रहा हैं । यही नहीं मान्यवर, जो हमारे होमगार्ड्स हैं, उसकी तादाद करीब 1.25 लाख हैं । वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । जिसकी सभी जगह से सराहना की जा रही हैं । मान्यवर, आप अवगत हैं कि जो गत चुनाव हुए थे, उसमें इनकी भूमिका कितनी अच्छी रही थी । हम इनकी कार्य दशाओं आदि में सुधार के लिये प्रयत्नशील हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां के नौजवान इन सेवाओं की ओर भी अग्रसर हों । क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी हैं और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनुशासित ढंग से देश की सेवा करने के लिए, मैं समझता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण महकमा हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इन तीनों विभागों पर अपने-अपने सुझाव देंगे । जो सुझाव दिये जायेंगे उन पर विचार किया जायेगा और अमल किया जायेगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16-गृह

विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24-नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, कि वे शान्ति से बैठें और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसे वह सुनें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने माननीय मन्त्री जी को कंपकपी में सुना । इसकी वजह यह हो सकती है कि जिन कारागारों में कर्मबीर कृष्ण जी . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपने तीनों कटौती के प्रस्तावों को नहीं पढ़ा । तीसरे प्रस्ताव को पढ़ दीजिए ।

(श्री बदन सिंह द्वारा पुनः अनुदान संख्या-24 के ऊपर कटौती के प्रस्ताव को पढ़ने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

पहला व तीसरा तो आपने पढ़ दिया, लेकिन बीच वाला आपने छोड़ दिया है, उसे आप पढ़ दें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने तीनों प्रस्तावों को पढ़ दिया है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं फिर पढ़ देता हूं ।

(अनुदान संख्या-16 के कटौती के प्रस्ताव को पुनः पढ़ा ।)

मान्यवर, कारागार मन्त्री जी जब कारागार के ऊपर बोल रहे थे तो उनको कंपकपी आ रही थी और वे घबड़ा रहे थे । जिन केन्द्रीय कारागार के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने अपने को समर्पित किया तथा जिन कारागारों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू आदि लोग रहे तथा कर्मबीर कृष्ण भी वहां पर रहे । उन जेलों में हो रहे पाप उभड़-उभड़ कर मन्त्री जी को सता रहे हैं और उससे घबड़ाकर माननीय मन्त्री जी कंपकंपा रहे थे । सबसे पहले माननीय मंत्री जी ने इन कारागार के संगठन के ऊपर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्दर 5 केन्द्रीय कारागार हैं और कुल मिलाकर 66 हैं । उन्होंने यह नहीं बताया कि पूरे प्रदेश के अन्तर्गत 3 अतिरिक्त उप-महानिरीक्षक के भी कारागार हैं और वह मेरठ, कानपुर और गोरखपुर में हैं । मेरठ में 24, कानपुर में 23 और गोरखपुर के अन्दर 19 कारागार आते हैं । यह क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और इसको घटाकर मण्डलीय स्तर पर उप महानिरीक्षकों के कारागार बनायें जायं तो उनका नियंत्रण ज्यादा

अच्छा तरह से हो सकता है। जेलों की दशा सुधारने पर जोर दे रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 4 ऐसे सेन्ट्रल जेल हैं जहां अधीक्षक नहीं हैं, 16 जिला कारागार अधीक्षक नहीं हैं, 7 डिप्टी जेलर नहीं हैं और इसके अतिरिक्त सैकड़ों अधिकारी हैं जो उनके जेलों में नहीं हैं, तो किस प्रकार से नियंत्रण को सुधार सकते हैं। जेलों की दशा सुधारने के लिए तत्पर हैं और प्रवृत्ति बदल रहे हैं, दृष्टिकोण बदल रहे हैं, सुधारात्मक बनाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जेलों से जहां कैदी निकल रहे हैं उनकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं हो रहा है और ज्यादा अपराधी होकर निकल रहे हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि उन्हें कोई मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है। इन जेलों में देखने को मिला कि उनका वातावरण अच्छा नहीं है। 1975 में आपातकाल स्थिति लागू की गई थी, मैं जेल गया था और मुझे वहां का अनुभव है, जो वातावरण है, इस तरह का वातावरण बच्चों, महिलाओं तथा राजनीतिक बन्दियों के लिए अनुकूल नहीं है। व्यवस्था कर दें जहां अच्छी तरह से किताबें हों, पुस्तकालय हों, जहां बैठ कर वे देश हित, समाज को सुधारने के लिए चिन्तन करने के लिए उचित वातावरण मिल सके।

इस तरह का वातावरण आज जेलों में नहीं है, इस तरह की शिकायतें आज रोजाना मिल रही हैं।

(इस समय 5 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री प्रगांद कुमार पीठासीन हुए।)

बच्चों के साथ जो अमानुषिक व्यवहार, मैथुन, और महिलाओं के साथ क्या-क्या व्यवहार किया जाता है—वह वहां से गर्भवती होकर निकलती हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जेलों का वातावरण बहुत ही विषाक्त हो गया है। कानपुर की सेन्ट्रल जेल में 26 जनवरी, 1985 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहां पर फायरिंग कैदियों पर की थी, साढ़े तीन सौ कैदियों में से 60 घायल हुए थे। बांदा जेल का उदाहरण देता हूं, कानपुर में गणतंत्र दिवस पर यह हुआ, इसी तरह से 15 अगस्त, 1984 को हुआ बांदा जेल में, जिस तरह से वातावरण वहां पर 15 अगस्त को कायम किया गया वह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए और इस देश के लिए बड़े कलंक की बात है, बड़े दुख की बात है कि 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जाते हैं, वहीं पर वहां एक बहुत ही बेहूदा कार्यक्रम किया गया कि पतुरियायें नचवाई गईं और बन्दियों में शराब पीकर झगड़ा हुआ।

अब आप हंसिये। मैं आपके जेलों की चर्चा कर रहा हूं। मान्यवर, उस बांदा की जेल का निरीक्षण कराया गया तो उसमें 50 बोतल शराब की और 200 बोतल शराब की खाली बोतलें मिलीं। चाकू, छुरी और गोश्त पकाने के भगौने भी मिले। इस प्रकार का अवैध सामान कारागारों में ले जाने का प्राविधान नही है उसे धन के कन्धों पर ले जाकर कैदियों को देते हैं। अभी दो महीने पहले एक हवालाती बन्दी की हत्या करके मार डाला गया।

इसी तरह से बहराइच जेल में 20 अक्तूबर, 1984 को बच्चों पर अत्याचार

हुए और उन अत्याचारों को जब बच्चे सहन न कर सके तो उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठायी। जिसके कारण पुलिस ने फायरिंग किया और बच्चों ने रिपोर्ट लिखायी। जेल अधिकारियों ने स्वयं कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी जिन्होंने बच्चों को उकसा कर जेलों के वातावरण को खराब किया था।

इसके साथ ही साथ जब मन्त्री जी कपकंपा रहे थे तो उन्होंने इस बात का विचार बिलकुल नहीं किया कि हमारे देश में जो बन्दी हैं उनकी दशा को सुधारने के लिये क्या काम किया जाय जो बातें विचाराधीन हैं, जो एक लाख से अधिक विचाराधीन कैदी हैं जिसमें बिहार का पहला नम्बर है, उत्तर प्रदेश का दूसरा नम्बर है, उनके कल्याण के लिये कोई साधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं ताकि उनके मुकदमों पर शीघ्र न्याय मिल सके। बहुत से कैदी जेल में अपने समय की अवधि से अधिक रहे हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

एक श्याम सुन्दर नाम का कैदी जो कि इटावा का एक सुयोग्य इंजीनियर था, 6 वर्ष 4 महीने वहां पर बन्द रहा। डाक्टर ने उसे पागल करार दे दिया। इसी तरह से नैनी जेल में दीपचन्द नामक कैदी जो कि 35 वर्ष पूर्व रिहा हो गया था, उसे वहां से निकाला नहीं गया, दूसरे अधीक्षक ने जब आकर फाईल निकाली तो पता चला कि इसकी तो रिहाई 35 वर्ष पूर्व हो चुकी थी।

मन्त्री जी ने अपने भाषण में अभी कहा कि वे कैदियों की दशा सुधारने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि सन् 1980 में उनकी डाईट पर 3 रु0 20 पैसा पर डाईट के हिसाब से दिया जाता था, वहीं अब पर डाईट पर 6.00 रु0 खर्च होता है। यह डाईट का पैसा महंगाई की तेजी के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। खुराक की किस्म में या संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मन्त्री जी ने यह भी कहा कि हम उन्हें सप्ताह में दो बार पूड़ी और हलुवा देते हैं। मैं कहता हूं कि यह भी आप गलत करते हैं। आपको इसकी जगह पर उन्हें स्वास्थ्यवर्धक डाईट या भोजन देना चाहिये, यह पूड़ी और हलुआ नहीं।

आप कहते हैं कि हम उनको घी के पकवान भी देते हैं। मुझे तो आप स्वयं घी के पकवान खाये हुए नहीं मालूम पड़ते हैं क्योंकि बोलते समय आप कंपकपा रहे थे।

मैं यह कह सकता हूं कि आप जेलों में रहने वाले बन्दियों की कोई दशा नहीं सुधार रहे हैं। आपने कहा कि हम 70 लाख रु0 से जेलों की दशा को सुधारेंगे। आपने जेलों में शौचालयों की व्यवस्था की बात कही। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 66 जेल हैं जिनमें से 36 जेलों में पेय जल की व्यवस्था नहीं हैं और 35 जेलों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। आप बार-बार आश्वस्त करते हैं और सदन में भी आश्वासन देते हैं लेकिन वहां के लिये शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। शौचालय में भी जल की व्यवस्था नहीं है जिससे कि उसकी सफाई हो सके।

आपने यह नहीं कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने

आप हमदर्द हैं ? यह सरकार अनुसूचित जाति की हमदर्द बहुत अपने को कहती है लेकिन आपने यह नहीं बतलाया कि जेलों में कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग वहां नौकरी पर लगे हुए हैं ? आपके जेल के स्टाफ में कितनों का अनुसूचित जाति के आरक्षण में प्रतिनिधित्व है। मैं बतलाता हूं कि वह अब जाकर 13 परसेन्ट पर पहुंचा है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने यहां जेलों में सामान के उत्पादन की बात की और उसके उपयोग की बात की। मैं जानता हूं कि जेलों में जो उत्पादन का कार्य हो रहा है वह तो उचित हो सकता है लेकिन यह जो उत्पादित सामग्री है उसकी आमदनी वहां के अधिकारियों की जेबों में चली जाती है। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जबकि आपने उन्हें स्वावलम्बी बनाने की बात कही है।

आपने स्वावलम्बन की बात कही, वर्ष 82-83 में आपने 85 लाख के कम्बल खरीदे और 83-84 में 20 लाख के कम्बल खरीदे। जब आप स्वावलम्बी हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गयी ? आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आप अपने जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों की दशा सुधार सकते हैं। मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट 83 में आ चुकी है और उसको लागू करवाने के लिये राज्य सरकारों को सिफारिशें कर दी गयी हैं और कह दिया गया है कि जिन संस्तुतियों को अपनाना चाहते हैं अपना लें, लेकिन आपने मुल्ला कमेटी की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। उसमें लिखा हुआ है कि जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों की तरह वेतन मिलना चाहिये लेकिन आप नहीं दे सके। इसमें लिखा है कि पुलिस कर्मियों की तरह प्रशासकीय और अन्य स्टाफ को आवास की सुविधा मिलनी चाहिये, नगर से दूर जो कारागार हैं और कारागार कर्मियों के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिये बसों की व्यवस्था होनी चाहिये, राजपत्रित अधिकारियों को पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के समान वर्दी मैण्टीनेन्स के लिये भत्ता मिलना चाहिये लेकिन नहीं करवा पाये। अगर इनको करवा दें तो कर्मचारियों का जो विद्रोह है और जो हड़तालें और आन्दोलन हो रहे हैं, उनका सामना आपको न करना पड़े। आपने 12-12-80 को सिद्धान्त रूप से सब मांगों को मान लिया था, लेकिन पूरा नहीं किया। आप घोषणा करने में बड़े चतुर हैं। वर्ष 80-81 में पूर्ववर्ती जेल मन्त्री श्री राम सिंह खन्ना ने घोषणा की थी कि जेल मैन्युअल में 6 महीने के अन्दर सुधार कर देंगे और कार्यान्वित कर देंगे लेकिन आपका जेल मैन्युअल वही है जो 1894 में बना था और आपने एक सफा भी बदलकर तैयार नहीं किया। इसी तरह भूतपूर्व जेल मन्त्री श्री नश्तर ने घोषणा की थी कि जेल समिति का निर्माण कर रहे हैं जिसमें विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, आई० जी० (कारागार) होंगे और अपर महानिरीक्षक (कारागार) होंगे, जो कि 6 महीने के अन्दर रिपोर्ट दे देंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट आना तो दूर, उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है।

इसी तरह आप घोषणायें एक तो बजट पर करते हैं और दूसरे जेल सप्ताह पर करते हैं। इससे पहले जब बाजपेयी जी उप जेल मन्त्री थे, उन्होंने घोषणा की

थी वर्तमान मुख्य मन्त्री जी के सामने कि हमने सिद्धान्त रूप में जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों की तरह वेतन देना स्वीकार कर लिया है। 27 जनवरी, 1985 को यह संकल्प उन्होंने दोहराया था लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं की गयी। आप जो घोषणायें करते हैं, वह मात्र घोषणायें ही रह जाती हैं, कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। अगर कार्यान्वित की जायं तो जेल की दशा सुधर सकती है और वह कैदी, जिनको कारागार में भेजने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि वे कारागार से निकलकर समाज के उपयोगी अंग बन जायेंगे और अपने और अपने परिवार के लिये ज्यादा उपयोगी हो सकेंगे और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे, वह पूरा हो सकता है। किन्तु खेद है कि इस उद्देश्य की पूर्ति जेलों में नहीं हो पा रही है। 29 अप्रैल, 1985 को इलाहाबाद में आप स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि जेल कर्मियों की पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन होने की मांग न्यायोचित है और इसे पूरा करके मानेंगे। मैं आपसे आज यह आश्वासन नहीं लेना चाहता हूं। आप जहां एक टोपीधारी जेल मन्त्री हैं, मैं भी एक टोपीधारी इस कटौती के प्रस्ताव को रखने वाला हूं।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

आपकी टोपी को ही क्यों ले रहे हैं और भी बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं यह वादा लेना चाहता हूं, जो मन्त्रियों ने आज तक आश्वासन दिये हैं वह पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यह टोपीधारी अगर बचन दें तो इन्हें पूरा करना चाहिये। मान्यवर, अब अन्य प्रदेशों की बात करता हूं, भारतवर्ष के 22 प्रदेशों की।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय, बदन सिंह जी अगर आप थोड़े और लोगों को मौका दें तो अच्छा होगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, हमारा सारा समय हंसने में चला गया, अब तो वक्त आया है बोल लेने दीजिए। तो मैं कह रहा था कि मन्त्री जी आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष के 22 प्रदेशों में से 12 प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस कर्मियों की भांति जेल कर्मियों को वेतन देना शुरू कर दिया है। इनमें राजस्थान मध्य प्रदेश आदि आते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो कि जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों से अधिक वेतन देता है। मान्यवर, आपने सुधार की बात की लेकिन आजादी मिलने से पहले जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों से अधिक वेतन मिलता था, लेकिन 1947 से 1961 तक बराबर वेतन मिला। लेकिन 1961 के बाद जब इस प्रकार के मन्त्री हो गये जो कि उसकी दशा को सुधारने का कार्य नहीं किया और उनका वेतन कम कर दिया। मान्यवर, इस माननीय सदन में इस उत्तर प्रदेश का गर्व रहा कि गोविन्द बल्लभ पन्त, डा0 सम्पूर्णानन्द, कैलाश नाथ काटजू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसे जेल मन्त्री इसने दिये हैं और यह इन्होंने जेल के सुधार के लिए यह

उदाहरण प्रस्तुत किया हैं, इन्होंने जेलों के जीवन को परिवर्तित किया हैं और सम्पूर्णनन्द जिनके नाम पर दो खुले शिविर हमारे प्रदेश में चलते हैंएक तो सितारगंज में और दूसरा धुरमा में।

मान्यवर, यह उनके जीवन का एक खुला हुआ पृष्ठ हैं जिनकी वजह से सुधारात्मक प्रवृत्ति उनमें पैदा होती हैं। दूसरे प्रदेशों में जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों की तरह से सामूहिक बीमा प्रदान किया जाता हैं। दूसरे प्रदेशों में मान्यवर, जेल के ऊपर एक वाच टावर बनाया जाता हैं जिस पर निगरानी के लिए एक जेल कर्मी बैठाया जाता हैं कि जो कि फोकस लाइट के द्वारा पूरे जेल का निरीक्षण कर सकता हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसा किसी भी जेल में नहीं हैं। आपने पूरी जेलों का विद्युतीकरण नहीं किया हैं, यदि अंधेरा हो जाय और बिजली चली जाय तो आपके कैदी भाग सकते हैं और भागे भी हैं लेकिन आप यह व्यवस्था नहीं करते हैं। आप अपनी सभी 66 जेलों का विद्युतीकरण करवायें। वहां राजनीतिक बन्दियों को अलग रहने के लिए व्यवस्था कीजिए और स्त्री और बच्चों को अलग रहने की व्यवस्था कीजिये ताकि अमानुषिक कार्य न हो सके। अन्य प्रदेशों में एक चीज देखने को मिलती हैं।

आपने एक और शेखी बखानी हैं कि आपने 22 एम्बुलेन्स गाड़ियों की व्यवस्था कर दी हैं लेकिन अन्य प्रदेशों में सभी जेलों के पास निजी जीप होती हैं, उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं जो कि कैदियों को अदालत तक ले जाती हैं और उनका प्रयोग जो भी काम होता हैं उनमें होता हैं। यहां पर आपके जो शस्त्रागार हैं वह बाबा आदम के जमाने के हैं और उसमें मसकटे अंग्रेजों के काल की हैं। दूसरे प्रदेशों में जो शस्त्र और अस्त्र हैं उनका आधुनिकीकरण वहां पर कर दिया गया हैं और सभी चीजें आसानी से मुहैया होती हैं, जेल कर्मियों और बन्दियों के लिये रहने के लिये पक्के आवास हैं लेकिन हमारे प्रदेश की जेलों में खपरैल और टिन के आवास हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि दूसरे प्रदेशों में आप चले जायें और उन प्रदेशों की जेलों का अध्ययन करें और वहां की जेलों में जो सुधार और अच्छी-अच्छी बातें हैं, उनको आप अपने प्रदेश में मुहैया करें। तभी प्रदेश के जेल कर्मियों का कल्याण हो सकता हैं। जेल कर्मियों को भी पुलिस के समान वेतन देना चाहिये। आपने 12-12-1980 को तथा नवम्बर, 1981 में झूठे आश्वासन देकर उनको सन्तुष्ट कर दिया, लेकिन इस बार जो आन्दोलन होगा, उसको आप दबा नहीं सकते हैं और जेलों में विषम स्थिति पैदा हो जायेगी। दर्शक दीर्घा में बैठे हुये लोग यह अन्दाज लगा रहे होंगे कि आज बन्दियों के लिये कौन सी उद्घोषणा करेंगे, लेकिन कोई भी उद्घोषणा देखने में नहीं आयी और इसी वजह से नहीं आयी कि जेलों में जो पाप हुआ हैं, उसी के कारण मन्त्री जी कांप रहे हैं। तो मान्यवर, मैं जेलों के सुधार के बारे में कह रहा था।

मान्यवर मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह प्रजातंत्र की गंगा हैं और जेल मन्त्री झूठे वायदे न करें और प्रदूषण न फैलायें यहां पर जो कुछ आप कहें वही आप करें, यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति वही हो जायेगी जो राम सिंह खन्ना, भूतपूर्व जेल मन्त्री की हुई

हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप गांधीवादी हैं और आपके गांधीवादी होने के नाते जो अम्बर चर्खा के प्रशिक्षक हैं जिनकी संख्या 22 है, जो प्रशिक्षण देते हैं, जेल विभाग उनको वेतन देता है, लेकिन उनको अभी तक समायोजित नहीं किया गया है, इसलिये आप उनको समायोजित कर लें। मान्यवर, 8 हजार जेल कर्मी हैं अगर आप उनको पुलिस कर्मियों की तरह अगर उनको वेतन नहीं दिया जायेगा तो जेलों में सुधार कैसे होगा। जेल से जो बन्दी बाहर आयेगा, वह अच्छा नागरिक नहीं बन पायेगा और समाज को बदलने की कोशिश कैसे करेगा। इसी लिये मैं कटौती के प्रस्ताव को रखकर मैं उस पर बल देता हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कारागार बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, हमारे मन्त्री जी ने अपने विभाग से सम्बन्धित जो सुविधायें राजनैतिक पेंशनरों को प्रदान की जा रही हैं, प्रदेश के लाखों बेरोजगार लोगों को होमगार्ड में रखकर उनको रोजगार दिया है, इस तरह की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की उन्होंने घोषणा की है। मान्यवर, पेंशनरों के लिये अनेक सुविधाओं की घोषणा की है और मान्यवर, राजीव जी ने वर्तमान पेंशन को दुगुना करने की घोषणा की है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके आश्रितों को शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है। जिला स्तर पर निःशुल्क यातायात की सुविधा और डाक्टरी सुविधा भी दी है इसी तरह से हमारे शासन ने जेलों के सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। वर्तमान हालात में और वर्तमान परिस्थितियों में जेलों का सुधार करना हम अपना नैतिक दायित्व समझते हैं और शासन ने कैदियों के लिये जितनी भी सुविधायें दी हैं चाहे वह कपड़े की हो, मैडिकल की हो या भोजन के सम्बन्ध में हो इन सभी में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुये शासन जेलों में उपलब्ध करा रही है। माननीय मन्त्री जी ने जेलों के लिये जो विस्तृत घोषणायें की हैं, वह बहुत अच्छी हैं। जैसे देहरादून की जेल के लिये विस्तार करने की उन्होंने जो घोषणा की है, मैं उनका आभारी हूं।

मान्यवर, शासन की ओर से कैदियों को जो सुविधायें दी जाती हैं मैं उनकी ओर आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जो व्यवस्था कैदियों के लिये कपड़े की, मैडिकल की, भोजन आदि की शासन द्वारा की जाती है उसका पूरा लाभ जेलों में नहीं मिल पाता है। वह जेलरों के माध्यम से खुले बाजार में उपलब्ध होती हैं। इसी तरह से मैडिकल की जो सुविधा राजनैतिक पेन्शनर्स को शासन ने दी हैं, अस्पतालों में उनके परिवारों और उनके बच्चों को नहीं मिल पाती है जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस ओर भी शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, इमरजेन्सी के समय प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स की व्यवस्था की गई है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है इनके वेतन व विनियमितीकरण वृद्धि

की जानी अनिवार्य है। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विभाग प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में अत्यन्त सहयोगी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं उनके बच्चों को पुत्रियों की शादियों में शासन की ओर से 3 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है उसके तहत होता यह है कि आवेदन पत्र देने के बाद और शादी की तिथि व्यतीत हो जाने के बाद एक-एक वर्ष तक वह 3 हजार रुपये का अनुदान नहीं मिल पाता है। मैं इस ओर आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी सुविधायें आपने दी हैं, घोषणायें की हैं उनका समुचित उपयोग और उपभोग नहीं हो पाता है। अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सम्पूर्ण प्रदेश के विकास के लिये, जेलों के लिये, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये, होमगार्ड के सिपाहियों के लिये जो सुविधायें दी हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव इसके ऊपर रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री मित्रसेन—

श्रीमन् माननीय बदन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव में हमारे बदन सिंह जी ने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसमें जो बातें छूट गई हैं उसी के लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने जेल को एक अपराध गृह समझकर बजट रखा है। श्रीमन्, हमें यह समझकर नहीं चलना चाहिये कि वहां पर अपराधी ही रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि चाहे इधर के बैठे हुये माननीय सदस्य हों या उधर के बैठे हुये माननीय सदस्य हों, सभी माननीय सदस्यों को जेलों में जाना पड़ता है, सभी को अनुभव होगा। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे। वे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे। बजट में जो भी प्राविधान हैं वह चाहे उनके बारे में हो या बन्दियों के बारे में हो उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। चूंकि वे सत्ता पक्ष में हैं इसलिये उन्होंने अन्त में कहा कि वे इसका समर्थन करते हैं लेकिन मूल रूप से उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन किया।

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो उपलब्धियां पेश की हैं उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि बन्दियों की जिन्दगी में सुधार के लिए एक कतरा तेल बढ़ा दिया गया है, खाने की डाइट बढ़ा दी गयी है या कपड़ा बढ़ा दिया गया है या कोई और सुविधा दी गयी है। जो राशनिंग की व्यवस्था है उसमें जो डाइट दी जाती है उसको देखें उसमें मन्त्री जी का नास्ता नहीं होता होगा। माननीय मन्त्री जी देख लें कि कैदियों की डाइट कितनी होती है।

जो घोषणायें सदन में बैठकर होती हैं उससे किसी देश का लोकतन्त्र चलने वाला नहीं है। शासन में आने के बाद उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिये कि कुर्सी में बैठने के बाद उनके नजरिये और चश्मे बदल जायं। जेल कर्मी 79, 80 और 81 में तीन बार आन्दोलन कर चुके हैं। मेरा ख्याल है जैसा बदन सिंह

जी ने कहा कई प्रदेशों में पुलिस कर्मियों और जेल कर्मियों का वेतन समान है लेकिन हमारे यहां वह बात लागू नहीं है। समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति इस सरकार ने बनाई लेकिन स्वयं मन्त्री जी उसे अपने विभाग में लागू नहीं करते हैं। उनका वेतन पुलिस कर्मियों के बराबर नहीं है जबकि कई प्रदेशों में समान है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने जस्टिस मुल्ला की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था जिसकी रिपोर्ट 1983 में शासन को मिल गयी। केन्द्र सरकार के मन्त्री श्री सेठी जी ने राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए कहा है लेकिन हमारी सरकार उसे लागू करने में असमर्थ है और उसके निर्देश को नहीं मान रही है। जब मन्त्री जी उस आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या सुधार यह करेंगे।

दूसरी बात इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि सहायक जेलर और डिप्टी जेलर का विलय कर दिया जायेगा लेकिन दूसरी तरफ 40 डिप्टी जेलरों के पद लोक सेवा आयोग से भर रहे हैं और सहायक जेलरों का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं इससे वह आन्दोलन का आह्वान कर रहे हैं। इसके कारण आज जेल कर्मियों में असन्तोष है। जैसा माननीय बदन सिंह जी कह रहे थे कि अगर ध्यान नहीं दिया तो जो सुधार की बात वह कर रहे हैं उससे सुधार तो नहीं होगा बल्कि उसके खिलाफ आन्दोलन जरूर हो जायेगा। जो हमारी बन्दी गृहों से अपेक्षायें थीं समाज सुधार की, जहां पर अपराधियों को नसीहत मिलेगी और वहां जाकर उनको प्रशिक्षण मिलेगा वह नहीं हो पायेगा। जितने हमारे केन्द्रीय कारागार हैं उनमें होना यह चाहिये कि हर विषय का एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाय और बन्दियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाय। लेकिन इसके विपरीत वे चोरी के अड्डे बन रहे हैं चाहे वह कम्बल के सम्बन्ध में नैनी का जेल हो या बनारस का पीतल का काम हो या रामपुर या मुरादाबाद में पीतल का काम सिखाने की बात हो वे पूरी तरह से कारगर नहीं हैं। इन सब चीजों को सिखाने के लिए कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाय ताकि बाहर आकर वह आत्मनिर्भर हो सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जेलों में वैज्ञानिक दृष्टि से कैदियों को उनकी रुचि के हिसाब से काम मिलना चाहिये इसके लिए उनकी रुचि का अध्ययन होना चाहिये। यहां पर जो सुझाव दिये गये हैं जेलों में सुधार के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी उनको लागू करें और जो कमियां बताई गयी हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मन्त्री जी भूतपूर्व मन्त्री श्री श्याम लाल बाजपेई जी ने जो घोषणायें की थीं उन्हीं को लागू कर दें तो बड़ी बात होगी। उन्होंने 60 साल के कैदियों को छोड़ने की बात कही है। जो लूले लंगड़े अंधे 60 साल के लोग जेलों में बन्द हैं उनको छोड़ने की घोषणा कर दें तो काफी बोझ उनका उतर जायेगा। इससे मैं समझता हूं कि वह कुछ कल्याणकारी काम वह कर दिखायेंगे। सुधार बजट घोषणाओं के जरिये से नहीं हो जाता है बल्कि लागू करने से होता है। इन शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव बख्श सिंह राठौर—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जेल एवं

राजनैतिक पेंशन सम्बन्धी अनुदान में

राजनैतिक पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और हमारे मुल्क को आजाद कराया। मान्यवर, संसार के इतिहास में नहीं मिलेगा कि हमारे एक तरफ निहत्थे सिपाही थे और दूसरी तरफ शक्तिशाली सरकार के अस्त्रों से लैस सिपाही थे जिनसे जुटकर लड़ाई लड़ी और इस सम्बन्ध में अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि—

इस शान पर कौन न मर जाए ऐ खुदा,
लड़ते हैं मगर तलवार नहीं हैं।

तो इस शान के साथ हमारे सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में एक और गीत गाया गया जो इस प्रकार है :—

उरूजे कामयाबी पर कभी हिन्दोस्तां होगा,
रिहा सैय्याद के हाथों से अपना आशियां
होगा।

इस भावना के साथ, इस हिम्मत के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और यह भी संसार के इतिहास में नहीं मिलेगा कि कोई भी फौज ऐसे लड़े जिसको वेतन न मिले और दूसरी तरफ की फौज को वेतन मिले वह लड़े, और एक अजीब बात यह भी है कि जिसको वेतन न मिला हो उसे पेंशन मिली हो और पेंशन भी आजादी मिलने के 25 साल बाद मिली हो और वह तब जब श्रीमती इन्दिरा गांधी का ध्यान इस तरफ गया और समझा कि देश में हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जो हैं उन्हें आवश्यकता है आज हमारी सुविधाओं की इसलिये सम्मान के साथ उन्हें पेंशन दी और यह सारे प्रदेशों में हुआ। तो आज जो पेंशन मिली है वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गयी और हमारे उत्तर प्रदेश में 200 रुपये हैं। मान्यवर, हमने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश इसमें अग्रणीय बने और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायं।

मान्यवर, हम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी समिति मैनपुरी जिले के अध्यक्ष हैं तो जब कभी मीटिंग करते हैं तो शोक के साथ मीटिंग होती है और हर बार एक सेनानी हम से बिछुड़ जाता है, इस तरह से इनकी संख्या कम होती जाती है। इसलिये यह भावना हमारी होनी चाहिए कि उनके प्रति कैसे सम्मान प्रकट करें जो चलते फिरते मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं जहां देखना होगा कि उनमें क्या जरूरत है, कहां मरम्मत और प्लास्टर की शक्ल में क्या सुविधायें उन्हें उपलब्ध कर सकें इस पर आज हमें सोचना है। मान्यवर जिन्होंने देश को आजाद कराया है और हमें आजाद हिन्दुस्तां दिया है आज उन बलिदानों की कद्र करें। उन्होंने जो तपस्या की है, उसको घर-घर फैलायें और यदि हम उनको भूल जायेंगे तो अपनी संस्कृति और बलिदान एवं भाई चारे की, देश भक्ति की भावना को भूल जायेंगे। इसलिये आवश्यकता है कि हम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का आदर और सम्मान करें।

मान्यवर, मेरा एक और सुझाव यह है कि यहां जो 200 रुपये पेंशन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को मिलती है उसे महंगाई बढ़ने के अनुसार 400 रुपये कर दिया जाये।

मेरा यह भी सुझाव हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जो जिले में बस के पास की सुविधा मिली हैं उसे प्रदेश स्तर पर कर दी जाय। तो इसीलिये उनके लिये भी यह सारी सुविधा प्रदेश सरकार से मिले। शादी ब्याह के लिए 3 हजार रुपया मिलता हैं, वह 5 हजार कर दिया जाए और उनको देश दर्शन करने की फ्री सुविधा दी जाए जिससे वह देश के विकास कार्यों को देख सकें। देश दर्शन में उनके साथ एक साथी को जाने के लिए भी पास दिया जाए। इसके साथ में मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विष्णु देव—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर कुछ कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मन्त्री जी ने जेल सुधार की यहां बड़ी चर्चा की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी राज्य में कई बार लम्बी सजा भुगत चुका हूं और आपके राज्य में भी बीसों बार जेल जाने का मौका मिला, मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजी राज्य में जो जेलों की हालत थी और आज की हालत में कोई बड़ा फर्क नहीं हैं। अंग्रेजी राज्य में जितनी गन्दगी थी, उससे कई गुना ज्यादा आज बढ़ गई हैं। जितना भ्रष्टाचार था, उससे कई गुना वह बढ़ गया हैं। वही कच्ची रोटियां, वही फटे-पुराने वस्त्र और कम्बल और पहले से अधिक भ्रष्टाचार का बोलबाला हैं। वही पुराने शौचालय और पाखाना उठाने वाली प्रथा कायम हैं। आप 21वीं सदी में ले जाने की बात कहते हैं, लेकिन जेलें देखने से तो लगता हैं कि हम 19वीं सदी में रह रहे हैं। मन्त्री जी ने कहा हमने ऐसी व्यवस्था कर दी हैं कि जेल से जो बन्दी निकलकर जाएगा, नये तरीके का जीवन व्यतीत करेगा। किन्तु, अगर आप आंकड़े रखें, तो जेल से सजा काटकर जो आ रहे हैं, उसका कैसा जीवन हैं तो आपको लगेगा कि वह कुछ भी सुधार नहीं हैं। जेल की वर्तमान व्यवस्था के रहते कोई अच्छा जीवन बाद में बिता ही नहीं सकता हैं। बन्दी लोग वहां पर नरक का जीवन, नरक की दुनियां में रह रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं दो-तीन सुझाव आपको दूंगा। एक तो आप घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश के किसी जेल में पुराने ढंग का शौचालय नहीं रहेगा, सब जगह सेप्टिक शौचालय रहेंगे। जेल में जो सामान तैयार होता हैं और जो मिलता हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार हैं उसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जायेंगे। जो जेल वार्डर हैं, सिपाही हैं उनको पुलिस विभाग के सिपाही के मुकाबले में वेतन दिया जाएगा। आपने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की सुविधा की बड़ी चर्चा की, लेकिन उसका अमल कुछ ऐसे ढंग से होता हैं कि उसका उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता हैं।

मैं मधुवन जनपद आजमगढ़ से यहां आया हूं, जहां सन् 1942 में तिरंगा झण्डा लगाने के लिए बीसों देश भक्त गोली खाकर शहीद हुए थे सैंकड़ों घायल हुए थे, सैंकड़ों के घर जला दिए गये थे, लेकिन वहां पर आज तक शहीद स्मारक नहीं बन पाया हैं। दो वर्ष पहले माननीय कमलापति जी वहां गये थे और उन्होंने शहीद स्मारक का उद्घाटन किया था, लेकिन वह कागज पर ही रह गया, जमीन पर कुछ नहीं हैं। आपने कहा हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पौत्री के विवाह में तीन हजार रुपया देंगे। लेकिन

श्री जामवन्त कानू, ग्राम पांती, पोस्ट मधुवन आजमगढ़ जिसने सन् 42 में गोली खाई थी और जेल गया था, सजा खाई थी, ने अपनी पोती के विवाह के लिए आवेदन-पत्र दिया था, किन्तु आज डेढ़ वर्ष हो गये उसको एक पैसा इसके लिए नहीं मिला है। इसी तरह जयनाथ नाम का राजनैतिक बन्दी था, उसने प्रार्थना-पत्र दिया था कि हमें चश्मा और दांत के लिए पैसा दीजिए, किन्तु उसको भी आज तक एक पैसा नहीं मिला है। आपने घोषणा की है कि जब कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशनर मरता है तो उस समय जिले का कोई अधिकारी उपस्थित रहेगा और उनके आश्रितों को दाह संस्कार के लिए 500 रु0 मिलेगा। लेकिन . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री विष्णु देव—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप 500 रुपये की बात करते हैं, साल भर से अधिक हो गया है राम चन्द्र नाम के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को मरे हुये लेकिन एक पैसा अभी तक नहीं दिया है। जिन उपलब्धियों की आप चर्चा कर रहे हैं, वह व्यवहार में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विष्णु देव—

आप जो घोषणायें करते हैं उनका पालन करने के लिये कुछ काम करें। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो सुझाव मैंने दिये हैं उस पर आप दृष्टि रखिये और सुधार करने की कोशिश कीजिये।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। मैं इस बजट प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमारी जनतंत्रीय प्रणाली में जेल विभाग के कार्यों में, कार्य प्रणाली में बड़ा उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जेल विभाग के कार्य जो पहले थे, आज हम सब लोग महसूस करेंगे कि उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जेल में रहने वाले हों या जेल कर्मी हों उनमें सुधार पैदा करने उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन देने में, उनको आधुनिक खेती में लगाने, आधुनिक उद्योगों में लगाने में जेल विभाग ने जितनी प्रगति की है वह एक उल्लेखनीय बात है। जेलकर्मियों, जेल वासियों के रहन-सहन में बहुत परिवर्तन हुआ है। उनके लिये हर प्रकार की दवाओं का प्रबन्ध, उनके लिये अस्पताल का प्रबन्ध, उनके लिये शौचालय का प्रबन्ध जो पहले था उससे अब कई गुना अधिक सुधार हुआ है। मैं विरोध पक्ष के सदस्यों की एक बात से सहमत हूं कि जो जेल कर्मी हैं उनका वेतन पुलिस कर्मचारियों के बराबर लाना आवश्यक है।

मैं दो शब्द राजनीतिक पेन्शन के बारे में कहना चाहता हूं। राजनीतिक पेंशन में प्रान्तीय सरकार ने वृद्धि की है जो उल्लेखनीय और स्वागत योग्य कदम है। बहुत सारे राजनीतिक पेंशन प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वह देहात में रहते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पेंशन नहीं मिलती है। यह

हमारी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको पेन्शन दे। उनके बारे में जांच करवाकर राजनीतिक पेंशन उनको दी जानी चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं। परन्तु पात्रता का झूठा प्रमाण-पत्र देकर वह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इनकी जांच करके उनकी पेंशन बन्द कर दी जाय। इसके अलावा मैं केन्द्रीय पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं। हजारों की तादाद में मामले पत्र व्यवहार में पड़े रहते हैं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आम तौर से झूठा प्रमाण नहीं प्रस्तुत करेंगे। तो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय पेंशन के लिये जो प्रार्थना-पत्र हैं उनकी शीघ्रातिशीघ् जांच करके उनका निपटारा किया जाय।

मान्यवर, अब मैं कुछ शब्द नागरिक सुरक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे समाज का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो इसमें कर्मचारी, अधिकारी और स्वयं सेवक हैं उनके विषय में उनकी सराहना न की जाय तो यह उनके प्रति अपने कर्तव्य से च्युत होना होगा। नागरिक सुरक्षा विभाग जब से स्थापित हुआ है तब से हर क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण काम किये हैं। चाहे अराजकता का समय हो, सिविल डिफेन्स का काम हो, पुलिस को मदद करने का काम हो, समाज की मदद करने का काम हो हर मौके पर इस विभाग ने महत्वपूर्ण काम किया है। जब भी कहीं पर अराजकता उत्पन्न होती है इसके लोग महत्वपूर्ण काम करते हैं। घायलों की सेवा करना, मेले में भूले हुये लोगों को पकड़कर उनके घर पहुंचाना, अग्निशमन, जनता में सद्भावना उत्पन्न करना आदि अनेक महत्वपूर्ण काम यह लोग करते हैं। आपको याद होगा कि अभी नवम्बर में गड़बड़ी हुयी थी उसमें नागरिक सुरक्षा के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। इतना ही नहीं, जब कभी चैकिंग होती है या अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में चैकिंग होती है, उसमें भी सिविल डिफेन्स के लोग सिविल पुलिस की सहायता करते हैं। शान्ति व्यवस्था के मामले में भी ये लोग सहायता करते हैं। होमगार्ड्स का गौरवपूर्ण कार्य-कलाप रहा है। ये सिविल पुलिस की सहायता करते हैं एवं नागरिक सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति हैं। इसके जो कर्मचारी हैं, पिछले चुनाव में डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों ने ड्यूटी की। स्पृश्यता निवारण एवं प्रौढ़ शिक्षा में भी इनका योगदान है। इनका मानदेय 15 रुपये प्रतिदिन बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है और जिस तरह से वह पेश कर रहे थे, इससे आभास हो रहा था कि यह किसी के द्वारा साजिश के तहत 24 घन्टे पहले थोपा जा रहा था और मैं बिलकुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी को जो विभाग सौंपा गया है, उससे उनको कोई जानकारी नहीं है और न उन्हें कोई अनुभव है। इतनी जिम्मेदारी का पद जो मन्त्री जी को दिया गया है और आज जो

सदन में इतनी जिम्मेदारी की चीज जो कारागार, स्वतन्त्रता सेनानी और होमगार्ड जैसे महत्वपूर्ण विभाग को माननीय मन्त्री जी को दिया गया है, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सच्ची बात कहने से हिचकूंगा नहीं। माननीय मन्त्री जी ने जो अनेक प्रकार के कारागारों के सम्बन्ध में कहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर कारागार का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो दण्ड का उद्देश्य है, वह बदले की भावना से नहीं, वह प्रतिशोधात्मक भावना से नहीं, बल्कि सुधारात्मक भावना से जेलों की स्थापना की गयी। कोई भी कैदी किसी मजबूरी में जुर्म करता है, लेकिन हमारे अन्दर, हमारे समाज में और खासकर जेलों में जो कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है, उससे उनके अन्दर कुंठा पैदा हो जाती है और उस कुंठा के द्वारा, जिससे वह ग्रसित होते हैं, वह अपराध करने को बाध्य हो जाते हैं जेल में उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और समाज में भी उसको सम्मान नहीं मिलता है। उसे नफरत की भावना से देखा जाता है।

मान्यवर, जो मन्त्री जी ने कहा है कि जेल में बहुत बड़ी सुविधायें हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आज जो कैदी हैं, वह बन्धुआ मजदूरों की तरह से हैं। उनको बहुत आतंकित किया जाता है। केन्द्रीय कारागार, नैनी (इलाहाबाद) जो है, वहां पर तानाशाही का रवैया है। वहां पर कैदियों को जो 20-20 साल से हैं, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। वहां पर कैदियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कुछ कह सकें कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। मान्यवर, उन्हें आतंकित किया जाता है, उन्हें इसे सहने की आदत पड़ गयी है, उनमें सच्ची बात कहने की हिम्मत नहीं है। उनकी बात बाहर पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। मान्यवर, हम लोग जाकर उनकी पीड़ा को सुनते हैं, लेकिन निकलते ही भूल जाते हैं। उन पर जो यातनाएं होती हैं, उन्हें हम लोग भी भूल जाते हैं। आप स्वयं जाकर जेल का निरीक्षण कर लें। वहां के अधीक्षक किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार करते हैं। जो बाल कारागार है, हमारा कर्तव्य है कि उसमें जो किशोर अवस्था के कैदी हैं, उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनके अन्दर अपराध करने की प्रवृत्ति जो है, उसे हर कीमत पर निदान के माध्यम से रोकने की भावना पैदा करें। जो बाल कारागार हैं, उनके अन्दर बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के अन्दर जो असुरक्षा की भावना है, उसे दूर करना होगा। उनके अन्दर जो अपराध की प्रवृत्ति है, उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से किसी भी कीमत पर दूर करना होगा। उस पर मान्यवर, ध्यान देने की जरूरत है। इलाहाबाद के अन्दर जो दवा देने की बात कही जाती है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर यह दवा उन्हीं को मिलती है, जो डाक्टर को अच्छी धनराशि देता है और दूध, फल आदि भी केवल उन्हीं को मिलता है, जो उनको अच्छी धनराशि देता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि चन्द्रशेखर आजाद जैसे लोग वहां पर पैदा हुए लेकिन उनकी यादगार में कोई स्मारक नहीं बनवाया गया। मान्यवर, आप भी वहां से वाकिफ हैं। वहां की अवस्था बहुत जर्जर है। आज तक वहां राष्ट्रीय

स्मारक नहीं बन पाया। ऐसे-ऐसे महान देशप्रेमी और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बने हैं। जहां स्मारक बनना चाहिए था वहां श्मशान घाट बन गये। मान्यवर, स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के मरने पर करोड़ों रु0 का घोटाला हुआ। स्वतन्त्रता सेनानी के नाम पर जो प्रोग्राम इलाहाबाद में होना था वह नहीं हुआ यह बहुत ही खेद की बात है कि दवा के नाम पर यहां पैसे खा लिये गए। जो स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलनी थी वह अधिकारी खा गये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप अपनी बात समाप्त करें। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलजीत—

मान्यवर, मेरा नाम बलजीत सिंह है और मैं मथुरा से निर्वाचित हुआ हूं। मान्यवर, मैं जेल बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं जेल के सम्बन्ध में श्रीमान अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से कारागार मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह बात सभी लोगों को भली भांति जानकारी में है कि देश में जो भी जुर्म होते हैं, जो भी जरायम होते हैं और जो अपराधी होते हैं उसके लिए उन्हें जेल भेजने का प्राविधान होता है। यह जेल का ही डर ऐसा है जो लोगों को आतंकित करता है। अभी मैं सुन रहा था माननीय सदस्यों ने जेल में सुविधाओं की बात कही है लेकिन मैं इसके विपरीत कहना चाहता हूं कि जेलों में इतनी सुविधायें न उपलब्ध की जाय। आप आज की जेल और अंग्रेजों के जमाने की जेल की तुलना कीजिये उस समय मुलजिम कोई अपराध करते हुए डरता था कि उसे जेल भेज दिया जायेगा लेकिन आज देखने को यह मिल रहा है कि जेल धर्मशालायें बन गई हैं। कोई आदमी जेल में जाने से डरता नहीं है। वह कहता है कि वहां क्या तकलीफ है। यह वास्तविकता है आज जेल में हर तरह की सुविधायें प्राप्त हैं। मुलजिम को यही आभास नहीं हो पाता है कि वह घर में है या जेल में है बल्कि मैं तो यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो बदमाश लोग हैं, बड़े-बड़े बदमाश हैं उनको वहां पर इतनी सुविधायें मिली हुई हैं कि हर चीज उनको वहीं प्राप्त कराई जाती है और हर चीज जेल में आसानी से पहुंच जाती है और वह अपना जीवन शाही तरीके से गुजार रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि जेलों का स्वरूप इसी किस्म का रहेगा तो जाहिर है कि जुर्म को और जरायम को बढ़ावा मिलेगा। जुर्म को करने में किसी को हिचक नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि वहां पर इस किस्म के प्रतिबन्ध होने चाहियें, इस किस्म की बातें होनी चाहिए जिससे कि लोगों को यह एहसास हो सके कि जेल में हैं। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि वहां पर बन्दियों को सुविधा मिलनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो विकलांग हैं, जो बेकार हो चुके हैं, आंखों से अन्धे हो चुके हैं उनको उनकी सजा में रियायत देकर उनको छोड़ने का प्राविधान करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ

मैं यह सुझाव दूंगा कि जेलों में ऐसी शिक्षा की योजना होनी चाहिये, उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये, ताकि बदमाश लोगों का जीवन बदल सके। उनका विचार बदल सके। उनको यह एहसास हो कि हमने गलती की थी जिसके कारण जेल में आना पड़ा। कुछ जेलों में तकनीकी चीज रखी गई हैं, उसको ज्यादा बढ़ाना चाहिये, ताकि लोग शिक्षा पाकर बाहर आयें और काम कर सकें।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलजीत—

मान्यवर, होमगार्ड्स के बारे में कहना चाहता हूं कि पुलिस के समान इनको सुविधायें मिलनी चाहिये। ताकि होमगार्ड्स में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़े। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ज्यादातर वृद्ध हो चुके हैं और चलने फिरने में उनको कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि जैसे विधायकों को सहवर्ती की सुविधा दी गयी है, उसी प्रकार से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को भी सहवर्ती की सुविधा दी जाय।

*डा0 दिनेश जौहरी—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जेलों का वातावरण घर का ही वातावरण होना चाहिये। क्योंकि आज हम हैं कल आप। हमारा आपका तो तीसरा घर है जेल। वहां सारी सुविधायें होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय कारागारों में चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिये। बरेली जैसी केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार में बहुत संख्या में कैदी रहते हैं। वहां सुविधाओं में आधुनीकरण होना चाहिये, एम्बुलेन्स होनी चाहिये। मान्यवर, एक बात मैं होमगार्ड्स के बारे में कहना चाहता हूं। जो होमगार्ड्स के कर्मचारी ड्यूटी पर मर जाते हैं उनको वही पेन्शन ग्रेच्युटी मिलनी चाहिये, जो पुलिस के कर्मचारियों को मिलती है। विकलांग हो जाते हैं तो भी वही सुविधायें दी जायं जो पुलिस कर्मचारियों को दी जाती हैं। माननीय मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी लेकिन अभी तक यह सुविधायें नहीं दी गई।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये, जिनको हम सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनको जिले के अन्दर बस पास की सुविधा दी गई है। अगर कोई स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी दूसरे जिले में जाना चाहता है तो सरहद पर उतार दिया जाता है, फास्ट बस में जगह नहीं दी जाती है। मेरा सुझाव है कि यह सुविधा पूरे प्रदेश के लिये दी जाय। मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में जगह दी जाती है तो कारपोरेशन में क्यों जगह नहीं दी जाती है। मेरा सुझाव है कि कारपोरेशन में भी जगह दी जाय। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जेल, होमगार्ड्स और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बजट प्रस्तुत किया है, उनके बजट भाषण से ऐसा लगा कि न मन्त्री जी होमगार्ड्स में रहे हैं, न जेल में रहे हैं और न स्वतन्त्रता संग्राम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेनानी रहे हैं। उनको किसी का अनुभव नहीं है। वरना तीनों विभागों की सुविधाओं का ध्यान रखते। धन्यवाद।

श्री हरदेव—

आपने मुझे स्वतन्त्रता संग्राम शहीदों एवं देश के सपूतों के पेंशन के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता—

पूरे प्रदेश के बारे में बोलियेगा, केवल रसड़ा के बारे में नहीं।

श्री हरदेव—

मान्यवर, आजादी के उन शहीदों एवं सपूतों को मेरा सौ-सौ बार कोटि-कोटि प्रणाम है, जिनके त्याग से जिनके बलिदान से हमें यह आजादी मिली और आज हम स्वतन्त्र होकर माननीय सदस्यों के रूप में इस सदन में विचर रहे हैं, अपनी भावना को आजादी से रख रहे हैं, मैं उनको बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं।

(6 बजकर 20 मिनट)

और उन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं अमर शहीदों के आश्रितों की सहायता का किया है, उनकी पेंशन में बढ़ोत्तरी के रूप में, बस सुविधा के रूप मे, उनके बच्चों की शादी में सहायता के रूप में और अस्पतालों में इलाज और दवा के रूप में तथा नौकरियों में एवं पढ़ाई में इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी और उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के हितों की रक्षा के लिये ऐसा अच्छा कदम उठाया है मैं अपने देश के माननीय प्रधान मन्त्री जी को भी हार्दिक बधाई दूंगा तथा इस सदन के माध्यम से शुभ कामनाएं भेजता हूं कि जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के मूल्यों को समझा है और सभी को दो-दो सौ रुपये की पेंशन में बढ़ोत्तरी की है। इन शब्दों के साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, कारागार में अपराधी सुधार की योजना हमारी सरकार के विचाराधीन है। कैदियों और मुजरिमों में सुधार का सुझाव दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हर जिले में इस सुधार में एक नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की जाय तथा जनपद बलिया और तहसील रसड़ा में भी नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की जाय।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य इधर देख कर बोलें।

श्री हरदेव—

मान्यवर, होमगार्ड को पुलिस की संज्ञा दी जाय और पुलिस जैसी वर्दी और ट्रेनिंग दी जाय और जब वह ड्यूटी करते हैं तो उसके लिये उन्हें कम से कम 20 रुपये प्रतिदिन दिया जाय। मैं चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री चन्द्रदीप सिंह, जिन्होंने बिल्थरा रोड बलिया में आजादी के लिए 1942 में गोली खायी थी वहां उनके नाम से एक शहीद स्मारक की व्यवस्था की जाय। हमारे गांव चरौंवां, ब्लाक सीपर, रसड़ा तहसील में जिन 14 व्यक्तियों को 1942 में गोली से उड़ा

दिया गया था, वहां स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्मारक बनाने की व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

हमारी सरकार कितनी उदार हैं, कितनी अच्छी हैं कि उसने जेलों में इमरजेन्सी में आप जैसे कैदियों को गेहूं और खद्दर का कपड़ा देने की नीति बनाई हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे इस प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जेल के बजट पर माननीय श्री बदन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में सभी जेलें भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना बन गयी हैं। ऐसी हालत में इस बजट का कोई औचित्य नहीं हैं और इसमें एक भी पैसा देना उचित नहीं होगा। मान्यवर, सबसे बड़ी बात हमारे प्रदेश का जो आई0 जी0 हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पहला आई0 जी0 अधिकारी हैं जो आई0 ए0 एस0 हैं। जब कि आई0 पी0 एस0 अफसर होना चाहिये या जेल कैडर का दूसरा अधिकारी होना चाहिये। इन आई0 जी0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं और सरकार सुधार नहीं कर रही हैं। ये जेल अब सुधारगृह न होकर बिगाड़गृह हो गये हैं। जेलों में बदमाश बादशाहत से रहते हैं और उनको सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि कोई शरीफ आदमी चला जाय तो उसे तरह-तरह की यातनाएं दी जाती हैं और उनसे नाना प्रकार का कार्य लिया जाता हैं और उनसे मुलाकात के लिये 23 रुपये लिये जाते हैं।

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि जेलों में सुधार हो रहा हैं। खाने की बात कही कि देशी घी दिया जाता हैं तो उनको दाल भी नहीं मिलती हैं। हां, बदमाशों को मुर्गा मांस बनाने की छूट होती हैं, शरीफ आदमी को तो जली रोटी और पानी सी दाल मिलती हैं। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सब्जी उगायी हैं। तो आगरा में काशीफल होता हैं जो 14 जुलाई को किसी को दिया भी गया था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हवालात में अवैधानिक तरीके से कराये जा रहे परिश्रम की ओर भी आकृष्ट करता हूं, इस ओर ध्यान दिये जाने की जरूरत हैं।

मान्यवर, जेलों से सम्बद्ध जो अस्पताल हैं, वहां हालत यह हैं कि अगर कोई भी कैदी 50 रु0 दे दे तो वहां आराम से भर्ती हो जाता हैं। बैरकों के ठेके दिये जाते हैं, जो बन्दी रक्षक हैं उनसे कहा जाता हैं कि इतना रुपया लेंगे। मान्यवर, भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण जेलों में मौजूद हैं। जेल आज बदमाशों के लिये अय्याशी के अड्डे बन गये हैं। जेलों में सफाई के नाम पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं हैं। वहां गन्दगी व्याप्त हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, राजनैतिक पेंशन के विषय में माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि इस देश के आजादी के लिये लड़े और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिये सेनानियों को 1 नवम्बर, 1984 से और 200 रुपये माहवार पेंशन की व्यवस्था कर दी गयी है। इस विषय में मैं सुझाव देना चाहता हूं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों से पेंशन मिलती है। राज्य सरकार की पेंशन उनको आसानी से मिल जाती है लेकिन केन्द्र सरकार की जो पेंशन मिलती है उसके सम्बन्ध में आपके गृह सामान्य विभाग-4 से आख्या समय से नहीं जाती है जिस कारण अधिकांश लोगों को पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है।

एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी के सरसा गांव की हरिप्यारी पत्नी स्व0 श्री हीरा लाल उर्फ राम सरन जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, को राज्य सरकार से पेन्शन मिल रही है लेकिन यहां से आख्या न जाने के कारण केन्द्र सरकार से पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है। कृपया मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। मान्यवर, मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों के बारे में कहा। मान्यवर, उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। कई स्मारक बन चुके हैं लेकिन उनका रख-रखाव बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जनपद के अछनेरा नामक स्थान में गांधी पार्क बन गया है, जिसमें महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। मान्यवर, दुख होता है कि इस पार्क में तमाम उस जगह की गन्दगी डाल दी जाती है। गांधी जी की प्रतिमा खराब कर दी गयी है। मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शादी ब्याह आदि में अनुदान के लिये, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पर आश्रित के लिये, 3 हजार रु0 की धनराशि रखी है इसे बढ़ाकर 5 हजार रु0 कर दिया जाय। इसी प्रकार से होमगार्ड्स के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह होमगार्ड संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन, अभी तक इसे स्थायी नहीं किया गया है। उनकी वर्दी और सेवाशर्तों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। पुलिस की तरह से जब कोई सेवा कार्य करते हुए होमगार्ड मर जाय तो उसे पेंशन ग्रेच्युटी की व्यवस्था करने के लिये माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो भू0 पू0 मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने घोषणा की थी। यह होमगार्ड्स का सेल्यूट लेते हुए उनका चित्र भी मेरे पास है जिस समय उन्होंने यह घोषणा की थी। लेकिन, अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। होमगार्ड संगठन के लिये यदि आप नवयुवकों की सेवायें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं तो इस संगठन को भी पुलिस की तरह से मजबूत बनाने के लिये उन्हें सुविधाओं से सम्पन्न कीजिये। मान्यवर, जेल में जो विजिटर्स रखे जाते हैं उनको राजनीतिक पार्टी के आधार पर रखा जाता है। बहुत से जेल विजिटर्स ऐसे हैं जो स्वयं सजा-याफ्ता हैं। कैदियों को निकालने के लिये कैदियों से मिलाने के लिये जेल अधिकारियों पर यह जेल विजिटर्स नाजायज दबाव डालने में संलग्न हैं। मान्यवर, कहीं-कहीं जेल में 30-40 जेल विजिटर्स रख दिये गये हैं। 1983 में 325 जेल विजिटर्स रखे गये जबकि 66 जेल

हैं। किशोर जेल बरेली में देखा जाय तो वहां करीब बाल कैदी 20 हैं, पौढ़ी में 22 हैं लेकिन जेल विजिटर्स की संख्या कई गुनी कहीं ज्यादा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जेलों में आप मनोवैज्ञानिकों, डाक्टरों और अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को रखें, जो वहां पर सुधार ला सकें। इसके साथ ही मैं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मान्यवर, बेनी राम, जिला अधीक्षक थे 1975 में एटा में था। इसके बाद वह शाहजहांपुर गये और फिर उन्हें आगरा के सेन्ट्रल जेल में अधीक्षक बना दिया गया। 1981 में कैलाशपुरी स्थित सेन्ट्रल जेल के कार्यालय में एक पंशेत्तर पुष्पा नामक महिला के साथ बलात्कार करते हुए उन्हें पकड़ लिया गया। उनको जिला जेल में बन्दी के रूप में रखा गया। चयन समिति ने इस दरमियान में उनकी पदोन्नति अस्वीकृत कर दी लेकिन भूतपूर्व मन्त्री श्री नश्तर ने उनको बरेली जेल में भेज दिया। बरेली जेल में जब जेल एसोसिएशन ने उनके विरुद्ध आन्दोलन किया और मन्त्री जी उस आन्दोलन को नहीं दबा सके तो उन्होंने उसकी सेवायें निरस्त करने के आदेश दे दिये। वह कोर्ट से स्टे ले आया। अभी भी वह बरेली में ही जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट के क्वार्टर में रह रहा है और वेतन भी ले रहा है और काम भी कुछ नहीं कर रहा है। अब मेरे सुनने में आया है कि वह व्यक्ति आजकल आपके पीछे-पीछे लगा हुआ है कहीं ऐसा न हो कि वह आपके ऊपर भी हाथ फेर दे। यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप शरण देंगे तो इस विभाग का सुधार नहीं हो सकता है।

हरिप्रसाद यादव, जो अस्थायी अधीक्षक, बरेली में थे, को पदोन्नत करके फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया है। जबकि उनसे सीनियर महेन्द्र सिंह अधीक्षक बहराइच थे। 40-50 आदमियों को सुपरसीड करके उन्हें फतेहगढ़ जेल में पदोन्नत कर भेज दिया गया जबकि चयन समिति ने उनकी पदोन्नति को अस्वीकृत कर दिया। मान्यवर, हमने सुना है कि वह आपके सुपुत्र के मामा होते हैं। शासन के कार्मिक और न्यायिक विभाग से उनके विपरीत जांच की भी इन्ट्री है, लेकिन उनको दबा दिया गया। यदि श्री महेन्द्र सिंह को पदोन्नत कर भी दिया जाता है तो तब भी उनको वह स्थान नहीं मिल सकता है। इसलिये मान्यवर, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार भ्रष्ट अधिकारियों की आपने प्रोन्नति की और दूसरे योग्य अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं दी तो जेल के अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल गिर जायेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जेलों में आपके जो उप जेलर और सहायक जेलर हैं, ये दोनों अलग-अलग पोस्ट हैं, लेकिन इनका काम एक ही है, इनका विलयीकरण कर दिया जाय और लोक सेवा आयोग से 40 उप जेलरों के चयन करवाने के लिए आपने जो मांग की है उसको तब तक के लिए रुकवा दिया जाय जिससे उप जेलर और सहायक जेलर समकक्षता में न आ जायं। अपने कटौती के प्रस्ताव पर जोर देते हुए जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं उन सबका मैं आभारी हूं, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के। जेल, राजनैतिक पेंशन और नागरिक सुरक्षा इन सबकी

माननीय सदस्यों ने आलोचना की है भले ही वे मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन न कर पाये हों। जेलों में आज जो भ्रष्टाचार और ज्यादती व्याप्त हैं, जब तक इसमें जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रखे जायेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है। मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं, इस पक्ष के हों या उस पक्ष के मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और जो सुझाव मानने लायक हैं वे अवश्य स्वीकार किये जायेंगे और कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनकी मेरी समझ में उनको जानकारी नहीं है, तो उन्हें स्वयं ही उसमें सुधार कर लेना चाहिए।

हमारे एक सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि जो अन्धे, रोगी, बूढ़े कैदी हैं, उनको रिहा कर दिया जाय, तो 18 बन्दियों को रिहा कर दिया गया है और बाकी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिन पर निर्णय ले लिया जायगा।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। मैं पिछले दिनों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में गया था जो काशीपुर, देहरादून, नैनीताल में हुए थे। सभी में यही प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं, पेश किये गये थे। शासन की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। चूंकि संसाधनों की कमी है, इसलिए स्वीकार नहीं किये गये हैं लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, उनका परीक्षण करा रहे हैं और, निकट भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा।

(एक सदस्य के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि अपनी-अपनी जेबों की तरफ ध्यान दें दूसरे की जेबों की तरफ नहीं।

(हंसी)

श्री रघुवीर सिंह यादव—

6 करोड़ 86 लाख 924 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी। 50 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को नई पेंशन स्वीकृत की गई है। बहुत से सदस्यों ने कहा कि अनुदान मिलने में कठिनाई होती है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह लिख कर दें, मैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा और शीघ्र उनका निस्तारण कर दूंगा। यह भी कहा गया कि हमारे प्रदेश की पेंशन आसानी से मिल जाती है और केन्द्र से मुश्किल से मिलती है। केन्द्र के कुछ नियम हैं, 6 माह की सजा पाने वाले सदस्यों को ही पेंशन देते हैं और जो जानकारी यहां से दी जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि यहां से उसकी इन्क्वायरी सीधे सीधे करके केन्द्र को भेज दी जाय। मैं आभारी हूं सदस्यों का, जो सुझाव दिये हैं, मैं उन पर विचार करूंगा और पूरा करने की कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

मैं कटौती के प्रस्तावक से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रस्ताव वापस ले लें और उनके सुझावों पर कार्य करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जयहिन्द ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी अपने बजट भाषण में पढ़ा था कि उप-कारागार तहसील स्तर तक ले जाना चाहते हैं। गाजियाबाद जिले का सृजन 14 नवम्बर, 1976 को हुआ था और उसमें आज तक कोई जेल नहीं बनी है। लोग मेरठ से आते हैं, जाते हैं, बड़ी भारी परेशानी होती है। न्याय मिल नहीं रहा है। क्या गाजियाबाद में जेल बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मान्यवर, जितने कारागारों की बाबत माननीय सदस्य ने इंगित किया है उसके बारे में बजट में प्राविधान है और उसके विषय में कार्यवाही हो रही है।

श्री राजेन्द्र गुप्ता—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि आपने कभी कहा की जितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके समय-समय पर आपको मांग पत्र मिल रहे हैं और उनके बारे में आप सहानुभूतिपूर्वक विचार भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जिसने कि बरेली में काम किया है और अब वह अपने लड़के के पास लखनऊ में निवास कर रहा है, तो उसे जो आप बस की सुविधा देते हैं वह तो बरेली जनपद के लिये होती है और वह लखनऊ में रहता है तो वह उस सुविधा से जो कि आपके द्वारा दी गयी है, वंचित रह जाता है। तो क्या आप इस प्रकार का कोई आश्वासन देंगे कि प्रत्येक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से यह पूछ लिया जाय कि वह किस जनपद में बस की सुविधा प्राप्त करना चाहता है ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

माननीय गुप्ता जी, आप लिख कर दे दें, मैं दिखवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इसमें मैं क्या लिख कर दे दूं ?

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मैं एक सवाल पूछ रहा हूं मन्त्री जी से कि जब आप कारागार को तहसील स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो गाजियाबाद में 14 नवम्बर, 1976 को जिला बना था और अभी तक वहां जेल नहीं बनी है, मेरठ से कैदियों को आना-जाना पड़ता है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। आप गाजियाबाद में कब तक जेल बनवा देंगे ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

गाजियाबाद का प्राविधान है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मन्त्री जी ने क्या उत्तर में कहा मेरी तो समझ में आया नहीं, आप ही हमें समझा दें कि इन्होंने क्या कहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप और मन्त्री जी आपस में बाद में अब समझते रहियेगा। माननीय बदन

सिंह जी, क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री बदन सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने जो साहित्य उपलब्ध कराया है वह बहुत ही संक्षिप्त है इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14-गृह विभाग (कारागार) विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि से अतिरिक्त 8,25,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,45,04,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,45,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति

(मद संख्या-11 पुकारे जाने पर)

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा इस पर व्यवस्था का प्रश्न हैं।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह हैं कि यह जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 हैं और इसका अध्यादेश। मैंने आपके सामने मा0 हाईकोर्ट का जो निर्णय हैं उसकी फोटोस्टेट प्रतीलिपियां आपकी पीठ पर भेज दी हैं। यह मामला न्यायमूर्ति श्री के0 एस0 वर्मा और न्यायमूर्ति श्री एस0 एस0 अहमद के समक्ष 8-7-85 को प्रस्तुत हुआ था। इसके द्वारा यू0 पी0 आर्डीनेन्स नं0 12 आफ 85 के सैक्शन 33-ए के क्लाज 3(ए) का आपरेशन 29-7-85 तक स्टे किया गया हैं, यह सब मैंने आपके पास भेज दिया हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वह मैंने पढ़ लिया हैं, आप व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

उन्होंने कहा हैं कि क्लाज 3(ए) का आपरेशन स्थगित रहेगा और पिटीशनर्स की सेवायें समाप्त नहीं की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह हैं कि विधेयक का एक अंश माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगित कर दिया गया हैं और वह न्यायालय के विचाराधीन हैं। कल इसके बारे में उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में मुकदमा था। सरकार के महाधिवक्ता उपाध्याय जी थे उन्होंने सरकार की ओर से आश्वासन दिया हैं कि सरकार इसके बारे में विचार कर रही हैं और शिक्षा निदेशक के द्वारा जो राजाज्ञा जारी कर दी गयी हैं और सभी जगह पहुंच गयी हैं कि इसके अन्तर्गत जितने भी अध्यापकों की नियुक्ति की गयी हैं, वे सब अपनी सेवाओं से निकाल दिये जायं, इस बारे में उन्होंने आश्वासन दिया हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। 27 तारीख को निदेशक की तरफ से राजाज्ञा जारी हुई हैं कि किसी की भी सेवायें समाप्त नहीं की जायेंगी। मैं जानना चाहूंगा कि जब मामला न्यायालय के विचाराधीन हैं और शासन की भी नीति हैं कि सभी तदर्थ अध्यापकों, चाहे मौलिक नियुक्ति हो, प्रोमोशन कोटे में हो या धारा 18 में नियमित किये गये हों, इनके बारे में शासन विचार कर रहा हैं, ऐसी स्थिति में जब कि महाधिवक्ता ने वक्तव्य भी दिया हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

*संसदीय कार्य राज्यमन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मद संख्या 11 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें केवल यह हैं कि—"निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना", अतः केवल प्रश्न यह था कि संकल्प प्रस्तुत किया जाय या नहीं ? और संकल्प के प्रस्तुत किये जाने में संविधानिक व्यवधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं या यह नियमों के प्रतिकूल हैं, इसके बारे में व्यवस्था उठ सकती थी ।

माननीय उच्च न्यायालय में क्या हो रहा हैं, यह सारा का सारा चर्चा का विषय हैं । चर्चा के समय भी इस पर प्रकाश डाला जायेगा । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिन दो बिन्दुओं की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया हैं कि वहां पर क्या आश्वासन दिया हैं माननीय उच्च न्यायालय ने और क्या स्थगन आदेश दिया हैं । यह दो बिन्दु जो आपने उठाये हैं । आप संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं । इसके पारित होने से न होने से उसका कोई सम्बन्ध हैं ही नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय राजेन्द्र गुप्त और संसदीय कार्य मन्त्री को सुना । इस सम्बन्ध में मैंने कौल शकधर की जो राय हैं उसको भी देखा हैं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजेन्द्र गुप्त की व्यवस्था इस वक्त पर उचित नहीं हैं । हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं, हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और अपने विचार प्रकट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अनुमोदन करता हैं । मान्यवर, यह जो अध्यादेश विधेयक के रूप में ले आये हैं, माननीय मन्त्री जी यह तदर्थ शिक्षकों के लिए एक काले विधेयक के रूप में आया हैं, और इस पर माननीय मन्त्री जी से इस बात की अपेक्षा की जाती रही हैं कि जो 20-22 हजार तदर्थ नियुक्त अध्यापक हैं, आप उनकी भी सर्विसेज को बहाल रखें, उनका भी विनियमितीकरण कर दें लेकिन नहीं सुना क्योंकि माननीय शिक्षा मन्त्री अपने जिद पर अड़े हुए हैं और बार-बार इस विधेयक को प्रस्तुत करना चाहते हैं । एक बार नेता विरोधी दल अन्यत्र चले गये तो किसी तरह से ये इसको बाद में रखने पर राजी हो गये लेकिन वह अमादा हैं कि हम तदर्थ शिक्षकों को नौकरी से निकाल कर रहेंगे । आपसे पहले इस बात को कई बार कहा जा चुका हैं आपके पहले जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं वह तो तदर्थ शिक्षक जो नियुक्त हैं उनके आशीर्वाद के पात्र हो गये हैं । इसलिये उन्होंने बार-बार कहा हैं कि हम आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को किसी भी कीमत पर बहाल रखेंगे, आपकी नौकरी का विनियमितीकरण करेंगे । इसमें राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री वीरसेन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से आश्वासन दिया कि आप लोगों का विनियमितीकरण हो इसके लिये हम कटिबद्ध हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, नौकरी से निकालने नहीं देंगे । इसके बावजूद भी आज यह विधेयक ले आये । जो 77-78 में हड़ताल हुई थी इसमें उस समय एक महीना दो महीना जो लोग पढ़ा दिये उनको वापस ले रहे हैं, उनकी

नौकरी के लिये अध्यादेश ले आये हैं किन्तु वह लोग जिनकी डाइरेक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल से नियुक्ति हुई, उनको थोड़ा सा लाभ इस विधेयक से मिल रहा है लेकिन मैनेजमेन्ट (प्रबन्धक) ने जो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की है, इन 22 हजार शिक्षकों का भविष्य अन्धकार में पड़ रहा है और इस विधेयक के द्वारा वर्तमान में जो सदन के नेता हैं और मुख्य मंत्री भी हैं ।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आपको यह लोग फंसा रहे हैं । उन्होंने, दैनिक जागरण 7 अक्तूबर में निकाला है, जिसमें 22 हजार शिक्षकों की बहाली को स्वीकार किया गया है । नारायन दत्त तिवारी मौजूद थे उस मीटिंग में । उसमें मुख्य मन्त्री ने कहा कि हम आप लोगों की नौकरी का विनियमितीकरण करेंगे ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा और उस समय के शिक्षा मन्त्री श्री बीर सेन ने भी कहा, उसका मैंने अभी जिक्र किया । उन्होंने 1984 में कहा कि हम आप लोगों की सेवाओं का विनियमितीकरण करेंगे क्योंकि हम लोगों ने हाउस में जब सत्र चल रहा था तो उस समय सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया था कि तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण करेंगे । यह आश्वासन उस समय दिया गया था और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी उनको आश्वासन दिया था और कहा था कि आप लोगों को इस बात पर विश्वास करना चाहिये कि आप लोगों की नियुक्तियों का विनियमितीकरण करेंगे, उसका कारण था कि उस समय लोक सभा का चुनाव नजदीक आ गया था और चुनाव की घोषणा हो गयी थी और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने एलान किया था कि अगर हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जायेगा तो हम डटकर विरोध करेंगे, कांग्रेस का । इस डर के मारे कांग्रेस पार्टी की सरकार के लोग और संगठन के लोग सम्मिलित होकर एक समन्वित समिति बनायी और कहा कि आप मेहरबानी करें, हम कृपा के पात्र हैं, चुनाव में समर्थन करें हम आपकी नौकरी का विनियमितीकरण करेंगे और जब चुनाव जीत गये तो वादा भूल गये और अब लोगों को नौकरी से बाहर करने का काम शिक्षा मन्त्री के हाथों से हो रहा है । आप कम से कम कृपा करें, बाईस हजार लोगों के बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, एक आदमी का सवाल नहीं है । आप तो लोगों को नौकरी दे सकते हैं । लेकिन चार सौ पच्चीस सदस्य चुनकर यहां आये हैं, वह एक भी आदमी को नौकरी दिलाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं वहीं आप भी लोगों को नौकरी दिलाने में असमर्थ हैं । तो किस आधार पर आप बाईस हजार लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं ।

मैं निवेदन करूंगा कि आप पुनः इस पर ठंडे दिमाग से सोचें यह साधारण सवाल नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं है कि विधेयक पास करवा लें और यह लोग सड़क पर आ जायं । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को वापस ले लें । जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा कि इस सिलसिले में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसका निर्णय हो जाने दीजिये । लखनऊ बेंच के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, उससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि सरकार की मंशा बन रही है तो इस

बात को क्यों करने जा रहे हैं । तमाम बातों को आप सोच समझ लें बाईस हजार लोगों की रोजी-रोटी को बरकरार रखें और जो विधेयक लाया गया है उसको वापस कर लें फिर सारे लोग इस पर सोचें और ऐसा विधेयक ले आवें कि सारे तदर्थ शिक्षक चाहें वह प्रोन्नति के द्वारा हो चाहे तदर्थ रूप से नियुक्त हों उन सारे लोगों की सेवाओं का विनियमितीकरण करेंगे मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको वापस ले लें ।

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, यह बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि जो अध्यापक तदर्थ रूप से रखे गये हैं, उनका विनियमितीकरण किया जाये और मुझे आज खुशी है कि इस विधेयक के द्वारा एक बहुत बड़ा असुरक्षित समुदाय जो अध्यापकों का था और जिन्होंने दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 की गम्भीर स्थिति में ऐसे विद्यालयों में काम करने का निश्चय किया था जो हड़ताल से काफी प्रभावित थे । जो काफी प्रभावित हुये थे अध्यापकों की हड़ताल के कारण । लगभग 2357 ऐसे अध्यापकों का आन्दोलन इस विधेयक के जरिये समाप्त हो जायेगा और तदर्थ शिक्षकों के बारे में एक काफी बड़ी संख्या जो लगभग साढ़े तीन हजार अध्यापकों की होती है, उनका नियमितीकरण होगा । यानी जो सीधी भरती डी0 आई0 ओ0 एस0 और आर0 आई0 जी0 एस0 के जरिये एक चयनित प्रक्रिया जो निर्धारित कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत हुये हैं उनका नियमितीकरण होगा । इसी विधेयक के अन्दर 1-1-84 के बाद से जो दण्ड प्रक्रिया होती है उसमें भी अनुमोदन का अधिकार प्राप्त हो जायेगा । मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह काला विधेयक नहीं है बल्कि यह आने वाले उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करता है और इसके जरिये वे तदर्थ अध्यापक जो शुरू से काम चलाऊ स्थिति में रखे गये थे उनकी एक बहुत बड़ी संख्या में नियमितीकरण सम्भव हो पायेगा ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अभी अपनी मंशा जाहिर की कि एक बहुत बड़े समूह के लोग इस विधेयक के द्वारा चाहे वह तदर्थ नियुक्ति के हों या प्रोन्नति के हों वे सब नियमित हो जायेंगे । मान्यवर, सन् 77 में जो हड़ताल हुई थी उस वक्त के लोगों का नियमितीकरण माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मन्त्री जी कोई अपने इरादे से नहीं कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेन्ट इनके खिलाफ दिया तब उसको करने के लिये ये तैयार हुये। इनका इरादा नहीं था। लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला हो गया तब इसे कर रहे हैं। 22 हजार शिक्षक जो आज भी इस विधेयक की परिधि में नहीं आ रहे हैं वे इससे बच जायेंगे। अभी भी मामला माननीय हाईकोर्ट में पैन्डिंग है। मान्यवर, यह समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि इस विधेयक के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी अध्यापकों की। वह समाप्त हो जायेगी, ऐसी बात नहीं है। कुछ की समस्या हल हो जायेगी, कुछ इससे बाहर हो जायेंगे और उनके ऊपर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फिर केस चले और आपको विधेयक लाना पड़ेगा। मान्यवर, उधर भी और इधर भी बहुत से अध्यापक बैठे हैं, प्रिंसिपल भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं। सभी को इसका अनुभव है। वे समझते हैं कि इसका क्या हो सकता है।

मैं यह जो प्रस्ताव लाया हूं वह सोच समझकर लाया हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जहां इस पर विस्तार से विचार हो जायेगा और हाईकोर्ट में जो एक चीज पैंडिंग है, उनकी बात भी सुन ली जाय साथ ही जो अध्यापक हैं और यह महसूस करते हैं कि इसमें क्या संशोधन होना चाहिए उनकी बात भी आ जाय। लेकिन आज मन्त्री जी इसको ले आये। वे इसको पास करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रह जाय और इससे वे खुश हो जायं तो इससे भला होने वाला नहीं है। हम यह नहीं कहते कि विधेयक गलत है।

हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो इतने लोग रह जायेंगे जो 20, 22 हजार लोग रह जायेंगे उनका क्या होगा। इतना ही नहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जायेगा। उनकी सर्विस का क्या होगा, इसमें कोई दलगत सवाल नहीं है सवाल उनकी रोजी रोटी का है। हम जो चाहे इधर बैठने वाले हैं या उधर बैठने वाले हैं किसी को रोजी रोटी दे नहीं पाते हैं, रोजी रोटी ऊपर वाला देता है लेकिन विधेयक से हम जिन लोगों का भला कर सकते हैं वह करना चाहिये।

जो अध्यापक मान्यवर, अभी तक काम कर रहे हैं, किसी तरीके से उनकी नौकरी छूट गयी और वे इस विधेयक की परिधि में नहीं आते हैं तो उनकी ऐज का क्या होगा, उनको उसके बाद कहीं नौकरी मिल नहीं पायेगी। किसी ने बी0 टी0 सी0 कर रखा है किसी ने एम0 एड0 कर रखा है, किसी ने एल0 टी0 कर रखा है और टीचरी प्राप्त कर ली है। वहां से निकलने के बाद वे कहां जायेंगे क्योंकि आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी का क्या आलम है वह आप जानते हैं। किसी को आगे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अभी रूरल इंजीनियरिंग में ओवरसियर्स के 50 पदों के लिये 5000 एप्लीकेशन आई हैं एक हाहाकार नौकरी के लिये मचा हुआ है। सवाल इस बात का नहीं है कि इन मास्टरों को निकाला जाय या रखा जाय। सवाल यह है कि जो बेकार हैं उनको रोजगार दिया जाय। सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि जिनको रोजी नहीं मिली है उनको रोजी मिले।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक तो आप पास करा ही लेंगे लेकिन मानवता के नाते अपना फर्ज समझकर उनको रोजी रोटी

देनी हैं, जिनके सामने परेशानी हैं उनकी एज निकल गयी हैं उनके लिए सोच समझकर इस विधेयक में बात हो और इसे प्रवर समिति में भेजा जाय जिसमें विस्तार से इस पर विचार हो, विद्वान लोगों की राय ले लें, विद्वान सेक्रेटरीज की राय भी उसमें हो जायेगी और विधायकों की भी राय उसमें आयेगी तथा एजुकेशनिस्ट की राय भी आयेगी और एक अच्छा विधेयक आ जायेगा। इसमें कोई जल्दी नहीं हैं यह विधेयक तो फिर भी पास हो जायेगा। लेकिन समस्या का निदान पूरी तरह से हो जाय यह हम चाहते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना हैं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें जिससे सब का भला हो।

*श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक रखा हैं इसकी वास्तव में बहुत ही लम्बे समय से लोगों ने उम्मीद की हुई थी। इसे बहुत पहले आ जाना चाहिये था लेकिन अब आया हैं इस पर उन अध्यापकों को आशा की किरण दिखाई देती हैं जो आड़े समय में शिक्षा विभाग के काम आये हैं, जिन्होंने उस समय सहयोग दिया उनके विनियमितीकरण करने का बहुत अच्छा मौका आया हैं।

अभी माननीय त्रिलोकचन्द्र जी ने इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए दो बातें रखी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से माना हैं कि इस विधेयक से अध्यापकों का नियमितीकरण होगा और उनकी भलाई का यह अच्छा विधेयक हैं। उन्होंने इसकी आलोचना नहीं की। उन्होंने यह कहा कि जो साढ़े 22 हजार शिक्षक हैं उनके बारे में सोचा जाय। तो सरकार ने कहां कहा कि कभी उनके बारे में सोचा नहीं जायेगा। लेकिन कम से कम जिन साढ़े तीन हजार लोगों का इससे भला हो रहा हैं उसके लिए तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिये थी जिनके बारे में सोचा गया हैं। एक सवाल पहले भी आया कि जो रिजर्व पूल टीचर्स हैं उनका क्या होगा। तो उनके बारे में भी सरकार ने सोचा हैं उनका भी इसमें समावेश हैं। इसलिये यदि 22 1/2 हजार में सोचें और 3 1/2 हजार के बारे में न सोचें तो यह कौन सी बुद्धिमत्ता की बात होगी।

मान्यवर, यह कहा गया कि यदि मन्त्री जी रोजी-रोटी नहीं दे सकते हैं तो छीन भी नहीं सकते हैं। तो मन्त्री जी ने रोजी-रोटी छीनने की कोई बात नहीं किया हैं लेकिन मान्यवर, यह भी देखना होगा कि समाज और पाठशालाओं के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी हैं। मान्यवर, यह भी देखना होगा कि जब आज हिन्दुस्तान में कैरेक्टर बनाने की बात की जा रही हैं तो इसमें देखना होगा कि किसको मजदूरी देना हैं, किसको व्यवसाय देना हैं। मान्यवर, हमें सोचना होगा कि चयन बोर्ड, शिक्षा आयोग जो बनाया गया उसके माध्यम से जो शिक्षक रखे जायेंगे जिनका गुणात्मक आधार पर चयन होगा वह समाज और देश को अच्छे नागरिक दे सकेंगे उनमें ज्यादा गुण होंगे या जिनको मनमाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ढंग से नियुक्त कर दिया और वह हिन्दुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिये छोड़ दें। इसीलिये मेरा कहना है कि चयन बोर्ड की जो प्रणाली अपनायी गयी है, और जो मन्त्री जी विधेयक लाये हैं वह उचित है ताकि अच्छे से अच्छे शिक्षक हमारे बीच में आयें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। मान्यवर, इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी। अगस्त में हमारा सेशन चलने वाला था 1981 में और चयन आयोग के गठन में कुछ विलम्ब था तो नवम्बर, 1982 में चयन बोर्ड का गठन हुआ। इसीलिये हमारे सामने यह जरूरत थी कि तात्कालिक रूप से हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति करें जो नियमित और संशोधित तरीके से नियुक्त हुये हैं उनको मान्यता देने का हमारी सरकार का कर्त्तव्य है और उसको सरकार ने अच्छी तरह से निभाया है। इसकी मैं प्रसंशा करता हूं।

मान्यवर, श्री त्रिलोक चन्द्र जी से निवेदन करूंगा कि जो साढ़े तीन हजार शिक्षक गुणांक आधार पर चयन होकर आये हैं उन पर ध्यान दें और अपने प्रस्ताव को वापस लें और शिक्षा मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, श्री सुरेन्द्र कपिल अभी भाषण कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्होंने खंड वाइज विधेयक को पढ़ा नहीं और बिना पढ़े बोलना शुरू कर दिया। मान्यवर, सही है कि इस विधेयक का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन जो इसमें कमियां हैं उनको ठीक करने के लिये इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, कमी क्या है। आप देखें, जैसा अधिनियम 1981 में है, लेकिन आपने कहा "धारा 18 और 33" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33-क" रख दिये जायेंगे। इसमें कहना है कि आरक्षित समूह जो बनाया गया था उसमें से आप उसको नियुक्त करेंगे लेकिन फिर भी कमी रह गयी तो धारा 21-ख(4) यदि किसी अध्यापक को उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय और वह तदर्थ अनुमन्य समय के भीतर, जो सात दिन से कम नहीं होगा कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो उसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर से हटा दिया जायगा और नियुक्ति की प्रस्थापना उस विषय में उसी जिले के अगले आरक्षित समूह अध्यापक को की जायगी।"

मान्यवर, इस उक्त धारा के अनुसार यदि अध्यापक 7 दिन में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है और जिला विद्यालय का अधिकारी उसमें सहयोग नहीं देता है तो उसके बाद वह हट जायेगा और उसके बाद जो दूसरे समूह में होगा वह आ जायेगा।

इस 21(ख) का जो (5) है, उसे आप देखिये—"(5) यदि ऐसा अन्य अध्यापक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी जिसकी नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जायगा जब तक कि उस विषय में उस जिले के आरक्षित समूह अध्यापकों की सूची निषेध न हो जाय।" तो यह सूची कब तक चलेगी, इसकी कोई सीमा नहीं हैं, जब कि इसके लिए कोई न कोई सीमा होनी चाहिए। आपने नियुक्ति की उसमें कोई अनिवार्यता नहीं रखी, तो वह सूची में क्या सौ साल तक चलता रहेगा।

फिर आप देखें, जहां आप लिखते हैं कि धारा 33 के बाद निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए—"33-क (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के प्रारम्भ के पूर्व, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 के पैरा 2 के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हताएं रखता हैं या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी हैं, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायगा बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।" आप जानते हैं कि तदर्थ आधार पर नियुक्ति होती हैं और उसको नोटिस हो जाती हैं, तो उनकी इसमें कहां व्यवस्था हैं। आप आगे लिखते हैं इसी उपरोक्त की धारा (2) में कि—

"(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।"

इनको परिवीक्षा पीरियड पर रखने की क्या आवश्यकता हैं? जब वह 3/5 साल से काम कर रहा हैं, तो आप उसे प्रोबेशन पीरियड क्यों नहीं मानते हैं। जो हैं उसको रखिए। इसीलिए मैं सभी खण्डों में आपको नहीं ले जाना चाहता हूं, परन्तु इसमें बहुत से जगह-जगह पर कमियां हैं, यह जब प्रवर समिति में जाएगा तो जिन अध्यापकों के लिए आप चिन्तित हैं उनका निवारण पूर्ण रूप से हो जाएगा। इसलिए आप इसको प्रवर समिति में अवश्य भेज दीजिए। इसमें यह भी हैं एक आयोग को भेज दिया जाएगा दण्ड प्रक्रिया को लागू करने के लिए, जो आश्चर्य हैं, कौन दण्ड देगा। आप देना चाहें तो किसी प्रिंसिपल को दण्डित नहीं कर सकते हैं, जब तक मैनेजमेन्ट कमेटी का कोई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में न आवे। पहले वह जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आता था, वह आपके अन्डर में था। आपने कर दिया कि यह आयोग के पास जाएगा और वह अपना निर्णय देगा। आयोग के पास जाने में अध्यापकों को कितनी कठिनाइयां होंगी, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। जब आप इस संशोधन को ला रहे हैं, एक और ले आना चाहिए था कि यह किसके नियत कन्ट्रोल में रहेगा। आप उनको सस्पेन्ड नहीं कर सकते हैं, कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, जब तक आयोग न करे और आयोग तब तक नहीं करेगा जब तक मैनेजमेन्ट कमेटी की ओर से उसके पास न जाए। इसको

आप फिर से पढ़ लीजिये । इसको ठीक करने के लिए और एक अच्छा प्रारूप तैयार करने के लिए आप इसको प्रवर समिति में दे दीजिए, जिससे सारे बिन्दुओं पर वहां विस्तार से विचार हो जाए और एक नया प्रारूप, नया कानून लाकर यहां प्रस्तुत किया जाए । मैं फिर इस पर बल देता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए ।

(7 बजकर 20 मिनट)

श्री अफसर यू अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा रखे गये संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कहना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक जिसे माननीय परिषद् पहले ही पारित कर चुका है, के माध्यम से जो शिक्षा विभाग में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, सुधार लाने की बात कांग्रेस सरकार द्वारा की गयी है तो इससे उसमें निहायत ही मजबूती और खूबसूरती आयेगी । सन् 1977-80 के बीच वह माहौल जिसके बारे में हमारे सामने के सदस्य हजरात बखूबी वाकिफ हैं, न सिर्फ शिक्षार्थियों में बल्कि शिक्षकों में एक ऐसी अनुशासनहीनता आयी थी और एक दिशाहीनता आयी थी और जिस पर काबू पाने के लिये जिम्मेदारी सन् 80-81 में आयी हुयी कांग्रेस पर आयी थी और कांग्रेस सरकार ने अगर कदम न उठाये होते तो यकीनन आज जो शिक्षा का माहौल है और शिक्षकों के बीच जो अनुशासनबद्धता आयी है वह कदापि न आयी होती । मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त शिक्षा विभाग ने शिक्षा चयन आयोग का गठन किया तो इस बात की जरूरत महसूस की गयी कि आयोग के माध्यम से नवोदित प्रतिभाओं की परख हो सके और आयोग के सामने पढ़े लिखे लोग, सचरित्र लोग आयें और उन प्रतिभाओं का सही मूल्यांकन हो । प्रबन्धकों द्वारा या प्रबन्धक कमेटी द्वारा जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद और तरह तरह के बाद चला रखे गये थे और वह जिसको चाहते थे उसको एप्वाइंट करते थे तो इन तमाम चीजों पर काबू पाने के लिये इस आयोग को गठित किया गया था । जाहिर है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिये प्रदेश से अज्ञानता के अंधकार को दूर किया जा सकता है और ज्ञान से रोशनी मिलती है देश और प्रदेश को, तो इसी बात को ध्यान में रखकर आयोग गठित किया गया था । विरोध पक्ष के सदस्यों को किस बात का भय है ।

मैं सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वह क्यों डर रहे हैं । आयोग बनाया गया है इस प्रदेश में देश में रहने वाले लोगों के लिये, उन नौजवानों के लिये जो शिक्षा में आकर जीवन यापन करना चाहते हैं । उनके लिये बनाया गया है जो इसके सामने आकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अफसर यू अहमद—

आपने मान्यवर, समय समाप्त करने की बात कही है इसीलिये ज्यादा न कह कर मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि 20 हजार लोगों

के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाय तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कानून बनाते समय भावना का आदर किया जाता है उसमें बहा नहीं जाता है। अगर हम भावना में बह जायेंगे तो यकीनन हमारे प्रदेश का मुस्तकबिल आंसुओं में डूब जायगा और उन लोगों के साथ ज्यादती होगी। जो आयोग के माध्यम से एप्वाइंटमेन्ट होंगे वह भी इसी उत्तर प्रदेश और देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं वह कोई चीन, जापान से नहीं आयेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं जो तदर्थ रूप से नियुक्त लोग हैं उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय लेकिन जो योग्य प्रतिभायें हैं उनको कुंठित होने से बचाने के लिये उनको मौका दिया जाय आयोग के सामने पेश होने का और अपनी प्रतिभा का परिचय देने का। इसके साथ ही माननीय मन्त्री जी ने जो यह संशोधन विधेयक रखा है इसका मैं समर्थन करता हूं और प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं।

धन्यवाद।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इस विधेयक को जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यादेश के अनुमोदन का सवाल है, मेरा साफ आरोप है कि इनके अधिकारियों ने और नेताओं ने जो आश्वासन दिये थे, यह विधेयक उन भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। प्रतिनिधि मण्डल इनसे मिलते थे, उनसे यह साफ-साफ बात नहीं कर पाये और 12 तारीख को अध्यादेश जारी किया। उस समय अनशनकारी आन्दोलन कर रहे थे, उनसे आपकी बात हो रही थी। उनसे आप छुपाते रहे और अध्यादेश जारी होता रहा। 18 तारीख को इस अध्यादेश की जानकारी मिली। जिस दिन अध्यादेश जारी होता है तो प्रेस नोट भी जारी हो जाता है। लेकिन समाचार-पत्रों में प्रेस नोट नहीं दिया गया इसलिये कि लोगों को जानकारी हो जायगी। आप उनसे छिपाकर लाना चाहते थे। आपकी यह जो भावना है यह परिलक्षित करती है कि आपके अन्दर पाप बोल रहा था और आपको फेस करने का साहस नहीं था।

अब मान्यवर, इस अध्यादेश पर आता हूं। इसमें दो अंश हैं, एक है फुल टीचर्स के बारे में और एक है तदर्थ टीचर्स के बारे में। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 77 में जो अध्यापक रखे गये थे, उनको नियमित करने जा रहे हैं। मान्यवर, उन अध्यापकों को नियमित करके माननीय मन्त्री जी बड़ा एहसान करने जा रहे हैं। मान्यवर, प्रमोद वर्मा वर्सेज स्टेट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके कारण आपको रखना पड़ा। यह जो आरक्षित समूह के अध्यापक के बारे में हैं, मान्यवर, 21-ख (1) देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है जिन्होंने 9 जनवरी, 1978 और 19 जनवरी, 1978 के मध्य (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) उक्त उपबन्ध के अनुसार वस्तुतः अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उस समय भी मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन का सदस्य था। उस समय बहुत से मैनेजमेन्ट थे, उन लोगों ने अपने यहां पर स्थान नहीं दिया। इसमें जो आपने प्राविधान किया है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें उन लोगों को ही सहायता पहुंचाई जो वास्तव में नियुक्ति स्वीकार कर लिये थे, अपना योगदान दे दिये थे, जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां, जब उन्होंने जाकर ज्वाइन कर लिया था और वह अपना योगदान भी दे चुके थे। अन्त में लिखते हैं "प्रबन्धतन्त्र द्वारा या निरीक्षक द्वारा जिले में स्थित किसी संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने 9 जनवरी, 1978 और 19 जनवरी, 1978 के मध्य (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) उक्त उपबन्ध के अनुसार वस्तुतः अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था।"

मान्यवर, जिन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था या जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां योगदान दे दिया था, उनको भी मान्यवर, लाभ नहीं। अब आप आइये तदर्थ शिक्षक जो हैं इनके बारे में। इनकी नियुक्ति कैसे हुई? आपका एहसान उन पर नहीं है। जिस समय यह अध्यादेश आया, उस समय भी मैंने स्वागत किया था। उसकी प्रक्रिया समय पर चालू नहीं हुई। इसलिए कठिनाई निवारण अध्यादेश के अन्तर्गत इनकी नियुक्ति एक तो जिला विद्यालय निरीक्षक विज्ञापन निकाल कर करता था और दूसरे प्रोमोशन के द्वारा नियुक्ति होती थी। अगर यह न निकाला गया होता, तो 40 परसेन्ट प्रोमोशन द्वारा नियुक्त हुए होते। आज जो चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन आयोग के सामने जाता है, मैं एक विसंगति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे जनपद में आर्य कन्या पाठशाला में एक प्रधानाचार्या 15 वर्ष से प्रधानाचार्या के पद पर कार्य कर रही हैं, वह भी चयन आयोग के सामने गयीं। वह गुणांक में सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी विद्यालय में जो प्रधानाचार्या से नीचे नम्बर 3 पर थीं, उनको आपने प्रधानाचार्या के पद पर नियुक्त कर दिया, चूंकि चयन आयोग में उनके रिस्तेदार थे, इसलिए उनको नियुक्त किया गया। यह कहां का व्यवहार था जो पिछले 15 साल से प्रधानाचार्या के पद पर कार्यरत रहीं, उनको अब अपने अधीनस्थ टीचर, जो उनसे नम्बर 3 पर थीं, उनके नीचे अब उनको काम करना पड़ेगा? तो यह भ्रष्टाचार है कि पहले भ्रष्टाचार था?

मान्यवर, जो प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति होती थी, तो भ्रष्टाचार करने वाला, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता था। इसलिये मैं समझता हूं कि यह तो मान्यवर, भारी भूल है। दो-तीन बिन्दु, मान्यवर, छूट गये। जब माननीय न्यायालय में मामला गया, जिसका मैंने पहले संकेत किया था, माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया। अब क्योंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय ने संकेत कर दिया, इसलिए मैं दो बिन्दु, जो छूट गये हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। जो तीन साल काम कर चुके हैं। तीन साल काम करने में उनके गुण दोष, अच्छाई-बुराई सब आपके सामने हैं। प्रोबेशनकाल अप्वाइंटमेन्ट डेट से न मानने का क्या कारण है। मान्यवर, जो टीचर की परिभाषा दी गई है, उसमें सर्वत्र चाहे वह विश्वविद्यालय हो, इन्टरमीडिएट कालेज हों, जिस क्षेत्र में भी जायं टीचर की वही परिभाषा है। प्रधानाचार्य पदेन तो हैं लेकिन वह उस रूप में मैनेजमेन्ट का सदस्य नहीं माना जाता। आपने व्यवस्था कर दी है कि ऐसे लोग भी नहीं

लिये जायेंगे जो किसी प्रधानाचार्य के रिश्तेदार हैं। यह कहीं का न्याय नहीं है इसलिए इन सब बिन्दुओं पर विचार करने के लिये इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री हरदेव—

मान्यवर, आरक्षण की बात है, आरक्षण कोटे में टीचर नहीं रखे गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका विषय नहीं है। आप बैठें।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में अभी मैं बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी को और कुछ अन्य लोगों की बातों को मैंने सुना। संभवतः इन्होंने पूरी तौर से इस बिल का अध्ययन नहीं किया। मैं संकेत कर रहा हूं इस अध्यादेश को यह पूरी तौर से गम्भीरता के साथ पढ़ें तो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम सब यह जो आप चाहते हैं, जो हमारे अध्यापक चाहते हैं उस दिशा में एक प्रक्रिया है नियमितीकरण की दिशा में और जो इन्होंने मांग नहीं की थी, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने वह भी दे दिया। 1977-78 के जो अध्यापक थे, आपको स्मरण होगा जब आप इस ओर बैठते थे, अध्यापकों ने हड़ताल की थी। वह निकाल दिये गये थे। उनके भी नियमतीकरण की प्रक्रिया इस विधेयक के माध्यम से आई है और जैसा अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा लगभग साढ़े तीन हजार अध्यापक इससे लाभान्वित होंगे।

दूसरी बात रोज यह सुनने में आती है कि लगभग 22 हजार या 23 हजार की संख्या कही जाती है लेकिन सम्भवतः इस तरह के तदर्थ अध्यापक 12-13 हजार के लगभग हैं। जो भी हो, संख्या के विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। इस विधेयक के माध्यम से ढाई-तीन हजार तदर्थ अध्यापक और नियमित हो जायेंगे, यह आप सबने स्वीकार किया है। यह प्रक्रिया है। एक बात माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कही कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी चाहते हैं कि इन तदर्थ अध्यापकों को निकाल दिया जाय और उन्होंने ऐसा कहा भी है कि वे इन तदर्थ अध्यापकों को निकाल कर ही रहेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने न तो ऐसा कहा है और न कहेंगे क्योंकि उनके मन में भी वही दर्द है अध्यापकों के प्रति जो आपके मन में है। यह कल्पना के बाहर की बात है। आपको स्मरण होगा कि इस आयोग का गठन 10 जुलाई, 1981 को किया गया था। इस भावना के साथ कि हमारे विद्यालयों में अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति हो। उसके बाद लगातार जैसे-जैसे आयोग के गठन में देरी हुई, इस सम्बन्ध में कई अध्यादेश निकले। मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रक्रिया है नियमितीकरण की तरफ।

मैंने जब कभी बात की शिक्षा मन्त्री जी से जब कभी बात की माननीय मुख्य मन्त्री जी से, इन तदर्थ शिक्षकों के बारे में तो उनके मन में अपार सहानुभूति हैं कि एक नियम के अन्तर्गत किस तरह से हम उनको नियमित करें।

मैं समझता हूं यह विधेयक निश्चित रूप से उस प्रक्रिया की पहली झलक हमारे सामने आयी हैं। जहां तक प्रवर समिति के सम्मुख पेश करने की बात हैं। हम सब जानते हैं कि 12 जून, 1985 को यह अध्यादेश आया और विधान परिषद् से पास हुआ और आवश्यक हैं कि इसी सत्र में विधान सभा से पास हो जाय। मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारे मित्र गुप्ता जी, माता प्रसाद जी और राम गोविन्द चौधरी जी तथा सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे और इसमें जो कमी हो उसके सम्बन्ध में सुझाव रखेंगे। मैं माननीय मन्त्री जी के सामने दो सुझाव रखना चाहूंगा और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा 11 सितम्बर, 1981 के अध्यादेश की तरफ। मान्यवर, इस अध्यादेश के 3(एक) में लिखा हैं। प्रबन्धतंत्र रिक्तियों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को देगा और उसकी सूचना तुरन्त संस्था के सूचना पट्ट पर भी लगायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों से इस आदेश के परिशिष्ट "ख" में दी गई विशिष्टियों के साथ संस्था के प्रबन्धक को आवेदन-पत्र देने की अपेक्षा की जायेगी। चयन अधिसूचना संख्या मा-4493/15-7-1 (79)-1981, दिनांक 31 जुलाई, 1981 के साथ जारी किये गये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 के, जिसे आगे कठिनाईयों को दूर करना प्रथम आदेश, 1981 कहा गया हैं, परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट गुणांक के आधार पर किया जायगा। गुणांकों का संकलन संस्थाध्यक्ष के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में किया जायगा। मैनेजमेन्ट ने जो नियुक्तियां की गुणांक के आधार पर की।

मेरा अनुरोध हैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से आप कुछ अध्यापकों को लाभ दिये हैं, कुछ ऐसे अध्यापकों को भी लाभ पहुंचा हैं, जिनके बारे में मांग नहीं थी। जो पीड़ित रहे हैं, जब उस पक्ष में जो बैठे हुये हैं, इधर बैठे थे, जनता पार्टी में सताये हुए अध्यापकों को सुविधा दी हैं, उनके साथ अन्य अध्यापकों को सुविधा दी हैं। इस अध्यादेश के तहत अनुरोध करूंगा कि मैनेजमेन्ट द्वारा नियुक्त अध्यापकों को भी नियमित करने के सम्बन्ध में विचार करें ताकि आगे आने वाले समय में इन तदर्थ अध्यापकों को भी लाभ मिले। अभी तक मण्डल स्तर तक शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ हैं। सी0 टी0 ग्रेड में जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई हैं, उनके नियमतीकरण के सम्बन्ध में आगे विचार करें। लेकिन जहां तक इस विधेयक का प्रश्न हैं, माननीय सदस्य गण सहमत होंगे कि निश्चित रूप से नियमतीकरण में शासन शिक्षा विभाग तथा माननीय शिक्षा मन्त्री ने जो अच्छा कदम उठाया हैं, उसका हम सबको स्वागत करना चाहिये। प्रवर समिति में भेजने की जो बात हैं माननीय सदस्य उसको वापस लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरी तौर से समर्थन करता हूं।

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वाजपेयी जी बोल रहे थे तो मुझे उम्मीद थी कि तदर्थ शिक्षकों के बारे में अच्छी परिभाषा देंगे।

अभी सरकारी पक्ष की ओर से कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे तो लगा कि इस आयोग के आने से पहले जो अध्यापक हमारी शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे थे, वह लायक नहीं हैं। प्रोफेसर साहब आप भी हैं। माननीय सदस्य के बोलने से यह लगा कि इस आयोग के आने से पहले आजादी के बाद जो अध्यापक विद्यालयों में काम करते रहे, वह लायक नहीं थे। प्रोफेसर साहब भी उस श्रेणी में आते हैं। यानी पुराने अध्यापकों के पढ़ाए हुए हम लोग लायक नहीं हैं। तो शिक्षा मन्त्री जी भी लायक नहीं हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि लायक नहीं हैं तो इसका मतलब है कि नालायक हैं। मन्त्री जी उसी श्रेणी में आते हैं। मैं सीधे कहना चाहता हूं इस विधेयक का हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? हमारा तो केवल यह कहना है कि कुछ कमियां रह गयी हैं और प्रवर समिति में भेजने का मतलब है कि जो कमियां हैं, उन पर बातचीत हो जाय। जो बातचीत यहां नहीं हो सकती, तदर्थ समिति में वह बातचीत हो जाय। मैं केवल एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनके विधेयक में हमारा कहना है कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सीधे नियुक्त" तथा शब्द 'ऐसे प्रत्येक' के बीच में केवल एक शब्द "तथा प्रबन्धाधिकरण द्वारा नियुक्त व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित" रख दिये जायं। तो मान्यवर, हम केवल एक शब्द बढ़ाना चाहते हैं पूरे विधेयक को रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इसमें जो कमियां रह गयी हैं, जो तदर्थ की बात है, तो मान्यवर, हम मानवता की बात सोचते हैं।

मान्यवर, स्वस्थ लोकतन्त्र में कानून में हृदय समाप्त हो जाता है तो वह कानून कत्ली और काला कानून हो जाता है। स्वस्थ लोकतन्त्र में हम ऐसे कानून की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो दिल न रखता हो, न दिमाग रखता हो। ऐसा कानून काला कानून होता है। मान्यवर, इन्होंने तो अध्यादेश के तहत 22 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की थी, वह किसकी कठिनाई थी जो इन्होंने अध्यादेश निकाला कि नियुक्ति कर ली जाय। अध्यापकों से 4 हजार से 20 हजार रुपये लेकर नियुक्ति की गयी। यह आपकी कठिनाई थी या आपके बदइन्तजाम का परिणाम है। आपने गलती की थी। आपने आयोग की घोषणा की लेकिन वह काम नहीं कर पाया और अपनी गलती को छिपाने के लिये आपने 22 हजार व्यक्तियों की नियुक्ति की। फिर नियुक्ति दो तरह से हुई। एक भर्ती सीधे इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा की गयी। मात्र 400 लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के द्वारा की गयी। दूसरे 22 हजार अध्यापक प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये गये। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने केवल उनकी संस्तुति की थी और जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज आपका यह विधेयक आया है, आज आधे घन्टे के बाद यह उन अध्यापकों पर छुरा चलाने का काम करेगा, उनके पेट पर लात मारने का काम करेगा, रोजी-रोटी छीनने का काम करेगा। कोई भी दिल वाली विधान सभा इसको पास करने की इजाजत नहीं देगी। इन शब्दों के साथ में जो यह प्रवर समिति का प्रस्ताव है, इसका समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी देर से अपने सम्मानित विपक्ष के सदस्यों की बात सुन रहा हूं। मान्यवर, यह जो विधेयक लाए हैं, प्रदेश के निर्माण के लिये लाए हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि ये अपने विचारों के बारे में पुनर्विचार करें। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, उनकी आवाज आपके बीच लाना चाहता हूं जो आज प्रदेश में चयन आयोग का सामना करके अपनी योग्यता के सहारे शिक्षक बनना चाहते हैं। मैं उन बेरोजगारों की आवाज आपके सामने लाना चाहता हूं।

ऐसे तमाम नौजवान हैं, जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं चयन आयोग के सामने उपस्थित होकर नियुक्त होना चाहते हैं। आप कौन सी परम्परा स्थापित करना चाहते हैं? आप लोग कहना चाहते हैं कि ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति विनियमित की जाय जो चयन आयोग को फेस नहीं करना चाहते हैं। ऐसी अगर परम्परा पड़ी, तो पूरे प्रदेश में एक गलत परम्परा स्थापित हो जायेगी। तदर्थ नियुक्तियों के बारे में इन्होंने कहा—तीन प्रकार की नियुक्तियां हैं—एक मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां, दूसरे—अल्पकालिक रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां, तीसरे—धारा 18 के अन्तर्गत नियुक्तियां जो अल्पकालिक रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां हैं, विनियमित करने की बात छेड़ दी तो पूरे प्रदेश में कोई भी संस्थान अल्पकालिक किसी को रखना नहीं चाहेगा। तब व्यवस्था कैसे चलेगी। आखिर कुछ समय के लिये रिक्तियां होती हैं, अगर ऐसी परम्परा पड़ गयी तो कुछ समय काम करने के बाद फिर लोग विनियमितीकरण की मांग को लेकर अनशन पर बैठ जायेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया—

आप 4 वर्ष वाली बात करिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्हें बोलने दीजिये।

श्री नरेन्द्र देव—

गलत परम्पराओं का प्रारम्भ न कीजिये। यह जो विधेयक है उसमें सुस्पष्ट है कि 1977-78 में जो लोग हड़ताल के समय, जब बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी और पूरी जनता सरकार डोल गयी उस समय यह कहा गया था कि हमारी मदद करो आओ शिक्षण संस्थाओं को चलाओ पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थायें ठप्प पड़ गयी हैं, उस समय मारपीट का भय न करके बहादुरी के साथ कई लोग आगे आये और शिक्षण संस्थाओं को चलाया, उनको विनियमित करने में आपको क्या दिक्कत थी, 19 जनवरी, 1978 के बाद क्या आपकी सरकार नहीं थी।

हम वह काम करने जा रहे हैं, शिक्षा मन्त्री जी जो काम करने जा रहे हैं,

आपको तो धन्यवाद देना चाहिये। उन लोगों ने गाढ़े समय में शासन की सहायता की थी।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र देव—

अभी माननीय माता प्रसाद जी, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, विधेयक पढ़ रहे थे। मैं तो सबसे कनिष्ठ सदस्य हूं इस सदन का। मान्यवर, उन्होंने धारा 4-5 पढ़ा। उसमें नीचे उन्होंने 21-घ (2) नहीं पढ़ा 21-घ (1) नहीं पढ़ा। मैं आग्रह करूंगा कि वे पढ़ें और पुनर्विचार कर लें कि एक सही परम्परा स्थापित करने के लिये इसे लाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा कि इस विधेयक का भरपूर समर्थन किया जाय और इस तरह से एक स्वस्थ परम्परा पूरे प्रदेश में प्रारम्भ करें। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

काफी समय हो गया है। माननीय मैनेजर सिंह जी एक मिनट में अपनी बात कहें। उसके बाद चौधरी जी बोलेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी कई सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। विरोध पक्ष द्वारा जो विनियमितीकरण का प्राविधान किया जा रहा है, उसकी मुखालिफत नहीं की जा रही है। जिस प्रकार आप जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त अध्यापकों के विनियमितीकरण का प्राविधान कर रहे हैं, उसी प्रकार इन 22 हजार अध्यापकों जिनकी नियुक्ति तदर्थ रूप से हुई है, को भी विनियमितीकरण करने का प्राविधान आप इसमें करें। आपके सत्ता पक्ष के वरिष्ठ माननीय श्री बाजपेयी जी जो स्वयं शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी आपसे अनुरोध किया है। यही अनुरोध हम भी आपसे करना चाहते हैं। आज शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरा भी कई विद्यालयों से सम्बन्ध है इसलिए मैं साधिकार कहना चाहता हूं कि ये जो 22 हजार अध्यापक हैं, इसमें से तीन चौथाई ऐसे अध्यापक हैं जिन बेचारों ने अपनी खेती गिरवी में रखकर और अपने औरतों का गहना बेचकर, रिश्वत देकर तदर्थ रूप से नियुक्ति पाई है। यह रिश्वत आपके कुछ भ्रष्ट मैनेजमेन्ट के लोगों ने ली और कुछ आपके अधिकारियों ने रिश्वत ली है, तब जाकर उनको नियुक्ति मिली है। ऐसे लोगों पर आपको दया आनी चाहिए। उनके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए।

मान्यवर, मैं बहुत ही बल के साथ कहना चाहता हूं कि जब से आपका यह चयन आयोग बना है और नियुक्ति के कानून बने हैं, उतना ही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आपके चयन आयोग में भी रुपया और रिश्वत चलता है। आपने नियम में प्राविधान किया है कि जो पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज में पढ़ाया होगा वही पोस्ट ग्रेजुएट कालेज को प्राचार्य बनाया जायेगा। लेकिन आपके इसी लखनऊ के एक बहुत बड़े पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में एक ऐसे व्यक्ति को प्राचार्य बनाया गया है जिसने कभी भी पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज में पढ़ाया नहीं है। कहा जाता है

कि बीस हजार रुपया रिश्वत देकर नियुक्ति प्राप्त की गई हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार आपके चयन आयोग में फैला हुआ हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए और जो ऐसे भ्रष्ट लोग चयन आयोग में हैं, उन्हें हटाइये। जो रिटायर्ड जज हैं, इन्हें आप नियुक्त करें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप अपने विभाग पर दृष्टि डालें। आपके विभाग में इतना भ्रष्टाचार हैं कि पदों का सृजन बिना रिश्वत दिये हुए नहीं होता हैं। 2 साल पहले या 3 साल पहले जिन इन्टरमीडिएट स्कूलों को सरकार ने मान्यता दे रखी हैं। उन विद्यालयों में आज तक एक भी अध्यापक का पद सृजन नहीं किया गया हैं। इलाहाबाद में जो आपका कार्यालय हैं, वहां बिना रिश्वत के पद सृजन नहीं होता हैं। मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप एक व्यापक कानून यहां पर लायें। इस प्रकार के कानून जो बनाये जा रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं हैं। अन्यथा आप सभी विद्यालयों को आप राजकीय विद्यालय बना डालें। मैं भी आपको दावत देता हूं कि हमारे पास जो 6-7 स्कूल हैं, हम भी उन्हें सरकार को देने के लिए तैयार हैं।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, यहां पर जो विधेयक लाया गया हैं, इसमें माननीय मन्त्री जी ने कुछ लोगों के साथ न्याय किया हैं लेकिन जिन लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाये हैं, उनके सम्बन्ध में इधर से बातें कही जा रही हैं।

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट हैं कि 3 तरह के शिक्षकों का मामला शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन होना चाहिए था। एक जो तदर्थ हैं, उनमें दो तरह के हैं, एक इन्स्पेक्टर आफ स्कूल द्वारा सीधे नियुक्त हुए और दूसरे प्रबन्धकों ने नियुक्त किये और उसका एप्रूवल भी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त हो गया। परन्तु एक प्रकार के और हैं जो प्रोन्नत हुए हैं जब शिक्षा विभाग में संकट छाया था और जिन लोगों ने सेवायें की थीं, उनका विनियमितीकरण होना चाहिए। कोई फर्क नहीं हैं शिक्षकों में, समान वेतन पाया, समान प्रकार की योग्यता रखते हैं, उनके साथ न्याय न करने का कोई औचित्य नहीं हैं। इस नाते केवल इतनी बातचीत की जा रही हैं कि जिन लोगों का विनियमितीकरण हो रहा हैं, उनमें प्रोन्नत शिक्षकों तथा मैनेजमेन्ट द्वारा नियुक्त शिक्षकों की विनियमितीकरण को भी शिक्षा मन्त्री स्वीकार कर लें।

*श्री किरन पाल सिंह—

जो माननीय सदस्य ने बातें कहीं, वही विचार मेरे भी थे। जो विधेयक हैं . .

(व्यवधान)

श्री हरदेव—

(बैठे-बैठे) गरीब शिक्षकों का पैसा लौटाया जाय, घूस लिये हैं ये लोग 10-10 हजार।

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरन पाल सिंह—

अध्यापकों के विनियमितीकरण के लिए हैं यह विधेयक, अच्छा हैं, स्वागत योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जो अध्यापक, 78 में हड़ताल के दौरान रखे गये, उनके विनियमितीकरण की बात हैं। तमाम माध्यमिक शिक्षकों को एक ही बराबरी पर मान कर चलते हैं। इस विधेयक के आने के बाद, मन्त्री जी देखें, जो तदर्थ रूप से नियुक्त हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

मैं कहता हूं नहीं होगा। जब प्रदेश में सन् 78 में अध्यापक रखे गये थे, उनको रेगुलाइज कर रहे हैं लेकिन अभी आपके सामने एजेण्डा में भी हैं, लास्ट आइटम, जिसमें एक घण्टे की चर्चा हैं तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में। जब एक समस्या हमारे प्रदेश के सामने हैं, असेम्बली का वक्त भी बड़ा कीमती हैं, बड़ा ऐसा खर्च होता हैं, तो मेरा निवेदन हैं कि जहां यह विधेयक अच्छा हैं वहीं अधूरा हैं और जो प्रदेश के सामने समस्यायें हैं माध्यमिक शिक्षकों की, तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में, वहीं मेरा सुझाव था कि तमाम समस्याओं को एक साथ जोड़कर कोई विधेयक लाते और जो समस्या हैं, सदा-सदा के लिए उसका समाधान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि इसको वापस लेकर प्रदेश के सामने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के विनियमितीकरण की जो समस्या हैं, उसको, विधेयक को पूरा करके लायें और उनका विनियमितीकरण हो, यही मेरा सुझाव हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत थोड़े में, उसके बाद त्रिलोक चन्द जी आप।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं आभारी हूं पक्ष और विपक्ष के जिन लोगों ने अनुमोदन के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये और मुझे दुख हैं कि माननीय सच्चिदानन्द वाजपेयी जी अभी कह रहे थे कि मैंने शायद अध्यादेश को ठीक से पढ़ा नहीं हैं, इसीलिए वह शिक्षा मंत्री जी को पढ़ा भी रहे थे। मैंने इस अध्यादेश और विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ा और मैंने शुरू में ही कहा था कि आप जिन लोगों का विनियमितीकरण कर रहे हैं उनके अलावा जो लोग बच रहे हैं उनके लिए यह विधेयक काला विधेयक के रूप में हैं और मैं अब भी कह रहा हूं कि काले से भी अधिक काला हैं। जैसा अभी बाबू मैनेजर सिंह जी ने कहा कि अपने खेत बन्धक रखकर घर के गहने बेचकर तदर्थ रूप से नियुक्त हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री हरदेव—

(बैठे-बैठे) इन सब को घूस दिये हैं....

(व्यवधान)

(श्री हरदेव द्वारा बैठे-बैठे माइक खींचकर मुंह के पास लाकर बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी, आप शान्त रहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

अभी माननीय सुरेन्द्र कपिल जी बोल रहे थे, मैं भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा हैं या नहीं, लेकिन आप अपने दल के लोगों को पढ़ा दीजिये कि विधेयक में क्या प्राविधान हैं। केवल इतना ही हम सारे लोगों का कहना हैं कि तीन लोग भूतपूर्व मुख्य मन्त्री वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री और उस समय शिक्षा मन्त्री वाजपेयी जी भी थे और वर्तमान मुख्य मन्त्री नारायण दत्त तिवारी जी, इन सारे लोगों ने उनको आश्वासन दे दिया कि हम आपकी भी सेवाओं का विनियमितीकरण करेंगे। हम तो यह चाहते थे कि जब अध्यादेश ले आये हैं तो इसमें उन लोगों का भी प्राविधान करने में क्या कठिनाई थी ? आप चाहते भी हैं, दिल में दर्द भी हैं तो इसमें कौन सा प्रदेश लुट जाता ? इसमें कोई वित्तीय अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा हैं सरकार पर। उनको पहले से पेमेण्ट हो रहा हैं बैंक पेमेण्ट कर रही हैं। जब अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ रहा हैं तो आपकी मंशा काली नहीं हैं तो साफ कहां हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, यह ड्रामा नहीं हैं, लोगों की रोजी-रोटी का सवाल हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ रहा हैं और आप लोगों की, शिक्षा मन्त्री की मंशा साफ हैं तो प्राविधान क्यों नहीं किया कि जो तदर्थ रूप से नियुक्त हैं और जो पदोन्नत हैं, जो 77-78 की हड़ताल में नियुक्त किये गये थे, उन तमाम लोगों का, जिनकी संख्या 22 हजार हैं, उनका विनियमितीकरण न करने का क्या कारण हैं ? मैं तो चाहता हूं कि चाहे आपकी ही हमदर्दी हो, लेकिन इससे उनकी रोजी-रोटी की समस्या हल हो जाय, आप इसको वापस ले लीजिये और अन्तिम दिन जिस दिन सदन उठने वाला हो, उस दिन उनको बहाल कर दीजिये।

*श्री त्रिलोक चन्द्र—

अभी उधर से कई नौजवान साथी बड़े जोश में बोले कि मैं जो प्रवर समिति का प्रस्ताव लाया हूं, इसके विरोध में लाया हूं, चाहे साढ़े तीन हजार का फायदा हो या चार हजार का फायदा हो, इससे कोई मतलब नहीं हैं। यह विधेयक तो वैसे ही देर से आया हैं, इसका विरोध करने का सवाल नहीं हैं। एक बात मालूम पड़ी कि हाउस में उधर के लोग इधर के लोगों से कह रहे थे कि पढ़ा नहीं हैं और इधर के लोग उधर के लोगों से कह रहे थे कि ठीक से पढ़ा नहीं हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि दोनों ओर ध्यान से पढ़ा गया हैं, आप आगे बढ़ें।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यह आरोप हैं कि इधर के लोग कहते हैं कि उधर के लोगों की समझ में नहीं आया और उधर के लोग कहते हैं कि इधर के लोगों की समझ में नहीं आया। मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि जब समझ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं आ रहा हैं तो इसको प्रवर समिति में भेज दीजिये ।

इतना हम कह रहे हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं हैं कि हमने विधेयक को पढ़ा नहीं हैं या समझा नहीं हैं । आप इसे यदि प्रवर समिति में भेज देंगे तो जिसकी समझ में यह विधेयक नहीं आ पाया हैं वह भी इसको समझ लेगा ।

श्री सिब्ते रजी—

श्रीमन्, मैंने दोनों पक्षों के सदस्यों के विचार इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के सम्बन्ध में सुने और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की यह बात को मानते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि दोनों तरफ के सदस्यों ने इसे पढ़ा हैं और समझा हैं ।

मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हैं कि हमारे काबिल, लायक और योग्य सदस्य श्री राजेन्द्र गुप्त जी को जो हमारे नेताओं के द्वारा दिये गये आश्वासन हैं उनकी उन्हें बड़ी चिन्ता हैं और बराबर वे इस पर विचार कर रहे हैं । मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हम लोग उन लोगों में से हैं कि अगर कोई बात कह देते हैं तो उसके पीछे कोई धोखा नहीं होता हैं । जैसे कि उधर के एक साथी कह रहे थे कि चुनाव का समय रहा होगा तो ऐसे आश्वासन दे दिये होंगे । मैं कहता हूं चुनाव लोकतंत्र और जनतंत्र में तो रोज आते हैं और रोज जाते हैं, लेकिन हम तो यह देखते हैं कि जनता का हित किस बात से होता हैं शासन जब किसी नतीजे पर पहुंचता हैं तो यह जो सारे मुद्दे हैं, जो समाज का उत्तरदायित्व हैं, इन तमाम बातों को सामने रखकर फैसला किया जाता हैं । मान्यवर, मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया हैं उस पत्रावली का जिसमें कि तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण के बारे में शासन के सामने यह मसला चल रहा था । उस पत्रावली में मुझे कहीं यह नहीं मिला कि हमारे माननीय नेताओं ने तदर्थ अध्यापकों को इस प्रकार का आश्वासन दिया था, यह पत्रावली में कहीं नहीं आया हैं । जितनी आप बात कर रहे हैं, मैंने यह सब उसमें अध्ययन करके देखी हैं ।

हमारे एक लायक दोस्त ने कहा कि अखबारों में इस तरह की बात आयी थी । तो उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सदन में दिये गये आश्वासनों की बराबरी अखबारों से करेंगे या अखबारों की बात सदन के बराबर आप लाकर रख देंगे तो बात बहुत गम्भीर हो जायेगी । यदि कोई आश्वासन दिया गया था तो इस पर विवेक से सारे प्रकरण को देख कर हर कैटेगरी के बारे में आश्वस्त किया जाता हैं और फिर कोई निर्णय लिया जाता हैं और सारी चीजों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा ।

माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि 7 दिन की बात रख दिया हैं । मान्यवर, यह प्रकरण 1977 का हैं इसके 7-8 साल बीत गये । हो सकता हैं कि कोई व्यक्ति इस बीच कोई दूसरी नौकरी में चला गया हो । यदि वह कहीं दूसरी जगह चला गया हैं तो दूसरे आदमी को वहां पर 7 दिन के अन्दर भेज दिया जायेगा ।

मान्यवर, इस प्रकरण पर अच्छी तरह से विचार कर लिया गया हैं मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कि इसे प्रवर समिति में भेजे जाने की कोई

जरूरत है, अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम गोविन्द चौधरी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

नहीं, मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, हां की संख्या अधिक थी क्योंकि इधर के लोगों ने हां किया और उधर के लोगों ने भी हां किया ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी शंका को दूर करने के लिए पुनः पढ़ देता हूं ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 तथा खण्ड 3 उत्तर प्रदेश

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 18 और 33" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 18, 21-ख, धारा 21-ग, 21-घ, 33 और 33-क" रख दिये जायेंगे । अधिनियम का संशोधन

धारा 21 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्

"परन्तु जहां इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ की उपधारा (3) के अनुसार

निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के लिये कोई निर्देश पहली जनवरी, 1984 के पूर्व किया गया हो, वहां आयोग के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे निर्देश पर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो ;"

(ख) उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु जहां इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ की उपधारा (3) के अनुसार निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के लिये कोई निर्देश इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया हो, वहां बोर्ड के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे निर्देश पर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और खण्ड 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया अध्याय चार-क का बढ़ाया जाना

खण्ड 4

4—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्

"अध्याय चार-क

आरक्षित समूह के अध्यापक

परिभाषाएं

21-क—इस अध्याय में,—

(क) "निदेशक का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ख) पद "निरीक्षक", "संस्था", "प्रबन्धतंत्र" और "अध्यापक" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में क्रमशः शब्द "निरीक्षक", "संस्था" "प्रबन्धाधिकरण (मैनेजमेन्ट)"

और "अध्यापक" के लिए दिये गये हैं, परन्तु "अध्यापक" के अन्तर्गत प्रिन्सिपल या प्रधानाध्यापक नहीं होगा ।

आरक्षित समूह के अध्यापकों का आमेलन

21-ख—(1) निरीक्षक विहित रीति से "आरक्षित समूह अध्यापकों" का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे व्यक्तियों की विषयवार सूची होगी जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन, जब कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 प्रवृत्त था, या तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा या निरीक्षक द्वारा जिले में स्थित किसी संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने 9 जनवरी, 1978 और 19 जनवरी, 1978 के मध्य (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) उक्त उपबन्ध के अनुसार वस्तुतः अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1978

(2) आरक्षित समूह के ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, 1978 या उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) अध्यादेश, 1978 के उपबन्धों के अनुसार किसी संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय के आदेश से या किसी अन्य कारण से सेवा में बना है, ऐसे पद पर नियमित रूप से नियुक्त समझा जायेगा और उस दिनांक से जबसे वह सामान्य रूप में स्थायी कर दिया गया होता, ऐसे पद पर स्थायी किये जाने का हकदार होगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1978

(3) जहां किसी संस्था में अध्यापक के किसी पद की मौलिक रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, वहां निरीक्षक के अनुरोध पर प्रबंधतंत्र ऐसा पद उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न किसी ऐसे अध्यापक को देने की प्रस्थापना करेगा जिसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट हो ।

(4) यदि किसी अध्यापक को उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय और वह तदर्थ अनुमन्य समय के भीतर, जो सात दिन से कम नहीं होगा

कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो उसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट रीजस्टर से हटा दिया जायगा, और नियुक्ति की प्रस्थापना उस विषय में उसी जिले के अगले आरक्षित समूह अध्यापक को की जायगी ।

(5) यदि ऐसा अन्य अध्यापक भी जिसकी नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जायगा जब तक कि उस विषय में उस जिले के आरक्षित समूह अध्यापकों की सूची निःशेष न हो जाय ।

(6) किसी संस्था में किसी अध्यापक की नियुक्ति धारा 16 के अधीन तब तक नहीं की जायगी, जब तक कि सम्बद्ध विषय में उस जिले के आरक्षित समूह अध्यापकों की सूची उपधारा (5) के अनुसार निःशेष न हो जाय ।

स्पष्टीकरण—संदेहों के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस धारा के उपबन्धों के आधार पर कोई अध्यापक किसी ऐसे विशेष पद पर जिसका उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट रीति से कार्यभार ग्रहण किया था, या उसी वेतनमान या किसी उच्चतर वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति का दावा करने का हकदार न होगा ।

स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक की शक्ति

21-ग—(1) जहां किसी जिले में किसी विषय में शिक्षण के लिए उपलभ्य रिक्तियां नियुक्ति के लिये आरक्षित समूह अध्यापकों की उपलभ्य संख्या से कम हों, या जहां ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या समीचीन हो, वहां निदेशक धारा 21-ख में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निदेश दे सकता है कि किसी ऐसे अध्यापक का नाम किसी एक जिले में रखे गये रीजस्टर से निकाल दिया जाय और उसे अन्य जिले में रखे गये रीजस्टर में सम्मिलित किया जाय ।

(2) जहां किसी आरक्षित समूह अध्यापक का नाम उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अन्य जिले के रीजस्टर में सम्मिलित किया जाता है, वहां धारा 21-ख के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे अध्यापक के संबंध में लागू होंगे सिवाय इसके कि ऐसे जिले में किसी अध्यापक के रूप में सेवा की अपेक्षा आवश्यक न होगी ।

21-घ—(1) जहां प्रबन्धतन्त्र निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारा 21-ख की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार किसी अध्यापक को किसी पद की प्रस्थापना करने में विफल रहे, वहां निरीक्षक स्वयं ऐसे अध्यापक को नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है और सम्बन्धित अध्यापक ऐसे नियुक्ति-पत्र के अनुसरण में पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार होगा ।

प्रबन्धतन्त्र द्वारा चूक की दशा में अध्यापकों की नियुक्ति

(2) जहां ऐसा अध्यापक जिसे उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति-पत्र जारी किया जाय, प्रबन्धतंत्र की ओर से कोई कार्य या लोप किये जाने के कारण पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ रहता है, वहां ऐसा अध्यापक अपना कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है और तब वह उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार हो जायेगा ।"

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 21-ख की उपधारा (1) के अन्त में शब्द "अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में योगदान दे दिया था" बढ़ा दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपको स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी—

माननीय, मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 द्वारा मूल अधिनियम की धारा-21 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 21-ख की उपधारा (1) के अन्त में शब्द "अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में योगदान दे दिया था" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5

नई धारा 33-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"33-क—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संवा आयोग और चयन बोर्ड संशोधन) अध्यादेश, 1985 के प्रारम्भ के पूर्व, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 के पैरा 2 के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तद्‌र्थ आधार पर सीधे नियुक्त ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हताएं रखता है या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायेगा, बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

कतिपय नियुक्तियों का नियमितीकरण

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायेगा।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति का हकदार है"—

(क) यदि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को ऐसा पद पहले ही भर दिया गया हो या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम के अनुसार चयन किया जा चुका है" ; या

(ख) यदि ऐसा अध्यापक संबद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या उसके प्राचार्य या प्रधान अध्यापक का सम्बन्धी है"।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि—

(एक) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों ; या

(दो) वे पति और पत्नी हों ; या

(तीन) एक व्यक्ति दूसरे से इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से सम्बन्धित हो।"

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"33-क-(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 से प्रारम्भ के पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 या धारा 18 के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा अनुमोदित जैसी भी स्थिति हो, मौलिक रिक्त पर तदर्थ आधार पर नियुक्त या प्रोन्नत एवं ऐसी प्रोन्नति के फलस्वरूप हुई रिक्ति पर, प्रोन्नत या नियुक्त ऐसे अध्यापकों को, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में निहित अर्हताएं रखता हैं या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं में छूट दी गयी हैं, नियुक्ति के दिनांक से मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायेगा।"

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी क्या आपको यह संशोधन स्वीकार हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मुझे अस्वीकार हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह हैं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"33-क (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 से प्रारम्भ के पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 या धारा 18 के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा अनुमोदित जैसी भी स्थिति हो, मौलिक रिक्त पर तदर्थ आधार पर नियुक्त या प्रोन्नत एवं ऐसी प्रोन्नति के फलस्वरूप हुई रिक्ति पर, प्रोन्नत या नियुक्त ऐसे अध्यापकों को, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में निहित अर्हताएं रखता हैं या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं में छूट दी गयी हैं, नियुक्ति के दिनांक से मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायेगा ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं, खन्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) की चौथी पंक्ति से शब्द और अंक "पैरा 2 के" निकाल दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 मंत्री जी क्या यह संशोधन आपको स्वीकार हैं।

श्री सिन्हे रजी—

मान्यवर, मुझे अस्वीकार हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह हैं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) की चौथी पंक्ति से शब्द और अंक "पैरा 2 के" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं, खन्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सीधे नियुक्त" तथा शब्द "ऐसे प्रत्येक" के बीच में शब्द "अथवा प्रोन्नत" रख दिये जायें ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह संशोधन केवल इस उद्देश्य से दिया गया हैं कि अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो दोनों प्रकार के—तदर्थ और प्रोन्नत—शिक्षकों की रक्षा हो जाती हैं और जो विवाद हैं, उसका समाधान हो जायेगा । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी क्या आपको यह संशोधन स्वीकार हैं ।

श्री सिन्हे रजी—

मान्यवर, मुझे अस्वीकार हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह हैं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सीधे नियुक्त" तथा शब्द "ऐसे प्रत्येक" के बीच में शब्द "अथवा प्रोन्नत" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सीधे नियुक्त" तथा शब्द "ऐसे प्रत्येक" के बीच में शब्द "तथा प्रबन्धाधिकरण द्वारा नियुक्त व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित" रख दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, आपको क्या यह संशोधन स्वीकार हैं ।

श्री सिन्हे रजी—

मान्यवर, मुझे अस्वीकार हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह हैं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (1) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सीधे नियुक्त" तथा शब्द "ऐसे प्रत्येक" के बीच में शब्द "तथा प्रबन्धाधिकरण द्वारा नियुक्त व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (2) को निकाल दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, क्या आपको यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी—

मुझे अस्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (2) को निकाल दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(8 बजकर 20 मिनट)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (2) में शब्द "को ऐसे - - - - - समझा जायेगा" के स्थान पर शब्द "का परवीक्षाकाल उसकी नियुक्ति के दिनांक से ही आरम्भ माना जायेगा" रख दिये जायें । मान्यवर, इसमें तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए, माननीय मंत्री जी को ।

श्री सिब्ते रजी—

मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (2) में शब्द "को ऐसे - - - समझा जायेगा" के स्थान पर शब्द "का परवीक्षाकाल उसकी नियुक्ति के दिनांक से ही आरम्भ माना जायेगा" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (3) का मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, यह वही उपधारा है जिसके तहत माननीय न्यायाधीशों ने स्टे आर्डर दिया है । यदि आप इसे भी अस्वीकार करते हैं तो वह हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने स्वयं कहा है बहुत ही सीमित परिधि के लिए इस मामले में स्टे लिया गया है, इसीलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (3) (ख) में से शब्द "या उसके प्राचार्य या प्रधान अध्यापक" निकाल दिये जायं । मान्यवर, इसे तो मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं इसे बड़े आदर के साथ अस्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (3) (ख) में से शब्द "या उसके प्राचार्य या प्रधान अध्यापक" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (3) को निकाल दिया जाय ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 33-क की उपधारा (3) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 6, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1985

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

(2) यह 12 जून, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड 6, खन्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सिद्दीकी रजी—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मद संख्या 17 को स्थगित करके किसी दूसरे दिन लिए जाने हेतु सदन की की सहमति

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखते हुए . . . .

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, एक प्रस्ताव ले आये हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, मैं खड़ा हूं तो आप कैसे बोल रहे हैं ? आज जो अंतिम प्रस्ताव है उस विषय में काफी चर्चा कर ली है । माननीय सदस्यों को काफी मौका इसमें मिला है इस मद संख्या 17 के सम्बन्ध में इसे आप वापस ले लें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

उसे आगे करने के लिए लिख कर दिया है । काफी समय का क्या मतलब है वह हमने विस्तृत चर्चा के लिये दिया है हमारे नेता ने लिख कर दिया है क्योंकि 10 बजे तक आप हाऊस चलाते हैं इसलिए इसे दूसरे दिन कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि इसमें एक घंटे की चर्चा थी मैं समझता हूं इसे आज स्थगित करके किसी अगले दिन के लिए रख दिया जाता है।

श्री गौरी शंकर भइया—

एक संशोधन प्रस्ताव है नियम 110 के अंतर्गत शोध प्रस्ताव आया है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 में मुझे 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से एक सूचना मैंने स्वीकार की है जो श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की है जिसमें बांदा में मसौनी पम्प कैनाल के अधूरे निर्माण से सैकड़ों एकड़ भूमि के बरबाद होने के संबंध में बात कही है। बाकी सभी सूचनायें मैंने अस्वीकार की हैं।

दिनांक 24 जुलाई, 1985 को सीतापुर जिले में तम्बौर से बिसवां आ रही बस के दुर्घटना-ग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(परिवहन मंत्री के खड़े होने पर))

श्री खान गुफरान जाहिदी—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोगों की राय हो तो पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

परिवहन मंत्री (राज कुमार संजय सिंह)—

[दिनांक 23-7-1985 को सीतापुर जनपद में तम्बीर से बिसवां जा रही बस संख्या यू0 टी0 जी0 6775 दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। अन्य दो व्यक्तियों की मृत्यु बाद में चिकित्सालय में हो गयी। घटना में घायलों की प्रमाणित संख्या 17 बतायी गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी थीं जो पुलिस के आने के पूर्व ही चले गये थे।

2. जिलाधिकारी के अनुसार यह बात स्पष्ट नहीं हो पायी कि बस में अधिक सवारियां थीं तथा लोग बोनट पर बैठे थे इस सम्बन्ध में विवेचना प्रचलित है। दुर्घटना में किसी दुधमुंहे बच्चे की मृत्यु नहीं बतायी गयी है, दुर्घटना का कारण सामान्यतः ओवरटेकिंग में चालक द्वारा असावधानी बतायी गयी है।

3. यह कहना सही न होगा कि पुलिस तथा परिवहन विभाग की सांठगांठ से अधिक सवारियां बैठायी जाती हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इस मार्ग पर चेकिंग की गयी है तथा ओवरलोडिंग पाने पर गाड़ियों का चालान भी किया गया है।

4. सम्बन्धित वाहन का परमिट एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र वैध था तथा मार्गकर एवं यात्रीकर भी जमा था।

5. मृतकों के आश्रितों में मुआवजा वितरण हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी को एक लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि मुआवजे का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करें।

6. पुलिस द्वारा दुर्घटना से संबंधित मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कैसे निश्चित किया कि सवारियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। आपने जो आधार दिया है उसमें जिलाधिकारी की रिपोर्ट को आधार माना है। कायदे से जिलाधिकारी का नाम इसमें नहीं आना चाहिये था लेकिन आ गया है और उसकी रिपोर्ट का आपने हवाला दिया है। मेरी जानकारी है कि सवारियों की संख्या काफी ज्यादा थी। दूसरी बात यह कि लोग बोनट पर बैठ कर चल रहे थे और झटके से आगे गिर गये जो कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में भी है उसमें भी यही लगता है लटकने झटकने से दूसरी तरह की चोट आयेगी।

श्री अधिष्ठाता—

दूसरे प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता हूं यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निश्चित करेगी।

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, जो पहला सवाल किया है कि यह कैसे निश्चित किया गया कि उसमें कितने आदमी थे। तो जिस समय इस दुर्घटना की सूचना मिली जिलाधिकारी वहां गये, जितने लोग बचे थे जो घायल थे वह रह गये थे बाकी लोग चले गये थे।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

जिलाधिकारी 40 मील दूर से पहुंचे तब तक लोग जा चुके थे क्या वहां पर जो यात्री मौके पर मिले उनका बयान लिया गया है कि कितने आदमी थे उन्होंने बताया होगा कि कितनी संख्या थी क्या चुटहिल लोगों का बयान लिया गया है?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो बताया कि यात्रियों का बयान लिया है।

राजकुमार संजय सिंह—

वहां जितने लोग बचे थे इकट्ठा इसके बारे में जानकारी दी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जैसा माननीय मंत्री जी ने बयान दिया मैं जानना चाहता हूं क्योंकि जब बस चलती है तो उसका वे-बिल बनता है कि इतने आदमी है और उसी के हिसाब से पैसेन्जर टैक्स लिया जाता है। तो बता दीजिए कि कितनी सवारियां थीं जिससे मालूम हो जायेगा?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, इसकी सूचना यहां पर नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, अधूरी सूचना है, इसलिये इसको स्थगित करें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरी सूचना को आप देखें जिसमें है कि 125-150 सवारियां बस में थीं और कुछ बोनट पर बैठी थीं, इसलिये ड्राइवर नहीं देख पाया। मान्यवर, पुलिस और परिवहन विभाग दोनों की मिली भगत से बसों में इतने अधिक लोग बैठते हैं जिससे कर की चोरी और हानि होती है। इसलिये प्रार्थना है कि पुनः मंत्री

जी जानकारी मंगा लें और पुनः बयान दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

उत्तर तो आ गया है, यदि विशिष्ट कोई जानकारी चाहते हैं तो पूछ लें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि बस में संख्या यात्रियों की आवश्यकता से ज्यादा नहीं थी तो उसका आधार क्या है ? ने बिल इनके पास हैं नहीं, चोटीहिल की संख्या है नहीं, इसलिए इसको स्थगित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

इसके बारे में बताया जा चुका है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यात्री कर कैसे लेते हैं उसके संबंध में इनके पास वे-बिल हैं नहीं । इसलिए पूरी सूचना जब नहीं है तो इसको स्थगित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ज्ञान दे रहे हैं, शांत रहें ।

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, श्री गुप्त जी ने कहा कि बस में बोनट पर लोग बैठे थे, तो बोनट बाहर नहीं होता है वह अंदर होता है । दूसरे श्री माता प्रसाद जी ने जो जानकारी चाही है वह उनको करा देंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या हम मान लें कि परिवहन विभाग में कर की चोरी बड़े पैमाने पर होती है, चूंकि इनके पास वे-बिल तक नहीं हैं ? इसलिये क्या यह सूचना मंगा कर मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

इसको माननीय मंत्री जी आप सदन के पटल पर रख देंगे ।

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, टैक्स की बात नहीं की गयी है बल्कि प्रश्न है कि कितने लोग मरे हैं, तो जो मरे हैं उनको कम्पंसेशन दे दिया गया है । इसके अलावा जो आप की शंका है उसके बारे में वह हमसे मिल कर पूछ लें ।

चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को आरक्षण नीति के अनुसार पदोन्नत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(जन स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

इसको क्या पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया ।

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।]

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

[प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में स्पेशल ग्रेड (वेतनमान रु0 1840-2400) के अन्तर्गत निम्नलिखित पद आते हैं—

1—मुख्य चिकित्साधिकारी ।

2—वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी (स्पेशल ग्रेड) ।

4—कन्सल्टेन्ट ।

5—उप निदेशक ।

6—अतिरिक्त मेडिको लीगल एक्सपर्ट ।

प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग में ज्येष्ठता सम्बन्धी विवाद उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं । माननीय न्यायालयों के अन्तरिम आदेशों के अनुसार उक्त संवर्ग में विभिन्न प्रोन्नति के पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियां की जा रही हैं । स्पेशल ग्रेड के उपर्युक्त पदों पर प्रोन्नतियां शासन द्वारा चयन की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में प्रसारित कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत की जाती हैं, वर्तमान में उक्त पदों पर विभागीय प्रोन्नति के लिये पात्रता क्षेत्र का निर्धारण निम्नवत् हुआ है—

"पात्रता क्षेत्र—स्पेशल ग्रेड के उपर्युक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वेतनमान रु0-1250-2050 में सीनियर स्केल के किसी पद पर नियुक्त अधिकारी जिन्होंने सीनियर स्केल के किसी पद पर कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो ।"

2—उपर्युक्त पात्रता क्षेत्र के आधार पर ही 6 जुलाई, 1985 को आयोजित विभागीय चयन समिति ने स्पेशल ग्रेड की 94 रिक्तियों के लिये पात्रता सूची में रखे गये सामान्य तथा अनुसूचित जाति के पात्र अधिकारियों के प्रोन्नति हेतु चयन पर विचार किया । उक्त 94 रिक्तियों में से 14 रिक्तियां पी0 एम0 एस0 (महिला) संवर्ग की तथा शेष 80 रिक्तियां पी0 एम0 एस0 तथा पी0 एच0 एस0 संवर्गों की थीं । अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिये 2 प्रतिशत अनुमन्य आरक्षण के अंतर्गत उक्त रिक्तियों के समक्ष अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये निम्न पद आरक्षित श्रेणी में रखे गये—

संवर्ग का नाम	आरक्षित पदों की संख्या
अनुसूचित जाति ।	अनुसूचित जन जाति
1—पी0 एम0 एस0/पी0 एच0 एस0 संवर्ग	
14	1
2—पी0 एम0 एस0 (महिला) संवर्ग	
03	—

उक्त अनुसूचित जाति की आरक्षित रिक्तियों के समक्ष पी0 एम0 एस0 संवर्ग में केवल 13 अधिकारी पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध थे जब कि अनुसूचित जन जाति के उपलब्ध एक मात्र अधिकारी, जो अक्टूबर, 1985 में सीनियर स्केल के पद का 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, के

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मामले में भी चयन समिति ने विचार किया। पी0 एम 0एस0 (महिला) संवर्ग में भी उक्त जाति का कोई अधिकारी पात्रता में उपलब्ध नहीं था। 6 जुलाई, 1985 की बैठक में चयन समिति ने सिर्फ पात्र महिला चिकित्साधिकारियों के मामले में निर्णय लिया तथा पुरुष अधिकारियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए चयन के मामले को अगली तिथि के लिये स्थगित कर दिया।

पुरुष अधिकारियों के संबंध में चयन समिति की बैठक 1 अगस्त, 1985 को हुई। उस बैठक में सभी पुरुष अधिकारियों के चयन पर विचार विमर्श हुआ तथा चयन समिति ने 76 सामान्य वर्ग के तथा 8 अनुसूचित जाति तथा 1 जन जाति के अधिकारी को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया। सामान्य व अनुसूचित जाति के उपयुक्त अधिकारियों को प्रोन्नति व तैनाती के आदेश क्रमशः शासनादेश संख्या 5460-सेक-3/पांच-6(65)-85, दिनांक 3 अगस्त, 1985 तथा शासनादेश संख्या 5461—सेक-3/पांच-6(65-85, दिनांक 3 अगस्त, 1985 द्वारा निर्गत हो चुके हैं।

अतः यह शंका निराधार है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की प्रोन्नति में व्यवधान डाला गया।]

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानकारी चाहूंगा कि जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है वह बड़ा साफ है। उन्होंने कहा है कि 14 शिड्यूल कास्ट और 3 महिला संवर्ग की पोस्टें थीं और एक अनुसूचित जनजाति की पोस्ट थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि 13 अधिकारी पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध थे उसमें 8 को तो नियुक्त कर दिया लेकिन 14 होने चाहिए थे और 13 पात्रता के क्षेत्र पर हुये लेकिन 5 की नियुक्ति क्यों नहीं की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दो वर्ष की सेवा स्पेशल ग्रेड में अनिवार्य है, तो जिनकी दो वर्ष की सेवा पूरी हो गई थी उनको कर दिया गया था और जिनकी नहीं हुई, उनका स्थान सुरक्षित है। जैसे ही पूरा हो जाएगा, उनको कर दिया जाएगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

13 आदमी थे पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध थे यानी उनकी दो साल की सेवा की शर्त पूरी हो गई थी, लेकिन आपने नियुक्ति दी 8 को तो ऐसा क्यों ? सबको क्यों नहीं किया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्पेशल ग्रेड में कुल नियुक्तियां 23 होनी हैं, जिसमें 15 हो गये हैं 8 की जो बाकी थी, उसमें 7 और हैं, उनके तीन तारीख को आदेश हो चुके हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

13 पात्र व्यक्तियों में 8 की नियुक्ति कर दी, बाकी 5 की क्यों नहीं की, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पात्रता उनकी सेवा और माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं, जानते होंगे कि उनकी सी0 आर0 रिपोर्ट भी देखी जाती है। वह चयन समिति के सम्मुख जाती है। चयन समिति ने अभी इनको प्रमोशन का पात्र नहीं समझा है। इनकी सी0 आर0 की कोई जांच-पड़ताल चल रही होगी, वह आ जाएगी तो हो जाएगा।

श्री कल्याण सिंह—

जो कुल पात्र हैं, इसमें 13 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी उपलब्ध थे। 8 को नियुक्ति दी गई है, शेष की सी0 आर0 शायद शासन की दृष्टि में खराब रही होगी, इसलिए उनका नहीं हुआ, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग में से अधिकतम कितनी एडवर्स एन्ट्रीज वालों को लिया गया और इस आरक्षित वर्ग के अधिकतम कितनी एडवर्स एन्ट्रीज वालों को छोड़ दिया गया है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सामान्य श्रेणी में भी जिनकी सी0 आर0 नहीं ठीक थी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है।

श्री कल्याण सिंह—

उनमें से जिनकी एडवर्स एन्ट्रीज हैं, उनकी तुलना में जो अनुसूचित जाति के हैं और छोड़े गये हैं उनकी एडवर्स एन्ट्रीज कितनी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह प्रश्न डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का है, वह हमारे सामने नहीं आता है। यदि किसी व्यक्ति का रिप्रेजेन्टेशन है, तो वह मंत्री के सामने आता है। यदि किसी की आई है तो उस समय उस पर कार्यवाही हुई और माफ करने लायक हुई तो उसे स्पंज कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों की चाहे वह जनरल सूची में रहे हैं, चाहे आरक्षित सूची पर रहे हैं, यदि पात्रता में आते हुए भी उनकी सी0 आर0 ठीक नहीं थी तो उनका प्रमोशन नहीं हुआ है।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1984 में सी0 एम0 ओ0 पद पर जिन लोगों की प्रोन्नति हो सकती थी उनको प्रत्यावर्तित करके उनका कार्यकाल दो साल के बजाए 4 साल कर दिया गया था और फिर कार्यकाल घटाकर 2 साल कर दिया गया, तो बीच-बीच में इन अनुसूचित जाति के लोगों की इस तरह से प्रोन्नति में क्यों अवरोध पैदा किया जाता है ?

श्री अधिष्ठाता—

वैसे माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें, तो दे दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, ऐसी कोई घटना नहीं घटी।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मान कर कि जो 5 लोग रह गये हैं उनके खिलाफ कोई इंटरी नहीं है, उनकी चरित्र पंजिका में कोई प्रविष्टि नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इनको नियुक्त करने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी आपने संयुक्त निदेशक के पद पर प्रमोशन किया है और उसमें पात्रता एक साल की रखी गयी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दो साल के बजाय एक साल करके इन सीटों को भरने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् पहले नियम 4 वर्ष का था। उसका शिथिलीकरण किया गया और एक

साथ बहुत से पद निकाले गये । जब एक संवर्ग में एक वर्ष कर देंगे और दूसरे में नहीं करेंगे तो माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इससे आपसी सद्भावना की भावना घट जायेगी ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है । संयुक्त निदेशक के पद से अपर निदेशक के पद पर प्रमोशन के लिए साल वालों को पात्र मानकर प्रमोशन किया गया तो दूसरों को करने में क्या दिक्कत है ? इसमें सद्भावना कहां बिगड़ती है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं कि साधारण श्रेणी का एक व्यक्ति 22 से लेकर 25 वर्ष तक की सेवा के उपरांत सीनियर स्केल में आता है । रिजर्व श्रेणी का एक व्यक्ति 10-12 साल की सेवा के उपरांत इस श्रेणी में पहुंच जाता है । तो एक साथ लगभग 400-500 जगहें निकलीं तो सामान्य श्रेणी और रिजर्व श्रेणी में ऐसे पात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 2 वर्ष से अधिक कार्य किया था । तो पदों को भरने के लिए दो वर्ष का किया गया । 18-20 जो अपर निदेशक के पद निकले तो उसमें आरक्षित श्रेणी में और सामान्य श्रेणी में जो उसका मानक था उसके अंतर्गत कोई नहीं मिला इसलिये एक साल का कार्यकाल करके यह प्रोन्नतियां की गयीं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपसे आपसे पूछना चाहता हूं कि वह जो पांच लोग रह गये हैं उनकी भी नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, शासन की कोई नीयत नहीं है किसी के अधिकार को छीन लेने की । जब इनका समय होगा, जरूर नियुक्त कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरदेव जी, आपको अब कोई शंका नहीं है तो अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः

7 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर) ।

संलग्नक

जनपद बरेली में विकास खण्ड मीरगंज एवं शेरगढ़ में वर्ष 1981 से अब तक क्रमशः 7 व 3 कूपों का छिद्रण कराया गया था । इन कूपों के निर्माण कार्यों की प्रगति इस प्रकार रही :

क्रम-संख्या	विकास खण्ड	ग्राम	कूप संख्या व समूह	कार्य पूर्ण कराने का माह			
				छिद्रण	पम्पसेट की स्थापना	वी0 ऐंड एल0 फार्म का प्रेषण	ऊर्जीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मीरगंज	गहबर	132 बरेली	6.81	3.83	3.83	3.84
2	,,	सुकाला	135 बरेली	6.81	3.83	3.83	2.84
3	,,	बुलाई पाडपुर	136 बरेली	6.81	3.83	3.83	2.84
4	,,	नगरिया सादात	137 बरेली	5.81	3.83	3.83	1.84
5	,,	फिरोजपुर	166 बरेली	4.84	1.85	1.85	1.85
6	,,	बीथमपुर नौगवां	167 बरेली	5.84	1.85	1.85	1.85
7	,,	बहादुरपुर	169 बरेली	5.84	1.85	1.85	1.85
8	शेरगढ़	बरौपुरा	138 बरेली	6.81	8.83	8.83	3.84
9	,,	सहोड़ा	139 बरेली	6.81	8.83	8.83	2.84
10	,,	बिलसा	168 बरेली	5.84	1.85	1.85	1.85

पी0 एस0 यू0 पी0—35 वि0 सभा—9-9-85—813 (लाइनो) ।